मार्च, 2018

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द्र ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

© 2018 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

---

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

मार्च, 2018 अंक - 3

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2018) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

आज का मानव यांत्रिक साधनों में इतना डूब गया है कि हृदय के भाव से अधिक वस्तुओं के भाव को महत्व देता है । कुछ व्यक्तियों के मन में ईर्ष्या और विद्वेष की भावना दुर्गन्ध की भांति बस जाती है और वे अपनी मर्यादा खो देते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निकट नातेदार भी शत्रु दिखाई देते हैं । वे ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं कि अपने ही नातेदार के सदस्यों को झूठे मुकदमे जैसी भयावह घटना का शिकार बना देते हैं । निर्दोष व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है, न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अन्त में भले ही सत्य की जीत हो जाती है और वह अपने नातेदारों के प्रकोप से बचता हुआ दोषमुक्त हो जाता है और पुनः मेल-मिलाप भी हो जाता है किन्तु तनावपूर्ण स्थिति सदैव बनी रहती है । **रमेश बर्नवाल** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** (2018) 1 दा. नि. प. 358 वाले मामले में ऐसी ही पारिवारिक स्थिति सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है । इस संदर्भ में रहीम दास जी का यह दोहा प्रासंगिक है :–

रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाय ।

टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परि जाए ।

मानव की प्रकृति है कि कभी सच तो कभी झूठ बोलता है । न्यायमूर्ति निर्णय पारित करते हैं किन्तु न्याय केवल ईश्वर ही करता है । इसी प्रकार, परिस्थितियों का सृजन भी ईश्वर ही करता है जो कभी झूठ नहीं बोलतीं । अभियुक्त यह साबित नहीं कर पाता है कि उसके पास मृतक के आभूषण कैसे पहुंचे जो कि उसे अपराध में फंसाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है । किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के न होने के बावजूद न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को मृतक के साथ अन्तिम बार देखे गए साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करके न्याय कर सकता है । **भरत दास** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** (2018) 1 दा. नि. प. 367 वाला मामला इसका एक अच्छा उदाहरण है ।

एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध किया जाना मानव वध है । किन्तु अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता में ने इसे अलग-अलग रखा गया है । "हत्या" और "हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध" दो ऐसे अपराध हैं जो पाठकों को प्रायः असमंजस में डाल देते

हैं । इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए **नरसिंह राम** बनाम **राजस्थान राज्य** (2018) 1 दा. नि. प. 425 वाला निर्णय एक सटीक मामला है ।

इस अंक में कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के द्वितीय अनुसूची का हिन्दी पाठ भी लाभार्थियों की जानकारी के लिए समाविष्ट किया गया है ।

इस अंक में अन्य और सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

मार्च, 2018

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
कनुकुन्तल मल्लिकार्जुन **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य	303
जगदीश **बनाम** राजस्थान राज्य	413
जीत सिंह **बनाम** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	384
नरसिंह राम **बनाम** राजस्थान राज्य	425
भरत दास **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	367
रमेश बर्नवाल **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	358
राम आसरे **उर्फ** फक्कड़ और एक अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 318)	
लोधा बारा **बनाम** ओडिशा राज्य	348
विशम्भर सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	318
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** सुरजीत सिंह और अन्य	439

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	385 – 429

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 201 – अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना – यदि मामले में अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देने का साक्ष्य साबित नहीं हुआ है तो अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने के हकदार है ।

विशम्भर सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 318

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8] – हत्या – अपीलार्थी द्वारा कुल्हाड़ी से मृतका की हत्या किया जाना – मृतका के पति द्वारा अपीलार्थी से लिए गए ऋण का प्रतिदाय किया जाना – हेतु का स्पष्ट न होना – मृतका पर हमला करने के संबंध में हेतु को लेकर अभियोजन वृत्तांत में गंभीर विचलन है, अपीलार्थी को घटनास्थल पर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि वह ऋण की रकम पहले ही वापस ले चुका था इसलिए मृतका के पति के साक्ष्य की सत्यता पर घोर संदेह दिखाई देता है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

कनुकुन्तल मल्लिकार्जुन बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** 303

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – मृतका के पति और पुत्र की घटनास्थल पर संदिग्ध मौजूदगी – साक्षियों के साक्ष्य के बीच विरोधाभास और असंगतता – अपराध में प्रयुक्त आयुध की विशेषज्ञ जांच न कराना – मृतका के पति द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि घटना के समय वह अपने पुत्र और पुत्री के साथ अपने पड़ोसी के घर पर मौजूद था और शोर की आवाज सुनकर वे घटनास्थल पर पहुंचे थे और

पृष्ठ संख्या

तीनों साक्षियों के साक्ष्य में असंगतता पाए जाने और साथ ही अपराध में प्रयोग किए जाने से अभियोजन पक्ष कथन संदिग्ध हो जाता है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

कनुकुन्तल मल्लिकार्जुन बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** 303

– धारा 302, 120ख और 404 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 8] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा अपने ससुर (मृतक) को अपने साथ ले जाना और उसके सोने के कुंडल तथा नकदी चुराने के हेतु के साथ उसे शराब में विष (सल्फास) मिलाकर पिलाना – मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखे जाने, मृतक की मृत्यु के संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण न देने, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से मृतक को विष देने की संपुष्टि होने, अभियुक्त के बताने पर एक विनिर्दिष्ट स्थान से मृतक की वस्तुओं की बरामदी और अभियुक्त की पत्नी और पुत्र सहित अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य तथा मामले की परिस्थितियों से यह सिद्ध होने पर कि अभियुक्त ने ही मृतक की हत्या की थी, उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश में हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है ।

भरत दास बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 367

– धारा 302, 201, 364क – फिरौती के लिए व्यपहरण और हत्या [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9] – अपीलार्थियों (फक्कड़ गिरोह) द्वारा आहत का व्यपहरण करके उसकी हत्या किया जाना – जहां अपीलार्थियों की उचित रूप से शनाख्त न हो पाई हो और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपीलार्थियों की उचित वेशभूषा व शारीरिक बनावट का उल्लेख न हो और मामले के तथ्य परिस्थितियां एक साथ उलझी हुई हों वहां पर ऐसे

पृष्ठ संख्या

में संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन संदेहपूर्ण हो जाता है । अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

विशम्भर सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 318

– धारा 302 और 304, भाग I – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – अचानक प्रकोपन – ससुर के सिर पर लोहे का बाट फेंककर मृत्यु कारित करना – मृतक के शरीर पर बार-बार क्षति पहुंचाने का कोई अभिकथन न होने के कारण मृत्यु कारित करने के हेतुक का अभाव और क्रोध के कारण घटना घटित हुई अतः अभियुक्त-अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का नहीं अपितु धारा 304, भाग I के अधीन अपराध का दोषी ठहराया गया ।

नरसिंह राम बनाम **राजस्थान राज्य** 425

– धारा 304ख, 498क और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख, 3] – दहेज मृत्यु और क्रूरता – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी के नातेदारों को सूचना दिए बिना उसका दाह-संस्कार किया जाना – अप्राकृतिक मृत्यु को साबित करने में चिकित्सीय साक्ष्य का अभाव – यदि अभियोजन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गर्भावस्था के दौरान प्रकट हुई जटिलताओं के कारण मृतका की मृत्यु हुई और अभियोजन साक्षी का परिसाक्ष्य हितबद्ध होने पर अविश्वसनीय है तथा दहेज मृत्यु का कोई साक्ष्य नहीं है तो अभियोजन धारा 113ख के अधीन नहीं चलाया जा सकता अतः, अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

जगदीश बनाम **राजस्थान राज्य** 413

– धारा 306, 498क और 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – दहेज मृत्यु – साक्ष्य

पृष्ठ संख्या

का मूल्यांकन – दहेज की मांग और भाभी के साथ अवैध संबंधों के कारण आत्महत्या किए जाने का अभिकथन – अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर यातनापूर्ण व्यवहार किए जाने के साक्ष्य का अभाव – अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर ऐसा कृत्य किया गया था जिससे मृतका का आत्महत्या करना संभावित हो और उसके जीवन को घोर खतरा हो, इसलिए साक्ष्य से आत्महत्या या क्रूरता साबित नहीं होती है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

रमेश बर्नवाल बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 358

– धारा 323, 506 और धारा 34 – साधारण उपहति – सामान्य आशय – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़िता को साधारण उपहति पहुंचाई और यह कार्य सामान्य आशय में किया गया, वहां अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **सुरजीत सिंह और अन्य** 439

– धारा 376 और 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – बलात्संग और हत्या – अपीलार्थी द्वारा 4 वर्ष की कन्या के साथ बलात्संग और उसकी हत्या किया जाना – अभियुक्त के बताए जाने पर कन्या के शव की बरामदगी – अभियुक्त का अन्तिम बार कन्या के साथ देखा जाना – पुलिस के समक्ष दिया गया ऐसा संस्वीकृति कथन जिसका संबंध स्पष्ट रूप से ऐसे तथ्य के प्रकटीकरण से होता है जिसे धारा 27 के अधीन साबित किया जा सके, प्रकटीकरण का केवल वही भाग साक्ष्य में ग्राह्य होगा, अतः अभियुक्त के बताए जाने के

पृष्ठ संख्या

आधार पर शव की बरामदगी होने पर अभियुक्त को ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है ।

लोधा बारा बनाम **ओडिशा राज्य** 348

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49)

– धारा 7, 13(1)(घ) और 20 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8] – लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति – मांग और हेतु को साबित न किया जाना – अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए रिश्वत की मांग को साबित किया जाना अत्यावश्यक है और अभियुक्त के कब्जे से दूषित धन की केवल बरामदगी दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः छापा मारने के दिन छाया साक्षी द्वारा अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत न सुने जाने और रिश्वत का धन सौंपते हुए न देखे जाने, रिश्वत मांगने के हेतु और वास्तविक मांग को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किए जाने पर अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का दायी है ।

जीत सिंह बनाम **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** 384

कनुकुन्तल मल्लिकार्जुन

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

तारीख 19 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति सी. वी. नागार्जुन रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. एस. के. जयसवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8] – हत्या – अपीलार्थी द्वारा कुल्हाड़ी से मृतका की हत्या किया जाना – मृतका के पति द्वारा अपीलार्थी से लिए गए ऋण का प्रतिदाय किया जाना – हेतु का स्पष्ट न होना – मृतका पर हमला करने के संबंध में हेतु को लेकर अभियोजन वृत्तांत में गंभीर विचलन है, अपीलार्थी को घटनास्थल पर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि वह ऋण की रकम पहले ही वापस ले चुका था इसलिए मृतका के पति के साक्ष्य की सत्यता पर घोर संदेह दिखाई देता है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – मृतका के पति और पुत्र की घटनास्थल पर संदिग्ध मौजूदगी – साक्षियों के साक्ष्य के बीच विरोधाभास और असंगतता – अपराध में प्रयुक्त आयुध की विशेषज्ञ जांच न कराना – मृतका के पति द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि घटना के समय वह अपने पुत्र और पुत्री के साथ अपने पड़ोसी के घर पर मौजूद था और शोर की आवाज सुनकर वे घटनास्थल पर पहुंचे थे और तीनों साक्षियों के साक्ष्य में असंगतता पाए जाने और साथ ही अपराध में प्रयोग किए जाने से अभियोजन पक्ष कथन संदिग्ध हो जाता है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

2009 के सेशन विचारण मामला सं. 137 में के एकमात्र अभियुक्त ने अपर सेशन न्यायाधीश, तृतीय, वारंगल के तारीख 3 फरवरी, 2011 के उस आदेश को इस अपील में चुनौती दी है जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड

संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने से दंडादिष्ट किया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रदर्श पी. 1 और मृतका की हत्या से संबंधित अपीलार्थी के हेतु को लेकर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सहित ऊपर निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों में सारभूत विरोधाभास है जिसे साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के दौरान किसी भी स्थान पर स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य के दौरान यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी से 30,000/- रुपए का ऋण लिया था जिसका प्रतिदाय 30,000/- रुपए ब्याज के साथ कर दिया गया था और अपीलार्थी उसके घर आया और उसकी पत्नी पर उस समय कुल्हाड़ी से वार किया जब वह अपीलार्थी से अपने प्लाट के दस्तावेज वापस लेने का आग्रह कर रही थी । इस प्रकार, अभि. सा. 1 ने वही दोहराया है जो उसने प्रदर्श पी. 1 में कहा है और उस बात का उल्लेख अपने साक्ष्य में नहीं किया है जो अन्वेषण के पूरा होने के पश्चात् तैयार किए गए आरोप पत्र से प्रतिबिंबित होती है । इस प्रकार, हमें मृतका पर हमला करने के संबंध में अपीलार्थी के हेतु को लेकर अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में गंभीर विचलन दिखाई देता है । यदि हम प्रदर्श पी. 1 में किए गए वृत्तांत पर विचार करें, तब अपीलार्थी को मृतका के घर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि वह ऋण की रकम पहले ही प्राप्त कर चुका था । यदि आवश्यकता होती तो अभि. सा. 1 और मृतका अपीलार्थी के घर अपने प्लाट के दस्तावेज वापस लेने के लिए जाते । इस प्रकार अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की सत्यता पर घोर संदेह दिखाई देता है जिसका उल्लेख उसने पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट में किया था ताकि दांडिक विधि का दुरुपयोग किया जा सके । मृतका पर अपीलार्थी द्वारा हमला किए जाने के हेतु के संबंध में विपरीत वृत्तांत दिए जाने से अभियोजन पक्षकथन आरंभ से ही निर्बल हो जाता है । (पैरा 11)

साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत से पहलुओं को लेकर गंभीर विरोधाभास दिखाई देते हैं । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 1 ने अभि. सा. 3 को पहुंची क्षति को निर्दिष्ट नहीं किया है । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वह किसी मुस्लिम व्यक्ति, जो कि निश्चित रूप से अभि. सा. 5 ही है, के घर पर

अपने पुत्र और पुत्री के साथ था और सबसे पहले अभि. सा. 3 घटनास्थल पर पहुंची । अभि. सा. 2 का साक्ष्य अभि. सा. 1 के साक्ष्य से घटनास्थल पर मौजूदगी को लेकर पूर्णतया भिन्न है । अभि. सा. 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह, मृतका, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 अपने मकान में सामने वाले कमरे में बैठे हुए थे और सबसे पहले मृतका कमरे से बाहर गई और शोर की आवाज सुनकर बाकी लोग कमरे से बाहर गए । अभि. सा. 3 को पहुंची क्षति के संबंध में अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके पेट पर लात मारी थी । जबकि अभि. सा. 3 और उसका पिता अर्थात् अभि. सा. 1 अपने मकान में बैठे हुए थे; अभि. सा. 2 अभि. सा. 5 के बच्चों के साथ खेल रहा था । इस प्रकार, अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 की घटनास्थल पर मौजूदगी, हमला किए जाने की रीति, मृतका को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्तियों आदि के संबंध में पूर्णरूप से असंगतता दिखाई देती है । तीन महत्वपूर्ण साक्षियों के साक्ष्य में ऐसे अन्तर्निहित विरोधाभासों से उनके परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता पर घोर संदेह होता है । इस तथ्य से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की घटनास्थल पर मौजूदगी को लेकर घोर संदेह होता है कि अभि. सा. 1 ने अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की मौजूदगी तथा अभि. सा. 3 को पहुंची क्षति का उल्लेख पूर्वतम वृत्तांत अर्थात् प्रदर्श पी. 1 में नहीं किया है । अभि. सा. 3 को पहुंची क्षति को निर्दिष्ट करते हुए अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि यह क्षति अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 3 के पेट पर लात मारने से कारित हुई है । अभि. सा. 3 ने प्रतिकूल साक्ष्य दिया है जिसके अनुसार जब अभि. सा. 3 ने बीचबचाव करने का प्रयास किया था, तब उसके दाएं हाथ में क्षति कारित हुई थी । अभि. सा. 3 ने यह नहीं बताया है कि उसे यह क्षति अपीलार्थी द्वारा प्रयोग किए गए किस आयुध से किस प्रकार कारित हुई । प्रदर्श पी. 18 चिकित्सा प्रमाणपत्र है जो अभि. सा. 15 द्वारा जारी किया गया है जिसमें तीन क्षतियों का उल्लेख है अर्थात् (i) दाईं कोहनी में रगड़; (ii) उदर में भंगुरता; और (iii) बाईं कोहनी के जोड़ पर रगड़ । अभि. सा. 15 ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि तारीख 12 नवंबर, 2008 को 10 बजे पूर्वाह्न में अभि. सा. 3 को उसकी चाची मंजुला द्वारा अस्पताल लाया गया था और उपचार के दौरान अभि. सा. 15 ने उपरोक्त क्षतियां देखीं जो साधारण प्रकृति की पाई गई और अभि. सा. 3 द्वारा यह अभिकथन किया गया था कि उसके परिचित कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके निवास-स्थान पर उसके साथ मार-पिटाई की गई है । इस चिकित्सक ने यह उल्लेख नहीं किया है कि ये क्षतियां कितनी पुरानी थीं

और वे किस आयुध से कारित की गई हैं । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, साक्ष्य की अत्यंत असंगत प्रकृति और क्षतियों के कारित होने के समय का उल्लेख न किए जाने की स्थिति पर विचार करते हुए यह अत्यंत संदिग्ध हो जाता है कि अभि. सा. 3 को मृतका पर हमला किए जाने के दौरान क्षतियां पहुंची थीं या नहीं । अभि. सा. 4 से अभि. सा. 6, जो कि पड़ोसी हैं और अभिकथित रूप से मृतका की चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे हैं, पक्षद्रोही हो गए हैं और इसी कारण अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य की संपुष्टि किसी भी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से नहीं होती है । चूंकि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 का साक्ष्य अत्यंत अविश्वसनीय पाया गया है इसलिए, अपीलार्थी को मृतका की हत्या से संबद्ध करने वाली मात्र कड़ी अभिकथित रूप से बरामद की गई कुल्हाड़ी (तात्विक वस्तु-3) है । अभि. सा. 11 जो प्रदर्श पी. 17 अर्थात् संस्वीकृति कथन और अभिग्रहण पंचनामे के साक्षियों में से एक साक्षी है, पक्षद्रोही हो गया है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपने हस्ताक्षर कोरे कागजों पर किए थे और उसकी मौजूदगी में कुछ भी बरामद नहीं किया गया था । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अपीलार्थी द्वारा संस्वीकृति किए जाने और उसके बताए जाने के आधार पर पुलिस ने झाड़ियों में से कुल्हाड़ी अभिगृहीत की है । तथापि, अभि. सा. 13 एक अन्य साक्षी है जिसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । इस समागम पर, अभि. सा. 7 अर्थात् शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक का साक्ष्य संगत है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह ठीक प्रकार नहीं बता सकता है कि इस कुल्हाड़ी से ऐसी क्षतियां पहुंचाई जा सकती हैं या नहीं और वह यह भी नहीं बता सकता है कि किस प्रकार के आयुध का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार, चिकित्सक निश्चित रूप से यह नहीं बता सका कि ऐसी क्षतियां तात्विक वस्तु-3 (कुल्हाड़ी) से कारित की जा सकती थीं या नहीं । अभियोजन पक्षकथन में गंभीर कमी यह है कि तात्विक वस्तु-3 को विशेषज्ञ की राय लेने के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया ताकि यह पता चल पाता कि उस पर मानव रक्त लगा हुआ था या नहीं । तात्विक वस्तु-3 चूंकि एक कुल्हाड़ी है, इसलिए यह आमतौर पर उपलब्ध होने वाला आयुध है । किसी व्यक्ति के पास से कुल्हाड़ी का बरामद किया जाना उसे अपराध से संबद्ध नहीं कर सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध न कर दे कि यह वही आयुध है जिसका प्रयोग अपराध कारित करने में किया गया है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बरामद किए गए आयुध का प्रयोग

अपराध कारित किए जाने में किया गया था, अन्वेषण अभिकरण इस तथ्य को साबित करने के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त करने में असफल रहा है । अतः, अभियोजन पक्ष साक्ष्य की इस कड़ी को भी सिद्ध नहीं कर सका है । (पैरा 16, 17 और 18)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 176.

2009 के सेशन मामला सं. 137 में अपर सेशन न्यायाधीश, तृतीय, वारंगल द्वारा तारीख 3 फरवरी, 2011 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री सी. शरण रेड्डी (श्रीमती सी. वसुंधरा रेड्डी की ओर से)

प्रत्यर्थी की ओर से लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सी. वी. नागार्जुन रेड्डी ने दिया ।

न्या. रेड्डी – 2009 के सेशन विचारण मामला सं. 137 में के एकमात्र अभियुक्त ने अपर सेशन न्यायाधीश, तृतीय, वारंगल के तारीख 3 फरवरी, 2011 के उस आदेश को इस अपील में चुनौती दी है जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने से दंडादिष्ट किया गया था ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि कस्तूरी श्रीलता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मृतका" निर्दिष्ट किया गया है) और उसके पति अभि. सा. 1 की अपीलार्थी के साथ पहले से जान-पहचान थी और उन्होंने अपीलार्थी से अपने मकान का निर्माण करने के लिए 60,000/- रुपए का ऋण लेने का निवेदन किया और अपीलार्थी ने यह रकम मृतका को दे दी जिसके लिए मृतका ने एक दस्तावेज निष्पादित किया किन्तु मृतका और अभि. सा. 1 ने अपीलार्थी द्वारा कई बार निवेदन किए जाने पर भी उस रकम का प्रतिदाय नहीं किया । तारीख 2 नवंबर, 2008 को लगभग 6 बजे अपराह्न में अपीलार्थी मृतका और अभि. सा. 1 के घर गया जो चिन्तल में वारंगल के निकट स्थित है, अपीलार्थी ने उनसे ऋण की रकम का प्रतिदाय करने के लिए कहा । इस संबंध में अपीलार्थी और

मृतका के बीच कहा-सुनी हो गई जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के मन में मृतका और अभि. सा. 1 को लेकर विद्वेष की भावना उत्पन्न हो गई और अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी उठाई और मृतका पर उसकी हत्या करने के लिए अंधाधुंध वार किए जिसके कारण मृतका नीचे गिर गई और खून से लथपथ हो गई और इस घटना को अभि. सा. 1 से अभि. सा. 6 ने देखा । जब अभि. सा. 3 ने मृतका को बचाने का प्रयास किया तो उसको भी क्षतियां पहुंचीं और अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 6 ने मृतका को एम. जी. एम. अस्पताल, वारंगल उपचार के लिए भेजा जहां पर क्षतियों के परिणामस्वरूप उसी दिन 9 बजे अपराह्न में उपचार के दौरान मृतका की मृत्यु हो गई ।

3. तारीख 11 नवंबर, 2008 को 10 बजे अपराह्न में अभि. सा. 1 से प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस थाना मिल्स कालोनी के पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 14) ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध सं. 262/2008 के तहत मामला दर्ज किया । अन्वेषण के दौरान, अभि. सा. 14 ने अभि. सा. 1 का कथन अभिलिखित किया, अगले दिन अभि. सा. 14 घटनास्थल पर गया, अभि. सा. 9 और अभि. सा. 10 (बिचवइयों) को बुलाया और उनकी मौजूदगी में उसने घटनास्थल का मुआयना किया, अपराध घटित होने का कच्चा नक्शा तैयार किया, घटनास्थल से रक्तरंजित और सादा मिट्टी एकत्र की और घटनास्थल के फोटो भी खिंचवाए । इसके पश्चात्, अभि. सा. 14 अस्पताल के शवगृह पर गया, अभि. सा. 12 को बुलाया और अन्य व्यक्तियों (अभि. सा. 3, 4 और 8) से भी पूछताछ की, उनके कथन अभिलिखित किए, मृतका के शव की मृत्युसमीक्षा की, शव को न्यायालयिक प्रयोगशाला, ककातिया मेडिकल कालेज, वारंगल शवपरीक्षण के लिए भेज दिया और मृतका के शव से रक्तरंजित कपड़े बरामद किए । इसके पश्चात् अभि. सा. 14 ने अभि. सा. 2, 5 और 6 की परीक्षा की और उनके कथन अभिलिखित किए । शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 7) ने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-4) जारी की और यह राय दी कि सिर में क्षति पहुंचने के कारण मृत्यु हुई है । अभि. सा. 15 ने अभि. सा. 3 का उपचार किया और यह राय दी कि उसे साधारण क्षतियां पहुंची हैं । तारीख 13 नवंबर, 2008 को पुलिस ने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और अपीलार्थी के कब्जे से अभि. सा. 11 और अभि. सा. 13 (बिचवइयों) की मौजूदगी में वह कुल्हाड़ी अभिगृहीत की जिसका प्रयोग उसने अपराध में किया था और इस संबंध में पंचनामा भी

तैयार किया । इसके पश्चात् अपीलार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और तात्विक वस्तुओं को विश्लेषण के लिए क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, वारंगल भेज दिया गया । पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 और 324 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया ।

4. चूंकि अभियुक्त ने उस पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया था, इसलिए उसका विचारण किया गया । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 15 की परीक्षा कराई, प्रदर्श पी. 1 से पी. 18 चिह्नांकित किए और तात्विक वस्तु 1 से 3 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर विचारण न्यायालय ने उपरोक्त रूप में मामले का निपटारा किया ।

5. अपीलार्थी की विद्वान् काउंसेल श्रीमती सी. वसुंधरा रेड्डी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री सी. शरण रेड्डी ने यह दलील दी है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से 3 को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उद्धृत किया है किंतु अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 बनावटी साक्षी हैं और अभि. सा. 4 से अभि. सा. 6 स्वतंत्र साक्षी हैं जो पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं, अभि. सा. 1 के साक्ष्य से संपुष्टि नहीं हुई है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि एक ओर प्रदर्श पी. 1 में अभिकथित रूप से उल्लिखित हेतु और दूसरी ओर प्रदर्श पी. 11 (मृत्युसमीक्षा पंचनामा), प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 13) और आरोप पत्र में उल्लिखित तथ्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और यदि प्रदर्श पी. 1 में उल्लिखित अन्तर्वस्तु को स्वीकार कर लिया जाए और हेतु से संबंधित मृत्यु समीक्षा पंचनामा, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और आरोप पत्र से संबंधित अभियोजन पक्ष के वृत्तांत को अनदेखा कर दिया जाए तब भी अपीलार्थी को मृतका और अभि. सा. 1 के घर जाने की कतई कोई आवश्यकता नहीं थी । विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि अभि. सा. 1 से 3 के साक्ष्य में घोर विरोधाभास हैं जिससे अभियोजन का सम्पूर्ण पक्षकथन अविश्वसनीय हो जाता है, अभि. सा. 11 जो प्रदर्श पी. 17 और अभिग्रहण पंचनामे का साक्षी है और जिसके अनुसार आयुध (तात्विक वस्तु-3) को अभिगृहीत किया गया था, पक्षद्रोही हो गया है और तात्विक वस्तु-3 को विशेषज्ञ की राय लेने के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है, इसलिए अभियोजन पक्ष हत्या के अपराध से अभियुक्त को संबद्ध करने में

असफल रहा है ।

6. उपरोक्त दलीलों का खण्डन करते हुए तेलंगाना राज्य की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक श्री सी. प्रताप रेड्डी ने निचले न्यायालय के निर्णय का समर्थन करने की ईप्सा की है ।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर गहराई से विचार किया है और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

8. प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित मामले में हेतु का अधिक महत्व नहीं होता है । तथापि, चूंकि हमें अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने के लिए विश्वासोत्पादक दिखाई नहीं देता है कि वे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, इस संबंध में हम कारण बाद के प्रक्रम पर स्पष्ट करेंगे, किन्तु अभी हम अभियोजन पक्ष द्वारा गठित किए गए हेतु के पहलू पर विचार करना चाहेंगे ।

9. पुलिस रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) में मृतका के पति (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि लगभग छह वर्ष पूर्व उन्होंने अपीलार्थी से 30,000/- रुपए उधार लिए थे और इसके लिए उन्होंने अपने मकान के दस्तावेज बंधक किए थे । यद्यपि, उन्होंने ब्याज के साथ ऋण का प्रतिदाय कर दिया था, फिर भी अपीलार्थी उनके दस्तावेज वापस नहीं कर रहा था । तारीख 11 नवंबर, 2008 को लगभग 6.15 बजे अपराह्न में जब अपीलार्थी अभि. सा. 1 के घर आया, मृतका ने अपीलार्थी से दस्तावेज वापस करने का निवेदन किया । इस पर अपीलार्थी ने निकट पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाई और मृतका के सिर पर अंधाधुंध वार किए । मृतका नीचे गिरकर खून से लथपथ हो गई और अभि. सा. 1 अपनी आहत पत्नी को अभि. सा. 4 की सहायता से एक ऑटो रिक्शा से गांधी अस्पताल, वारंगल ले गया और उसे वहां भर्ती कराया और लगभग 9 बजे पूर्वाह्न में चिकित्सकों द्वारा उसे सूचना दी गई कि मृतका की मृत्यु हो गई है । उसने अपनी पत्नी की हत्या के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए निवेदन किया । संक्षेप में, प्रदर्श पी. 1 में अभिकथित हेतु यह है कि चूंकि मृतका ने दस्तावेजों को वापस लेने की मांग की थी, इसलिए अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की है ।

10. तथापि, हमें मृत्युसमीक्षा पंचनामे (प्रदर्श पी. 11) में इसके प्रतिकूल दिखाई देता है । प्रदर्श 11 के पैरा 15 में यह उल्लेख किया गया

है कि घटना के कुछ समय पूर्व मृतका और अपीलार्थी 60,000/- रुपए के उस ऋण के प्रतिदाय के संबंध में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे जो अपीलार्थी ने मृतका को दिया था । अपीलार्थी मृतका के घर प्रायः आया करता था और उससे उक्त रकम के प्रतिदाय की मांग किया करता था । इस संबंध में तारीख 11 नवंबर, 2008 को लगभग 6 बजे अपराह्न में अपीलार्थी मृतका के घर आया और ऋण का प्रतिदाय करने के लिए उस पर यह कहते हुए दबाव बनाया कि वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह धन नहीं चुका देती और इस संबंध में गंभीर कहा-सुनी हो गई और जब मृतका ने यह कहा कि वह ऋण का प्रतिदाय नहीं कर सकती, तब अपीलार्थी ने क्रोध में आकर मृतका पर उसकी हत्या के आशय से कुल्हाड़ी से अंधाधुंध हमला किया । अभियोजन पक्ष द्वारा यही बात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 13) में कही गई है और ऐसा ही उल्लेख आरोप पत्र में किया गया है ।

11. प्रदर्श पी. 1 और मृतका की हत्या से संबंधित अपीलार्थी के हेतु को लेकर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सहित ऊपर निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों में सारभूत विरोधाभास है जिसे साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के दौरान किसी भी स्थान पर स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य के दौरान यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी से 30,000/- रुपए का ऋण लिया था जिसका प्रतिदाय 30,000/- रुपए ब्याज के साथ कर दिया गया था और अपीलार्थी उसके घर आया और उसकी पत्नी पर उस समय कुल्हाड़ी से वार किया जब वह अपीलार्थी से अपने प्लाट के दस्तावेज वापस लेने का आग्रह कर रही थी । इस प्रकार, अभि. सा. 1 ने वही दोहराया है जो उसने प्रदर्श पी. 1 में कहा है और उस बात का उल्लेख अपने साक्ष्य में नहीं किया है जो अन्वेषण के पूरा होने के पश्चात् तैयार किए गए आरोप पत्र से प्रतिबिंबित होती है । इस प्रकार, हमें मृतका पर हमला करने के संबंध में अपीलार्थी के हेतु को लेकर अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में गंभीर विचलन दिखाई देता है । यदि हम प्रदर्श पी. 1 में किए गए वृत्तांत पर विचार करें, तब अपीलार्थी को मृतका के घर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि वह ऋण की रकम पहले ही प्राप्त कर चुका था । यदि आवश्यकता होती तो अभि. सा. 1 और मृतका अपीलार्थी के घर अपने प्लाट के दस्तावेज वापस लेने के लिए जाते । इस प्रकार अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की सत्यता पर घोर संदेह दिखाई देता है जिसका उल्लेख उसने पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट में किया था ताकि दांडिक विधि का दुरुपयोग किया जा सके । मृतका पर

अपीलार्थी द्वारा हमला किए जाने के हेतु के संबंध में विपरीत वृत्तांत दिए जाने से अभियोजन पक्षकथन आरंभ से ही निर्बल हो जाता है ।

12. अब हम इस पर विचार करेंगे कि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 का साक्ष्य विश्वासप्रद है या नहीं । अपीलार्थी ने मृतका पर अभिकथित रूप से किस रीति में हमला किया है, इसका उल्लेख अभि. सा. 1 द्वारा अत्यंत संक्षिप्त रूप में किया गया है । कुल मिलाकर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अपीलार्थी उसके घर आया और कुल्हाड़ी से मृतका की पीठ पर उस समय वार किया जब वह उससे दस्तावेज वापस करने का आग्रह कर रही थी और वे मृतका को एक ऑटो रिक्शा से एम्बुलेंस तक ले गए और वहां से उसे एम. जी. एम. अस्पताल ले जाया गया जहां पर मृतका की चिकित्सा परीक्षा किए जाने के पश्चात् चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब उसकी पत्नी की हत्या की गई थी तब वह और उसके बच्चे घर पर थे और उसके बच्चों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी भी घटनास्थल पर आ गए ।

13. प्रदर्श पी. 1 और प्रदर्श पी. 11 दोनों में अभि. सा. 1 ने अभि. सा. 3 के संबंध में यह उल्लेख नहीं किया है कि इस घटना के दौरान उसको (अभि. सा. 3) क्षति पहुंची थी और उसे इन क्षतियों के उपचार के लिए उसे (अभि. सा. 3) अस्पताल में भर्ती कराया गया था । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि मृतका उसकी तीसरी पत्नी थी और उसकी पिछली दो पत्नियों ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया था और विवादों के कारण उससे अलग हो गई थीं, पहला विवाह-विच्छेद 21 साल पहले हुआ था और दूसरा विवाह-विच्छेद पहले वाले के एक वर्ष बाद हुआ था और उसने मृतका के साथ लगभग 22 वर्ष पूर्व विवाह किया था और इस विवाह बंधन से दो बच्चों ने जन्म लिया है । अभि. सा. 1 अपनी अनुपस्थिति में अपीलार्थी के बार-बार घर आने पर आपत्ति किया करता था, मृतका की मृत्यु के समय अभि. सा. 1 की आयु 55 वर्ष और मृतका की आयु 38 वर्ष थी और मोहल्ले में यह अफवाह फैली हुई थी कि अपीलार्थी के मृतका के साथ अवैध संबंध हैं, अभि. सा. 1 अपीलार्थी के अपने घर आने पर आपत्ति किया करता था और इस आपत्ति पर अपीलार्थी ने अभि. सा. 1 के घर आना बन्द कर दिया था । अभि. सा. 1 ने यह भी स्वीकार किया है कि वह मृतका के साथ उसके चरित्र को लेकर झगड़ा किया करता था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के

समय वह एक मुस्लिम व्यक्ति के घर पर अपने पुत्र और पुत्री के साथ मौजूद था, सबसे पहले उसकी पुत्री घटनास्थल पर पहुंची और उसके पश्चात् अभि. सा. 1 पहुंचा । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने घटनास्थल पर अपने बच्चों की मौजूदगी के बारे में प्रदर्श पी. 1 में उल्लेख नहीं किया है और इस बात से भी इनकार किया है कि उसके सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई । इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि वह संयमहीन व्यक्ति है और इसी कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और यह कि उसने न्यायालय से इस तथ्य को छिपाया है । न्यायालय ने यह अभिलिखित किया है कि अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अपना संयम खोया है । यदि हम बारीकी से अभि. सा. 1 के साक्ष्य का विश्लेषण करें तब यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने निश्चित रूप से यह स्वीकार किया है कि वह अपने बच्चों के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति के घर पर मौजूद था और सबसे पहले उसकी पुत्री और उसके पश्चात् वह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा था । यद्यपि उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने घटनास्थल पर अपने बच्चों की मौजूदगी के संबंध में प्रदर्श पी. 1 में उल्लेख नहीं किया है, फिर भी प्रदर्श पी. 1 के परिशीलन से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि उसके बच्चों के मौजूद होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । यहां तक कि उसके साक्ष्य में भी उसने अभि. सा. 3 को क्षति पहुंचने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है ।

14. अभि. सा. 2 अर्थात् मृतका के पुत्र के साक्ष्य पर विचार करने पर यह पता चलता है कि उसने यह कथन किया है कि जब मृतका ने अपीलार्थी से दस्तावेज वापस करने को कहा था, तब अपीलार्थी ने घटनास्थल पर पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाई और उसकी माता के सिर के पीछे वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसके रक्त बहने लगा और जब उसकी बहिन (अभि. सा. 3) वहां पहुंची तब अपीलार्थी ने उसके पेट पर लात मारी, अभि. सा. 2 ने अपीलार्थी से उसके परिवार के सदस्यों को क्षति पहुंचाने से मना किया और उसने चीख-पुकार की जिसके इसके पश्चात् अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 वहां आए और उसकी माता को एक ऑटो रिक्शा से पुल तक ले गए और वहां से रोगी-वाहन द्वारा अस्पताल ले गए । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसने अभि. सा. 4 की सहायता से मृतका को अस्पताल भेजा था, किन्तु अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 4 से अभि. सा. 6 मृतका को

अस्पताल लेकर गए थे । अभि. सा. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी यह दावा नहीं किया है कि वह, उसकी बहिन और उसका पिता अस्पताल तक उसकी माता के साथ-साथ गए थे । तथापि, प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि वह अपनी माता के साथ अस्पताल गया था । अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के प्रतिकूल अभि. सा. 2 ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसके माता-पिता के बीच झगड़ा होता था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन वह अपने मकान में सामने वाले कमरे में मृतका और अभि. सा. 1 तथा अभि. सा. 3 के साथ बैठा हुआ था और सबसे पहले उसकी माता कमरे से बाहर गई और उसके पश्चात् शोर सुनकर शेष सभी लोग बाहर आ गए । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी और मृतका के बीच लगभग 30 मिनट तक चर्चा हुई और इस दौरान वे सभी वहां मौजूद थे और यह भी कथन किया है कि अभि. सा. 1 का झगड़ा अपीलार्थी के साथ हुआ था । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने अभि. सा. 3 द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बीच में आने के संबंध में पुलिस को नहीं बताया था और यह कि अपीलार्थी ने अभि. सा. 3 के पेट पर लात मारी थी और यह कि उसने अपीलार्थी से यह निवेदन किया था कि वह उसके परिवार के सदस्यों को क्षति न पहुंचाए । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने यह घटना नहीं देखी है और यह कि वह अभि. सा. 1 के कहने पर मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहा है ।

15. मृतका की पुत्री अर्थात् अभिकथित आहत साक्षी (अभि. सा. 3) और (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब मृतका ने दस्तावेज वापस करने का आग्रह किया था, तब अपीलार्थी ने मृतका पर कुल्हाड़ी से वार किया, वहां पड़ोसी आ गए और उन्होंने बीचबचाव करने का प्रयास किया किन्तु अपीलार्थी ने उन्हें धमकाया और मृतका के सिर पर वार किया और इसी दौरान अभि. सा. 3 के दाएं हाथ में क्षति पहुंची और एम. जी. एम. अस्पताल, वारंगल में बाह्य रोगी के रूप में उसका उपचार किया गया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि जब यह घटना घटित हुई थी उस समय वह अपने घर में मौजूद थी और अपने रिकार्ड तैयार कर रही थी और उसका पिता भी घर में मौजूद था और उसके निकट बैठा हुआ था तथा अभि. सा. 2, अभि. सा. 5 के बच्चों के साथ उनके मकान में खेल रहा था, और यह कि सबसे पहले अभि. सा. 3 घटनास्थल पर गई और उसके पश्चात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2

साथ-साथ घटनास्थल पर पहुंचे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि ऋण की रकम का प्रतिदाय उसकी माता की मृत्यु के एक वर्ष पूर्व कर दिया गया था और इस दौरान उसकी माता और अपीलार्थी का एक दूसरे के घर पर आना-जाना नहीं हुआ था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसकी माता के अस्पताल भेजे जाने के 30 मिनट के पश्चात् वह और अभि. सा. 2 को उसके मामा देवेन्दर (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है) द्वारा अस्पताल ले जाया गया और अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 उसकी माता के साथ अस्पताल गए । अभि. सा. 3 ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को दिए गए कथन में यह नहीं बताया था कि उसको (अभि. सा. 3) भी क्षति पहुंची है । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि जब उसने मृतका को बचाने का प्रयास किया था, अपीलार्थी ने उस पर वार किया था जिसके परिणामस्वरूप उसके दाएं हाथ में क्षति पहुंची थी ।

16. ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत से पहलुओं को लेकर गंभीर विरोधाभास दिखाई देते हैं । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 1 ने अभि. सा. 3 को पहुंची क्षति को निर्दिष्ट नहीं किया है । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वह किसी मुस्लिम व्यक्ति, जो कि निश्चित रूप से अभि. सा. 5 ही है, के घर पर अपने पुत्र और पुत्री के साथ था और सबसे पहले अभि. सा. 3 घटनास्थल पर पहुंची । अभि. सा. 2 का साक्ष्य अभि. सा. 1 के साक्ष्य से घटनास्थल पर मौजूदगी को लेकर पूर्णतया भिन्न है । अभि. सा. 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह, मृतका, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 अपने मकान में सामने वाले कमरे में बैठे हुए थे और सबसे पहले मृतका कमरे से बाहर गई और शोर की आवाज सुनकर बाकी लोग कमरे से बाहर गए । अभि. सा. 3 को पहुंची क्षति के संबंध में अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके पेट पर लात मारी थी । जबकि अभि. सा. 3 और उसका पिता अर्थात् अभि. सा. 1 अपने मकान में बैठे हुए थे; अभि. सा. 2 अभि. सा. 5 के बच्चों के साथ खेल रहा था । इस प्रकार, अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 की घटनास्थल पर मौजूदगी, हमला किए जाने की रीति, मृतका को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्तियों आदि के संबंध में पूर्णरूप से असंगतता दिखाई देती है । तीन महत्वपूर्ण साक्षियों के साक्ष्य में ऐसे अन्तर्निहित विरोधाभासों से उनके परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता पर घोर संदेह होता है ।

17. इस तथ्य से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की घटनास्थल पर मौजूदगी को लेकर घोर संदेह होता है कि अभि. सा. 1 ने अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की मौजूदगी तथा अभि. सा. 3 को पहुंची क्षति का उल्लेख पूर्वतम वृत्तांत अर्थात् प्रदर्श पी. 1 में नहीं किया है । अभि. सा. 3 को पहुंची क्षति को निर्दिष्ट करते हुए अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि यह क्षति अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 3 के पेट पर लात मारने से कारित हुई है । अभि. सा. 3 ने प्रतिकूल साक्ष्य दिया है जिसके अनुसार जब अभि. सा. 3 ने बीचबचाव करने का प्रयास किया था, तब उसके दाएं हाथ में क्षति कारित हुई थी । अभि. सा. 3 ने यह नहीं बताया है कि उसे यह क्षति अपीलार्थी द्वारा प्रयोग किए गए किस आयुध से किस प्रकार कारित हुई । प्रदर्श पी. 18 चिकित्सा प्रमाणपत्र है जो अभि. सा. 15 द्वारा जारी किया गया है जिसमें तीन क्षतियों का उल्लेख है अर्थात् (i) दाईं कोहनी में रगड़; (ii) उदर में भंगुरता; और (iii) बाईं कोहनी के जोड़ पर रगड़ । अभि.सा. 15 ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि तारीख 12 नवंबर, 2008 को 10 बजे पूर्वाह्न में अभि. सा. 3 को उसकी चाची मंजुला द्वारा अस्पताल लाया गया था और उपचार के दौरान अभि. सा. 15 ने उपरोक्त क्षतियां देखीं जो साधारण प्रकृति की पाई गईं और अभि. सा. 3 द्वारा यह अभिकथन किया गया था कि उसके परिचित कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके निवास-स्थान पर उसके साथ मार-पिटाई की गई है । इस चिकित्सक ने यह उल्लेख नहीं किया है कि ये क्षतियां कितनी पुरानी थीं और वे किस आयुध से कारित की गई हैं । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, साक्ष्य की अत्यंत असंगत प्रकृति और क्षतियों के कारित होने के समय का उल्लेख न किए जाने की स्थिति पर विचार करते हुए यह अत्यंत संदिग्ध हो जाता है कि अभि. सा. 3 को मृतका पर हमला किए जाने के दौरान क्षतियां पहुंची थीं या नहीं । अभि. सा. 4 से अभि. सा. 6, जो कि पड़ोसी हैं और अभिकथित रूप से मृतका की चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे हैं, पक्षद्रोही हो गए हैं और इसी कारण अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य की संपुष्टि किसी भी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से नहीं होती है ।

18. चूंकि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 का साक्ष्य अत्यंत अविश्वसनीय पाया गया है इसलिए, अपीलार्थी को मृतका की हत्या से संबद्ध करने वाली मात्र कड़ी अभिकथित रूप से बरामद की गई कुल्हाड़ी (तात्विक वस्तु-3) है । अभि. सा. 11 जो प्रदर्श पी. 17 अर्थात् संस्वीकृति कथन और अभिग्रहण पंचनामे के साक्षियों में से एक साक्षी है, पक्षद्रोही हो

गया है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपने हस्ताक्षर कोरे कागजों पर किए थे और उसकी मौजूदगी में कुछ भी बरामद नहीं किया गया था । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अपीलार्थी द्वारा संस्वीकृति किए जाने और उसके बताए जाने के आधार पर पुलिस ने झाड़ियों में से कुल्हाड़ी अभिगृहीत की है । तथापि, अभि. सा. 13 एक अन्य साक्षी है जिसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । इस समागम पर, अभि. सा. 7 अर्थात् शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक का साक्ष्य संगत है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह ठीक प्रकार नहीं बता सकता है कि इस कुल्हाड़ी से ऐसी क्षतियां पहुंचाई जा सकती हैं या नहीं और वह यह भी नहीं बता सकता है कि किस प्रकार के आयुध का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार, चिकित्सक निश्चित रूप से यह नहीं बता सका कि ऐसी क्षतियां तात्विक वस्तु-3 (कुल्हाड़ी) से कारित की जा सकती थीं या नहीं । अभियोजन पक्षकथन में गंभीर कमी यह है कि तात्विक वस्तु-3 को विशेषज्ञ की राय लेने के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया ताकि यह पता चल पाता कि उस पर मानव रक्त लगा हुआ था या नहीं । तात्विक वस्तु-3 चूंकि एक कुल्हाड़ी है, इसलिए यह आमतौर पर उपलब्ध होने वाला आयुध है । किसी व्यक्ति के पास से कुल्हाड़ी का बरामद किया जाना उसे अपराध से संबद्ध नहीं कर सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध न कर दे कि यह वही आयुध है जिसका प्रयोग अपराध कारित करने में किया गया है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बरामद किए गए आयुध का प्रयोग अपराध कारित किए जाने में किया गया था, अन्वेषण अभिकरण इस तथ्य को साबित करने के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त करने में असफल रहा है । अतः, अभियोजन पक्ष साक्ष्य की इस कड़ी को भी सिद्ध नहीं कर सका है ।

19. ऊपर उल्लिखित तथ्यों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक पुनर्निर्धारण करने पर हमारी यह राय है कि निचले न्यायालय ने अपीलार्थी को उस पर उसके विरुद्ध लगाए आरोप का दोषी अभिनिर्धारित करने में भारी गलती की है । अतः, दांडिक अपील मंजूर की जाती है और निचले न्यायालय के आक्षेपित निर्णय द्वारा की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । यदि अपीलार्थी अन्य किसी मामले या अपराध में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल छोड़ा जाए । यदि अपीलार्थी ने जुर्माने की किसी रकम का संदाय किया है तो वह उसे तत्काल वापस की जाए ।

अभिलेख का परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि बटचू रंगा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाले मामले में किए गए इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी को तारीख 21 नवंबर, 2016 के आदेश द्वारा इस आधार पर जमानत मंजूर की गई थी कि उसने पांच वर्ष से अधिक अवधि का कारावास भोग लिया है । अतः, विधि के अनुसरण में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपीलार्थी अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वारंगल के समक्ष अभ्यर्पण करेगा ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

(2018) 1 दा. नि. प. 318 **इलाहाबाद**

विशम्भर सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तथा

राम आसरे उर्फ फक्कड़ और एक अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 9 जनवरी, 2017

न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 201, 364क – फिरौती के लिए व्यपहरण और हत्या [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9] – अपीलार्थियों (फक्कड़ गिरोह) द्वारा आहत का व्यपहरण करके उसकी हत्या किया जाना – जहां अपीलार्थियों की उचित रूप से शनाख्त न हो पाई हो और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिलार्थियों की उचित वेशभूषा व शारीरिक बनावट का उल्लेख न हो और मामले के तथ्य परिस्थितियां एक साथ उलझी हुई हों वहां पर ऐसे में संपूर्ण

अभियोजन पक्षकथन संदेहपूर्ण हो जाता है । अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 201 – अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना – यदि मामले में अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देने का साक्ष्य साबित नहीं हुआ है तो अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने के हकदार है ।

वर्तमान मामले में कि मृतक आदेश तिवारी की पत्नी इतिलाकर्ता श्रीमती हीरा देवी द्वारा ग्राम हरौली, पुलिस सर्किल भरेह, जिला इटावा पर फक्कड़ गिरोह द्वारा तारीख 8 मार्च, 1998 को उसके पति का अपहरण किया गया था जिसके बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-2 आयुक्त कानपुर क्षेत्र जिला कानपुर को संबोधित की गई थी जिसमें इस प्रभाव के अभिकथन किए गए थे कि इत्तिलाकर्ता के पति का बदमाश फक्कड़ गिरोह द्वारा जिला इटावा के भरेह पुलिस सर्किल के भीतर ग्राम हरौली से तारीख 8 मार्च, 1998 को अपहरण किया गया था । उस बारे में सूचना पहले ही इटावा और कानपुर रेंज - कानपुर संबंधित पुलिस प्रशासनिक प्राधिकारियों को दी गई थी परंतु कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई । उन्होंने ग्राम हरौली के ग्राम प्रधान को बंधक बना लिया और उसके छोटे भाई सतवीर से बलपूर्वक आदेश तिवारी को अपने घर बुलाने के लिए कहा और उससे यह कहने के लिए कहा कि फक्कड़ बाबा उसे बुला रहा है । इतिलाकर्ता का पति बिना भय के प्रधान के घर पर गया लगभग एक सप्ताह के पश्चात् इतिलाकर्ता के घर पर इस अभिशय का पत्र प्राप्त हुआ जो फक्कड़ गिरोह द्वारा भेजा गया था जिसके द्वारा आदेश तिवारी को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी । कुछ दिनों के पश्चात् इत्तिलाकर्ता के देवर और वृद्ध ससुर, राम करन चौबे के छोटे भाई की हत्या के संबंध में जेल भेजे गए थे जिसके फक्कड़ गिरोह के साथ घनिष्ठ संबंध थे । दोनों जेल में भी थे । फक्कड़ गिरोह के सदस्य ने बार-बार इत्तिलाकर्ता के कुटुंब को धमकी दी थी जिस कारण से इत्तिलाकर्ता ने अपना घर छोड़ दिया था और उसने कानपुर में शरण ली थी । अपने पति के अपहरण होने के कारण और जीवन के उतार-चढ़ाव पर विचार करते हुए तथा परिवार में छोटे बच्चों की जीवन की अभिनिश्चितता व परेशानी को देखते हुए जो उसके देवर और ससुर की गिरफ्तारी के कारण हुई थी, उसका जीवन नरक हो गया था । इत्तिलाकर्ता द्वारा संबंधित

पुलिस थाना को सूचना देने के पश्चात्, संबंधित थाने का अधिकारी इस मामले में कुछ भी करने में अपनी असमर्थता अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास आया था और इत्तिलाकर्ता को मांगे गए फिरौती को देने की सलाह दी । उसका देवर विनय शुक्ला जो जवाहर नगर 109/88 का निवासी था, काउंसेल को निर्मुक्त करवाने के लिए इटावा गया परंतु कोई भी अधिवक्ता फक्कड़ गिरोह के आतंक और निदेश पर सहायता करने के लिए प्रकट नहीं हुआ । भगिरथी प्रयासों के पश्चात् किसी प्रकार अधिवक्ता की सेवा प्राप्त हुई जब फक्कड़ गिरोह के सदस्यों ने न्यायालय परिसर के अंदर और विनय शुक्ला के निवास पर हमला किया जिस पर संबंधित पुलिस थाने पर इत्तिला की गई, जहां पर थाना अधिकारी ने धारा 151 (दंड प्रक्रिया संहिता) के अधीन दोनों, राम करन चौबे और विनय शुक्ला का चालान किया । इसलिए, इत्तिलाकर्ता के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और उसके कुटुंब को जीवन और सुरक्षा का संरक्षण दिया गया और जीवन को सुरक्षित बनाने और पूर्वोक्त गिरोह से उसके पति को छुड़ाने का प्रयास किया गया ताकि इत्तिलाकर्ता के मूलभूत अधिकार सुनिश्चित किए जा सके । यह लिखित आवेदन हीरा देवी द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्ताक्षरित था, यद्यपि इस रिपोर्ट में किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है । लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-2 है । चूंकि यह आवेदन आयुक्त को भेजा गया था, इसे सम्यक् रूप से उचित माध्यम से भेजा गया था और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा के लिखित अनुदेश के पश्चात् मामला अपराध सं. 25/1998 पर दंड संहिता की धारा 364क के अधीन तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को 7.35 बजे पूर्वाह्न जिला इटावा के भरेह पुलिस थाना पर चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-3 है । सुसंगत साधारण डायरी जिसके द्वारा अभियुक्त- व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, को उसी बीच में नष्ट कर दिया गया था और संबंधित पुलिस अभिलेख कथन से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो रिपोर्ट प्रदर्श क-4 है । परंतु संबंधित साधारण डायरी के उसी प्रक्रिया में कार्बन प्रति बनाई गई थी, जिसे साबित किया गया था जिसके आधार पर दंड संहिता की पूर्वोक्त धारा के अधीन पूर्वोक्त मामला अपराध संख्या में दर्ज किया गया था । सुसंगत साधारण डायरी की कार्बन प्रति प्रदर्श क-5 है । मामले को दर्ज करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी लालू राम त्यागी को मामले की अन्वेषण की कार्यवाही सौंपी गई थी जिन्होंने प्रारंभिक प्रक्रम पर अन्वेषण का जिम्मा लिया था और लिखित रिपोर्ट, चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट आदि की अंतर्वस्तु का उल्लेख किया तथा तारीख 27 अक्तूबर,

1998 को इत्तिलाकर्ता हीरा देवी के निवास पर उससे घटना के बारे में पूछताछ की । उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित किए और इत्तिलाकर्ता से फिरौती की मांग के लिए भेजे गए पत्र की मांग भी की और घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया । उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए भी कार्यवाही की । बाद में, तारीख 7 फरवरी, 1999 को एक दूसरे अन्वेषक अधिकारी चंद हुसैन को अन्वेषण का जिम्मा सौंपा । उन्होंने अन्वेषण पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यवाहियां कीं और घटनास्थल के नक्शे, प्रदर्श क-9 का भी उल्लेख किया । राम आसरे **उर्फ** फक्कड़ और कुसुम नाईन के विरुद्ध अन्वेषण कार्य पूरा करने के पश्चात् उनके फरार होने के बारे में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र प्रदर्श क-10 है । अन्वेषण के दौरान, उन्होंने एक अन्य सह-अभियुक्त श्री नारायण **उर्फ** गिल्लु को भी गिरफ्तार किया था । उन्होंने तारीख 6 सितंबर, 1999 को उसके कथन तथा घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी शिव शंकर का कथन भी अभिलिखित किया है । अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि तारीख 26 जून, 1999 को अन्वेषण कार्य राम नाथ सिंह यादव को पुनः अंतरित किया गया था । उन्होंने पूर्व अन्वेषण की सभी कार्यवाही को अपने जिम्मे लिया और शिव शंकर के शपथपत्र की अंतर्वस्तु का उल्लेख किया । उन्होंने साक्षी शिव शंकर से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को उसके द्वारा पूर्व में किए गए कथन के बारे में पूछताछ की जिसकी उसने पुष्टि की । अन्वेषण अधिकारी ने यह दावा किया कि उन्होंने जंगल में उस स्थान का नक्शा तैयार किया जहां मृतक की हत्या हुई थी । उन्होंने विभिन्न अन्य व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित किए हैं और अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्यवाहियां कीं और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् उन्होंने अभियुक्त श्री नारायण गिल्लु के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 364क, 201, 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया जो प्रदर्श क-7 है । उन्होंने दूसरे सह-अभियुक्त को भी ढूंढा, परंतु सफल नहीं हुआ । तारीख 9 अगस्त, 1999 को अभियुक्त राम करन चौबे और विशम्भर सिंह ने न्यायालय में अभ्यर्पण किया जिस पर उनके कथन भी अभिलिखित किए गए और सह-अभियुक्त राम करन चौबे और विशम्भर सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था जो आरोप पत्र प्रदर्श क-7 है । इसके पश्चात् मामले को सुपुर्दगी कार्यवाही के अनुसरण में सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहां से मामले को पूर्वोक्त विशेष न्यायालय (डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) को विचारण चलाने और मामले का निपटारा करने के लिए अंतरित किया गया था । परिणामस्वरूप, दोनों अभियुक्त और

अभियोजन पक्ष को आरोप के प्रश्न पर विचारण न्यायालय द्वारा सुना गया और उन्हें सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय दंड संहिता की धारा 364क, 302 और 201 के अधीन मामले से प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हुआ था । तदनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की पूर्वोक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और उन्हें पढ़ा गया तथा उनका स्पष्टीकरण लिया गया जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष से अपने परिसाक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया था जिस पर अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर आठ साक्षियों को पेश किया । संक्षेप में विवरण इस प्रकार है – (1) शिव शंकर के बारे में तथ्य का साक्षी होना कहा गया है और उसने यह दावा किया है कि आदेश कुमार तिवारी का अपहरण होते समय तारीख 8 मार्च, 1998 को ग्राम प्रधान (ग्राम हरौली) के घर पर घटनास्थल में मौजूद रहा था और उसने यह भी दावा किया कि उसने आदेश तिवारी की हत्या की घटना देखी । (2) हीरा देवी इत्तिलाकर्ता है और उसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-2 साबित की है । वह तथ्य का साक्षी है, जब उसका पति घर से चला गया था । श्रीमती ओम प्रभा मृतक की माता है, उसकी जानकारी में यह बात आई है कि फक्कड़ गिरोह के सदस्यों द्वारा उसके पुत्र का अपहरण किया है और उसने उसी तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया है । अभियोजन पक्ष द्वारा सतवीर सिंह के बारे में यह दावा किया गया है कि वह तारीख 8 मार्च, 1998 को मृतक आदेश तिवारी के घर पर पहुंचा और आदेश तिवारी को यह बताया कि फक्कड़ बाबा द्वारा उसे बुलाया गया है । यह साक्षी पक्षद्रोही हो गया और अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया । जगदीश प्रसाद गौतम ने तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को पुलिस थाना-भरेह पर लिखित रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को लिखा है और चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में की गई इन प्रविष्टियों को साबित किया है और संबंधित साधारण डायरी प्रदर्श क-3 और प्रदर्श पी-5, इसके अतिरिक्त प्रदर्श क-4 को साबित किया है । राम नाथ सिंह यादव तीन अन्वेषक अधिकारियों में से एक है और तारीख 26 जून, 1999 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेश द्वारा इस मामले का अन्वेषण उसे सौंपा गया था । उसने ब्यौरेवार विभिन्न कार्यवाहियां कीं । उसने अन्वेषण के अपने भाग को पूरा किया । उसने अभियुक्त श्री नारायण **उर्फ** गिल्लु के विरंद्ध आरोप पत्र, प्रदर्श क-7 भी प्रस्तुत किया और अभियुक्त राम करन चौबे और विशम्भर सिंह के विरुद्ध प्रदर्श क-6 आरोप पत्र प्रस्तुत किया । यदि हुसैन तीन अन्वेषक अधिकारियों में से एक था और उसने अपने द्वारा ग्रहण किए गए अन्वेषण

के अपने भाग को पूरा करने के लिए अपनाई गई कार्यवाहियों के ब्यौरों का वर्णन किया । उसने तारीख 7 फरवरी, 1999 को अन्वेषण का जिम्मा लिया । इसी तरह, प्रथम अन्वेषक अधिकारी लालू राम त्यागी को प्रारंभ में तारीख 30 सितंबर, 1998 को मामले के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् इस मामले का अन्वेषण सौंपा था । इसके अतिरिक्त अन्य कार्यवाहियों में उसने घटनास्थल का नक्शा, प्रदर्श क-9 तैयार किया । उपरोक्त बातों के सिवाय कोई अन्य परिसाक्ष्य चाहे कोई भी हों, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया अतः, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त कर दिया गया था और अभियुक्त का कथन जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें ग्राम की पार्टीबंदी और शत्रुता की वजह से मिथ्या रूप से फंसाया गया और उनका अंतर्वलन निर्भय गिरोह, गुर्जर गिरोह आदि की भांति डकैती के विभिन्न समूह के बीच प्रतिस्पर्धा विरोध के कारण हुआ था, बदले में प्रतिरक्षा पक्ष ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है । विचारण न्यायालय ने मामले को गुणागुण पर सुनने व अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् तथा परिस्थितियों का मूल्यांकन कर के अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित की तथा उनके विरुद्ध पूर्वोक्त रूप में दंड पारित किया । परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त दोनों अपीलें उपरोक्त अपीलार्थियों द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2011 को विचारण न्यायालय के एक ही निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की है । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों की उपरोक्त संवीक्षा जो आदेश तिवारी के व्यपहरण और हत्या के अपराध कारित करने से संबंधित है जैसाकि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा साक्ष्य दिया गया है, अध्यपेक्षित संगति में कमी है और उनके परिसाक्ष्य के प्रतिकूल पूर्ण विभेद प्रकट होते हैं और मामले की विद्यमान परिस्थितियां स्वीकारयोग्य नहीं हैं । उनका परिसाक्ष्य पूर्णतया सुधार किया हुआ और पूरी तरह बढ़ा-चढ़ा करके किया जाना प्रतीत होता है । इस प्रक्रम पर, हम एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी सतवीर के परिसाक्ष्य में परिवर्तन कर सकते हैं जिसके बारे में तारीख 8 मार्च, 1998 को आदेश तिवारी के मकान पर जाने का कथन किया गया है और मृतक से यह कहा कि उसे फक्कड़ गिरोह द्वारा बुलाया गया है । उसने इस आशय का साक्ष्य दिया है कि राम आसरे **उर्फ** फक्कड़, कुसुम नाईन, राम करन चौबे, श्री नारायण और विशम्भर सिंह इस मामले में शामिल नहीं थे और वे कभी भी उसके मकान

पर नहीं पहुंचे और अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया और उसकी प्रतिपरीक्षा की गई, जिस पर उसने यह कथन किया है कि उसने दरोगा जी को कभी भी कोई कथन नहीं दिया है कि आदेश तिवारी गिरोह के साथ रहा और शिव शंकर गिरोह के प्रस्थान करने के पश्चात् अपने घर वापस चला गया और शिव शंकर को उसके द्वारा ग्राम में निरंतर देखा गया था, अतः आदेश के अपहरण में गिरोह की सह-अपराधिता को सत्यवीर सिंह द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है किंतु अपहरण का तथ्य दूषित रहा है । उसके परिसाक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह प्रकट है कि आदेश तिवारी गिरोह के साथ रहा जिसकी पहचान रहस्यमय रही और यह संगत कार्य किसी बल को लागू करके या प्रलोभन तथा सुस्पष्ट या विवक्षित रूप से लागू नहीं किया गया था । जब हम अन्वेषक अधिकारियों के परिसाक्ष्य पर विचार करें तो मामले के कतिपय सुसंगत पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा । ऐसे पहलू में से एक घटनास्थल के नक्शे की तैयारी के तथ्य से संबंधित है जिसे अन्वेषक अधिकारी राम नाथ सिंह यादव द्वारा तैयार किया गया था । उसने यह साक्ष्य दिया है कि उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया जहां आदेश तिवारी की हत्या की गई थी । यह घटनास्थल नक्शा प्रदर्श क-6 है जहां पर शिव शंकर के परिसाक्ष्य में परिसाक्ष्य के पृष्ठ 28 पर यह प्रकट हुआ है कि उसने घटनास्थल के निरीक्षण के लिए अन्वेषक अधिकारी की कभी भी सहायता नहीं की और यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि दूसरा अन्वेषक अधिकारी चंद हुसैन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कागजात पुस्तिका के पृष्ठ सं. 66 पर यह कथन किया है कि उसने उस स्थान को नहीं देखा है जहां आदेश तिवारी की हत्या हुई थी । मामले का दूसरा पहलू यह है कि चंद हुसैन अन्वेषक अधिकारी ने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 67 में यह कथन किया है कि उसने (अभियुक्त के) प्रकटीकरण के पश्चात् ही अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जो श्री नारायण, अभियुक्त द्वारा बताए गए थे, कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 67 में उसके परिसाक्ष्य से इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि आदेश तिवारी की निर्मुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए फिरौती के किसी मांग के लिए कोई पत्र प्राप्त नहीं किया । उसने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 69 पर भी साक्ष्य दिया कि उसने तारीख 7 फरवरी, 1999 को अन्वेषण का जिम्मा लिया और इत्तिलाकर्ता ने अपने पति की हत्या के बारे में उसे नहीं बताया । उसी पृष्ठ पर, वह इस विस्तार तक पहुंचा जब उसने यह कहा कि उसने आदेश तिवारी की हत्या के

संबंध में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कोई आरोप पत्र फाइल नहीं किया, क्योंकि हत्या का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और कागजात पुस्तिका में पृष्ठ 71 पर प्रथम अन्वेषक अधिकारी लालू राम त्यागी ने यह कथन किया है कि उसने तारीख 1 अक्तूबर, 1998 से 23 जनवरी, 1999 तक मामले में अन्वेषण किया परंतु उसने या तो आदेश तिवारी या शिव शंकर की निर्मुक्ति हेतु कोई फिरौती मांगने के लिए कोई पत्र प्राप्त नहीं किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के ऊपरी तौर पर ऐसा कोई निर्देश नहीं है । उसने उसी पृष्ठ 71 पर यह भी साक्ष्य दिया है कि शिव शंकर के कुटुंब के सदस्यों ने शिव शंकर के अपहरण के बारे में पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और पृष्ठ 72 में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शिव शंकर के अपहरण के तथ्य तारीख 15 नवंबर, 1998 को ही साक्षियों के कथन में प्रथम बार आया था । लालू राम त्यागी तीन अन्वेषक अधिकारियों में से एक ने किसी ऐसे कथन से इनकार किया है जो शिव शंकर द्वारा उसे दी गई और कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 73 के अंतिम रेखाओं में उसने यह कथन किया है कि तारीख 23 जनवरी, 1999 के पर्चा में उसने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जानी है और आहत की बरामदगी की जानी है । इसके अतिरिक्त, पृष्ठ 74 पर यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 15 नवंबर, 1998 को अभिलिखित राम बाबू प्रधान के कथन में यह प्रकट है कि उसने फक्कड़ गिरोह द्वारा आदेश तिवारी के अपहरण के बारे में पुलिस थाने में कोई भी सूचना नहीं दी थी और यह तथ्य कि फक्कड़ गिरोह उसके दरवाजे पर बैठा था । यह सुस्पष्ट है कि उसने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 75 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त शब्द के स्तम्भ में "फक्कड़ गिरोह" का उल्लेख है और यह बात पूर्णतया आश्चर्यचकित करने वाली है कि शिव शंकर सहित किसी साक्षी का उल्लेख नहीं है । रिपोर्ट में अभियुक्त फक्कड़ और कुसुम नाईन के निश्चित रंगरूप का उल्लेख नहीं है । राम आसरे **उर्फ** फक्कड़ और कुसुम के नामों का तारीख 27 अक्तूबर, 1998 को राम बहादुर के कथन में प्रथम बार उल्लेख किया गया है और अभि. सा. 8 द्वारा खासतौर पर कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 75 के अंतिम भाग में यह कथन किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में राम बहादुर के बारे में अपने दरवाजे पर होने का उल्लेख नहीं है जब अपहरण की घटना घटी और रिपोर्ट दर्ज करते समय राम बहादुर जेल में था । शिव शंकर ने फक्कड़ गिरोह की अभिरक्षा से तथाकथित निर्मुक्ति के पश्चात् ज्येष्ठ पुलिस

अधीक्षक के समक्ष क्यों शपथपत्र प्रस्तुत किया और जिसमें विभिन्न पैराओं के विस्तृत ब्यौरे भी दिए गए जिनके बारे में अन्वेषक अधिकारियों के समक्ष कथन नहीं किए गए थे जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन अभिलिखित किए थे । यह सुस्पष्ट है कि शपथपत्र फाइल करने से असंगत प्रयास किया जाना प्रकट होता है जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि तथ्यों का वास्तविक प्राख्यान किया जाना है, इस सत्यता पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता है । अभि. सा. 1 का परिसाक्ष्य तात्विक प्रश्नों पर अनिश्चय है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने पर आदेश तिवारी की हत्या के तथ्य का उल्लेख नहीं है किंतु यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि आदेश तिवारी की बरामदगी का अनुरोध किया गया है । हम अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य में प्रकट विभेदों की लंबी सूची का भी उल्लेख करते हैं । उन्होंने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 28 पर विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने उस स्थान के बारे में (अन्वेषक अधिकारी को) नहीं बताया है कि जहां आदेश तिवारी की हत्या की गई और ऐसी दशा में दरोगा जी के कथन की बात असत्य होगी । यहां पर, आदेश तिवारी के अपहरण के तथ्य को सिद्ध करने का कोई संगत वृत्तांत नहीं है और परिणामस्वरूप, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हत्या की गई । यह परिसाक्ष्य अव्यवस्थित और इसमें अध्यपेक्षित संगति की कमी है । तथ्यों के अभियोजन साक्षियों और विशिष्ट रूप से शिव शंकर के परिसाक्ष्य से विश्वास प्रेरित नहीं होता है, इसके बजाय इस साक्षी द्वारा दिया गया अपना संपूर्ण साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है और इस प्रकार पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है । यह प्रकट हुआ है कि परिस्थितियों से यह उपदर्शित है कि आदेश कुमार रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था और अननुमार्गणीय रहा/पता नहीं लग पाया और इत्तिलाकर्ता ने निर्भय गुर्जर गिरोह का पक्ष लिया, इसलिए, अभियुक्त व्यक्तियों के कतिपय नाम दुरभिसंधि करके जानबूझकर पिक्चर में लाए गए थे और रेत के ढेर पर भवन निर्माण करने का प्रयास किया गया जो प्रयास शिव शंकर और हीरा देवी द्वारा अथक रूप से ढूंढने का प्रयास करने के बावजूद भी इस प्रकट कारण से असफल रहे कि उन्होंने अपहरण की अपरिपक्व कहानी और आदेश कुमार की हत्या का संशोधित परिसाक्ष्य और उनके परिसाक्ष्य में बढ़ा-चढ़ाकर तत्वों के समावेश और सामान्य आचरण अस्पष्टीकृत होने से, उनके परिसाक्ष्य का संपूर्ण रूप से परिशीलन करने पर विभिन्न महत्वपूर्ण विसंगतियां प्रकट होती हैं । विशिष्ट रूप से यदि

अभियोजन साक्षी का दावा यह है कि अभि. सा. 1 ने सच्चाई की बात पर कायम रहते हुए विश्वास किया है तब इस प्रकार की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती और दर्ज नहीं की जा सकती, इसके अतिरिक्त हीरा देवी इस प्रश्न पर भी दोषी है कि उसने शिव शंकर ने मई, 1998 से कुछ समय पूर्व पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की, इसलिए, उसका परिसाक्ष्य एकतरफा दूषित नहीं हुआ है और उस पर सच्चा साक्षी होने का विश्वास नहीं किया जा सकता है और उसका परिसाक्ष्य विश्वास के अयोग्य है । फक्कड़ गिरोह के मालिक सहित उसके सदस्यों की शनाख्त भी अंधेरे में थी और कोई व्यक्ति इस बारे में निश्चित नहीं था कि (फक्कड़) नाम से कौन व्यक्ति जाना जाता है । कुसुम नाईन की उचित वेशभूषा/विशेषता या शारीरिक बनावट के बारे में न तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में और न साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य में कोई बात प्रकट की गई है । तथ्य और परिस्थितियां एक साथ उलझी हुई हैं और इसलिए यह अंतर्वलित होता है कि उन्होंने संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन में गहरा और संदेहपूर्ण दोष प्रकट किया है । आपराधिक विधिशास्त्र के सिद्धांत को स्थापित करने वाली विधि घिसी-पिटी है कि अभियोजन पक्ष को स्वयं अपने आधार पर खड़ा होना होगा तथा अभियुक्त के विरुद्ध अपने आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करना होगा । इस मामले में आरोप संदेह के परे साबित नहीं हुए हैं । विचारण न्यायालय मामले में साक्ष्य तथा उसके तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए सही परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए सही परिप्रेक्ष्य में उनकी संवीक्षा नहीं कर सका किंतु दोषसिद्धि के गलत निष्कर्ष जो विधि की अपेक्षा अटकलबाजियों पर आधारित है जिस पर दंड संहिता की धारा 364क, 302 और 201 के अधीन आरोपों से संबंधित दोषसिद्धि के निष्कर्ष जो अकाट्य और स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में है, दूषित है और हमारे द्वारा उसे अपास्त किया जाता है । (पैरा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 5452 व 5871.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अनुराग उपाध्याय, बी. एन. सिंह, सिकन्दर बी. कोचर, ब्रजेश सहाय, शरद श्रीवास्तव, ब्रज राज सिंह, गोपाल चतुर्वेदी

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार मिश्र ने दिया ।

न्या. मिश्र – वर्तमान दांडिक अपीलों के माध्यम से पुलिस थाना भरेह, जिला इटावा में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 364क के अधीन 1998 की मामला अपराध सं. 25 से उद्भूत 2008 के विशेष सेशन विचारण सं. 93, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नारायण **उर्फ** गिल्लू में विशेष न्यायाधीश (डी. ए. ए.) इटावा द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश की विधिमान्यता और कायम योग्यता को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी विशम्भर सिंह, राम करण चौबे, श्री नारायण **उर्फ** गिल्लू, राम आसरे **उर्फ** फक्कड़ और कुसमा नाईन को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास के साथ 15,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास तथा दंड संहिता की धारा 201 के अधीन सात वर्ष का कठोर कारावास साथ में 10,000/- रुपए का जुर्माना और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी राम आसरे **उर्फ** फक्कड़ और कुसुम नाईन को दंड संहिता की धारा 364-क के अधीन आजीवन कारावास साथ में 10,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया जबकि अपीलार्थी श्री नारायण **उर्फ** गिल्लू, राम करन चौबे और विशम्भर सिंह को दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दोषमुक्त किया गया । सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

2. चूंकि, पूर्वोक्त दोनों अपीलें एक घटनाक्रम से उद्भूत हुई है और उस निर्णय को विशेष न्यायाधीश (डी. ए. ए.) इटावा द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2011 को पारित किया गया । अतः दोनों अपीलों का एक ही निर्णय द्वारा निपटारा किया जा रहा है ।

3. 2011 की दांडिक अपील सं. 5452 में अपीलार्थी सं. 2 और 3 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री बृजेश सहाय, अधिवक्ता जिनकी सहायता शरद श्रीवास्तव ने की तथा अपीलार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री बृज राज सिंह को सुना और 2011 की दोषसिद्धि अपील सं. 5871 में अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् न्यायमूर्ति श्री सर्वेश कुमार दुबे को सुना तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्तागण श्री जे. के. उपाध्याय तथा श्री एन. के. एस. यादव को सुना तथा अभिलेख का

परिशीलन किया ।

4. वर्तमान मामले में अभियोजन से संबंधित दशाओं के प्रभाव में मृतक आदेश तिवारी की पत्नी इत्तिलाकर्ता श्रीमती हीरा देवी (अभि. सा. 2) द्वारा ग्राम हरौली, पुलिस सर्किल भरेह, जिला इटावा पर फक्कड़ गिरोह द्वारा तारीख 8 मार्च, 1998 को उसके पति का अपहरण किया गया था जिसके बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-2 आयुक्त कानपुर क्षेत्र जिला कानपुर को संबोधित की गई थी जिसमें इस प्रभाव के अभिकथन किए गए थे कि इत्तिलाकर्ता के पति का बदमाश फक्कड़ गिरोह द्वारा जिला इटावा के भरेह पुलिस सर्किल के भीतर ग्राम हरौली से तारीख 8 मार्च, 1998 को अपहरण किया गया था । उस बारे में सूचना पहले ही इटावा और कानपुर रेंज - कानपुर संबंधित पुलिस प्रशासनिक प्राधिकारियों को दी गई थी परंतु कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई ।

5. उन्होंने (फक्कड़ गिरोह के सदस्य) ग्राम हरौली के ग्राम प्रधान को बंधक बना लिया और उसके छोटे भाई सतवीर से बलपूर्वक आदेश तिवारी को अपने घर बुलाने के लिए कहा और उससे यह कहने के लिए कहा कि फक्कड़ बाबा उसे बुला रहा है । इत्तिलाकर्ता का पति बिना भय के प्रधान के घर पर गया लगभग एक सप्ताह के पश्चात् इत्तिलाकर्ता के घर पर इस अभिशय का पत्र प्राप्त हुआ जो फक्कड़ गिरोह द्वारा भेजा गया था जिसके द्वारा आदेश तिवारी को छोड़ने के लिए पांच लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी । कुछ दिनों के पश्चात् इत्तिलाकर्ता के देवर और वृद्ध ससुर, राम करन चौबे के छोटे भाई की हत्या के संबंध में जेल भेजे गए थे जिसके फक्कड़ गिरोह के साथ घनिष्ठ संबंध थे । दोनों जेल में भी थे । फक्कड़ गिरोह के सदस्य ने बार-बार इत्तिलाकर्ता के कुटुंब को धमकी दी थी जिस कारण से इत्तिलाकर्ता ने अपना घर छोड़ दिया था और उसने कानपुर में शरण ली थी । अपने पति के अपहरण होने के कारण और जीवन के उतार-चढ़ाव पर विचार करते हुए तथा परिवार में छोटे बच्चों की जीवन की अभिनिश्चितता व परेशानी को देखते हुए जो उसके देवर और ससुर की गिरफ्तारी के कारण हुई थी, उसका जीवन नरक हो गया था । इत्तिलाकर्ता द्वारा संबंधित पुलिस थाना को सूचना देने के पश्चात्, संबंधित थाने का अधिकारी इस मामले में कुछ भी करने में अपनी असमर्थता अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास आया था और इत्तिलाकर्ता को मांगे गए फिरौती को देने की सलाह दी । उसका देवर विनय शुक्ला जो जवाहर नगर 109/88

का निवासी था, काउंसेल को निर्मुक्त करवाने के लिए इटावा गया परंतु कोई भी अधिवक्ता फक्कड़ गिरोह के आतंक और निदेश पर सहायता करने के लिए प्रकट नहीं हुआ ।

6. भागीरथी प्रयासों के पश्चात् किसी प्रकार अधिवक्ता की सेवा प्राप्त हुई जब फक्कड़ गिरोह के सदस्यों ने न्यायालय परिसर के अंदर और विनय शुक्ला के निवास पर हमला किया जिस पर संबंधित पुलिस थाने पर इत्तिला दी गई, जहां पर थाना अधिकारी ने धारा 151 (दंड प्रक्रिया संहिता) के अधीन दोनों, राम करन चौबे और विनय शुक्ला का चालान किया । इसलिए, इत्तिलाकर्ता के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और उसके कुटुंब को जीवन और सुरक्षा का संरक्षण दिया गया और जीवन को सुरक्षित बनाने और पूर्वोक्त गिरोह से उसके पति को छुड़ाने का प्रयास किया गया ताकि इत्तिलाकर्ता के मूलभूत अधिकार सुनिश्चित किए जा सके । यह लिखित आवेदन हीरा देवी द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्ताक्षरित था, यद्यपि इस रिपोर्ट में किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है । लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-2 है । चूंकि यह आवेदन आयुक्त को भेजा गया था, इसे सम्यक् रूप से उचित माध्यम से भेजा गया था और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा के लिखित अनुदेश के पश्चात् मामला अपराध सं. 25/1998 पर दंड संहिता की धारा 364क के अधीन तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को 7.35 बजे पूर्वाह्न जिला इटावा के भरेह पुलिस थाना पर चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-3 है । सुसंगत साधारण डायरी जिसके द्वारा अभियुक्त- व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, को उसी बीच में नष्ट कर दिया गया था और संबंधित पुलिस अभिलेख कथन से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो रिपोर्ट प्रदर्श क-4 है । परंतु संबंधित साधारण डायरी के उसी प्रक्रिया में कार्बन प्रति बनाई गई थी, जिसे साबित किया गया था जिसके आधार पर दंड संहिता की पूर्वोक्त धारा के अधीन पूर्वोक्त मामला अपराध संख्या में मामला दर्ज किया गया था । सुसंगत साधारण डायरी की कार्बन प्रति प्रदर्श क-5 है ।

7. मामले को दर्ज करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी लालू राम त्यागी (अभि. सा. 8) को मामले की अन्वेषण की कार्यवाही सौंपी गई थी जिन्होंने प्रारंभिक प्रक्रम पर अन्वेषण का जिम्मा लिया था और लिखित रिपोर्ट, चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट आदि की अंतर्वस्तु का उल्लेख किया तथा तारीख 27 अक्तूबर, 1998 को इत्तिलाकर्ता हीरा देवी के निवास पर उससे घटना के बारे में पूछताछ की । उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के कथन

भी अभिलिखित किए और इत्तिलाकर्ता से फिरौती की मांग के लिए भेजे गए पत्र की मांग भी की और घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-9) भी तैयार किया । उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए भी कार्यवाही की । बाद में, तारीख 7 फरवरी, 1999 को एक दूसरे अन्वेषक अधिकारी चंद हुसैन (अभि. सा. 7) को अन्वेषण का जिम्मा सौंपा । उन्होंने अन्वेषण पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यवाहियां कीं और घटनास्थल के नक्शे, प्रदर्श क-9 का भी उल्लेख किया । राम आसरे **उर्फ** फक्कड़ और कुसुम नाईन के विरुद्ध अन्वेषण कार्य पूरा करने के पश्चात् उनके फरार होने के बारे में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र प्रदर्श क-10 है । अन्वेषण के दौरान, उन्होंने एक अन्य सह-अभियुक्त श्री नारायण **उर्फ** गिल्लू को भी गिरफ्तार किया था । उन्होंने तारीख 6 सितंबर, 1999 को उसके कथन तथा घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी शिव शंकर का कथन भी अभिलिखित किया है । अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि तारीख 26 जून, 1999 को अन्वेषण कार्य राम नाथ सिंह यादव (अभि. सा. 6) को पुनः अंतरित किया गया था । उन्होंने पूर्व अन्वेषण की सभी कार्यवाही को अपने जिम्मे लिया और शिव शंकर के शपथपत्र की अंतर्वस्तु का उल्लेख किया । उन्होंने साक्षी शिव शंकर से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को उसके द्वारा पूर्व में किए गए कथन के बारे में पूछताछ की जिसकी उसने पुष्टि की । अन्वेषण अधिकारी ने यह दावा किया कि उन्होंने जंगल में उस स्थान का नक्शा तैयार किया जहां मृतक की हत्या हुई थी । उन्होंने विभिन्न अन्य व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित किए हैं और अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्यवाहियां कीं और अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् उन्होंने अभियुक्त श्री नारायण गिल्लू के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 364क, 201, 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया जो प्रदर्श क-7 है । उन्होंने दूसरे सह-अभियुक्त को भी ढूंढा, परंतु सफल नहीं हुआ । तारीख 9 अगस्त, 1999 को अभियुक्त राम करन चौबे और विशम्भर सिंह ने न्यायालय में अभ्यर्पण किया जिस पर उनके कथन भी अभिलिखित किए गए और सह-अभियुक्त राम करन चौबे और विशम्भर सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था जो आरोप पत्र प्रदर्श क-8 है । इसके पश्चात् मामले को सुपुर्दगी कार्यवाही के अनुसरण में सेशन न्यायालय, को सुपुर्द किया गया था जहां से मामले को पूर्वोक्त विशेष न्यायालय (डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) को विचारण चलाने और मामले का निपटारा करने के लिए अंतरित किया गया था ।

8. परिणामस्वरूप, दोनों अभियुक्त और अभियोजन पक्ष को आरोप के प्रश्न पर विचारण न्यायालय द्वारा सुना गया और उन्हें सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय दंड संहिता की धारा 364क, 302 और 201 के अधीन मामले से प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हुआ था । तद्नुसार, अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की पूर्वोक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और उन्हें पढ़ा गया तथा उनका स्पष्टीकरण लिया गया जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

9. परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष से अपने परिसाक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया था जिस पर अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर आठ साक्षियों को पेश किया । संक्षेप में विवरण इस प्रकार है :–

(1) शिव शंकर (अभि. सा. 1) के बारे में तथ्य का साक्षी होना कहा गया है और उसने यह दावा किया है कि आदेश कुमार तिवारी का अपहरण होते समय तारीख 8 मार्च, 1998 को ग्राम प्रधान (ग्राम हरौली) के घर पर घटनास्थल में मौजूद रहा था और उसने यह भी दावा किया कि उसने आदेश तिवारी की हत्या की घटना देखी ।

(2) हीरा देवी (अभि. सा. 2) इत्तिलाकर्ता है और उसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-2 साबित की है । वह तथ्य का साक्षी है, ज़ब उसका पति घर से चला गया था ।

(3) श्रीमती ओम प्रभा (अभि. सा. 3) मृतक की माता है, उसकी जानकारी में यह बात आई है कि फक्कड़ गिरोह के सदस्यों द्वारा उसके पुत्र का अपहरण किया है और उसने उसी तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया है ।

(4) अभियोजन पक्ष द्वारा सतवीर सिंह (अभि. सा. 4) के बारे में यह दावा किया गया है कि वह तारीख 8 मार्च, 1998 को मृतक आदेश तिवारी के घर पर पहुंचा और आदेश तिवारी को यह बताया कि फक्कड़ बाबा द्वारा उसे बुलाया गया है । यह साक्षी पक्षद्रोही हो गया और अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया ।

(5) जगदीश प्रसाद गौतम (अभि. सा. 5) ने तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को पुलिस थाना-भरेह पर लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) की अंतर्वस्तु को लिखा है और चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में की गई इन प्रविष्टियों को साबित किया है और संबंधित साधारण डायरी प्रदर्श क-3 और प्रदर्श क-5, इसके अतिरिक्त प्रदर्श क-4 को साबित किया है ।

(6) राम नाथ सिंह यादव (अभि. सा. 6) तीन अन्वेषक अधिकारियों में से एक है और तारीख 26 जून, 1999 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेश द्वारा इस मामले का अन्वेषण उसे सौंपा गया था । उसने ब्यौरेवार विभिन्न कार्यवाहियां कीं । उसने अन्वेषण के अपने भाग को पूरा किया । उसने अभियुक्त श्री नारायण **उर्फ** गिल्लू के विरुद्ध आरोप पत्र, प्रदर्श क-7 भी प्रस्तुत किया और अभियुक्त राम करन चौबे और विशम्भर सिंह के विरुद्ध प्रदर्श क-6 आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

(7) यदि हुसैन (अभि. सा. 7) तीन अन्वेषक अधिकारियों में से एक था और उसने अपने द्वारा ग्रहण किए गए अन्वेषण के अपने भाग को पूरा करने के लिए अपनाई गई कार्यवाहियों के ब्यौरों का वर्णन किया । उसने तारीख 7 फरवरी, 1999 को अन्वेषण का जिम्मा लिया ।

(8) इसी तरह, प्रथम अन्वेषक अधिकारी लालू राम त्यागी (अभि. सा. 8) को प्रारंभ में तारीख 30 सितंबर, 1998 को मामले के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् इस मामले का अन्वेषण सौंपा था । इसके अतिरिक्त अन्य कार्यवाहियों में उसने घटनास्थल का नक्शा, प्रदर्श क-9 नक्शा तैयार किया ।

10. उपरोक्त बातों के सिवाय कोई अन्य परिसाक्ष्य चाहे कोई भी हों, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया अतः, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त कर दिया गया था और अभियुक्त का कथन जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें ग्राम की पार्टीबंदी और शत्रुता की वजह से मिथ्या रूप से फंसाया गया और उनका अंतर्वलन निर्भय गिरोह, गुर्जर गिरोह आदि की भांति डकैती के विभिन्न समूह के बीच प्रतिस्पर्धा विरोध के कारण हुआ था, बदले में प्रतिरक्षा पक्ष ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है । विचारण न्यायालय ने मामले को गुणागुण के आधार पर सुनने, अभिलेख पर विचार करने तथा परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित की तथा उनके विरुद्ध पूर्वोक्त रूप में दंड पारित किया ।

11. परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त दोनों अपीलें उपरोक्त अपीलार्थियों द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2011 को विचारण न्यायालय के एक ही निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की हैं ।

12. अपीलार्थी श्री बृजेश कुमार की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा पुरजोर यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में वस्तुतः कोई साक्ष्य नहीं है । अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन उसके दावे को पूर्ण रूप से निरर्थक बनाती है करता है और अभियोजन साक्षियों का कथन/साक्ष्य पूरी तरह से असंगत है; यदि इसका संपूर्ण रूप से परिशीलन करें तो इसमें कुछ भी परिलक्षित नहीं होता है परंतु अपीलार्थियों की निर्दोषिता प्रकट होती है । अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले के तथ्यात्मक पहलू से न्यूनाधिक रूप से एक अद्भूत दुनिया में एलिस दर्शित होता है । कोई भी व्यक्ति ऐसी असंगत बातों की मुश्किल से कल्पना कर सकता है और इस मामले में विभेदकारी परिसाक्ष्य प्रकट है । तथ्य के अभियोजन साक्षियों के विचलित परिसाक्ष्य द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं किया गया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से की गई है । अपहरण की घटना तारीख 8 मार्च, 1998 को घटी जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 1 अक्तूबर, 1999 को ही दर्ज की गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इस बारे में विनिर्दिष्ट नहीं है किसके विरुद्ध इसे दर्ज किया गया, इसमें किसी अभियुक्त व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है । अन्वेषक अधिकारियों ने ढीले रवैये और असावधानी से अन्वेषण कार्य किया । प्रथम इत्तिलाकर्ता हीरा देवी ने यह कहा है कि उसने इस रिपोर्ट को दर्ज करने से पूर्व क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी पुलिस प्राधिकारियों को तथा संबंधित पुलिस थाना में एक रिपोर्ट की थी परंतु उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी परंतु पूर्व में दर्ज की गई रिपोर्ट किए जाने का दावा इस कारण से काल्पनिक प्रतीत होता है कि किसी अन्वेषण अधिकारी ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, इसके बावजूद उसने संबंधित पुलिस थाना या उच्चतर प्राधिकारियों को किए जाने वाले ऐसे आवेदन से इनकार किया है । अभियोजन साक्षियों में से एक सत्यवीर अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है कि वह मृतक - आदेश तिवारी के घर पर आया और उसे बताया कि फक्कड़ बाबा ने उसे बुलाया है । एक अन्य तथाकथित साक्षी शिव शंकर ने यद्यपि मृत्यु के तथ्य के घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया है और आदेश तिवारी का व्यपहरण विश्वासयोग्य नहीं है । वह उस स्थान या स्थान के स्थलाकृति के बारे में कुछ नहीं कह सकता है जहां आदेश तिवारी की मृत्यु हुई या कारित हुई थी । उसने अन्वेषक अधिकारी को उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां आदेश तिवारी की हत्या हुई थी और अपने दावे के उस घटना के बारे में उसका कथन यह है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषक अधिकारी से जो कुछ कहा, इस बात के प्रतिकूल था । सत्यवीर के अलावा अपीलार्थियों के

विरुद्ध कोई दूसरा स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, यह अभियोजन को प्रकट करना था कि अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने के लिए विनिर्दिष्ट अकाट्य परिसाक्ष्य दिया जाना था । तथापि, सतही तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है । तथ्य के अभियोजन साक्षियों का कथन अतिश्योक्ति, सुधार से भरा पड़ा हुआ है और पुलिस के साथ विचार-विमर्श का परिणाम है । वास्तव में, इस मामले में अपीलार्थियों का अंतर्वलन इस क्षेत्र के डकैतों के गिरोहों का परस्पर संघर्ष का परिणाम है । अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध अपने आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल हुआ है । विचारण न्यायालय ने व्यापक साक्ष्य के पहलू की अनदेखी की है कि बिना किसी सुस्पष्ट कारणों के दोषसिद्धि अभिलिखित करके विभेदात्मक, विश्वास के अयोग्य व असंगत कार्य किया है । दोषसिद्धि के निष्कर्ष अटकलबाजियों पर आधारित है और ऐसा कार्य अवैध और गलतियों से भरा है ।

13. जहां तक फिरौती मांगने का प्रश्न है, संपूर्ण साक्ष्य उस विषय पर सोचनीय है कि अन्वेषण करने वाले अधिकारियों ने ऐसा कोई पत्र नहीं पाया जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फिरौती मांगने के लिए इस अभिप्राय का पत्र लिखा हो । हीरा देवी और अन्य अभियोजन साक्षियों ने केवल मौखिक प्राख्यान किया है कि 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और मांग के समर्थन में पत्र उनकी ओर से प्राप्त किया गया हो बल्कि साक्षी अपने-अपने दावे को साबित करने के लिए ऐसा पत्र पेश नहीं कर सकें । फिरौती के लिए मांग की कहानी लिखित पत्र पर आधारित थी परंतु ऐसा कोई पत्र या पत्र की प्रति अन्वेषण अधिकारी को नहीं दी गई थी ; इस तथ्य के होते हुए भी कि अन्वेषण अधिकारी ने इत्तिलाकर्ता से ऐसे पत्र की मांग की गई थी । ऐसे किसी लिखित पत्र के अभाव में इस तरह की गई मांग में कोई विधिक बल नहीं है । फिरौती को प्रश्न को जानबूझकर दंड संहिता की धारा 364क के दंडात्मक उपचार देने के लिए पिक्चर में लाया गया है । वास्तव में, फिरौती की मांग के लिए किसी समर्थित सामग्री के अभाव में दंड संहिता की धारा 364क के अधीन आरोप कामयोग्य नहीं है और इस प्रकार साबित किए जाने का अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता । जहां तक दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप का संबंध है । न तो किसी प्रकार अंतिम बार देखा जाना साबित हुआ है और न आदेश तिवारी की मृत्यु को निश्चायक रूप से साबित किया गया है और पूर्वोक्त तथ्य और विधिक पहलुओं को सिद्ध करने के अभाव में

अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की पूर्वोक्त धारा के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित करना गलत और अवैध है ।

14. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने पूर्वोक्त दलील के प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि अपीलार्थियों द्वारा किया गया यह दावा कि इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं है, इस कारण से यह स्वीकार योग्य नहीं है कि अभियोजन साक्षियों का परिसाक्ष्य संपूर्ण रूप से विश्वासोत्पादक है और घटना का पीड़ित व्यक्ति - आदेश तिवारी तारीख 8 मार्च, 1998 से अभी तक वापस नहीं आया है । अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई स्पष्ट कारण समनुदेशित नहीं किया जा सकता कि पीड़ित व्यक्ति तारीख 8 मार्च, 1998 के पश्चात् से वापस क्यों नहीं आया है । ग्राम हरौली से पूर्वोक्त तारीख को आदेश तिवारी के गायब होने के बारे में साक्ष्य अभियोजन कहानी के साथ स्पष्ट, संगत है और एक बार पीड़ित का गायब होना साबित हुआ है, तब न्यायालय द्वारा अन्य आवश्यक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जो केवल फिरौती की मांग को परिसीमित किया जाएगा ।

15. सभी तीनों अन्वेषक अधिकारियों ने सम्यक् रूप से अन्वेषण किया और अभियुक्त व्यक्तियों सहित विभिन्न साक्षियों के कथन अभिलिखित किए तथा सभी साक्षियों के कथन में प्रकटीकरण किया गया और घटना से संबंधित अभियुक्त व्यक्तियों का सम्यक् रूप से सत्यापन किया गया था जिस पर घटना में अभियुक्त व्यक्तियों की सदोषता और शामिल होना पूरी तरह से साबित और सिद्ध हुआ है । 5 लाख रुपए की फिरौती की बात शिव शंकर (अभि. सा. 1) और हीरा देवी (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य से विनिर्दिष्ट रूप से साबित हुई है और इससे अधिक कुछ भी नहीं कि फिरौती की मांग का अपराध साबित हुआ है और इससे अधिक कुछ भी नहीं कि फिरौती की मांग के अपराध साबित किया जाना अपेक्षित हो अर्थात् फिरौती की मांग साबित नहीं की गई थी, यह सही नहीं है और दंड संहिता की धारा 364क के अधीन विरचित आरोप तद्नुसार न्यायोचित्य है । घटना 8 मार्च, 1999 के अति प्रारंभ से अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल करने तक, सभी तात्विक परिस्थितियों, तथ्यों और साक्ष्य जो अभियुक्तों की दोषिता साबित करने के लिए सिद्ध किया जाना आवश्यक था, संगत रूप से साबित की गई, चाहे अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य में कुछ भी विभेद प्रकट हुए हों, नैसर्गिक और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए बाध्य है और इन विभेदों को पूर्णरूप से सारभूत या अभियोजन मामलों की तीन स्वाभाविक रूप से क्षय

की शब्दावली में नहीं रखा जा सकता है । अभियोजन मामले को अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है और विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यात्मक और विधिक पहलुओं के मुकाबले अभिलेख में साक्ष्य पर न्यायोचित और संगत मत व्यक्त किया है जो दोषसिद्धि का आधार बना । अपीलें गुणागुण रहित हैं ।

16. हमने परस्पर दलीलों पर भी विचार किया है और पक्षकारों के बीच विभिन्न प्राख्यानों और उनके बीच पक्ष-विपक्ष पर किए गए इनकार पर भी विचार किया गया और इस अपील के निर्धारण के लिए उद्भूत मूल प्रश्न पर संपूर्ण अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् जो तथ्य से संबंधित है कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन आरोप साबित करने में समर्थ हुआ है ?

17. प्रारंभ पर हम कतिपय स्वीकृत तथ्यों पर चर्चा कर सकते हैं । अभियोजन की ओर से यह प्राख्यान किया गया है कि आदेश तिवारी के अपहरण की घटना तारीख 8 मार्च, 1998 को ग्राम हरौली पर घटित हुई थी और यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 8 मार्च, 1998 को 7.00 बजे अपराह्न के पश्चात् फक्कड़ गिरोह द्वारा अपहरण की कार्यवाही की गई । यह स्वीकार किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से फक्कड़ गिरोह के किसी सदस्य का कोई नाम नहीं जिसका प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर स्वतः यह प्रकट है कि यह रिपोर्ट अनुमानतः घटना के छह मास तीन सप्ताह बीत जाने के पश्चात् तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को दर्ज की गई । जिसका हम इस प्रश्न पर तथ्यों की संवीक्षा करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं । शिव शंकर (अभि. सा. 1) और हीरा देवी (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि शिव शंकर जिसे फक्कड़ गिरोह द्वारा भी अपहरण किया गया, के पश्चात् मई, 1998 के मास में निर्मुक्त किया गया था । वह अपने ग्राम वापस लौटा तब श्रीमती हीरा देवी को घटना के बारे में सूचना दी थी । उसने अपीलार्थियों सहित फक्कड़ गिरोह के सदस्यों द्वारा आदेश तिवारी की हत्या के बारे में हीरा देवी को सूचित किया गया था और इन तथ्यों के बारे में रिपोर्ट पुलिस थाने में दी गई थी परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । यहां पर हम यह मत व्यक्त कर सकते हैं कि पुलिस को रिपोर्ट देने के पूर्व से तथ्यात्मक पहलू प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से जुड़ी हुई है

जहां यह अभिकथन किया गया है कि रिपोर्ट किए जाने के पश्चात्, संबंधित पुलिस थाना अधिकारी ग्राम पहुंचा और इत्तिलाकर्ता हीरा देवी को यह सलाह दी गई, फिरौती के संदाय के लिए मांग को स्वीकार कर लें। तथापि, इस मामले के तीन अन्वेषक अधिकारियों ने जो विनिर्दिष्ट रूप से इस प्रकार है - प्रथम अन्वेषक अधिकारी - लालू राम त्यागी, दूसरा अन्वेषक अधिकारी - चंद हुसैन और तीसरा अन्वेषक अधिकारी - राम नाथ सिंह यादव क्रमशः अभि. सा. 8, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 6, पुलिस थाने में ऐसी किसी रिपोर्टिंग के पूर्व-तथ्य से इनकार किया है और उन्होंने पुलिस थाने में दी गई घटना की पूर्व सूचना के दावे को स्पष्ट रूप से इनकार किया है । इस प्रक्रम पर हम यह मत व्यक्त कर सकते हैं कि हमारे द्वारा इस बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, यदि पहले रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में वह विश्वासप्रद दस्तावेज या परिस्थिति या तो विचारण न्यायालय के परिशीलन के लिए पेश किए गए या मामले की परिस्थितियों से प्रकट किए गए थे परंतु अभियोजन पक्ष या इत्तिलाकर्ता द्वारा कोई विश्वासयोग्य और प्रमाणिक कागजात, अभिलेख या परिस्थिति सामने लाई गई है जिससे तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को वास्तविक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पूर्व रिपोर्ट के दर्ज करने के लिए उसके दावे को स्पष्ट कर सकता है ।

18. मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू और परिस्थिति यह है कि शिव शंकर (अभि. सा. 1) मुख्य साक्षी है जिसने यह दावा किया है कि फक्कड़ गिरोह द्वारा आदेश तिवारी की हत्या का साक्षी है और वह मई, 1998 में गिरोह की कैद से मुक्त हुआ और वह अपने ग्राम वापस लौटा तब उसने आदेश तिवारी के अपहरण और हत्या की घटना के बारे में इत्तिलाकर्ता हीरा देवी को बताया, परंतु हम तथाकथित तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को दर्ज पश्चात्वर्ती प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को पूर्णतया वापस लेते हैं और शिव शंकर द्वारा किए गए दावे पर हल्का संकेत नहीं निकलता है कि फक्कड़ गिरोह द्वारा आदेश तिवारी की हत्या की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में एकल साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं है जिसने अपराधियों द्वारा आदेश तिवारी के हत्या करने के तरीके तथा हत्या की घटना देखी हो । यह कारण से परे है कि यदि ऐसी महत्वपूर्ण सूचना मई, 1998 के महीने में इत्तिलाकर्ता को दी गई तो मृतक आदेश तिवारी की पत्नी हीरा देवी द्वारा दर्ज तारीख 1 अक्तूबर, 1998 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख करना छोड़ दिया ।

19. हम इस मामले के अन्वेषक अधिकारी लालू राम त्यागी (अभि. सा. 8) और चंद हुसैन (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य की प्रतिपरीक्षा के नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्होंने पहली बार तारीख 15 नवंबर, 1998 को शिव शंकर का कथन अभिलिखित किया और उस (शिव शंकर) ने प्रथम बार अपने स्वयं के अपहरण तथा निर्मुक्ति के तथ्य को प्रकट किया । अभिलेख में प्रचुर रूप से इस तथ्य को सिद्ध किया गया है कि फक्कड़ गिरोह के चंगुल से शिव शंकर के मुक्त होने के पश्चात् उसके अपहरण के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किसी पुलिस थाने या किसी उच्च प्राधिकारी और फिरौती के मांग के संबंध में किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया । किसी रिपोर्ट को दर्ज न करने और कोई कार्रवाई करने से विरत रहता, कोई अकाट्य प्रतिकूल परिस्थिति से यह तथ्य प्रकट होता है कि शिव शंकर का अपने अपहरण के इस विशिष्ट पहलू पर और अपने निर्मुक्ति के संबंध में फिरौती मांगने पर परिसाक्ष्य किसी दूरस्थ हेतु के लिए सुधार किया गया था जिस बात को स्वयं वह जानता था । क्योंकि परिस्थिति जिस पर उसने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा फिरौती मांगने के बारे में तथा अपहरण का अपराध करने के बारे में चिरस्थायी चुप्पी बनाई रखी, इस साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में कई संदेह पैदा करती है ।

20. इस विचार को ध्यान में रखते हुए शिव शंकर (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य और खासतौर पर उसके प्रतिपरीक्षा में प्रकट उसके परिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा किया जाना सुसंगत होगा । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि तारीख 8 मार्च, 1998 को लगभग 7.00 बजे अपराह्न, फक्कड़ गिरोह के कुसुम नाईन और संपूर्ण गिरोह के पूर्व प्रधान राम बाबू के दरवाजे पर बैठे हुए थे । उसे उस स्थान पर सत्यवीर और मनोज द्वारा बुलाया गया था । बाद में फक्कड़ और कुसुम नाईन ने सत्यवीर और मनोज को आदेश कुमार को बुलाने के लिए निदेश दिया था । इन दोनों साक्षियों और आदेश कुमार को गिरोह द्वारा दो-तीन अन्य मेजमानों के साथ जंगल की ओर ले जाया गया था । तीन सप्ताह पश्चात्, राम करन चौबे, भगवान दास, नारायण और विशम्भर सिंह लगभग 8.00 या 9.00 बजे पूर्वाह्न भी पहुंचे । उस समय गिरोह ग्राम विलोहर के भीतर क्वारी नदी के किनारे के इलाके में मौजूद था । उन सभी ने फक्कड़ से बातचीत की । आदेश तिवारी को चेन से बांधा गया था और पूर्वोक्त चारों व्यक्तियों को उसे सौंपा गया था । इन चारों व्यक्तियों ने कुल्हाड़ी से आदेश कुमार की हत्या की । विनिर्दिष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि राम

करन ने कुल्हाड़ी से प्रहार किए जबकि विशम्भर, भगवान दास और श्री नारायण ने आदेश तिवारी को पकड़ा था । हत्या करने के पश्चात् रक्त रंजित कुल्हाड़ी राम आसरे **उर्फ** फक्कड़ को दे दी गई थी । राम आसरे ने शिव शंकर और अन्य लोगों को कुल्हाड़ी दिखाई गई थी और यह धमकी दी कि बहरहाल, उन्होंने 3 लाख रुपए नहीं दिए तो उनके साथ उसी ढ़ंग से व्यवहार किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 20 पर इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि आदेश कुमार का शव को श्री नारायण, राम करन, भगवान दास और विशम्भर द्वारा टाट के बोरे में रखने के पश्चात् क्वारी नदी में फेंक दिया गया था । वह लगभग दो मास तक गिरोह की कैद में रहा । उसे तब कैद से छोड़ा गया जब उसके कुटुंब के सदस्यों ने गिरोह को 2,75,000/- रुपए का संदाय कर दिया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को शपथपत्र दिया और जिस शपथपत्र को उसके द्वारा प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया गया है, उसकी प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसके परिसाक्ष्य पर गंभीर असंगतियां थीं । सबसे पहला यह है कि जैसाकि पहले ही मत व्यक्त किया गया कि उसने कभी भी अपने अपहरण की घटना की रिपोर्ट किसी पुलिस प्राधिकारी को नहीं दी । उसके कुटुंब के सदस्यों ने उसके अपहरण के पश्चात् और उसके निर्मुक्ति के पूर्व पुलिस को कोई सूचना नहीं दी । ये अस्पष्ट पहलू उन्हें रहस्य की ओर ले जाती है ।

21. आगे, उसने अपनी निर्मुक्ति के एक वर्ष पश्चात् ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को शपथपत्र दिया । वह तारीख 21 जून, 1999 थी जबकि शिव शंकर को घटना के दो मास पश्चात् निर्मुक्त किया गया था जो अवधि 8 मई, 1998 को कुछ समय पश्चात् आरंभ हुई है । शपथपत्र और उसकी अंतर्वस्तु का सरसरी तौर पर परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि घटना और आदेश तिवारी की हत्या के बारे में विनिर्दिष्ट सभी ब्यौरे शिव शंकर (अभि. सा. 1) की जानकारी में थे और उसने यह दावा किया है कि उसने अपनी निर्मुक्ति के पश्चात् संपूर्ण घटना के बारे में सूचना इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) को दी थी, परंतु प्रथम इत्तिला, रिपोर्ट में ऐसे कोई ब्यौरे नहीं दिए गए हैं और यहां तक कि अभियुक्तों के नामें का उल्लेख भी नहीं किया गया है । इस प्रकार, शिव शंकर का दावा परोक्ष और दूरस्थ हो गया है और इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि उसने फक्कड़ गिरोह के हाथों कैद भोगी थी और उसे अपने अपहरण के दो मास पश्चात् ही (8 मार्च, 1998) को निर्मुक्त किया गया था ।

22. इसके अतिरिक्त, कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 21 में उसने यह कहा है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राम करन चौबे के भाई - राम जी की या तो हत्या की गई या नहीं और उसे यह पता नहीं है कि उस मामले में कौन अभियुक्त है और ऐसा प्रकटीकरण करने के पश्चात् वह यह कहने के लिए अग्रसर हुआ कि वह जेल में मिलने के लिए राम जी मामले के अभियुक्त, राम बहादुर और अवधेश से मिलने गया जबकि अवधेश तिवारी का साला राम बहादुर है और आदेश तिवारी का ससुर राम बहादुर है और उसने इस तथ्य को माना कि राम जी के हत्या का मामला अवधेश और राम बहादुर के विरुद्ध दर्ज किया गया था । उसे यह सुझाव दिया गया कि क्या श्री नारायण हत्या के उस मामले में साक्षी था जिस पर इस साक्षी ने अपनी अनभिज्ञता अभिव्यक्त की है । कागजात पुस्तिका के उसी पृष्ठ 21 में उसने यह दावा किया है कि उसने अपने निर्मुक्त होने के पश्चात् आदेश तिवारी की माता और पत्नी को हत्या के घटना के बारे में बताया था और उसने यह कहा कि उसने आदेश तिवारी की हत्या के अपराध के के बारे में कोई आवेदन पेश नहीं किया । उसने उसी पृष्ठ पर यह दावा किया है कि वह अपनी निर्मुक्ति के पश्चात् हीरा देवी इत्तिलाकर्ता और आदेश तिवारी की माता के साथ पुलिस थाने पर गया था । उसने इस बारे में पूर्वोक्त पहलू के बारे में अपने कथन से विभेद प्रकट किया है कि क्या उसने हमेशा अन्वेषक अधिकारी को कोई ऐसा कथन किया है और उसका ध्यान उन विशिष्ट कथनों की ओर भी लाया गया जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन के मुकाबले विचारण न्यायालय के समक्ष किए गए तब उसने इस बारे में कोई स्पष्ट कारण दर्शित करने में अपनी असमर्थता अभिव्यक्त की और अन्वेषक अधिकारी द्वारा इन विशिष्ट कथनों को अभिलिखित क्यों नहीं किया । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषक अधिकारी को कभी भी कथन नहीं किया कि उसने आदेश तिवारी की हत्या की घटना को देखा, इसके बजाय उसने अन्वेषक अधिकारी को इस संबंध में कथन किया कि अब उसने यह विश्वास किया है कि फक्कड़ ने आदेश तिवारी की हत्या की है । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि राम करन, श्री नारायण और विशम्भर अपहरण किए जाने के अपराध में शामिल नहीं थे । उसने अन्वेषक अधिकारी को कोई भी कथन नहीं दिया कि सतवीर और मनोज उन्हें बुलाने के लिए पहुंचे । उसने यह कथन किया कि फक्कड़ गिरोह द्वारा उसके घर पर फिरौती की मांग के संबंध में पत्र भेजा गया था

परंतु जब वह अपने निर्मुक्त होने के पश्चात् घर लौटा तो उसने ऐसा पत्र नहीं देखा था और अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित कथन में यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि उसके घर पर भेजे जाने वाले ऐसे किसी पत्र का वर्णन पूर्णतया गायब है और वह उस बारे में कोई अकाट्य कारण देने में असमर्थ रहा ।

23. क्या ऐसी स्थिति को घटना के सामान्य अनुक्रम में माना जा सकता है कि आदेश तिवारी के अपहरण और हत्या की संपूर्ण घटना मई, 1998 में शिव शंकर (अभि. सा. 1) द्वारा मृतक आदेश तिवारी की माता और पत्नी को बता दी गई हो और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में, जो यद्यपि इटावा के आयुक्त के नाम लिखी गई थी और अन्त में तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को रजिस्ट्रीकृत की गई थी, इस अपहरण और हत्या का तनिक भी उल्लेख नहीं किया गया जिसके बारे में शिव शंकर, इत्तिलाकर्ता को (पहले ही) बता चुका था । यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में शिव शंकर का नाम ऐसे व्यक्ति के रूप में उल्लिखित नहीं है जिसने इस घटना के बारे में बताया । दोनों प्रथम इत्तिलाकर्ता हीरा देवी और शिव शंकर (अभि. सा. 1) के कथन अन्वेषक अधिकारी लालू राम त्यागी (अभि. सा. 8) द्वारा विलंबित प्रक्रम पर अभिलिखित की गई थी । हीरा देवी का कथन तारीख 28 अक्तूबर, 1998 को अभिलिखित किया गया था । जबकि शिव शंकर का तारीख 15 नवंबर, 1998 को, तारीख 15 नवंबर, 1998 को शिव शंकर के अपहरण होने का तथ्य प्रथम बार प्रकट किया गया था । तथाकथित मुख्य साक्षी शिव शंकर के परिसाक्ष्य के साथ इन सभी तथ्यों तथा अभियोजन दावे में गंभीर खोट है कि आदेश तिवारी का अपहरण और हत्या राम आसरे **उर्फ** फक्कड़, कुसुम जी ने और अन्य अपीलार्थियों द्वारा की गई थी ।

24. तथ्य के अन्य साक्षी, अर्थात् हीरा देवी (अभि. सा. 2) और श्रीमती ओम प्रभा (अभि. सा. 3) अंतिम बार देखे जाने की कहानी के साक्षी नहीं हैं, तारीख 8 मार्च, 1998 को हीरा देवी अपने मायके पर थी और वह तारीख 9 मार्च, 1998 को अपने ससुराल के घर पर लौटी थी । इसी तरह, श्रीमती ओम प्रभा (अभि. सा. 3) ने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 45 पर यह कथन किया है कि फक्कड़ और कुसुम नाईन और उसके गिरोह के आदमी उसके समक्ष उसके पुत्र को नहीं ले गए और वह व्यक्ति जो उसके पुत्र को बुलाने के लिए उसके घर पर आया, इस मामले में अभियुक्त नहीं है, उसने यह भी कथन किया है कि दरोगा जी द्वारा 7-8

मास पश्चात् उसका कथन अभिलिखित किया गया था और यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि उसी पृष्ठ पर उसने इस विस्तार तक दरोगा जी को किसी प्रकार का कथन किए जाने से इनकार किया है कि श्री नारायण और राम करन गिरोह से उसके पुत्र को निर्मुक्त कराना निश्चित किया था । वह इस बारे में कोई विश्वासयोग्य कारण समनुदेशित नहीं कर सकती कि दरोगा जी ने कैसे ऐसा कथन अभिलिखित किया था । उसे यह सुझाव दिया गया कि निर्भय गुर्जर गिरोह के नातेदारों द्वारा दबाव डालने के पश्चात् उसने ऐसा साक्ष्य दिया है, यद्यपि, उसने इस सुझाव से इनकार किया है । प्रथम इत्तिलाकर्ता ने फिरौती के पत्र को दिखाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है जिस पर उसने यह दावा किया है कि फक्कड़ गिरोह द्वारा भेजा गया है । अन्वेषक अधिकारियों ने भी हीरा देवी से ऐसी किसी पत्र को प्राप्त किए जाने से इनकार किया है । उसने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 39 पर यह कथन किया है कि उसे शिव शंकर के कहने पर ही अपराध के बारे में ज्ञात हुआ । इससे यह अभिप्रेत है कि उसे अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके पति आदेश तिवारी के विरुद्ध अपराध किए जाने के बारे में कोई पहले सूचना नहीं थी, अर्थात् अपहरण के बारे में कोई किसी पुलिस अधिकारी या संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष इस निमित विनिर्दिष्ट शिकायत नहीं की गई थी ।

25. मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों की उपरोक्त संवीक्षा जो आदेश तिवारी के व्यपहरण और हत्या के अपराध कारित करने से संबंधित है जैसाकि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा साक्ष्य दिया गया है, अध्यपेक्षित संगति में कमी है और उनके परिसाक्ष्य के प्रतिकूल पूर्ण विभेद प्रकट होते हैं और मामले की विद्यमान परिस्थितियों के अधीन स्वीकारयोग्य नहीं है । उनका परिसाक्ष्य पूर्णतया सुधार किया हुआ और पूरी तरह बढ़ा-चढ़ा करके किया जाना प्रतीत होता है ।

26. इस प्रक्रम पर, हम एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी सतयवीर (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्य में परिवर्तन कर सकते हैं जिसके बारे में तारीख 8 मार्च, 1998 को आदेश तिवारी के मकान पर जाने का कथन किया गया है और मृतक से यह कहा कि उसे फक्कड़ गिरोह द्वारा बुलाया गया है । उसने इस आशय का साक्ष्य दिया है कि राम आसरे **उर्फ** फक्कड़, कुसुम नाईन, राम करन चौबे, श्री नारायण और विशम्भर सिंह इस मामले में शामिल नहीं थे और वे कभी भी उसके मकान पर नहीं पहुंचे और अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया और उसकी

प्रतिपरीक्षा की गई, जिस पर उसने यह कथन किया है कि उसने दरोगा जी को कभी भी कोई कथन नहीं दिया है कि आदेश तिवारी गिरोह के साथ रहा और शिव शंकर गिरोह के प्रस्थान करने के पश्चात् अपने घर वापस चला गया और शिव शंकर को उसके द्वारा ग्राम में निरंतर देखा गया था, अतः आदेश के अपहरण में गिरोह की सह-अपराधिता को सत्यवीर सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है किंतु अपहरण का तथ्य दूषित रहा है । उसके परिसाक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह प्रकट है कि आदेश तिवारी गिरोह के साथ रहा जिसकी पहचान रहस्यमय रही और यह संगत कार्य किसी बल को लागू करके या प्रलोभन तथा सुस्पष्ट या विवक्षित रूप से लागू नहीं किया गया था ।

27. जब हम अन्वेषक अधिकारियों के परिसाक्ष्य पर विचार करें तो मामले के कतिपय सुसंगत पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा । ऐसे पहलू में से एक घटनास्थल के नक्शे की तैयारी के तथ्य से संबंधित है जिसे अन्वेषक अधिकारी राम नाथ सिंह यादव (अभि. सा. 6) द्वारा तैयार किया गया था । उसने यह साक्ष्य दिया है कि उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया जहां आदेश तिवारी की हत्या की गई थी । यह घटनास्थल नक्शा प्रदर्श क-6 है जहां पर शिव शंकर के परिसाक्ष्य में परिसाक्ष्य के पृष्ठ 28 पर यह प्रकट हुआ है कि उसने घटनास्थल के निरीक्षण के लिए अन्वेषक अधिकारी की कभी भी सहायता नहीं की और यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि दूसरा अन्वेषक अधिकारी चंद हुसैन (अभि. सा. 7) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कागजात पुस्तिका के पृष्ठ सं. 66 पर यह कथन किया है कि उसने उस स्थान को नहीं देखा है जहां आदेश तिवारी की हत्या हुई थी । मामले का दूसरा पहलू यह है कि चंद हुसैन (अभि. सा. 7) अन्वेषक अधिकारी ने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 67 में यह कथन किया है कि उसने (अभियुक्त के) प्रकटीकरण के पश्चात् ही अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किया जो श्री नारायण, अभियुक्त द्वारा बताए गए थे, कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 67 में उसके परिसाक्ष्य इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि आदेश तिवारी की निर्मुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए फिरौती के किसी मांग के लिए कोई पत्र प्राप्त नहीं किया । उसने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 69 पर भी साक्ष्य दिया कि उसने तारीख 7 फरवरी, 1999 को अन्वेषण का जिम्मा लिया और इत्तिलाकर्ता ने उसके पति की हत्या के बारे में उसे नहीं बताया । उसी पृष्ठ पर, वह इस विस्तार तक पहुंचा जब उसने यह कहा कि उसने आदेश तिवारी की हत्या के संबंध में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन

कोई आरोप पत्र फाइल नहीं किया, क्योंकि हत्या का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और कागजात पुस्तिका में पृष्ठ 71 पर प्रथम अन्वेषक अधिकारी लालू राम त्यागी (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया है कि उसने तारीख 1 अक्तूबर, 1998 से 23 जनवरी, 1999 तक मामले में अन्वेषण किया परंतु उसने या तो आदेश तिवारी या शिव शंकर की निर्मुक्ति हेतु कोई फिरौती मांगने के लिए कोई पत्र प्राप्त नहीं किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के ऊपरी तौर पर ऐसा कोई निर्देश नहीं है । उसने उसी पृष्ठ सं. 71 पर यह भी साक्ष्य दिया है कि शिव शंकर के कुटुंब के सदस्यों ने शिव शंकर के अपहरण के बारे में पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और पृष्ठ 72 में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शिव शंकर के अपहरण के तथ्य तारीख 15 नवंबर, 1998 को ही साक्षियों के कथन में प्रथम बार आया था । लालू राम त्यागी (अभि. सा. 8) तीन अन्वेषक अधिकारियों में से एक ने किसी ऐसे कथन से इनकार किया है जो शिव शंकर द्वारा उसे दी गई और कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 73 के अंतिम रेखाओं में उसने यह कथन किया है कि तारीख 23 जनवरी, 1999 के पर्चा में उसने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जानी है और आहत की बरामदगी की जानी है ।

28. इसके अतिरिक्त, पृष्ठ 74 पर यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 15 नवंबर, 1998 को अभिलिखित राम बाबू प्रधान के कथन में यह प्रकट है कि उसने फक्कड़ गिरोह द्वारा आदेश तिवारी के अपहरण के बारे में पुलिस थाने में कोई भी सूचना नहीं दी थी और यह तथ्य कि फक्कड़ गिरोह उसके दरवाजे पर बैठा था ।

29. यह सुस्पष्ट है कि उसने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ सं. 75 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त शब्द के स्तम्भ में "फक्कड़ गिरोह" का उल्लेख है और यह बात पूर्णतया आश्चर्यचकित करने वाली है कि शिव शंकर सहित किसी साक्षी का उल्लेख नहीं है । रिपोर्ट में अभियुक्त फक्कड़ और कुसुम नाईन के निश्चित रंगरूप का उल्लेख नहीं है । राम आसरे **उर्फ** फक्कड़ और कुसुम के नामों का तारीख 27 अक्तूबर, 1998 को राम बहादुर के कथन में प्रथम बार उल्लेख किया गया है और अभि. सा. 8 द्वारा खासतौर पर कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 75 के अंतिम भाग में यह कथन किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में राम बहादुर के बारे में अपने दरवाजे पर होने का उल्लेख

नहीं है जब अपहरण की घटना घटी और रिपोर्ट दर्ज करते समय राम बहादुर जेल में था ।

30. शिव शंकर ने फक्कड़ गिरोह की अभिरक्षा से तथाकथित निर्मुक्ति के पश्चात् ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष क्यों शपथपत्र प्रस्तुत किया और जिसमें विभिन्न पैराओं के विस्तृत ब्यौरे भी दिए गए जिनके बारे में अन्वेषक अधिकारियों के समक्ष कथन नहीं किए गए थे जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन अभिलिखित किए थे । यह सुस्पष्ट है कि शपथपत्र फाइल करने से असंगत प्रयास किया जाना प्रकट होता है जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि तथ्यों का वास्तविक प्राख्यान किया जाना है, इस सत्यता पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता है । अभि. सा. 1 का परिसाक्ष्य तात्विक प्रश्नों पर अनिश्चय है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने पर आदेश तिवारी की हत्या के तथ्य का उल्लेख नहीं है किंतु यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि आदेश तिवारी की बरामदगी का अनुरोध किया गया है । हम अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य में प्रकट विभेदों की लंबी सूची का भी उल्लेख करते हैं । उन्होंने कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 28 पर विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने उस स्थान के बारे में (अन्वेषक अधिकारी को) नहीं बताया है कि जहां आदेश तिवारी की हत्या की गई और ऐसी दशा में दरोगा जी के कथन की बात असत्य होगी । यहां पर, आदेश तिवारी के अपहरण के तथ्य को सिद्ध करने का कोई संगत वृत्तांत नहीं है और परिणामस्वरूप, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हत्या की गई । यह परिसाक्ष्य अव्यवस्थित और इसमें अध्यपेक्षित संगति की कमी है । तथ्यों के अभियोजन साक्षियों और विशिष्ट रूप से शिव शंकर (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य से विश्वास प्रेरित नहीं होता है, इसके बजाय इस साक्षी द्वारा दिया गया अपना संपूर्ण साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है और इस प्रकार पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है । यह प्रकट हुआ है कि परिस्थितियों से यह उपदर्शित है कि आदेश कुमार रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था और अननुमार्गणीय रहा/पता नहीं लग पाया और इत्तिलाकर्ता ने निर्भय गुर्जर गिरोह का पक्ष लिया, इसलिए, अभियुक्त व्यक्तियों के कतिपय नाम दुरभिसंधि करके जानबूझकर पिक्चर में लाए गए थे और रेत के ढेर पर भवन निर्माण करने का प्रयास किया गया जो प्रयास शिव शंकर (अभि. सा. 1) और हीरा देवी (अभि. सा. 2) द्वारा अथक रूप से ढूढने का प्रयास करने के बावजूद भी इस प्रकट कारण से असफल रहे कि उन्होंने अपहरण की अपरिपक्व

कहानी और आदेश कुमार की हत्या का संशोधित परिसाक्ष्य और उनके परिसाक्ष्य में बढ़ा-चढ़ाकर तत्वों के समावेश और सामान्य आचरण अस्पष्टीकृत होने से, उनके परिसाक्ष्य का संपूर्ण रूप से परिशीलन करने पर विभिन्न महत्वपूर्ण विसंगतियां प्रकट होती हैं । विशिष्ट रूप से यदि अभियोजन साक्षी का दावा यह है कि अभि. सा. 1 ने सच्चाई की बात पर कायम रहते हुए विश्वास किया है तब इस प्रकार की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती और दर्ज नहीं की जा सकती, इसके अतिरिक्त हीरा देवी इस प्रश्न पर भी दोषी है कि उसने शिव शंकर ने मई, 1998 से कुछ समय पूर्व पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की, इसलिए, उसका (अभि. सा. 2) का परिसाक्ष्य एकतरफा दूषित नहीं हुआ है और उस पर सच्चा साक्षी होने का विश्वास नहीं किया जा सकता है और उसका परिसाक्ष्य विश्वास के अयोग्य है ।

31. फक्कड़ गिरोह के मालिक सहित उसके सदस्यों की शनाख्त भी अंधेरे में थी और कोई व्यक्ति इस बारे में निश्चित नहीं था कि (फक्कड़) नाम से कौन व्यक्ति जाना जाता है । कुसुम नाईन की उचित वेशभूषा/विशेषता या शारीरिक बनावट के बारे में न तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में और न साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य में कोई बात प्रकट की गई है । तथ्य और परिस्थितियां एक साथ उलझी हुई हैं और इसलिए यह अंतर्वलित होता है कि उन्होंने संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन में गहरा और संदेहपूर्ण दोष प्रकट किया है ।

32. आपराधिक विधिशास्त्र के सिद्धांत को स्थापित करने वाली विधि घिसी-पिटी है कि अभियोजन पक्ष को स्वयं अपने आधार पर खड़ा होना होगा तथा अभियुक्त के विरुद्ध अपने आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करना होगा । इस मामले में आरोप संदेह के परे साबित नहीं हुए हैं ।

33. विचारण न्यायालय मामले में साक्ष्य तथा उसके तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए सही परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए सही परिप्रेक्ष्य में उनकी संवीक्षा नहीं कर सका किंतु दोषसिद्धि के गलत निष्कर्ष जो विधि की अपेक्षा अटकलबाजियों पर आधारित है जिस पर दंड संहिता की धारा 364क, 302 और 201 के अधीन आरोपों से संबंधित दोषसिद्धि के निष्कर्ष जो अकाट्य और स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में है, दूषित है और हमारे द्वारा उसे अपास्त किया जाता है ।

34. परिणामस्वरूप, पुलिस थाना, भरेह, जिला इटावा में दर्ज धारा

302, 201, 364क के अधीन 1998 मामला अपराध सं. 25 से उद्भूत 2008 के विशेष सेशन विचारण सं. 93, (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्री नारायण उर्फ गुल्लू और अन्य) में विशेष न्यायाधीश (डी. ए. ए.) इटावा द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2011 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा अपास्त कर दिया गया और पूर्वोक्त अपीलें मंजूर की जाती हैं । अभियुक्त-अपीलार्थियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है ।

35. इस मामले में अपीलार्थीगण जेल में हैं । उन्हें तत्काल निर्मुक्त किया जाए यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473क के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं ।

36. इस आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को सूचना देने तथा कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

आर्य

(2018) 1 दा. नि. प. 348 उड़ीसा

लोधा बारा

बनाम

ओडिशा राज्य

तारीख 16 सितंबर, 2017

न्यायमूर्ति (कुमारी) संजू पांडा और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 और 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – बलात्संग और हत्या – अपीलार्थी द्वारा 4 वर्ष की कन्या के साथ बलात्संग और उसकी हत्या किया जाना – अभियुक्त के बताए जाने पर कन्या के शव की बरामदगी – अभियुक्त का अन्तिम बार कन्या के साथ देखा जाना – पुलिस के समक्ष दिया गया ऐसा संस्वीकृति कथन जिसका संबंध स्पष्ट रूप से ऐसे तथ्य के प्रकटीकरण से होता है जिसे धारा 27 के अधीन साबित किया जा सके, प्रकटीकरण का केवल वही भाग साक्ष्य में ग्राह्य होगा, अतः अभियुक्त के बताए जाने के आधार पर शव की बरामदगी होने पर अभियुक्त को ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 17 सितंबर, 2004 को अपीलार्थी, तेलीचन्द लोहार (इत्तिलाकर्ता) की चार वर्ष की पुत्री अंजली लोहार को लगभग 2 बजे अपराह्न में उस समय ले गया जब वह इत्तिलाकर्ता के मकान के निकट सड़क पर खेल रही थी । वह लड़की घर वापस नहीं आई । लड़की के घर वापस आने में देर होने पर उसकी माता धनो लोहार ने लड़की को तलाश किया किन्तु वह उसे ढूंढ न सकी । धनो लोहार ने तेलीचन्द को उसके घर वापस आने पर इस संबंध में बताया । इत्तिलाकर्ता तेलीचन्द ने भी अपनी पुत्री को तलाश किया । वह अपीलार्थी से मिला और उसने अपनी पुत्री के पते-ठिकाने के बारे में मालूम किया । पहले तो अपीलार्थी ने लड़की के बारे में किसी भी जानकारी के होने से इनकार किया, इसके पश्चात् स्थानीय लोगों को सूचना दी गई । सभी ने अपीलार्थी से इत्तिलाकर्ता की पुत्री के संबंध में मालूम किया । अपीलार्थी ने यह उत्तर दिया कि **कमा कारी देइछी** । अपीलार्थी ने उन्हें रास्ता दिखाया और वह जखना टूंगरी (जंगल का स्थानीय नाम) गया । रात होने के कारण अपीलार्थी शव नहीं ढूंढ सका । अगले दिन प्रातःकाल अपीलार्थी ने शव दिखाया । लड़की के शव पर वस्त्र नहीं थे और उसके गुप्तांगों पर चीटियां मौजूद थीं । यह देखकर संदेह के आधार पर अपीलार्थी से इस संबंध में पूछताछ की गई। अपीलार्थी ने उनके समक्ष स्वीकार किया कि उसने लड़की के साथ बलात्संग किया था और उसकी हत्या की थी । इत्तिलाकर्ता ने इसी संबंध में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और अपीलार्थी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया तथा इसके पश्चात् अन्वेषण किया गया । तद्नुसार, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और विचारण की कार्यवाही आरंभ की गई । अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन करने पर विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 364/376(2)(च)/302 के अधीन अपराध कारित करने के युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध हो गया है और अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376(2)(च)/302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया साथ ही दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए 7 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए यह अपील फाइल की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस सुस्थापित प्रतिपादना पर कोई विवाद नहीं है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन धारा 25 से 26 अपवाद हैं जिनके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए की गई संस्वीकृति को

तब तक सबूत नहीं माना जा सकता जब तक कि वह संस्वीकृति किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तत्काल न की जाए । धारा 27 के अधीन यह अनुज्ञात है कि पुलिस के समक्ष दिए गए अभियुक्त के कथन का वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आएगा या नहीं जिसका संबंध स्पष्ट रूप से उस तथ्य के साथ होता है जो प्रकट हुआ है, साबित किया जाना चाहिए । इस प्रकार, पुलिस के समक्ष दिया गया ऐसा संस्वीकृति कथन जिसका संबंध स्पष्ट रूप से ऐसे तथ्य के प्रकटीकरण से होता है जिसे धारा 27 के अधीन साबित किया जा सके, केवल वही भाग जिसका संबंध विशेष रूप से प्रकटीकरण के साथ होता है साक्ष्य में ग्राह्य होगा । धारा 27 के लागू किए जाने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं, अर्थात् (i) सूचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई तथ्य प्रकट होता हो और (ii) ऐसी सूचना का संबंध विशेष रूप से प्रकट हुए तथ्य के साथ होना चाहिए । अब विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत बन गया है कि अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बरामदगी ग्राह्य है । यह भी सुस्थापित है कि न्यायालय को कथन के अग्राह्य भाग पर विचार नहीं करना चाहिए और केवल उसके साक्ष्य के उसी भाग पर विचार करना चाहिए जिसका संबंध स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में की गई बरामदगी से होता है । यह भी सुस्थापित है कि इस संबंध में तथ्य के प्रकटीकरण के अन्तर्गत वस्तुओं की बरामदगी, स्थान जहां से वस्तुएं बरामद की गई हैं और अभियुक्त को उन वस्तु और उस स्थान की जानकारी जैसे तथ्य आते हैं । विधि की इस सुस्थापित प्रतिपादना को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में व्यक्त किया गया है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य मामले में निर्णय दिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में उल्लिखित सिद्धांत पश्चात्वर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है । यह सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है कि यदि किसी बन्दी से प्राप्त सूचना के आधार पर तलाशी के दौरान तथ्य प्रकट होता है तब ऐसा प्रकटीकरण यह गारंटी देता है कि बन्दी द्वारा दी गई सूचना सत्य है । यह सूचना प्रायश्चित अनाभिशंसी प्रकृति की हो सकती है किन्तु जैसे ही इससे तथ्य प्रकट होता है, यह विश्वसनीय सूचना बन जाती है । इस प्रकार, विधान-मण्डल ने ऐसी सूचना के केवल ग्राह्य भाग को ही स्वीकार किए जाने के लिए अनुज्ञात किया है । (पैरा 8)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की व्यापकता और इस अपील में के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय की यह सुविचारित

राय है कि मृतका अंजली लोहार को अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा अपीलार्थी के साथ अन्तिम बार देखा गया था और इस बात की पुष्टि अभि. सा. 6 के साक्ष्य से होती है जिसने यह कथन किया है कि जब अपीलार्थी वापस आ रहा था तब वह अकेला था । अपीलार्थी ने अपना दोष संस्वीकृत किया है और उसने उस स्थान का पता भी बताया है जहां से उसके कथनानुसार शव बरामद किया गया था । यह मामला अन्तिम बार देखे जाने और संस्वीकृत कथन के आधार पर शव बरामद किए जाने जैसे साक्ष्य का मामला है । इसलिए, विचारण न्यायालय ने इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति सहित विधिक पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो गए हैं । (पैरा 9)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 9 जे. टी. 512 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6123 : **महबूब अली और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य ;**	8
[2006]	(2006) 9 एस. सी. सी. 386 : **निसार खां** उर्फ **गुड्डू** बनाम **उत्तरांचल राज्य ;**	8
[1983]	ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 446 : **इयराभदरप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ।	8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 140.

2005 के सेशन विचारण मामला सं. 78 में अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, राउरकेला, उड़ीसा के तारीख 10 अगस्त, 2005 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री आर. एन. राउत, बी. के. पात्रा और के. रामदास

प्रत्यर्थी की ओर से — अपर स्थायी काउंसेल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने दिया ।

न्या. प्रसाद – वर्तमान जेल अपील 2005 के सेशन विचारण सं. 78/17 में विद्वान् तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, राउरकेला द्वारा

तारीख 10 अगस्त, 2005 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 376(2)(च)/302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और तद्नुसार आजीवन कठोर कारावास से और दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास से और 5,000/- रुपए जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अपीलार्थी एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का दंडादेश भोगेगा ।

2. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और उनके द्वारा दी गई दलीलों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन किया है ।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 17 सितंबर, 2004 को अपीलार्थी तेलीचन्द लोहार (इत्तिलाकर्ता) की चार वर्ष की पुत्री अंजली लोहार को लगभग 2 बजे अपराह्न में उस समय ले गया जब वह इत्तिलाकर्ता के मकान के निकट सड़क पर खेल रही थी । वह लड़की घर वापस नहीं आई । लड़की के घर वापस आने में देर होने पर उसकी माता धनो लोहार ने लड़की को तलाश किया किन्तु वह उसे ढूंढ न सकी । धनो लोहार ने तेलीचन्द को उसके घर वापस आने पर इस संबंध में बताया । इत्तिलाकर्ता तेलीचन्द ने भी अपनी पुत्री को तलाश किया । वह अपीलार्थी से मिला और उसने अपनी पुत्री के पते-ठिकाने के बारे में मालूम किया । पहले तो अपीलार्थी ने लड़की के बारे में किसी भी जानकारी के होने से इनकार किया, इसके पश्चात् स्थानीय लोगों को सूचना दी गई । सभी ने अपीलार्थी से इत्तिलाकर्ता की पुत्री के संबंध में मालूम किया । अपीलार्थी ने यह उत्तर दिया कि **कमा कारी देइछी** । अपीलार्थी ने उन्हें रास्ता दिखाया और वह जखना टूंगरी (जंगल का स्थानीय नाम) गया । रात होने के कारण अपीलार्थी शव नहीं ढूंढ सका । अगले दिन प्रातःकाल अपीलार्थी ने शव दिखाया । लड़की के शव पर वस्त्र नहीं थे और उसके गुप्तांगों पर चीटियां मौजूद थीं । यह देखकर संदेह के आधार पर अपीलार्थी से इस संबंध में पूछताछ की गई । अपीलार्थी ने उनके समक्ष स्वीकार किया कि उसने लड़की के साथ बलात्संग किया था और उसकी हत्या की थी । इत्तिलाकर्ता ने इसी संबंध में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और अपीलार्थी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया तथा इसके पश्चात् अन्वेषण किया गया । तद्नुसार, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और विचारण की कार्यवाही आरंभ की गई ।

4. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन करने पर विचारण न्यायालय

ने यह निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 364/376(2)(च)/302 के अधीन अपराध कारित करने के युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध हो गया है और अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376(2)(च)/302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया साथ ही दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए 7 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय को चुनौती दी है ।

5. इस न्यायालय ने साक्षियों के अभिसाक्ष्यों पर विचार किया है और परिशीलन के पश्चात् यह स्पष्ट हुआ है कि मृतका की माता (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वर्ष 2004 में गणेश पूजा के एक दिन पूर्व उसकी पुत्री अंजली लोहार, आयु लगभग 4 वर्ष, जब अपने मकान के सामने खेल रही थी, अपीलार्थी उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर ले गया किन्तु घर वापस नहीं आया । पूछताछ किए जाने पर अपीलार्थी ने उसकी पुत्री के पते-ठिकाने के बारे में नहीं बताया । तत्पश्चात्, इस साक्षी को यह पता चला कि उसकी पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्संग किया गया है और उसकी हत्या की गई है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उन्हीं बातों की पुष्टि की है जो उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताई है । अभि. सा. 1 इत्तिलाकर्ता है जो मृतका अंजली लोहार का पिता है, इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसकी पत्नी ने उसे अंजली के लापता होने के बारे में बताया था, तब उसने उसे ढूंढना आरंभ कर दिया था किन्तु वह उसका पता नहीं लगा सका । सायंकाल, अपीलार्थी मोटरसाइकिल से वापस आया और जब इत्तिलाकर्ता ने अपनी पुत्री के बारे में उससे मालूम किया, तब अपीलार्थी ने कहा कि जब वह शौच के लिए जा रहा था तो उसने उसकी पुत्री को भागते हुए देखा था । किन्तु जब ग्रामवासियों ने अपीलार्थी से इत्तिलाकर्ता की पुत्री के बारे में मालूम किया, तब उसने बताया कि उसने इत्तिलाकर्ता की पुत्री की हत्या कर दी है । इसके पश्चात्, अपीलार्थी के बताने पर मृतका का शव नग्नावस्था में पाया गया और उसके गुप्तांगों पर चीटियां पाई गईं । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने यह संस्वीकृत किया कि उसने बलात्संग कारित किया है और उसके पश्चात् मृतका की हत्या की है । मृतका के पिता अर्थात् इत्तिलाकर्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्हीं बातों की पुष्टि की है जो उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताई हैं । अभि. सा. 2 इत्तिलाकर्ता के ग्राम का ही रहने वाला है और इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे उसके पिता अर्थात् अभि. सा. 1 द्वारा बलात्संग और हत्या की घटना के संबंध में बताया गया था ।

अभि. सा. 3 स्थानीय ग्रामवासी है और यह साक्षी अपीलार्थी के साथ उस स्थान तक गया था जहां से अपीलार्थी ने मृतका का शव तलाश करके बरामद कराया था । अभि. सा. 5 भी स्थानीय ग्रामवासी है और यह साक्षी भी अंजली लोहार अर्थात तेलीचंद लोहार की पुत्री को जानती थी । इस साक्षी ने इस तथ्य की संपुष्टि की है कि अपीलार्थी साइकिल से अंजली लोहार को ले जा रहा था । अभि. सा. 6 भी स्थानीय ग्रामवासी है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपीलार्थी को जखना टूंगरी (जंगल का स्थानीय नाम) की ओर से साइकिल से वापस आते हुए देखा था किन्तु अपीलार्थी अकेला वापस आ रहा था । अभि. सा. 7 चिकित्सा अधिकारी है जिसने मृतका का शवपरीक्षण किया है और निम्न क्षतियां पाई हैं :–

(i) हनु के निचले भाग में 1 इंच × 3/4 इंच माप की रगड़ ।

(ii) ग्रीवा के मध्य में अग्र भाग पर 3/4 इंच × 3/4 इंच माप की रगड़ ।

(iii) अधोहनु के बाएं कोण पर 1/4 इंच × 1/10 इंच माप की रगड़ जिसकी आकृति अर्ध-चन्द्रमा जैसी है ।

(iv) ग्रीवा के पूर्ण अग्रभाग में त्वचा में रक्तस्राव (नीलांछन) है, विच्छेदन करने पर मांसपेशियों और रक्तवाहिनियों में अवमन्दन है । कंठिकास्थि ठीक दशा में है ।

(v) अग्र और पश्चीय योनिक भित्तियों में खरोंच है, योनिच्छद विदीर्ण है, रक्त का थक्का मौजूद है । योनिक कपाट अत्यधिक सिकुड़े हुए हैं और लाल रंग की खरोंचें मौजूद हैं ।

सभी क्षतियां मृत्यु-पूर्व की पाई गईं हैं । मृत्यु का कारण गला दबाकर किया गया श्वासावरोध है । शवपरीक्षण किए जाने के 12 से 14 घंटे पूर्व मृत्यु हुई है । प्रदर्श 2 शवपरीक्षण रिपोर्ट है और प्रदर्श 2/1 चिकित्साधिकारी (अभि. सा. 7) के हस्ताक्षर हैं ।

यह पूछने पर कि आहत की योनि में पाई गई क्षति से बलात्संग किया जाना उपदर्शित होता है या नहीं, इस पर चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 7) ने सकारात्मक उत्तर दिया है । प्रदर्श 3 इस संबंध में दी गई रिपोर्ट है और प्रदर्श 3/1 चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं ।

अभि. सा. 8 कलुंगा पुलिस चौकी का पुलिस कांस्टेबल है जो अभिग्रहण कार्यवाही का साक्षी है । अभि. सा. 9 राउरकेला सरकारी

अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी है जिसने अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा की थी और यह निष्कर्ष निकाला था कि अपीलार्थी मैथुन के लिए सक्षम है । शिश्न मल नहीं पाया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में मैथुन किया गया है ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन दिए गए कथन में अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया है ।

अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 तथा अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 10) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतका का शव जखना टूंगरी से बरामद किया गया था और यह वह स्थान था जिसका पता अपीलार्थी द्वारा बताया गया था । अभि. सा. 5 के कथन से यह स्पष्ट है कि उसने आहत कन्या को अपीलार्थी के साथ साइकिल पर जखना टूंगरी की ओर जाते देखा था किन्तु अभि. सा. 6 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब अपीलार्थी वापस आ रहा था तब वह अकेला था । मृतका की माता अंजली लोहार (अभि. सा. 4) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी उसकी पुत्री को साइकिल से ले गया किन्तु उसके पश्चात् उसकी पुत्री कभी भी वापस नहीं आई । इन अभिसाक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है किन्तु यह मामला अन्तिम बार देखे जाने के आधार पर की गई बरामदगी से संबंधित है ।

7. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि यह ऐसा मामला है जिसमें कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो गया है जबकि अपर स्थायी काउंसेल ने अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों का खण्डन करते हुए यह निवेदन किया है कि यह पारिस्थितिक साक्ष्य और न्यायेतर संस्वीकृति कथन का मामला है जिसके आधार पर बरामदगी की गई है, इसीलिए विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 में अन्तर्विष्ट उपबंध पर विचार करते हुए ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित हो गया है और इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।

8. इस सुस्थापित प्रतिपादना पर कोई विवाद नहीं है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन धारा 25 से 26 अपवाद हैं जिनके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए की गई संस्वीकृति को तब तक सबूत नहीं माना जा सकता जब तक कि वह संस्वीकृति किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तत्काल न की जाए । धारा 27 के अधीन यह अनुज्ञात है कि

पुलिस के समक्ष दिए गए अभियुक्त के कथन का वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आएगा या नहीं जिसका संबंध स्पष्ट रूप से उस तथ्य के साथ होता है जो प्रकट हुआ है, साबित किया जाना चाहिए । इस प्रकार, पुलिस के समक्ष दिया गया ऐसा संस्वीकृति कथन जिसका संबंध स्पष्ट रूप से ऐसे तथ्य के प्रकटीकरण से होता है जिसे धारा 27 के अधीन साबित किया जा सके, केवल वही भाग जिसका संबंध विशेष रूप से प्रकटीकरण के साथ होता है साक्ष्य में ग्राह्य होगा ।

धारा 27 के लागू किए जाने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं, अर्थात् (i) सूचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई तथ्य प्रकट होता हो और (ii) ऐसी सूचना का संबंध विशेष रूप से प्रकट हुए तथ्य के साथ होना चाहिए ।

अब विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत बन गया है कि अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बरामदगी ग्राह्य है । यह भी सुस्थापित है कि न्यायालय को कथन के अग्राह्य भाग पर विचार नहीं करना चाहिए और केवल उसके साक्ष्य के उसी भाग पर विचार करना चाहिए जिसका संबंध स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में की गई बरामदगी से होता है । यह भी सुस्थापित है कि इस संबंध में तथ्य के प्रकटीकरण के अन्तर्गत वस्तुओं की बरामदगी, स्थान जहां से वस्तुएं बरामद की गईं हैं और अभियुक्त को उन वस्तु और उस स्थान की जानकारी जैसे तथ्य आते हैं । विधि की इस सुस्थापित प्रतिपादना को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **इयराभदरप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले के पैरा 7 में और **निसार खां** उर्फ **गुड्डू** बनाम **उत्तरांचल राज्य**[2] वाले मामले के पैरा 6 से 8 में व्यक्त किया गया है ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **महबूब अली और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] वाले मामले में निर्णय दिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में उल्लिखित सिद्धांत पश्चात्वर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है । यह सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है कि यदि किसी बन्दी से प्राप्त सूचना के आधार पर तलाशी के दौरान तथ्य प्रकट होता है तब ऐसा प्रकटीकरण यह गारंटी देता है कि बन्दी द्वारा दी गई सूचना

[1] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 446.
[2] (2006) 9 एस. सी. सी. 386.
[3] (2015) 9 जे. टी. 512 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6123.

सत्य है । यह सूचना प्रायश्चित अनाभिशंसी प्रकृति की हो सकती है किन्तु जैसे ही इससे तथ्य प्रकट होता है, यह विश्वसनीय सूचना बन जाती है । इस प्रकार, विधान-मण्डल ने ऐसी सूचना के केवल ग्राह्य भाग को ही स्वीकार किए जाने के लिए अनुज्ञात किया है ।

9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की व्यापकता और इस अपील में के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि मृतका अंजली लोहार को अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा अपीलार्थी के साथ अन्तिम बार देखा गया था और इस बात की पुष्टि अभि. सा. 6 के साक्ष्य से होती है जिसने यह कथन किया है कि जब अपीलार्थी वापस आ रहा था तब वह अकेला था । अपीलार्थी ने अपना दोष संस्वीकृत किया है और उसने उस स्थान का पता भी बताया है जहां से उसके कथनानुसार शव बरामद किया गया था । यह मामला अन्तिम बार देखे जाने और संस्वीकृत कथन के आधार पर शव बरामद किए जाने जैसे साक्ष्य का मामला है । इसलिए, विचारण न्यायालय ने इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति सहित विधिक पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो गए हैं ।

10. उपरोक्त बातों को दृष्टिगत करते हुए और हमारी सुविचारित राय के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

रमेश बर्नवाल

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

तारीख 6 सितंबर, 2017

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306, 498क और 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – दहेज मृत्यु – साक्ष्य का मूल्यांकन – दहेज की मांग और भाभी के साथ अवैध संबंधों के कारण आत्महत्या किए जाने का अभिकथन – अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर यातनापूर्ण व्यवहार किए जाने के साक्ष्य का अभाव – अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर ऐसा कृत्य किया गया था जिससे मृतका का आत्महत्या करना संभावित हो और उसके जीवन को घोर खतरा हो, इसलिए साक्ष्य से आत्महत्या या क्रूरता साबित नहीं होती है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

आहत का विवाह अपीलार्थी के साथ हिन्दू विवाह के कृत्य और कर्मो के अनुसार तारीख 8 मई, 1997 को हुआ था । स्कूटर सहित कुछ आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं उक्त विवाह के समय पर दान की गईं थीं । आरंभ में आहत अपने वैवाहिक गृह में सुखद जीवन बिता रही थी किन्तु एक वर्ष पश्चात् उसने यह महसूस किया कि उसके पति के उसकी जेठानी के साथ अवैध संबंध हैं । यह भी अभिकथन किया गया है कि विवाह के पश्चात् आहत के साथ दहेज की मांग को लेकर दुर्व्यवहार किया गया । आहत ने अपने माता-पिता को अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया । उसके माता-पिता ने हस्तक्षेप किया और आपसी समझौते के लिए प्रयास किए, फिर भी उसके साथ निरन्तर ऐसा ही व्यवहार होता रहा । तारीख 7 नवंबर, 2002 को अभियुक्त ने अभिकथित रूप से यह घोषित किया कि यदि आहत की मृत्यु हो जाती है तब वह चार महिलाओं से विवाह करेगा । जब वास्तविक शिकायतकर्ता आहत के वैवाहिक गृह से वापस आ रहा था उसने अचानक सुना 'बचाओ-बचाओ' और उसने अपनी पुत्री को जलते हुए देखा । उसने आग बुझाई किन्तु इसी दौरान आहत की

मृत्यु हो गई । इस तथ्य का उल्लेख करते हुए वास्तविक शिकायतकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और कानूनी कार्यवाही की । अभियुक्त-अपीलार्थी का सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किया गया जिसमें उसे दंड संहिता की धारा 498क/304ख के अधीन अपराध का दोषी पाया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य का सार और सारांश है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का परिशीलन करने पर मेरा यह निष्कर्ष है कि दंड संहिता की धारा 498क का कोई भी संघटक पूरा नहीं होता है । साक्ष्य का परिशीलन करने पर अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि जानबूझकर ऐसा कृत्य किया गया था जिससे किसी महिला का आत्महत्या करना संभव हो और उसके जीवन को घोर खतरा हो या उस महिला से संपत्ति की कोई विधिविरुद्ध मांग करने के लिए उसे तंग किया गया हो । यह दुर्भाग्य की बात है कि पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है । उसने आत्महत्या की है और साक्ष्य से यह साबित नहीं हो सका है कि उसने आत्महत्या क्यों की । दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 107 के संघटकों को साबित करने के लिए बाध्य है । दुष्प्रेरण, उकसाहट या उत्तेजना का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है । अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करना चाहता था कि आत्महत्या पक्षकारों के बीच अनैतिक संबंधों के कारण की गई है । किन्तु साक्ष्य में यह मौजूद है कि विवाह के पूर्व स्वयं आहत और उसका पति दोनों ही बड़े भाई और भाभी के साथ साझे में रहते थे । किन्तु विवाह के एक वर्ष पश्चात् संपत्ति का पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया गया । परिणामस्वरूप, आहत, अभियुक्त-अपीलार्थी और सास-श्वसुर संपत्ति के अपने हिस्से में एकसाथ रह रहे थे और अभियुक्त-अपीलार्थी का बड़ा भाई और भाभी अपने हिस्से में अलग रह रहे थे । संयुक्त रूप से चलने वाला खाना-पीना भी विभाजित हो गया और यह अभिकथित विवाह के एक वर्ष के भीतर ही हो गया । किन्तु अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि विवाह के दो वर्ष के पश्चात् विवाद शरू हुआ था । अतः, यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभिकथित अवैध संबंधों को सिद्ध करने में असफल रहा है । उस मोहल्ले से कोई भी व्यक्ति यह कहने का साहस नहीं कर सका कि उनके बीच कभी अवैध संबंध थे । इतना ही नहीं आहत के सास-श्वसुर आहत और अभियुक्त के साथ रहते थे

और उनका खाना-पीना भी साथ-साथ था । आहत की मृत्यु के पूर्व भी अपीलार्थी और आहत के माता-पिता के बीच सौहार्द संबंध थे । वे एक दूसरे के घर बारी-बारी आते-जाते रहते थे । इसके अतिरिक्त, वे आहत की मृत्यु के ठीक एक मास पूर्व राधेश्याम आश्रम देखने आगरा भी गए । (पैरा 11 और 12)

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने में इस न्यायालय का ठीक प्रकार समाधान करने में निराशाजनक रूप से असफल रहा है । (पैरा 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 447.

2007 के सेशन विचारण मामला सं. 12 में विशेष न्यायालय-सह-अपर सेशन न्यायाधीश, दुर्गापुर द्वारा तारीख 23 जून, 2015 और 24 जून, 2015 के निर्णय और दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री शेखर बासु (ज्येष्ठ अधिवक्ता) और अमितवा नायक

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री एस. जी. मुखर्जी, पी. पी. अभ्रा मुखर्जी और दीपांकर महाटा

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय – अपीलार्थी ने 2007 के सेशन विचारण मामला सं. 12 में विशेष न्यायालय-सह-अपर सेशन न्यायाधीश, दुर्गापुर द्वारा तारीख 23 जून, 2015 और 24 जून, 2015 के निर्णय और दोषसिद्धि को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय समुचित दृष्टिकोण अपनाते हुए, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा है ।

2. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया है और तर्कसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

3. प्रभावी न्याय-निर्णयन के हित में सतथ्य रूपरेखा पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक है । अभियोजन पक्षकथन, जैसा कि उल्लेख किया

गया है, इस प्रकार है कि आहत का विवाह अपीलार्थी के साथ हिन्दू विवाह के कृत्य और कर्मों के अनुसार तारीख 8 मई, 1997 को हुआ था । स्कूटर सहित कुछ आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं उक्त विवाह के समय पर दान की गईं थीं । आरंभ में आहत अपने वैवाहिक गृह में सुखद जीवन बिता रही थी किन्तु एक वर्ष पश्चात् उसने यह महसूस किया कि उसके पति के उसकी जेठानी के साथ अवैध संबंध हैं । यह भी अभिकथन किया गया है कि विवाह के पश्चात् आहत के साथ दहेज की मांग को लेकर दुर्व्यवहार किया गया । आहत ने अपने माता-पिता को अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया । उसके माता-पिता ने हस्तक्षेप किया और आपसी समझौते के लिए प्रयास किए, फिर भी उसके साथ निरन्तर ऐसा ही व्यवहार होता रहा । तारीख 7 नवंबर, 2002 को अभियुक्त ने अभिकथित रूप से यह घोषित किया कि यदि आहत की मृत्यु हो जाती है तब वह चार महिलाओं से विवाह करेगा । जब वास्तविक शिकायतकर्ता आहत के वैवाहिक गृह से वापस आ रहा था उसने अचानक सुना 'बचाओ-बचाओ' और उसने अपनी पुत्री को जलते हुए देखा । उसने आग बुझाई किन्तु इसी दौरान आहत की मृत्यु हो गई । इस तथ्य का उल्लेख करते हुए वास्तविक शिकायतकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और कानूनी कार्यवाही की ।

4. जैसा कि मुझे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान दिए गए कथन और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन से प्रतीत होता है, अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्दोष होने का अभिवाक् किया है और यह भी कहा है कि उसे इस मामले में मिथ्या आलिप्त किया गया है । आरोप पत्र का परिशीलन करने पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 498क/304ख के अधीन आरोप विरचित किए । अब किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करना होगा ।

5. अभि. सा. 1 आहत का पिता है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहकर कुछ बातें साबित की हैं कि अभियुक्त ने मुझसे 50,000/- रुपए की मांग की थी किन्तु इस बात का उल्लेख प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं किया गया है न ही अन्य किसी साक्षी ने ऐसा कथन किया है । इस साक्षी की मुख्य परीक्षा में उसने औपचारिक (रूढ़िगत) अभिकथन किए हैं और इसके पश्चात् यह कथन किया है कि आहत ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी के भाभी के साथ अवैध संबंध थे ।

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह कहते हुए स्वीकार किया है कि मेरा दामाद मेरे घर आया करता था और हम भी उनके घर विवाह के पश्चात् जाया करते थे । इससे यह उपदर्शित होता है कि विवाह के एक वर्ष बाद भी, अर्थात् जब आहत ने अभि. सा. 1 को अपने पति के अवैध संबंधों के बारे में बताया था, दोनों परिवारों के बीच सौहार्द संबंध थे । इस साक्षी ने यह कहकर स्थिति स्पष्ट की है कि विवाह के पूर्व अभियुक्त-अपीलार्थी और उसके भाई का खाना-पीना संयुक्त रूप से चल रहा था किन्तु विवाह के पश्चात् दोनों के बीच व्यापार और स्थावर संपत्ति का विभाजन हो गया था और आहत तथा अपीलार्थी पृथक् रूप से रहने लगे थे । इतना ही नहीं इस साक्षी ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि आहत के सास-श्वसुर अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ रहते थे । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने इस बात की पुष्टि की है कि शिकायतकर्ता, आहत और अभियुक्त 'राधेश्याम आश्रम' के अनुयायी थे जिसका मुख्यालय दयालबाग आश्रम, आगरा में है । तारीख 25 अक्तूबर, 2002 को शिकायतकर्ता, दामाद और आहत आगरा वापस आए । इससे यह भी उपदर्शित होता है कि आहत की मृत्यु के ठीक पूर्व पक्षकारों के बीच अच्छे संबंध चल रहे थे अन्यथा अभियुक्त, आहत और वास्तविक शिकायतकर्ता एक साथ आगरा नहीं आते । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के पूर्व उसने दयालबाग आश्रम को एक शिकायत लिखकर भेजी थी कि रमेश ने आहत को डंडा मारा है और बेहोश हो गई । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त शिकायत में उसने यह उल्लेख किया था कि रमेश (अपीलार्थी) उसकी छाती पर बैठ गया और उसका मुंह बंद किया, गला दबाया और इसके पश्चात् श्वासावरोध के कारण आहत की मृत्यु हो गई । इसके पश्चात् उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने आहत पर मिट्टी का तेल उंड़ेला और आग लगा दी । इस तथ्य के बारे में दयालबाग आश्रम को बताया गया किन्तु इसका उल्लेख प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं किया गया है । बल्कि इस साक्षी ने सुस्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया है कि यह मृत्यु गला घोंटने से हुई है और इसके पश्चात् आहत को जलाया गया है । शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक ने आहत के शव के संबंध में ऐसा नहीं कहा है । बल्कि चिकित्सक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह मृत्यु दाह क्षतियों के कारण हुई है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा मुख्य परीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने आहत के चिल्लाने की आवाज 'बचाओ-बचाओ' सुनी थी और दरवाजा खोलने के पश्चात् उसने मृतका को

आग में जलते हुए पाया । किन्तु इस साक्षी द्वारा दयालबाग आश्रम के समक्ष की गई प्रथम शिकायत में पूर्णतया भिन्न उल्लेख है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है, "मैंने स्वयं इस घटना को नहीं देखा है" । यदि ऐसा है तो यह साक्षी ऐसा कैसे कह सकता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी आहत का गला घोंटकर हत्या करने के लिए उसकी छाती पर बैठा था और इसके पश्चात् अभियुक्त ने आहत को आग में जलाया । प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा पूछे जाने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसको उसकी पुत्री और अभियुक्त के बीच दाम्पत्य संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । इस साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने पर मुझे यह प्रतीत होता है कि यह विश्वसनीय साक्षी नहीं है ।

6. वास्तविक शिकायतकर्ता का एक अन्य दामाद अभि. सा. 2 है जिसने यह कथन किया है कि आहत के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जाता था और उसे समुचित भोजन भी नहीं दिया जाता था और यह कि उसे ऐसी यातना के बारे में अभियुक्त से ही पता चला था । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से उसे यह बताया था कि समुचित दहेज नहीं दिया गया था और उसको शारीरिक यातना दी गई थी । आहत की मृत्यु के संबंध में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उस दिन आहत के बड़े भाई से उसे यह जानकारी मिली थी कि अभियुक्त ने आहत को थप्पड़ मारा है और इसके पश्चात् वह उसकी छाती पर बैठ गया और अभियुक्त ने उसका गला दबाया । इसके पश्चात् अभियुक्त ने आहत के शरीर पर मिट्टी का तेल उंड़ेल दिया । अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्षी यह नहीं बता सका कि उसने इससे पहले पुलिस को दिए गए अपने कथन में यह बताया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने आहत के साथ मारपीट की थी और आहत ने उन्हें अपने घर में मौजूद रहने के लिए क्यों कहा । इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया कि अभियुक्त ने आभूषण गिरवी रखकर 25,000/- रुपए का ऋण लिया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी यह कथन किया है कि विवाह के समय एक लगन पत्र तैयार किया गया था जिसमें दहेज के रूप में दिए जाने वाले सामान की सूची थी । किन्तु इस लगन पत्र के संबंध में अन्य किसी के साक्षी द्वारा कथन नहीं किया गया है और न ही इस साक्षी ने उक्त लगन पत्र को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

7. अभि. सा. 3 वास्तविक शिकायतकर्ता का भतीजा है । इस साक्षी ने मात्र यह कथन किया है कि विवाह के दो वर्ष पश्चात् आहत ने उसे

फोन पर यह बताया था कि उसके साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जाता है और मारपीट की जाती है । अपनी मुख्य परीक्षा में, इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी के बड़े भाई और भाभी के साथ आहत के संबंध अच्छे नहीं थे किन्तु उसने यह कभी नहीं कहा है कि अभियुक्त-अपीलार्थी की भाभी के साथ अभिकथित अवैध संबंधों के कारण यह विवाद हुआ था । अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी मौजूदगी में कोई भी लगन पत्र तैयार नहीं किया गया था । इस साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसके पति की भाभी के साथ आहत के संबंध अच्छे नहीं थे ।

8. अभि. सा. 4 आहत की माता है । अपने साक्ष्य में इस साक्षी ने यह उल्लेख किया है कि आहत के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जाता था और उसके साथ गाली-गलौज भी की जाती थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि आहत ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ उसकी भाभी के अवैध संबंध हैं ।

9. अभि. सा. 5 आहत का भाई है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त की भाभी के साथ उसके अभिकथित अवैध संबंधों को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था । यह साक्षी अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह नहीं बता सका कि उसे पहली बार यह जानकारी कब मिली थी कि अभियुक्त की भाभी के साथ उसके अवैध संबंध हैं । यह साक्षी यह भी नहीं बता सका कि इन संबंधों के बारे में उसे किस वर्ष में जानकारी मिली थी ।

10. अभि. सा. 6 ने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साबित की है । अभि. सा. 7 शवपरीक्षण करने वाला शल्य चिकित्सक है जिसने यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु दाह क्षतियों के कारण हुई है । अभि. सा. 8 अन्वेषण अधिकारी है । अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने अन्वेषण से संबंधित हर बात का वर्णन किया है । इस साक्षी ने अपनी परीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि किसी भी साक्षी ने उसे तारीख 7 नवंबर, 2002 के पूर्व दहेज को लेकर आहत पर किए जाने वाले अत्याचार के बारे में नहीं बताया था और इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान उसके समक्ष ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया गया कि आहत ने दुष्प्रेरण के कारण आत्महत्या की है । इस साक्षी ने यह भी उल्लेख किया है कि महेन्द्र बर्नवाल ने दहेज को लेकर किसी भी अत्याचार का अभिकथन नहीं किया है । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि महेन्द्र ने उसे यह नहीं बताया था कि आहत के पुत्र अर्थात् सचिन ने

उसे यह बताया था कि उसके माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था ।

11. यह अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य का सार और सारांश है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का परिशीलन करने पर मेरा यह निष्कर्ष है कि दंड संहिता की धारा 498क का कोई भी संघटक पूरा नहीं होता है । दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध गठित करने के लिए अभियोजन पक्ष को इस स्पष्टीकरण का समाधान करना होगा :–

> स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –
>
> "(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है ; या (ख) किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।"

12. साक्ष्य का परिशीलन करने पर अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि जानबूझकर ऐसा कृत्य किया गया था जिससे किसी महिला का आत्महत्या करना संभव हो और उसके जीवन को घोर खतरा हो या उस महिला से संपत्ति की कोई विधिविरुद्ध मांग करने के लिए उसे तंग किया गया हो । यह दुर्भाग्य की बात है कि पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है । उसने आत्महत्या की है और साक्ष्य से यह साबित नहीं हो सका है कि उसने आत्महत्या क्यों की । दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 107 के संघटकों को साबित करने के लिए बाध्य है । दुष्प्रेरण, उकसाहट या उत्तेजना का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है । अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करना चाहता था कि आत्महत्या पक्षकारों के बीच अनैतिक संबंधों के कारण की गई है । किन्तु साक्ष्य में यह मौजूद है कि विवाह के पूर्व स्वयं आहत और उसका पति दोनों ही बड़े भाई और भाभी के साथ साझे में रहते थे । किन्तु विवाह के एक वर्ष पश्चात् संपत्ति का पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया गया । परिणामस्वरूप, आहत, अभियुक्त-अपीलार्थी और

सास-श्वसुर संपत्ति के अपने हिस्से में एक साथ रह रहे थे और अभियुक्त-अपीलार्थी का बड़ा भाई और भाभी अपने हिस्से में अलग रह रहे थे । संयुक्त रूप से चलने वाला खाना-पीना भी विभाजित हो गया और यह अभिकथित विवाह के एक वर्ष के भीतर ही हो गया । किन्तु अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि विवाह के दो वर्ष के पश्चात् विवाद शुरु हुआ था । अतः, यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभिकथित अवैध संबंधों को सिद्ध करने में असफल रहा है । उस मोहल्ले से कोई भी व्यक्ति यह कहने का साहस नहीं कर सका कि उनके बीच कभी अवैध संबंध थे । इतना ही नहीं आहत के सास-श्वसुर आहत और अभियुक्त के साथ रहते थे और उनका खाना-पीना भी साथ-साथ था । आहत की मृत्यु के पूर्व भी अपीलार्थी और आहत के माता-पिता के बीच सौहार्द संबंध थे । वे एक दूसरे के घर बारी-बारी आते-जाते रहते थे । इसके अतिरिक्त, वे आहत की मृत्यु के ठीक एक मास पूर्व राधेश्याम आश्रम देखने आगरा भी गए ।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, मेरा यह मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने में इस न्यायालय का ठीक प्रकार समाधान करने में निराशाजनक रूप से असफल रहा है ।

14. तद्नुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी एतद्द्वारा दोषमुक्त किया जाता है । विशेष न्यायाधीश-सह-अपर सेशन न्यायाधीश, दुर्गापुर द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी जेल में है । उसे तत्काल छोड़ा जाए ।

15. इस आदेश की एक प्रति इस निदेश के साथ विद्वान् विचारण न्यायालय को भेजी जाए कि वे सुधार प्राधिकरण को सूचित करें कि अपीलार्थी को तत्काल छोड़ दिया जाए ।

16. इस आदेश की एक प्रति निचले न्यायालय का अभिलेख निचले विद्वान् न्यायालय को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्काल भेजा जाए ।

17. इस आदेश की तत्काल प्रमाणित फोटोकापी, यदि आवेदन की गई है, सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् दे दी जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

भरत दास

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 6 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति प्रीतिनकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राम प्रसन्न शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 120ख और 404 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 8] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा अपने ससुर (मृतक) को अपने साथ ले जाना और उसके सोने के कुंडल तथा नकदी चुराने के हेतु के साथ उसे शराब में विष (सल्फास) मिलाकर पिलाना – मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखे जाने, मृतक की मृत्यु के संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण न देने, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से मृतक को विष देने की संपुष्टि होने, अभियुक्त के बताने पर एक विनिर्दिष्ट स्थान से मृतक की वस्तुओं की बरामदी और अभियुक्त की पत्नी और पुत्र सहित अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य तथा मामले की परिस्थितियों से यह सिद्ध होने पर कि अभियुक्त ने ही मृतक की हत्या की थी, उसकी दोषसिद्ध और दंडादेश में हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि कि बिहारी दास (मृतक) घटना की तारीख अर्थात् 8 सितम्बर, 2009 से लगभग एक सप्ताह पूर्व अपनी पेंशन की रकम लेने के लिए ग्राम हीरापुर गया था और पेंशन लेने के पश्चात् वह अपने पुत्र मोहन के घर गया, जहां वह लगभग 3-4 दिन ठहरा और उसके पश्चात् ग्राम बहुनवागांव स्थित अपनी पुत्री चम्पा देवी (अभि. सा. 8) के घर गया । जब बिहारी दास चम्पा देवी के घर ठहरा हुआ था, तब मृतक के पुत्र जगमोहन (अभि. सा. 2) ने एक टेलीफोन किया और बिहारी दास से बातचीत की और बिहारी दास ने उसे सूचित किया कि वह एक या दो दिन के पश्चात् वापस आएगा । तथापि, जब बिहारी दास लगभग तीन दिन तक नहीं लौटा, तो उक्त जगमोहन ने पुनः टेलीफोन पर अपनी बहिन और जीजा से बात की और उन्होंने उसे सूचित किया कि उक्त बिहारी दास पहले ही यहां से अपने घर चला गया है । उसके पश्चात् मृतक की तलाश की गई, किंतु उसके ठिकाने का पता नहीं लगाया जा

सका और इसलिए जगमोहन द्वारा एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई । इसी बीच, तारीख 9 सितंबर, 2009 को एक बांध के निकट एक पुरुष का अज्ञात शव बरामद हुआ । शव की मृत्युसमीक्षा की गई और उसके फोटो लिए गए । शव मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया, किंतु मरणोत्तर परीक्षा में मृत्यु का कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका, इसलिए विसरा को रासायनिक परीक्षण के लिए परिरक्षित किया गया । विसरा का रासायनिक रूप से परीक्षण किया गया और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट में यह सूचित किया कि परीक्षण के लिए भेजी गई अंतर्वस्तुओं में एल्युमिनियम फास्फाइड विष (सल्फास) पाया गया था । जगमोहन द्वारा दर्ज कराई गई मृतक की गुमशुदगी रिपोर्ट के अन्वेषण के अनुक्रम में अभियुक्त/अपीलार्थी से संदेह के आधार पर परिप्रश्न किए गए । अभियुक्त/अपीलार्थी का प्रकटन कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने यह प्रकटन किया कि तारीख 8 सितंबर, 2009 को जब वह सह-अभियुक्त पीताम्बर के साथ मृतक को गांव बधुली छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में उन्होंने बल्लार होटल, बेमेतरा के निकट स्थित औषधि की दुकान से सल्फास खरीदा और फिर उन्होंने ग्राम बीरसिंघी से देशी शराब, डिस्पोजेबल गिलास और हल्का नाश्ता खरीदा । वे शराब पीने के लिए बीरसिंघी खार डाबड़ी के निकट बैठ गए, जहां उसने मृतक की शराब में नाशकजीवमार (सल्फास) मिलाया और मृतक की विष-युक्त शराब पीने के पश्चात् मृत्यु हो गई । उसके पश्चात्, उसने मृतक के सोने के आभूषण उतारे और उन्हें एक नकदी-पेटिका में रखने के पश्चात् अपने मकान के एक कोने में दबा दिया । उसी दिन सह-अभियुक्त पीताम्बर का कथन भी अभिलिखित किया गया, जिसके आधार पर सोने के आभूषण, सल्फास का पैकेट और 2,500/- रुपए की नकदी अभिगृहीत किए गए । पुलिस ने बीरसिंघी खार जंगल से तारीख 9 सितंबर, 2009 को बरामद शव के फोटोग्राफ जगमोहन (अभि. सा. 2) को दिखाए और उसने फोटोग्राफ की शनाख्त अपने पिता बिहारी दास के रूप में की । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । बरामद वस्तुओं की तहसीलदार द्वारा शनाख्त कराई गई और साक्षियों द्वारा भी उनकी शनाख्त की गई कि आभूषण मृतक के हैं । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और विचारण न्यायालय ने मामले में पक्षकारों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त

व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120ख और 404 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई किंतु सह-अभियुक्त द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि सुस्थिर है । जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, तो ऐसे साक्ष्य से अवश्य ही इन तीन कसौटियों का समाधान होना चाहिए : (1) जिन परिस्थितियों से दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, उन्हें तर्कपूर्ण रूप से और मजबूती से सिद्ध किया जाना चाहिए, (2) वे परिस्थितियां निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए, जो अचूक रूप से अभियुक्त की दोषित को इंगित करें, (3) परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर ऐसी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि अवश्य ही ऐसा निष्कर्ष निकले कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यताओं में अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, किसी अन्य द्वारा नहीं । दोषसिद्धि को संधार्य करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य अवश्य ही पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी परिकल्पना का स्पष्टीकरण न दिया जा सकता हो । पारिस्थितिक साक्ष्य न केवल अभियुक्त की दोषिता के संगत होना चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के असंगत भी होना चाहिए । प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त परिस्थितियों को साबित करने के लिए अभिग्रहण ज्ञापनों के अतिरिक्त अभि. सा. 7, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 12 तथा चिकित्सीय साक्ष्य का अवलंब लिया है । विजय वर्मा (अभि. सा. 12), जो एक औषधि की दुकान चला रहा था, के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी और सह-अभियुक्त पीताम्बर ने यह कहते हुए नाशकजीवमार लेने की ईप्सा की थी कि उनके द्वारा इसका उपयोग चना को परिरक्षित रखने के लिए किया जाएगा और तद्नुसार उसने उसे दस रुपए में सल्फास का पैकेट दिया था । यह साक्षी एक स्वतंत्र साक्षी है और अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने का कोई कारण नहीं था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पूर्वोक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में अपराध में फंसाने वाली ऐसी कोई बात सामने नहीं लाई जा सकी, जिससे कि उसका परिसाक्ष्य अविश्वसनीय या अविश्वास्य बन सके । अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके बताने पर हुई सल्फास की बरामदगी के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में, केवल इस बात से इनकार करने के सिवाय, कोई स्पष्टीकरण

नहीं दिया । इस प्रकार, यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्तियों ने सल्फास खरीदा, अभियोजन साक्षी 12 की परीक्षा से साबित हो जाता है । डाक्टर (अभि. सा. 11), जिसने शव-परीक्षा की थी, के अनुसार, मृतक के शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक क्षति नहीं पाई गई थी । जैसा कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से स्पष्ट है, चूंकि मृतक की मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था, इसलिए विसरा परिरक्षित रखा गया था और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि मृतक के विसरा में एल्युमिनियम फास्फाइड (सल्फास) पाया गया था । अतः, यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु विषाक्तिकरण के कारण हुई थी । यह साबित परिस्थिति कि मृतक अंतिम बार अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था, यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के पास मृतक को शराब में विष मिलाकर देने का पर्याप्त अवसर था । जहां तक हेतु का संबंध है, प्रसामान्यतः, प्रत्येक आपराधिक कृत्य के पीछे एक हेतु होता है । तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि जहां अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में असफल रहा हो, वहां अपराधी को दोषसिद्ध न किया जा सकता हो । यह सुविख्यात है कि हेतु सदैव अपराधी के मन में छिपा होता है और अभियोजन पक्ष सदैव हेतु को साबित करने के लिए आबद्धकर नहीं होता है । तथापि, प्रस्तुत मामले में, मृतक के सोने के आभूषण और नकदी गायब पाए गए थे और अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थान से बरामद कराया था । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास हत्या करने का हेतु था । हेतु, मृतक के सोने के आभूषणों और नकदी चुराने का था । उपरोक्त से, इस न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उचित साक्ष्य प्रस्तुत करके उपरोक्त चारों परिस्थितियां सिद्ध की गई हैं और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को बिहारी दास की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध करते हुए अभियोजन साक्ष्य का अवलंब लेकर कोई अवैधता नहीं की है । (पैरा 22, 27, 28 और 29)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 2 एस. सी. सी. 353 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3954 : **विजय कुमार अरोड़ा** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली की राज्य सरकार** ;	23

[2005]	(2005) 3 एस. सी. सी. 114 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1000 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सतीश** ;	23
[1984]	(1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद बिरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	26

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 774.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री यू. के. एस. चंदेल

प्रत्यर्थी की ओर से आदिल मिनहाज, पैनल अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. दिवाकर ने दिया ।

न्या. दिवाकर – इस अपील में 2010 के सेशन विचारण सं. 16 में अपर सेशन न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा तारीख 7 सितम्बर, 2011 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और दंडादेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 302, 120ख और 404 के अधीन दोषसिद्ध तथा उसे क्रमशः आजीवन कठोर कारावास भोगने और 500/- रुपए के जुर्माने, आजीवन कठोर कारावास भोगने और 500/- रुपए के जुर्माने तथा तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 200/- रुपए के जुर्माने से, व्यतिक्रम अनुबंधों सहित, दंडादिष्ट किया गया ।

2. वर्तमान अपील में, मृतक का नाम बिहारी दास है जो इस अपील में अपीलार्थी/अभियुक्त का ससुर था ।

3. विचारण न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को आक्षेपित निर्णय द्वारा दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है, तथापि, केवल वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी ने ही अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है और सह-अभियुक्त पीताम्बर द्वारा, जो अभिरक्षा में है, आज की तारीख तक कोई अपील फाइल नहीं की गई है ।

4. संक्षेप में, अभियोजन का वृत्तांत यह है कि बिहारी दास (मृतक) घटना की तारीख अर्थात् 8 सितंबर, 2009 से लगभग एक सप्ताह पूर्व

अपनी पेंशन की रकम लेने के लिए गांव हीरापुर गया था और पेंशन लेने के पश्चात् वह अपने पुत्र मोहन के घर (प्रदर्श पी-10) गया, जहां वह लगभग 3-4 दिन ठहरा और उसके पश्चात् ग्राम बहुनवागांव स्थित अपनी पुत्री चम्पा देवी (अभि. सा. 8) के घर गया । जब बिहारी दास चम्पा देवी के घर ठहरा हुआ था, तब मृतक के पुत्र जगमोहन (अभि. सा. 2) ने एक टेलीफोन किया और बिहारी दास से बातचीत की और बिहारी दास ने उसे सूचित किया कि वह एक या दो दिन के पश्चात् वापस आएगा । तथापि, जब बिहारी दास लगभग तीन दिनों तक नहीं लौटा, तो उक्त जगमोहन ने पुनः टेलीफोन पर अपनी बहिन और जीजा से बात की और उन्होंने उसे सूचित किया कि उक्त बिहारी दास पहले ही यहां से अपने घर चला गया है । उसके पश्चात् मृतक की तलाश की गई, किंतु उसके ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए जगमोहन (अभि. सा. 2) द्वारा तारीख 22 सितंबर, 2009 को एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई ।

इसी बीच, तारीख 9 सितंबर, 2009 को बंधाखार स्थित बांध के निकट एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ और तद्नुसार ग्राम पोटवार के हीरालाल नामक व्यक्ति के बताने पर एक मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-22) अभिलिखित की गई । प्रदर्श पी-19 द्वारा तारीख 10 सितंबर, 2009 को शव की मृत्युसमीक्षा की गई । प्रदर्श पी-4 द्वारा शव के फोटोग्राफ लिए गए । प्रदर्श पी-21 द्वारा शव मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया, जो प्रदर्श पी. 8 द्वारा डा. ए. एम. श्रीवास्तव (अभि. सा. 11) द्वारा की गई । मरणोत्तर परीक्षा में मृत्यु का कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका, इसलिए विसरा को रासायनिक परीक्षण के लिए परिरक्षित किया गया । विसरा का रासायनिक रूप से परीक्षण किया गया और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-27) में यह सूचित किया कि परीक्षण के लिए भेजी गई अंतर्वस्तुओं में एल्युमिनियम फास्फाइड विष (सल्फास) पाया गया था ।

जगमोहन (अभि. सा. 2) द्वारा दर्ज कराई गई मृतक की गुमशुदगी रिपोर्ट के अन्वेषण के अनुक्रम में अभियुक्त/अपीलार्थी से संदेह के आधार पर परिप्रश्न किए गए । अभियुक्त/अपीलार्थी का प्रकटन कथन तारीख 23 सितंबर, 2009 को प्रदर्श पी-2 द्वारा अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने यह प्रकटन किया कि तारीख 8 सितंबर, 2009 को जब वह सह-अभियुक्त पीताम्बर के साथ मृतक को गांव बधुली छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में

उन्होंने बल्लार होटल, बेमेत्रा के निकट स्थित औषधि की दुकान से सल्फास खरीदा और फिर उन्होंने गांव बीरसिंघी से देशी शराब, डिस्पोजेबल गिलास और हल्का नाश्ता खरीदा । वे शराब पीने के लिए बीरसिंघी खार डाबड़ी के निकट बैठ गए, जहां उसने मृतक की शराब में नाशकजीवमार (सल्फास) मिलाया और मृतक की विष-युक्त शराब पीने के पश्चात् मृत्यु हो गई । उसके पश्चात्, उसने मृतक के सोने के आभूषण उतारे और उन्हें एक नकदी-पेटिका में रखने के पश्चात् अपने मकान के एक कोने में दबा दिया । उसी दिन दो बजे अपराह्न में सह-अभियुक्त पीताम्बर का ज्ञापन (प्रदर्श पी-14) भी अभिलिखित किया गया, जिसके आधार पर सोने के आभूषण, सल्फास का पैकेट और 2,500/-रुपए की नकदी अभिग्रहण ज्ञापन, प्रदर्श पी-15, द्वारा अभिगृहीत किए गए । पुलिस ने बीरसिंघी खार जंगल से तारीख 9 सितंबर, 2009 को बरामद शव के फोटोग्राफ जगमोहन (अभि. सा. 2) को दिखाए और उसने फोटोग्राफ की शनाख्त अपने पिता बिहारी दास के रूप में की । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 328 और 357 के अधीन असंख्यांकित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13) रजिस्ट्रीकृत की गई । तारीख 27 अक्तूबर, 2009 को बरामद वस्तुओं की तहसीलदार (अभि. सा. 15) द्वारा प्रदर्श पी-5 द्वारा शनाख्त कराई गई और अभि. सा. 8, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 13 द्वारा शनाख्त की गई कि आभूषण मृतक के हैं ।

5. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और विचारण न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 302 और 404 के अधीन आरोप विरचित किए । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल 23 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए गए, जिनमें उन्होंने अपनी दोषिता से इनकार किया और निर्दोष होने तथा मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया ।

6. विचारण न्यायालय ने मामले में पक्षकारों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों को आक्षेपित निर्णय द्वारा ऊपर वर्णित रीति में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

7. अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से काउंसेल ने यह दलील दी कि :–

"'अपीलार्थी को एकमात्र रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गईं परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की न होने के कारण हत्या जैसे अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ।

*अभियुक्त/अपीलार्थी के बताने पर अभिकथित रूप से बरामद वस्तुओं की शनाख्त, विधि के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई है क्योंकि शनाख्त करने के समय पुलिस मौजूद थी । यदि, थोड़ी देर के लिए, आभूषणों की बरामदगी की बात को स्वीकार कर लिया जाए, तब भी अपीलार्थी को धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था और अधिक से अधिक उसे मृतक की वस्तुएं चुराने के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता था ।

*अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था क्योंकि अंतिम बार देखने वाले साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के कथन काफी विलंब के पश्चात् अभिलिखित किए गए थे और अभियोजन पक्ष इन साक्षियों के कथनों को अभिलिखित करने में हुए विलंब को स्पष्ट करने में असफल रहा है ।

*अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी हेतु कतई साबित नहीं किया गया है और इसलिए अभियोजन का सम्पूर्ण पक्षकथन धराशायी हो जाता है ।"

8. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि :–

"'अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूरी तरह से विधि के अनुसार है और इसमें ऐसी कोई अवैधता या कमी नहीं है जिससे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो ।

*जिस पैकेट में सल्फास था, वह अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से अभिगृहीत किया गया था और रसायनज्ञ की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-27) के अनुसार विषैला पदार्थ अर्थात् एल्युमिनियम फास्फाइड कीटनाशी (सल्फास) मृतक के विसरा में, जो रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था, पाया गया था ।

*मृतक से संबंधित वस्तुएं अपीलार्थी/अभियुक्त के बताने पर

अभिगृहीत की गई थीं और साक्षियों द्वारा इन वस्तुओं की सम्यक् रूप से शनाख्त की गई थी कि ये वस्तुएं मृतक की हैं । अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि मृतक से संबंधित वस्तुएं उसके कब्जे में कैसे आईं ।

*अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी और पुत्र द्वारा दिया गया 'अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य' पूरी तरह से विश्वसनीय है और उनके कथनों में कोई विरोधाभास नहीं हैं । उनके कथन पूर्णतया स्वाभाविक और विश्वासप्रद हैं ।

*कुछ साक्षियों के कथन अभिलिखित करने में हुए विलंब को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनदेखा किया जाना चाहिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 23 सितंबर, 2009 को ही सम्यक् जांच करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत की गई थी ।"

9. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया ।

10. रामधन सतनामी (अभि. सा. 1) अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-1) और अभियुक्त/अपीलार्थी (की गिरफ्तारी) के ज्ञापन (प्रदर्श पी-2) का साक्षी है । यद्यपि इस साक्षी को अभियोजन पक्षकथन के लिए पक्षद्रोही घोषित किया गया था किंतु लोक अभियोजक द्वारा की प्रतिपरीक्षा में उसने अभियोजन पक्षकथन का सम्यक् रूप से समर्थन किया ।

11. मृतक का पुत्र, जगमोहन सतनामी (अभि. सा. 2) वह व्यक्ति है जिसने तारीख 22 सितंबर, 2009 को मृतक की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी । वह फोटोग्राफ के शनाख्त ज्ञापन (प्रदर्श पी-3) का भी साक्षी है । इस साक्षी के अनुसार, उसका मृतक पिता यह कहकर घर से गया था कि वह अपनी पेंशन लेने के लिए गांव हीरापुर जा रहा है और उसके पश्चात् वह ग्राम बहुनवागांव जाएगा, जहां पर उसकी बहिन (मृतक की पुत्री) अपने परिवार के साथ रहती है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि लगभग आठ दिनों के पश्चात् उसने अपनी बहिन के घर पर टेलीफोन किया जो उसकी बहिन द्वारा सुना गया और उसके पश्चात् उसने अपने पिता से भी बात की थी, जिसने उसे बताया कि वह एक दो दिनों के पश्चात् आएगा । उसने यह अभिकथन किया कि उसके दो दिन पश्चात् इस अपील में अपीलार्थी/अभियुक्त ने उसे टेलीफोन पर सूचित किया कि उसने उसके

पिता को बस में चढ़ा दिया है । तथापि, जब उसने अपने पिता को घर पर नहीं पाया, तो उसने पुनः अभियुक्त/अपीलार्थी से पूछताछ की, जिसने उसे पुनः यह बताया कि उसने उसके पिता को बस में चढ़ा दिया था । तत्पश्चात्, उसने अपने पिता को ढूंढना आरंभ किया और जब उसके ठिकाने का पता नहीं चल सका तो उसने पुलिस थाने में एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई ।

12. जगमोहन (अभि. सा. 2) की पत्नी सरोज बाई बार्ले (अभि. सा. 3) ने अपने पति के इस वृत्तांत का समर्थन किया कि मृतक, अभियुक्त/ अपीलार्थी के घर गया था और उसके पश्चात् वह गुम हो गया ।

13. चितादास (अभि. सा. 4) वस्तुओं के शनाख्त ज्ञापन (प्रदर्श पी-5) का साक्षी है । उसने यह कथन किया कि शनाख्त के समय पुलिस भी मौजूद थी किंतु उसने यह स्पष्ट किया कि संपूर्ण कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जा रही थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह नहीं कहा कि शनाख्त कार्यवाहियों में पुलिस अधिकारी द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था ।

14. कमलेश (अभि. सा. 5) भी आभूषणों के शनाख्त ज्ञापन (प्रदर्श पी-5) की साक्षी है । उसने भी लगभग वैसा ही कथन किया जैसा अभियोजन साक्षी 4 द्वारा किया गया है । इस साक्षी का भी यह कथन है कि आभूषणों की शनाख्त के समय यद्यपि थाना अधिकारी भी मौजूद था, किंतु उसने कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया था ।

15. अमीर चंद सतनामी (अभि. सा. 7) अभियुक्त/अपीलार्थी का अप्राप्तवय पुत्र है । अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी मृतक को अंतिम बार देखने वाले साक्षी के रूप में परीक्षा की गई । इस साक्षी ने यह कथन किया कि पिछले वर्ष भगवान गणेश की प्रतिमा के बहिर्गमन के समय उसका नाना (मृतक) उसके घर आया था और उनके पास चार दिन ठहरा था । उसका नाना तीन सोने के लॉकेट और एक सोने का कुंडल पहने हुए था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसका पिता (अभियुक्त/अपीलार्थी) पीताम्बर (सह-अभियुक्त) के साथ उसके नाना को छोड़ने के लिए गया था, तथापि, उसका पिता उस दिन वापस नहीं आया और अगले दिन आया और उसे बताया कि उसने उसके नाना को छोड़ दिया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात् उसके पिता का व्यवहार बदल गया और वह शांत रहने लगा । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई बात प्रकट नहीं हो सकी, जो इस साक्षी के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय या

अविश्वास्य बनाती हो ।

16. अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी, चंपा बाई (अभि. सा. 8) वस्तुओं (प्रदर्श पी-5) की शनाख्त की साक्षी है । उसने यह कथन किया कि जब उसका पिता उसके घर आया था, वह सोने के आभूषण पहने हुए था । उसने यह कथन किया कि उसका पति उसके पिता को बस अड्डे पर छोड़ने के लिए गया था, किंतु वह उस दिन घर वापस नहीं आया । वह अगले दिन वापस आया और पूछने पर उसने यह बताया कि उसने उसके पिता को घोटिया में छोड़ दिया था । इसके दो या तीन दिनों के पश्चात् उसके भाई जगमोहन ने टेलीफोन किया और उसके पिता के बारे में पूछताछ की और फिर इस साक्षी ने उसे यह बताया कि उसका पति मृतक को छोड़ने के लिए गया था । न्यायालय द्वारा इस साक्षी से अभियुक्त/अपीलार्थी के लौटने के पश्चात् उसके व्यवहार के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में इस साक्षी ने यह उत्तर दिया कि वह शांत रहने लगा था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि वह अपने भाई जगमोहन (अभि. सा. 2) के साथ पुलिस थाने गई थी और अभियुक्त/अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त पीताम्बर पर अपना शक जाहिर करते हुए गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की थी । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में प्रतिरक्षा पक्ष ऐसी कोई बात सामने लाने में समर्थ नहीं रहा, जो उसके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय या अविश्वास्य बनाती हो ।

17. सनत कुमार सतनामी (अभि. सा. 9), ज्ञापन (प्रदर्श पी-2) और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-1) का साक्षी है । यद्यपि इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित किया गया, किंतु उसने पूर्वोक्त दस्तावेज़ों पर किए गए अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं ।

18. मृतक के पुत्र, मोहन सतनामी (अभि. सा. 10) ने प्रदर्श पी-3 द्वारा शव की शनाख्त अपने पिता बिहारी दास के रूप में की थी । वह आभूषणों (प्रदर्श पी-5) के शनाख्त ज्ञापन का भी साक्षी है । उसका कथन भी जगमोहन (अभि. सा. 2) के समान ही है ।

19. डा. ए. एम. श्रीवास्तव (अभि. सा. 11) वह व्यक्ति है जिसने मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी ।

20. विजय वर्मा (अभि. सा. 11) एक दुकानदार है जिसकी दुकान से अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा विषैला पदार्थ सल्फास खरीदा गया था । उसने

यह कथन किया कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त रसायन यह कहते हुए खरीदा गया था कि उनके द्वारा इसका उपयोग चना परिरक्षित करने के लिए किया जाएगा । सुखदेव (अभि. सा. 13) मृतक का एक अन्य पुत्र है । उसका कथन जगमोहन (अभि. सा. 2) के कथन के लगभग तद्‌रूप है । दीपक कुमार सोनी (अभि. सा. 14) वह जौहरी है, जिसे अभिगृहीत वस्तुओं का वजन करने और इनका मूल्यांकन करने के लिए पुलिस द्वारा बुलाया गया था । अशोक कुमार तिवारी (अभि. सा. 15) वह तहसीलदार है जिसने प्रदर्श पी-5 द्वारा अभिगृहीत वस्तुओं की शनाख्त संबंधी कार्यवाहियां की थीं । इस साक्षी ने यह कथन किया कि अभि. सा. 8, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 13 द्वारा सोने के आभूषणों की सम्यक् रूप से शनाख्त की गई थी । रामचरण वर्मा (अभि. सा. 16) वह पटवारी है जिसने स्थल नक्शा (प्रदर्श पी. 12) बनाया था । चन्द्रपाल वर्मा (अभि. सा. 17), कृष्ण कुमार द्विवेदी (अभि. सा. 18) और मोहम्मद जलालुद्दीन खान (अभि. सा. 20) वे पुलिस वाले हैं जिन्होंने या तो मामले के अन्वेषण में सहायता की थी या प्रारंभिक अन्वेषण किया था । बरन सिंह (अभि. सा. 21) और इन्द्रभान सिंह (अभि. सा. 22), सह-अभियुक्त पीताम्बर के ज्ञापन (प्रदर्श पी-14) और उस अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-15) के साक्षी हैं, जिसके द्वारा सह-अभियुक्त पीताम्बर के बताने पर कुंडल और सौ-सौ के पच्चीस करेंसी नोट अभिगृहीत किए गए थे । जे. डी. सिंह (अभि. सा. 23) वह अन्वेषक अधिकारी है, जिसने अभियोजन के पक्षकथन का सम्यक् रूप से समर्थन किया है ।

21. निस्संदेह, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कारित प्रश्नगत अपराध को साबित करते हुए घटना के बारे में कथन करने वाला कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अतः, अभियोजन का पक्षकथन परिस्थितियों अर्थात् अंतिम बार देखे जाने और मृतक के स्वर्ण आभूषणों की बरामदगी के साक्ष्य पर पूर्णतया आधारित है ।

22. पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि सुस्थिर है । जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो तो ऐसे साक्ष्य से अवश्य ही इन तीन कसौटियों का समाधान होना चाहिए : (1) जिन परिस्थितियों से दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, उन्हें तर्कपूर्ण रूप से और मजबूती से सिद्ध किया जाना चाहिए, (2) वे परिस्थितियां निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए, जो अचूक रूप से अभियुक्त की दोषिता को इंगित करें, (3) परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर ऐसी पूर्ण शृंखला

बननी चाहिए कि अवश्य ही ऐसा निष्कर्ष निकले कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यताओं में अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, किसी अन्य द्वारा नहीं । दोषसिद्धि को संधार्य करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य अवश्य ही पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय अन्य किसी परिकल्पना का स्पष्टीकरण न दिया जा सकता हो । पारिस्थितिक साक्ष्य न केवल अभियुक्त की दोषिता के संगत होना चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के असंगत भी होना चाहिए ।

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अब हम साक्ष्य पर विचार करते हैं । अमीर चन्द सतनामी (अभि. सा. 7), जो अभियुक्त/अपीलार्थी का अप्राप्तवय पुत्र है, न्यायालय द्वारा उसका साक्ष्य अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् अभिलिखित किया गया था कि वह सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है और वह उससे किए गए प्रश्नों का युक्तिसंगत उत्तर देने योग्य है । उसने यह कथन किया कि तारीख 8 सितंबर, 2009 को अभियुक्त/अपीलार्थी सह-अभियुक्त के साथ मृतक को छोड़ने के लिए गया था, किंतु वह उस दिन वापस नहीं आया और अगले दिन लौटा और उसे उसके नाना (मृतक) को छोड़ने के बारे में बताया । अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी, चम्पा बाई (अभि. सा. 8) ने भी लगभग इसी प्रकार कथन किया । इस साक्षी के अनुसार, उसके पति (अभियुक्त/अपीलार्थी) ने उसे बताया था कि वह उसके पिता को छोड़ने जाएगा । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि खेत से लौटने के पश्चात् जब उसने अपने पुत्र से अपने पति के ठिकाने के बारे में पूछा, तो उसके पुत्र द्वारा यह बताया गया कि वे अभी तक वापस नहीं आए हैं । इस साक्षी के अनुसार, उसके पुत्र ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी और सह-अभियुक्त पीताम्बर दोनों मृतक को छोड़ने के लिए गए हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी अगले दिन वापस आया और उसने उसे यह बताया कि उसने उसके पिता को घोटिया में छोड़ दिया था । इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने सह-अभियुक्त के साथ-साथ मृतक को बस में चढ़ाने के लिए अपने साथ लिया था और उसके पश्चात् मृतक को, तारीख 9 सितंबर, 2009 को बीरसिंधीखार में स्थित बांध के निकट से उसका शव बरामद होने तक किसी व्यक्ति द्वारा जीवित नहीं देखा गया था । ये साक्षी अभियुक्त/अपीलार्थी के परिवार के सदस्य हैं और प्रश्नगत घटना से पहले इन साक्षियों और अभियुक्त/अपीलार्थी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे और इसलिए उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं

होता है । उनका साक्ष्य प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी अविछिन्न रहा है । इस प्रकार, पूर्वोक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतक को छोड़ने के लिए अपने घर से अपने साथ लिया था और उसके पश्चात् मृतक कभी जीवित नहीं पाया गया । यहां तक कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उससे यह विर्निदिष्ट प्रश्न पूछने पर कि उसे इस बाबत क्या कहना है, यह कहने के सिवाय कि यह बात असत्य है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन में कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया । जब, एक बार अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत लागू हो गया था, तो यह स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर था कि जब वे एक साथ जीवित देखे गए थे, तो उसके पश्चात् मृतक का क्या हुआ ।

यह सत्य है कि चम्पा बाई (अभि. सा. 8) का डायरी कथन मृतक की मृत्यु की तारीख से लगभग एक माह पश्चात् अभिलिखित किया गया था, तथापि, विचारण के दौरान इस साक्षी से न तो यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि उसका डायरी कथन इतने विलंब से क्यों अभिलिखित किया गया था और न ही अन्वेषण अधिकारी से पूर्वोक्त साक्षी का कथन अभिलिखित करने में हुए विलंब के बारे में प्रश्न पूछा गया था और इसलिए अभि. सा. 8 का कथन अभिलिखित करने में हुए विलंब को अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं ठहराया जा सकता है । इस बारे में विधि स्थिर है कि जब तक अन्वेषक अधिकारी से कथनों को अभिलिखित करने में हुए विलंब के बारे में प्रश्न नहीं पूछ लिए जाएं और साक्षियों से इस स्पष्टीकरण की ईप्सा न कर ली जाए कि उनके कथन देरी से क्यों अभिलिखित किए गए थे, उनके कथन स्वयंमेव संदेहास्पद और गढ़े हुए नहीं माने जा सकते । इस दृष्टिकोण के लिए, **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सतीश**[1] और **विजय कुमार अरोड़ा** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार**[2] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों से हमारे मत की पुष्टि होती है ।

24. इसके अतिरिक्त, अभियुक्त/अपीलार्थी पुलिस दल को अपने घर ले गया था और मृतक द्वारा पहने हुए सोने के आभूषणों की बरामदगी कराई थी और मृतक की पत्नी, पुत्र और पुत्री ने सम्यक् रूप से शनाख्त करके ये आभूषण मृतक के बताए । हमने उस रीति की सावधानीपूर्वक

---

[1] (2005) 3 एस. सी. सी. 114 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1000.

[2] (2010) 2 एस. सी. सी. 353 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3954.

परीक्षा की है, जिस रीति में अशोक कुमार तिवारी (अभि. सा. 15) द्वारा आभूषणों की शनाख्त कार्यवाहियां की गई थीं और हमारे पास अभियोजन साक्षियों द्वारा की गई आभूषणों की इस शनाख्त पर कि आभूषण मृतक के थे, संदेह करने का कोई कारण नहीं है ।

स्वीकृततः, वस्तुओं की शनाख्त कार्यवाहियों के समय पुलिस मौजूद थी, किंतु न्यायालय परिसर में, जहां तहसीलदार (अभि. सा. 15) द्वारा वस्तुओं की शनाख्त कार्यवाहियां की जा रही थीं, वहां पुलिस की मात्र मौजूदगी, संपूर्ण शनाख्त कार्यवाहियों को महत्वहीन कहकर, त्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है । शनाख्त परेड से पुलिस को दूर रखने से संबंधित अधिकथित सिद्धांत के दो पहलू हैं: पहला, अभियोजन या अन्वेषक अभिकरण के असम्यक् प्रभाव को शनाख्त करने वाले साक्षियों पर से दूर करना ; दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के उपबंधों का पालन करना, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा शनाख्त परेड कराना प्रतिषिद्ध है । वर्तमान मामले में भी किसी भी साक्षी के परिसाक्ष्य में इस बात का तनिक भी उल्लेख नहीं है कि पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का असम्यक् प्रभाव डाला था या परेड में प्रभावी भाग लिया था । तहसीलदार (अभि. सा. 15), जिसने वस्तुओं की शनाख्त कार्यवाहियां संचालित की थीं, के अनुसार, न्यायालय में पुलिस मौजूद नहीं थी और संपूर्ण कार्यवाही केवल उसके द्वारा ही संचालित की गई थी ।

25. अब इस न्यायालय के विचार के लिए अगला प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या वह अभियुक्त/अपीलार्थी ही था, जिसने शराब में विष मिलाया था और मृतक को पीने के लिए दी और जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कारित की थी या नहीं ?

26. **शरद बिरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने विष देने से हुई मृत्यु के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को सावधानीपूर्वक साक्ष्य की समीक्षा करनी चाहिए और निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों का अवधारण करना चाहिए जिससे कि दोषसिद्धि न्यायोचित कही जा सके :–

(i) विष अभियुक्त के पास उसके कब्जे में था ।

---

[1] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

(ii) मृतक की मृत्यु कथित विष देने से हुई थी ।

(iii) अभियुक्त के पास मृतक को विष देने का अवसर था ।

(iv) मृतक को विष देने के लिए अभियुक्त का स्पष्ट हेतु है ।

27. प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त परिस्थितियों को साबित करने के लिए प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-15 के अभिग्रहण ज्ञापनों के अतिरिक्त अभि. सा. 7, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 12 तथा चिकित्सीय साक्ष्य का अवलंब लिया है । विजय वर्मा (अभि. सा. 12, जो एक औषधि की दुकान चला रहा था, के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी और सह-अभियुक्त पीताम्बर ने यह कहते हुए नाशकजीवमार (कीटनाशक दवा) लेने की ईप्सा की थी कि उनके द्वारा इसका उपयोग चना परिरक्षित रखने के लिए किया जाएगा और तद्नुसार उसने उसे 10/- रुपए में सल्फास का पैकेट दिया था । यह साक्षी एक स्वतंत्र साक्षी है और अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने का कोई कारण नहीं था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पूर्वोक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई बात सामने नहीं लाई जा सकी, जिससे कि उसका परिसाक्ष्य अविश्वसनीय या अविश्वास्य बन सके । अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके बताने पर हुई सल्फास की बरामदगी के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में, इस बात से केवल इनकार करने के सिवाय, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया । इस प्रकार, यह तथ्य कि अभियुक्त-व्यक्तियों ने सल्फास खरीदा, अभियोजन साक्षी 12 की परीक्षा से साबित हो जाता है ।

28. डाक्टर (अभि. सा. 11), जिसने शव-परीक्षा की थी, के अनुसार, मृतक के शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक क्षति नहीं पाई गई थी । जैसा कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) से स्पष्ट है, चूंकि मृतक की मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था, इसलिए विसरा परिरक्षित किया गया था और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-27) से स्पष्ट होता है कि मृतक के विसरा में एल्युमिनियम फास्फाइड (सल्फास) पाया गया था । अतः, यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु विषाक्तिकरण के कारण हुई थी । यह साबित परिस्थिति कि मृतक अंतिम बार अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ जीवित देखा गया था, यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के पास मृतक को शराब में विष मिलाकर देने का

पर्याप्त अवसर था ।

जहां तक हेतु का संबंध है, प्रसामान्यतः, प्रत्येक आपराधिक कृत्य के पीछे एक हेतु होता है । तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि जहां अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में असफल रहा हो, वहां अपराधी को दोषसिद्ध न किया जा सकता हो । यह सुविख्यात है कि हेतु सदैव अपराधी के मन में छिपा होता है और अभियोजन पक्ष सदैव हेतु को साबित करने के लिए आबद्धकर नहीं होता है । तथापि, प्रस्तुत मामले में, मृतक के सोने के आभूषण और नकदी गायब पाए गए थे और अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर उन्हें विनिर्दिष्ट स्थान से बरामद कराया था । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास हत्या करने का हेतु था । हेतु, मृतक के सोने के आभूषणों और नकदी चुराने का था ।

29. उपरोक्त से, हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उचित साक्ष्य प्रस्तुत करके उपरोक्त चारों परिस्थितियां सिद्ध की गई हैं और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को बिहारी दास की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध करते हुए अभियोजन साक्ष्य का अवलंब लेकर कोई अवैधता नहीं की है ।

30. उपरोक्त का संचयी प्रभाव यह है कि परिस्थितियां, जिनसे अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए पूर्णतया सिद्ध हो गई हैं । साबित परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति की हैं और अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषिता के संगत और उसकी निर्दोषिता के असंगत हैं । इसलिए हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

31. परिणामतः, इस अपील में कोई सार नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है तथा एतद्द्वारा खारिज की जाती है । अभियुक्त अपीलार्थी पहले ही कारागार में है, इसलिए उसके अभ्यर्पण आदि के संबंध में अलग से निदेश देने की आवश्यकता नहीं है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

जीत सिंह

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

तारीख 15 नवंबर, 2017

न्यायमूर्ति सुरिन्द्र गुप्ता

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) – धारा 7, 13(1)(घ) और 20 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8] – लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति – मांग और हेतु को साबित न किया जाना – अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए रिश्वत की मांग को साबित किया जाना अत्यावश्यक है और अभियुक्त के कब्जे से दूषित धन की केवल बरामदगी दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः छापा मारने के दिन छाया साक्षी द्वारा अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत न सुने जाने और रिश्वत का धन सौंपते हुए न देखे जाने, रिश्वत मांगने के हेतु और वास्तविक मांग को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किए जाने पर अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का दायी है ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, अभियुक्त जीत सिंह (अपीलार्थी) दूरसंचार विभाग, मुनक, जिला संगरूर में फोन मैकेनिक के रूप में कार्यरत था । शिकायतकर्ता, जगतार सिंह (अभि. सा. 1) ने सीसीबी (सिक्का संग्रहण पेटी) स्थापित करने के लिए आवेदन किया था और उसे कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि सीसीबी अनुमोदित हो गया है और सीसीबी कनेक्शन स्थापित करने के लिए वह अपीलार्थी जीत सिंह से मिले । शिकायतकर्ता अपीलार्थी के पास गया, जो आरंभ में तो टालमटोल कर रहा था और बाद में सीसीबी कनेक्शन स्थापित करने के लिए 500/- रुपए की मांग की । शिकायतकर्ता इसके पश्चात् अपने मित्र नछत्तर सिंह (अभि. सा. 2) से मिला और उसे अपीलार्थी द्वारा की गई मांग के बारे में बताया, जिसने उसे पुलिस उप अधीक्षक, सतर्कता ब्यूरो, संगरूर से संपर्क करने की सलाह दीं । शिकायतकर्ता तारीख 6 अक्तूबर, 2000 को पुलिस उप अधीक्षक, सतर्कता ब्यूरो, संगरूर के कार्यालय में गया, जहां उसका

कथन अभिलिखित किया गया और पुलिस उप अधीक्षक ने इस कथन पर पृष्ठांकन किया और इसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पुलिस थाना सतर्कता ब्यूरो, पटियाला भेजा । छापा मारने की योजना बनाई गई । शिकायतकर्ता ने पुलिस उप अधीक्षक को 100-100 रुपए के पांच करेंसी नोट सौंपे, जिन पर पी. पाउडर लगाया गया और शिकायतकर्ता को सौंपे गए । नछत्तर सिंह को छाया साक्षी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया और जगतार सिंह और जीत सिंह के बीच होने वाली बातचीत सुनने के लिए जगतार सिंह के साथ रहने और जीत सिंह को जगतार सिंह द्वारा उसके दाएं हाथ में रिश्वत के धन का संदाय करने पर अपने सिर के ऊपर से संकेत करने का निदेश दिया गया । छापामार दल के साथ मुनक पहुंचने पर जगतार सिंह और नछत्तर सिंह को दूरभाष केंद्र के भवन के निकट भेजा गया, जबकि छापामार दल के शेष सदस्य अलग-अलग स्थानों पर बाहर रहे । दूरभाष केंद्र पहुंचने पर शिकायतकर्ता को जीत सिंह नहीं मिल सका और जगदेव सिंह, सुरक्षा गारद द्वारा बताया गया कि वह कोई शिकायत दूर करने के लिए गया होगा । जगदेव सिंह द्वारा टेलीफोन करने पर जीत सिंह दूरभाष केंद्र आया । शिकायतकर्ता उसे एक तरफ ले गया और तय अनुसार उसे दूषित धन सौंपा, जिसकी अपीलार्थी द्वारा गणना की गई और अपनी पैंट की पिछली जेब में रख लिया । नछत्तर सिंह ने तयशुदा संकेत किया, जिस पर छापामार दल दूरभाष केंद्र के अंदर आया । अपीलार्थी को कुर्सी पर ही बैठे रहने का निदेश दिया गया । छापामार दल को देखकर उसने दूषित धन लिया और उसे मेज की दराज़ में रख दिया । अपीलार्थी के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए गए और उसका रंग गुलाबी हो गया । अपीलार्थी की शारीरिक तलाशी ली गई और उसे गिरफ्तार किया गया । अपीलार्थी के घर की भी तलाशी ली गई किंतु अपराध में फंसाने वाली कोई चीज बरामद नहीं हुई । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और अपीलार्थी-अभियुक्त के अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला पाने के पश्चात् भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13/2 के अधीन दंडनीय धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पंजाब,

पटियाला द्वारा तारीख 30 जनवरी, 2004 के अपने निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन दंडनीय धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन आरोप सम्यक् रूप से साबित किए गए हैं और उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अपीलार्थी-अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन का सम्पूर्ण वृतांत शिकायतकर्ता के इस अभिवाक् पर आधारित है कि अपीलार्थी ने सीसीबी कनेक्शन के स्थापन के लिए रिश्वत के रूप में 500/- रुपए की मांग की थी । महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा जिसे अनदेखा किया गया है, यह है कि क्या मांग करने के दिन और यहां तक कि छापा मारने के दिन भी अपीलार्थी के लिए ऐसी मांग करने का कोई कारण या हेतु था या नहीं । अभियोजन पक्ष ने महाप्रबंधक (दूरभाष), संगरूर के कार्यालय में उप-प्रभागीय इंजीनियर (वाणिज्यिक) द्वारा जारी एक सूचनापत्र का अवलंब लिया है, जिसके द्वारा उप-प्रभागीय इंजीनियर (जी), लहरागागा को मुनक में स्थानीय सीसीबी/पीसीओ उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था और सूचनापत्र पर यह एक टिप्पण था कि कनेक्शन शिकायतकर्ता द्वारा सीसीबी उपकरण खरीद लिए जाने पर उसके साथ उपलब्ध कराया जाएगा । इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 5, दीप चन्द की परीक्षा की, जिसने यह कथन किया है कि सीसीबी मशीन शिकायतकर्ता द्वारा खरीदी जानी थी और अपीलार्थी को कनेक्शन क्रियाशील करना था । प्रति. सा. 1 जगमेल सिंह, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, दूरसंचार, दूरभाष केंद्र लहरागागा ने इस तथ्य को कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (जी) द्वारा लिखे गए एक पत्र को फाइल पर लाकर और स्पष्ट किया गया है । यह पत्र तारीख 13 अक्तूबर, 2000 को अर्थात् छापा मारने की तारीख से बहुत बाद में लिखा गया था । इस पत्र के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि तारीख 13 अक्तूबर, 2000 तक भी सीसीबी मशीन नहीं खरीदी गई थी और उसे सीसीबी कनेक्शन निर्मोचित नहीं किया जा सका था । उसने शिकायतकर्ता द्वारा लिखे गए तारीख 7 नवंबर, 2000 के उस पत्र को भी फाइल पर रखा है, जिसके द्वारा उसने उप-प्रभागीय इंजीनियर (वाणिज्यिक), संगरूर को सूचित किया

था कि सीसीबी स्थानीय पीसीओ के निर्मोचन का आदेश उसे लौटा दिया गया है, क्योंकि उसके पास सीसीबी स्थानीय पीसीओ बाक्स नहीं था । अब उसने स्थानीय पीसीओ बॉक्स खरीद लिया है, इसलिए कनेक्शन निर्मोचन का आदेश पुनः जारी किया जाए । यहां अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए महत्वपूर्ण और एकमात्र दस्तावेज़ का उल्लेख करना होगा, जिस पर 12 दिसंबर, 2000 की तारीख है और कनेक्शन के स्थापन की तारीख 15 नवंबर, 2000 अर्थात् शिकायतकर्ता द्वारा लिखे गए तारीख 7 नवंबर, 2000 के पत्र के पश्चात् की है । यह तथ्य विवादग्रस्त नहीं है कि शिकायतकर्ता के लिए सीसीबी कनेक्शन हेतु यंत्र खरीदना अपेक्षित था । अन्वेषक अधिकारी ने इस तथ्य की पूर्णतया अनदेखी की है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए इस अभिकथन में कोई सार है या नहीं है कि अपीलार्थी सीसीबी कनेक्शन निर्मोचित करने के लिए 500/- रुपए की मांग कर रहा था । उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया कि सूचनापत्र के निबंधनों के अनुसार क्या शिकायतकर्ता ने सीसीबी कनेक्शन का यंत्र खरीदा है या नहीं । शिकायतकर्ता द्वारा यंत्र खरीदने की कोई रसीद या इस बाबत दूरभाष विभाग को दी गई सूचना अन्वेषण के दौरान उपाप्त नहीं की गई थी । शिकायतकर्ता ने अभि. सा. 1 के रूप में उपसंजात होते हुए यह कथन किया कि उसने छापा मारे जाने से पूर्व 5,200/- या 5,300/- रुपए में सीसीबी कनेक्शन के लिए यंत्र खरीदा था । उसने अन्वेषक अधिकारी को यंत्र खरीदने का बिल नहीं सौंपा था । उसे उस दुकान की जानकारी नहीं थी जहां से यंत्र खरीदा गया था । उसने यह कथन किया कि जगमेल सिंह, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी को यंत्र खरीदने के बारे में बताया गया था, किंतु उक्त जगमेल सिंह ने प्रति. सा. 1 के रूप में उपसंजात होते हुए शिकायतकर्ता द्वारा यंत्र खरीदे जाने के बारे में उसे बताते हुए तारीख 7 नवंबर, 2000 को लिखे गए पत्र को साबित किया है । उसने कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया है कि शिकायतकर्ता ने सीसीबी यंत्र खरीदने के बारे में उसे छापा मारने से पहले बताया था । अन्वेषक अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक, गुरमुख सिंह इस पहलू पर पूरी तरह से मौन है और कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसने इस तथ्य के बारे में सत्यापन किया था कि शिकायतकर्ता ने छापा मारने से पूर्व सीसीबी कनेक्शन के लिए यंत्र खरीद लिया था और सूचनापत्र के अनुसार यह संयंत्र स्थापन के लिए तैयार था । अतः, अभियोजन पक्ष धन की मांग करने

के अपीलार्थी के हेतु को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर इस साक्ष्य को विधारित किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा सीसीबी कनेक्शन के स्थापन के लिए यंत्र कब खरीदा गया था । यदि उसके पास इस संबंध में बिल होता, तो अभियोजन पक्ष के पास इसे विधारित करने का कोई कारण नहीं था । (पैरा 16 और 17)

द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर विचार करना आवश्यक है, यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलार्थी द्वारा की गई 500/- रुपए की मांग को और उसके मांग करने पर 500/- रुपए की रकम संदत्त करने की बात को साबित करने में समर्थ रहा है या नहीं । इस संबंध में शिकायतकर्ता, जगतार सिंह का एकमात्र कथन है, जिसने यह कथन किया है कि छापा मारने से पहले उसने अपीलार्थी जीत सिंह से संपर्क किया था और उसने सीसीबी कनेक्शन स्थापित करने के लिए 500/- रुपए मांगे थे । उसके पश्चात्, उसने इस तथ्य की इत्तिला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी और छापा मारने की व्यवस्था की गई । नछत्तर सिंह छाया साक्षी के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने 500/- रुपए की मांग करने के संबंध में शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के बीच हुई कोई बातचीत नहीं सुनी थी या शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को 500/- रुपए सौंपते हुए नहीं देखा था । इस साक्षी ने अभि. सा. 2 के रूप में उपसंजात होकर जो परिसाक्ष्य दिया था, उसका उल्लेख करना सुसंगत होगा । उसने यह कथन किया है कि वह छापामार दल के साथ दूरभाष केंद्र पहुंचने पर अपीलार्थी के पहुंचने तक दूरभाष केंद्र के बाहर रहा था । दूरभाष केंद्र पहुंचने पर अपीलार्थी और शिकायतकर्ता जगतार सिंह कमरे के अंदर गए जबकि वह दूरभाष केंद्र के दरवाजे पर खड़ा रहा । जगतार सिंह उसके सामने की ओर था और अपीलार्थी की पीठ उसकी ओर थी और दोनों उससे लगभग 20 कदम (100 फुट से अधिक) पर थे । उसने अभियुक्त को धन देते हुए देखने पर छापामार दल को संकेत नहीं किया था, अपितु पहले शिकायतकर्ता से संकेत प्राप्त हुआ था और इसके पश्चात् छापामार दल को संकेत किया था । इससे दर्शित होता है कि उसने शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के बीच उद्घाटित करने वाली कोई बात नहीं देखी थी । यहां तक कि संकेत करने के पश्चात् भी वह दूरभाष केंद्र के दरवाजे पर मौजूद रहा था, जबकि छापामार दल के अन्य सदस्य अंदर चले गए थे । वह बाद में दूरभाष केंद्र के अंदर गया था । इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने कहीं भी यह कथन

नहीं किया है कि उसने नछत्तर सिंह को कोई संकेत किया था और उसका संकेत प्राप्त होने पर नछत्तर सिंह ने छापामार दल को संकेत किया था । अभियोजन पक्ष ने सुरक्षा गारद, अभि. सा. 7 जगदेव सिंह की भी परीक्षा की थी, जिसने यह कथन किया है कि तारीख 6 अक्तूबर, 2000 को शिकायतकर्ता दूरभाष केंद्र में आया था और अपीलार्थी के बारे में पूछताछ की थी, जो किसी खराबी की मरम्मत करने के लिए बाहर गया हुआ था । जब अपीलार्थी दूरभाष केंद्र में आया तो शिकायतकर्ता उसे कार्यालय से बाहर ले गया । कुछ मिनटों के पश्चात् जीत सिंह दौड़ता हुआ कार्यालय में आया और उसके पीछे दो या तीन व्यक्ति सादी वर्दी में थे । उसने उन व्यक्तियों को रोका जो अपीलार्थी के पीछे-पीछे आ रहे थे और इसी बीच पुलिस उप अधीक्षक वहां आए और अपना परिचय दिया । उसने उसे उस स्थान से चले जाने के लिए कहा । पुलिस उप अधीक्षक दल के अन्य सदस्यों ने दो घंटे तक कुछ लिखने का कार्य किया और फिर अपीलार्थी के साथ चले गए । उसने यह भी कथन किया कि जब शिकायतकर्ता दूरभाष केंद्र में आया था तब वह अकेला था और यह बात नछत्तर सिंह की छाया साक्षी के रूप में घटनास्थल पर मौजूदगी को नकारती है । शिकायतकर्ता तथा छाया साक्षी नछत्तर सिंह के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि न तो शिकायतकर्ता और न ही छाया साक्षी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी को 500/- रुपए की रिश्वत उसके मांग करने पर दी गई थी । शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि जीत सिंह के दूरभाष केंद्र पहुंचने पर वह उसे एक तरफ ले गया और उसे दूषित धन सौंपा । अपीलार्थी ने दूषित धन की गिनती की और उसे अपनी पैंट की पिछली जेब में रख लिया । अभि. सा. 2 नछत्तर सिंह दूरभाष केंद्र के बाहर था और उसने शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के बीच हुई कोई बातचीत नहीं सुनी थी । शिकायतकर्ता और छाया साक्षी के परिसाक्ष्य में एक अन्य विसंगति है । शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि उसने नछत्तर सिंह को अपीलार्थी द्वारा रिश्वत के धन की मांग करने के बारे में छापा मारने की तारीख से 15 दिन पूर्व बताया था । जबकि अभि. सा. 2, नछत्तर सिंह ने यह कथन किया है कि शिकायतकर्ता ने उसे अपीलार्थी द्वारा की गई मांग के बारे में छापा मारने के दिन बताया था । उस दिन शिकायतकर्ता उसे गांव चोटियां से अपने स्कूटर पर लाया था । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में यह कहा है कि उसके

पास शिकायतकर्ता से अवैध परितोषण की मांग करने या स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि सीसीबी कनेक्शन प्राइवेट ठेकेदार द्वारा स्थापित किया जाना था और शिकायतकर्ता ने सीसीबी कनेक्शन यंत्र नहीं खरीदा था । तारीख 13 अक्तूबर, 2000 को शिकायतकर्ता को एक पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि उसने अपेक्षित यंत्र नहीं खरीदा है, इसलिए जब तक वह मशीन नहीं खरीदता है, उसका कनेक्शन लंबित रहेगा । तथापि, उसने अपने से धन की बरामदगी की बात से इनकार किया है और यह कथन किया है कि जगतार सिंह ने उसके साथ उसके कार्यालय में हाथ मिलाया था और छापामार दल के पदधारियों ने तुरंत उसे दबोच लिया था और उसे सतर्कता ब्यूरो के कार्यालय ले गए थे । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, दूषित धन की बरामदगी को स्पष्ट करने का भार अभियुक्त (अपीलार्थी) पर है, जिसे इस मामले में अपीलार्थी साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा तब लागू होती यदि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के हेतु और अवैध परितोषण की मांग को संदेह के परे साबित कर देता । अभियोजन पक्ष इन दोनों आधारों पर पूरी तरह से असफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि इस एकमात्र तथ्य के आधार पर अभिलिखित नहीं की जा सकती है कि वह अपने कब्जे से हुई दूषित धन की बरामदगी को स्पष्ट करने में असफल रहा है । उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय अपराध का गठन करने वाले संघटकों को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । संदेह का फायदा देते हुए अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का दायी है । (पैरा 18, 19, 28, 29 और 31)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2017]	(2017) 3 रेक. क्रि. आर. 244 (पंजाब-हरियाणा) : **जगत राम** बनाम **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ;	8
[2016]	(2016) सीआरए सं.-2099-एसबी-2003 में पारित तारीख 8 दिसम्बर, 2016 का आदेश : **जगदीश सिंह** बनाम **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ;	8

[2016]	(2016) 3 एस. सी. सी. 108 = ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 298 : **कृष्ण चन्द्र** बनाम **दिल्ली राज्य** ;	22
[2014]	(2014) 4 आर. सी. आर. (क्रि.) 40 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 3798 : **सतवीर सिंह** बनाम **दिल्ली राज्य** ;	24
[2013]	(2013) 14 एस. सी. सी. 153 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3368 : **पंजाब राज्य** बनाम **मदन मोहन लाल वर्मा** ;	8
[2013]	ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3368 : **पंजाब राज्य** बनाम **मदन मोहन लाल वर्मा** ;	21
[2012]	(2012) 13 एस. सी. सी. 552 : **राकेश कपूर** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	25
[2002]	(2002) 2 आर. सी. आर. (क्रि.) 781 : **कुलदीप राय** बनाम **पंजाब राज्य** ।	26

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 535.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अक्षय भान, ज्येष्ठ अधिवक्ता और हरप्रतीक सिंह संधू

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. एस. संधू

न्यायमूर्ति सुरिन्द्र गुप्ता – यह अपील विशेष न्यायाधीश, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पंजाब, पटियाला द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2004 को पारित उस दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1986 (जिसे आगे संक्षेप में "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 और 13(1)(घ) तथा धारा 13(2) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और निम्नलिखित दंडादेश दिया गया था :–

क्रम सं.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा	दंडादेश
1.	7	दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतेगा और एक हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करेगा और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा ।
2.	13(1)(घ), धारा 13(2) के अधीन दंडनीय	दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतेगा और एक हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करेगा और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा ।

संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी जीत सिंह दूरसंचार विभाग, मुनक, जिला संगरूर में मैकेनिक के रूप में कार्यरत था । शिकायतकर्ता जगतार सिंह पुत्र चरण सिंह (अभि. सा. 1) ने सीसीबी (सिक्का संग्रहण पेटी) स्थापित करने के लिए आवेदन किया और जरनैल सिंह, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि सीसीबी अनुमोदित हो गया है और सीसीबी कनेक्शन स्थापित करने के लिए वह अपीलार्थी जीत सिंह, जो फोन मैकेनिक के रूप में तैनात था, से मिले । शिकायतकर्ता अपीलार्थी के पास गया, जो आरंभ में तो टालमटोल कर रहा था और बाद में सीसीबी कनेक्शन स्थापित करने के लिए 500/- रुपए की मांग की । अपनी मांग का उल्लेख करते हुए उसने शिकायतकर्ता से कहा कि वे सामान्य तौर पर 300/- रुपए लेते हैं और 200/- रुपए खंभा स्थापित करने हेतु श्रमिक प्रभार के लिए चाहिएं । शिकायतकर्ता इसके पश्चात् अपने मित्र नछत्तर सिंह (अभि. सा. 2) से मिला और उसे अपीलार्थी द्वारा की गई मांग के बारे में बताया, जिसने उसे पुलिस उप अधीक्षक, सतर्कता ब्यूरो, संगरूर से संपर्क करने की सलाह दी । शिकायतकर्ता तारीख 6 अक्तूबर, 2000 को पुलिस उप अधीक्षक, सतर्कता ब्यूरो, संगरूर के कार्यालय में गया, जहां उसका कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए, अभिलिखित किया गया । पुलिस उप अधीक्षक, गुरमुख सिंह ने इस

कथन पर पृष्ठांकन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/1, किया और इसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पुलिस थाना सतर्कता ब्यूरो, पटियाला भेजा । छापा मारने की योजना बनाई गई और सहायक उप निरीक्षक, केवल सिंह को एक राजपत्रित अधिकारी और एक अराजपत्रित अधिकारी बुलाने के लिए तैनात किया गया । उसने गुरमेल सिंह, डेयरी विकास अधिकारी और बालकृष्ण, निरीक्षक, नगरपालिका परिषद्, संगरूर को बुलाया और दोनों को मामले के तथ्य के बारे में बताया । शिकायतकर्ता ने पुलिस उप अधीक्षक, गुरमुख सिंह को 100-100 रुपए के पांच करेंसी नोट सौंपे, जिन पर पी. पाउडर लगाया गया और जगतार सिंह को सौंपे गए । उसे दूषित धन जीत सिंह को उसके द्वारा रिश्वत की मांग करने पर सौंपने का निदेश दिया गया और एक सुपुर्दगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी तैयार किया गया । साक्षियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में पी. पाउडर की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन भी दिखाया गया और प्रदर्शन ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जी तैयार किया गया । नछत्तर सिंह को छाया साक्षी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया और जगतार सिंह और जीत सिंह के बीच होने वाली बातचीत सुनने के लिए जगतार सिंह के साथ रहने और जीत सिंह को जगतार सिंह द्वारा उसके दाएं हाथ में रिश्वत के धन का संदाय करने पर अपने सिर के ऊपर से संकेत करने का निदेश दिया गया । छापामार दल के साथ मुनक पहुंचने पर जगतार सिंह और नछत्तर सिंह को दूरभाष केंद्र के भवन के निकट भेजा गया, जबकि छापामार दल के शेष सदस्य अलग-अलग स्थानों पर बाहर रहे ।

2. दूरभाष केंद्र पहुंचने पर शिकायतकर्ता को जीत सिंह नहीं मिल सका और जगदेव सिंह, सुरक्षा गारद द्वारा बताया गया कि वह कोई शिकायत दूर करने के लिए गया होगा । जगदेव सिंह द्वारा टेलीफोन करने पर जीत सिंह दूरभाष केंद्र आया । शिकायतकर्ता उसे एक तरफ ले गया और तय अनुसार उसे दूषित धन सौंपा, जिसकी अपीलार्थी द्वारा गणना की गई और अपनी पैंट की पिछली जेब में रख लिया । नछत्तर सिंह ने तयशुदा संकेत किया, जिस पर छापामार दल दूरभाष केंद्र के अंदर आया । अपीलार्थी को कुर्सी पर ही बैठे रहने का निदेश दिया गया । छापामार दल को देखकर उसने दूषित धन लिया और उसे मेज की दराज़ में रख दिया । अपीलार्थी के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए गए और उसका

रंग गुलाबी हो गया । घोल को एक निप (प्रदर्श पी. 6) में डाला गया और "बीएस" छाप की मुहर से मोहरबंद किया गया । हाथ धोहन का ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू./1/ई तैयार किया गया । अपीलार्थी ने अपनी मेज की दराज़ से दूषित करेंसी नोट निकाले, जिन्हें बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी द्वारा कब्जे में लिया गया । बरामद करेंसी नोटों के क्रम संख्यांक का मिलान सुपुर्दगी ज्ञापन में उल्लिखित क्रम संख्यांकों से किया गया । अपीलार्थी को अपनी पैंट उतारने के लिए कहा गया और पैंट की पिछली जेब को सोडियम कार्बोनेट के साफ घोल में धोया गया, जिसका रंग गुलाबी हो गया । गुलाबी घोल निप (प्रदर्श पी. 7) में डाला गया और "बीएस" छाप की मुहर से मुहरबंद किया गया । पैंट का एक अलग पार्सल (प्रदर्श पी. 8) बनाया गया और उसी छाप की मुहर से मुहरबंद किया गया । जेब धोहन का भी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डी बनाया गया । शारीरिक तलाशी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ द्वारा अपीलार्थी की शारीरिक तलाशी ली गई और उसे गिरफ्तार किया गया । अपीलार्थी के घर की भी तलाशी ली गई किंतु अपराध में फंसाने वाली कोई चीज बरामद नहीं हुई । बाद में मामले का अन्वेषण सहायक उप निरीक्षक धर्म देव नेगी, अभि. सा. 11 को सौंपा गया और उसने न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/2) और अपीलार्थी-अभियुक्त के अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

3. अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला पाने के पश्चात् भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13/2 के अधीन दंडनीय धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया, जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में शिकायतकर्ता जगतार सिंह की अभि. सा. 1 के रूप में, नछत्तर सिंह की अभि. सा. 2 के रूप में, गुरमेर सिंह चहल की अभि. सा. 3 के रूप में, बालकृष्ण की अभि. सा. 4 के रूप में, दीप चन्द की अभि. सा. 5 के रूप में, कांस्टेबल गोरा लाल की अभि. सा. 6 के रूप मे, जगदेव सिंह की अभि. सा. 7 के रूप में, अमरजीत बानगढ़ की अभि. सा. 8 के रूप में, पुलिस उप अधीक्षक

गुरमुख सिंह की अभि. सा. 9 के रूप में, हैड कांस्टेबल राजिन्द्र सिंह की अभि. सा. 10 के रूप में और उप निरीक्षक धर्म देव नेगी की अभि. सा. 11 के रूप में परीक्षा की ।

5. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपेक्षित अनुसार अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के अभिकथनों से इनकार किया और उसे मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया । उसने अपनी प्रतिरक्षा में निम्नलिखित कथन किया :–

> "मैं निर्दोष हूं और इस मामले में मिथ्या रूप से अंतर्वलित किया गया है । मेरे पास शिकायतकर्ता से अवैध परितोषण की मांग करने और स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था । जगतार सिंह का कनेक्शन प्राइवेट ठेकेदार द्वारा स्थापित किया जाना था । तारीख 13 अक्तूबर, 2010 को शिकायतकर्ता जगतार सिंह को विभाग द्वारा एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि चूंकि वह कोई मशीन नहीं लाया है इसलिए उसका कनेक्शन लंबित रखा गया है और उसके द्वारा मशीन लाने पर कनेक्शन स्थापित कर दिया जाएगा । मुझे इस मामले में इस कारण मिथ्या रूप से अंतर्वलित किया गया है कि छाया साक्षी नछत्तर सिंह का भतीजा दूरभाष के केंद्र में स्थायी आधार पर कार्य कर रहा था । उसने शराब पीकर मेरे साथ झगड़ा किया था, जिसके संबंध में मैंने संघ सचिव और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उसके विरुद्ध शिकायत की थी । इस कारण से वह मेरे विरुद्ध ईर्ष्या रखता था और उसकी प्रेरणा पर जगतार सिंह और नछत्तर सिंह ने मुझे इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया है । मेरे से कोई बरामदगी नहीं हुई थी । जब जगतार सिंह मेरे से कार्यालय में मिला था, उसने मेरे से हाथ मिलाया और फिर तुरंत पुलिस पदधारियों ने मुझे दबोच लिया और मुझे सतर्कता ब्यूरो के कार्यालय में ले गए ।"

6. अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा को सिद्ध करने के लिए जगमेल सिंह, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की प्रति. सा. 1 और एस. पी. चोपड़ा, उप-मंडल अधिकारी, दूरभाष की प्रति. सा. 2 के रूप में परीक्षा कराई ।

7. विद्वान् विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पंजाब, पटियाला ने तारीख 30 जनवरी, 2004 के अपने निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन दंडनीय धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन आरोप सम्यक् रूप से साबित किए गए हैं और उसे इस निर्णय के आरंभिक पैरा में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

8. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते समय इस विवाद्यक पर अवधारण के लिए कोई बिंदु विरचित नहीं किया था कि अभियोजन के लिए मंजूरी वैद्य और विधिमान्य है या नहीं । इस मामले में दी गई मंजूरी से मस्तिष्क का प्रयोग किया जाना परिलक्षित नहीं होता है और केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती है । अमरजीत बानगढ़, प्रभागीय प्रबंधक ने, जिसने अपीलार्थी के अभियोजन के लिए मंजूरी दी थी, अभि. सा. 8 के रूप में उपसंजात होते हुए यह कथन किया कि सीसीबी कनेक्शन रिहायशी इलाके में स्थापित नहीं किया जा सकता है । उसने रिश्वत की मांग करने के अपीलार्थी के हेतु की बाबत पुलिस की फाइल का परिशीलन करने के सिवाय कोई स्वतंत्र जांच नहीं की थी । शिकायतकर्ता जगतार सिंह ने, जो अभि. सा. 1 के रूप में उपसंजात हुआ, यह कथन किया कि उसने अपीलार्थी को दूषित करेंसी नोट उसकी मांग के बिना सौंपे थे, जिससे यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी को दूषित करेंसी नोट योजनाबद्ध तरीके से दिए गए थे और उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया था । पीसीओ शिकायतकर्ता के नाम में आबंटित नहीं किया गया था और उसने अभि. सा. 1 के रूप में उपसंजात होते हुए यह स्वीकार किया था कि यह पीसीओ हरमिंदर सिंह के नाम में आबंटित हुआ था । जब पीसीओ शिकायतकर्ता के नाम में आबंटित ही नहीं किया गया था, तो उसके पास सीसीबी कनेक्शन स्थापित करने की ईप्सा करने का कोई कारण नहीं था । छाया साक्षी नछत्तर सिंह अभिकथित रिश्वत का धन सौंपे जाने के समय पंद्रह फुट की दूरी पर था और छाया साक्षी के लिए यह सुन पाना संभव नहीं था कि शिकायतकर्ता, अपीलार्थी के साथ क्या बातचीत कर रहा है । शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने भी यह कथन किया कि उसने नछत्तर सिंह को कोई संकेत नहीं किया था, जबकि नछत्तर सिंह

(अभि. सा. 2) ने यह कथन किया कि शिकायतकर्ता ने उसे संकेत किया था और उसके पश्चात् उसने छापामार दल को संकेत किया था । उनके कथनों में के इस विरोधाभास से यह दर्शित होता है कि शिकायतकर्ता तथा छाया साक्षी का परिसाक्ष्य भरोसेमंद नहीं है । अपीलार्थी दूरभाष मैकेनिक के रूप में तैनात था, जिसका कार्य यांत्रिक खराबी को ठीक करना था, न कि सीसीबी/पीसीओ स्थापित करना । स्थापन का कार्य प्राइवेट ठेकेदार को सौंपा गया था । प्रति. सा. 2 एस. पी. चोपड़ा, उपखंड इंजीनियर (वाणिज्यिक) ने यह कथन किया कि सीसीबी/पीसीओ को स्थापित करने में विभाग के लाइनमैन की कोई भूमिका नहीं होती है और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी यह कार्य लाइनमैन और विभाग द्वारा लगाए गए ठेकेदार से करवाता है । अपीलार्थी को, अधिक से अधिक, स्थापित किए गए सीसीबी/पीसीओ की मरम्मत करने के लिए बुलाया जा सकता था, न कि सीसीबी/पीसीओ को स्थापित करने के लिए । अभि. सा. 2 नछत्तर सिंह, छाया साक्षी एक हितबद्ध साक्षी है । उसने यह कथन किया कि उसका भतीजा मिठू सिंह, जो कि दूरभाष केंद्र, मुनक में ही कार्यरत है, उसकी जगतार सिंह से मित्रता है और इसी कारण वह कई वर्षों से जगतार सिंह को जानता है और जगतार सिंह छापा मारने के दिन उसे स्कूटर पर चोटियां से लाया था । उपरोक्त सभी तथ्यों से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी को इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । रिश्वत के धन की मांग और मांग करने पर अपीलार्थी को रिश्वत का धन सौंपे जाने के मूलभूत संघटकों को सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया है । उसने अपनी दलील के समर्थन में **पंजाब राज्य** बनाम **मदन मोहन लाल वर्मा**[1], **जगत राम** बनाम **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[2] और **जगदीश सिंह** बनाम **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[3] वाले मामलों का अवलंब लिया है ।

9. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थी को मिथ्या फंसाने के लिए शिकायतकर्ता का कोई हेतु नहीं था और वह सीसीबी कनेक्शन स्थापित न होने के कारण व्यथित होने

---

[1] (2013) 14 एस. सी. सी. 153 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3368.

[2] (2017) 3 रेक. क्रि. आर. 244 (पंजाब-हरियाणा).

[3] (2016) सीआरए सं. 2099-एसबी-2003 में तारीख 8 दिसम्बर, 2016 को पारित आदेश.

की वजह से अपीलार्थी के पास जा रहा था और उसने आरंभ में किसी न किसी बहाने से उसे टाल दिया और फिर सीसीबी के स्थापन के लिए 500/- रुपए की रिश्वत की मांग की । शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य का समर्थन छाया साक्षी और बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी द्वारा किया गया है । रिश्वत की मांग, इसकी स्वीकृति और फिर अपीलार्थी के कब्जे से रिश्वत के धन की बरामदगी को सम्यक् रूप से साबित किया गया है । अपीलार्थी को मिथ्या फंसाने के लिए किसी भी अभियोजन साक्षी की उससे कोई रंजिश नहीं थी । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा निर्दिष्ट किए गए उद्धरण इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में समर्थ हुआ है कि अपीलार्थी एक लोक सेवक था । उसने शासकीय कार्य करने के लिए इनाम के रूप में अवैध परितोषण की मांग की थी और इसे स्वीकार किया था । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी ने दूरभाष केंद्र, मुनक में फोन मैकेनिक के रूप में अपनी तैनाती को विवादग्रस्त नहीं किया है । यद्यपि उसने यह मामला बनाने की कोशिश की कि उसकी ड्यूटी सीसीबी कनेक्शन स्थापित करने की नहीं थी । किंतु प्रति. सा. 2 एस. पी. चोपड़ा, उप-मंडल अधिकारी (दूरभाष) के कथन से यह साबित होता है कि कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी स्थापन का कार्य लाइनमैन से और विभाग द्वारा नियुक्त ठेकेदार से निष्पादित करवाता है । कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी टेलीफोन को दूरभाष केंद्र से क्रियाशील करता है और टेलीफोन मैकेनिक या लाइनमैन स्थापन स्थल पर इस प्रक्रिया की देख-रेख करता है । इससे यह दर्शित होता है कि सीसीबी कनेक्शन के स्थापन में अपीलार्थी की भूमिका और रिश्वत की मांग और स्वीकार करने का हेतु था । विचारण न्यायालय का निर्णय अभिलेख पर के साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित है और ऐसी किसी विधि की या तथ्यात्मक कमी से ग्रस्त नहीं है जिससे कि इस अपील में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो ।

10. मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया ।

11. इस विवाद्यक पर यह विधि भली-भांति स्थिर है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध का गठन करने के लिए अवैध परितोषण की मांग करना अत्यावश्यक है । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

की धारा 7 में लोक सेवक को वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लेने से वर्जित किया गया है । इस धारा के अधीन अपराध सिद्ध करने के लिए अवश्य यह साबित किया जाना चाहिए कि :–

"(i) अभियुक्त उस समय पर जब अपराध किया गया था, लोक सेवक हो या लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखता हो ।

(ii) अभियुक्त ने किसी व्यक्ति से अवैध परितोषण स्वीकार या अभिप्राप्त किया हो, या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ हो या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया हो ।

(iii) स्वयं के लिए या अपने लिए ।

(iv) ऐसा परितोषण वह पारिश्रमिक नहीं था जिसके लिए अभियुक्त वैध रूप से हकदार था ।

(v) अभियुक्त ने ऐसा परितोषण हेतु या इनाम के रूप में,

(क) कोई शासकीय कृत्य करने या करने से प्रविरत रहने के लिए, या

(ख) इस शासकीय कार्य के प्रयोग में किसी व्यक्ति का पक्षपात करने या प्रविरत रहने, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संसद् या राज्य के विधान-मंडल या किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट शासकीय कंपनी अथवा किसी लोक सेवक से, चाहे नामित हो या अन्यथा, अपने पदीय कार्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए,

स्वीकार किया था ।

12. यह विवादग्रस्त नहीं है कि अपीलार्थी सुसंगत समय पर एक लोक सेवक था । यह साबित करने के लिए कि अपीलार्थी ने अवैध परितोषण की मांग की थी, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की, जिसने यह कथन किया कि सीसीबी कनेक्शन का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् उसने इसके स्थापन के लिए अपीलार्थी से संपर्क किया और उसने 500/- रुपए की रिश्वत की मांग की और

शिकायतकर्ता को अपनी मांग का ब्यौरा देते हुए यह बताया कि वे प्रायिक तौर पर 300/- रुपए लेते हैं, किंतु खंभा स्थापित करने के लिए श्रमिक प्रभार हेतु 200/- रुपए की आवश्यकता है । छापा मारने के समय शिकायतकर्ता ने तयशुदा अनुसार अपीलार्थी को 500/- रुपए दिए और उसने शिकायतकर्ता की मौजूदगी में दूषित धन की गणना की और इसे अपनी पैंट की पिछली जेब में रख लिया । अपीलार्थी द्वारा दूषित धन अपनी पैंट की पिछली जेब में रखने के पश्चात् अभि. सा. 2 नछत्तर सिंह छाया साक्षी ने छापामार दल को संकेत किया । छापामार दल को देख कर अपीलार्थी ने दूषित धन अपनी जेब से निकाला और इसे अपनी मेज की दराज में रख दिया, जहां से यह धन बरामद किया गया ।

13. अपीलार्थी के कार्यालय में मेज की दराज़ से हुई दूषित धन की बरामदगी को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता की अभि. सा. 1 के रूप में, नछत्तर सिंह छाया साक्षी की अभि. सा. 2 के रूप में, गुरमेल सिंह की अभि. सा. 3 के रूप में, बालकृष्ण की अभि. सा. 4 के रूप में और पुलिस उप अधीक्षक गुरमुख सिंह, जो छापामार दल का नेतृत्व कर रहा था, की अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की । जहां तक अपीलार्थी के कार्यालय में मेज की दराज से 500/- रुपए की बरामदगी का संबंध है, साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2 नछत्तर सिंह, अभि. सा. 3 गुरमेल सिंह और अभि. सा. 4 बालकृष्ण के कथन निष्कलंक हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही अवलंब लिया गया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय तीन मानदंडों के आधार पर साक्ष्य की परख की है, जिसके प्रतिनिर्देश उनके निर्णय के पैरा 16 में निम्न प्रकार से है :–

"(i) प्राप्तिकर्ता वर्तमान या भावी लोक सेवक होना चाहिए ;

(ii) उसने अवैध परितोषण की याचना की हो या प्राप्त किया हो ; और

(iii) यह परितोषण अवश्य ही पदीय कृत्य करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में प्राप्त किया गया होना चाहिए ।

14. इस मामले में अवधारण किए जाने के लिए सर्वप्रथम बिंदु यह है

कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलार्थी द्वारा रिश्वत के धन की मांग करने के हेतु को साबित करने में समर्थ रहा है या नहीं । जहां तक रिश्वत देने वाले अर्थात् शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य का संबंध है, इस बारे में यह विधि सुस्थिर है कि इसकी संवीक्षा अति सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए और इसकी संपुष्टि की जानी आवश्यक है । शिकायतकर्ता को प्रायिक तौर पर सह-अभियुक्त समझा जाता है और उसके परिसाक्ष्य की स्वतंत्र संपुष्टि की ईप्सा (भले ही विधि की दृष्टि से नहीं, अपितु कम से कम प्रज्ञा की दृष्टि से) की जाती है ।

15. अभियोजन पक्ष ने अवैध परितोषण की मांग, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध का गठन करने के लिए अत्यावश्यक है, को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता, जगतार सिंह (अभि. सा. 1) के कथन का अत्यधिक अवलंब लिया है, जिसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने सीसीबी कनेक्शन के स्थापन के लिए 500/- रुपए की मांग की थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि अपीलार्थी द्वारा की गई 500/- रुपए की मांग इस तथ्य से साबित होती है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से 500/- रुपए स्वीकार किए थे, अभि. सा. 1, जगतार सिंह और अभि. सा. 2, नछत्तर सिंह के कथन का अवलंब लिया है ।

16. अभियोजन का सम्पूर्ण वृत्तांत शिकायतकर्ता के इस अभिवाक् पर आधारित है कि अपीलार्थी ने सीसीबी कनेक्शन के स्थापन के लिए रिश्वत के रूप में 500/- रुपए की मांग की थी । महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा जिसे अनदेखा किया गया है, यह है कि क्या मांग करने के दिन और यहां तक कि छापा मारने के दिन भी अपीलार्थी के लिए ऐसी मांग करने का कोई कारण या हेतु था या नहीं । अभियोजन पक्ष ने महाप्रबंधक (दूरभाष), संगरूर के कार्यालय में उप-प्रभागीय इंजीनियर (वाणिज्यिक) द्वारा जारी एक सूचना पत्र का अवलंब लिया है, जिसके द्वारा उप-प्रभागीय इंजीनियर (जी), लहरागागा को मुनक में स्थानीय सीसीबी/पीसीओ उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था और सूचनापत्र पर यह एक टिप्पण था कि कनेक्शन शिकायतकर्ता द्वारा सीसीबी उपकरण खरीद लिए जाने पर उसके साथ

उपलब्ध कराया जाएगा । इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 5, दीप चन्द की परीक्षा की, जिसने यह कथन किया है कि सीसीबी मशीन शिकायतकर्ता द्वारा खरीदी जानी थी और अपीलार्थी को कनेक्शन क्रियाशील करना था । प्रति. सा. 1 जगमेल सिंह, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, दूरसंचार, दूरभाष केंद्र लहरागागा ने इस तथ्य को कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (जी) द्वारा लिखे गए एक पत्र, प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/2 को फाइल पर लाकर और स्पष्ट किया गया है, यह पत्र निम्न प्रकार से है :–

> "आपको सूचित किया जाता है कि मैंने के. एन. सिंघला, टी. टी. ए. के साथ उप-परिसरों का दौरा किया था किंतु उप-परिसरों पर कोई सीसीबी नहीं पाया गया । मैंने उसे पहले ही सीसीबी खरीदने का नोटिस दिया था किंतु उसने 13 अक्तूबर, 2000 तक सीसीबी नहीं खरीदा । इसलिए सीसीबी व्यवहार्य नहीं है । कृपया, यह आपके पिछले टिप्पण के संदर्भ में है ।"

17. यह पत्र तारीख 13 अक्तूबर, 2000 को अर्थात् छापा मारने की तारीख से बहुत बाद में लिखा गया था । इस पत्र के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि तारीख 13 अक्तूबर, 2000 तक भी सीसीबी मशीन नहीं खरीदी गई थी और उसे सीसीबी कनेक्शन निर्मोचित नहीं किया जा सका था । उसने शिकायतकर्ता द्वारा लिखे गए तारीख 7 नवंबर, 2000 के उस पत्र को भी फाइल पर रखा है, जिसके द्वारा उसने उप-प्रभागीय इंजीनियर (वाणिज्यिक), संगरूर को सूचित किया था कि सीसीबी स्थानीय पीसीओ के निर्मोचन का आदेश उसे लौटा दिया गया है, क्योंकि उसके पास सीसीबी स्थानीय पीसीओ बॉक्स नहीं था । अब उसने स्थानीय पीसीओ बॉक्स खरीद लिया है, इसलिए कनेक्शन निर्मोचन का आदेश पुनः जारी किया जाए । मैं यहां अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए महत्वपूर्ण और एकमात्र दस्तावेज़ अर्थात् प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/2 पर वापस आता हूं, जिस पर 12 दिसंबर, 2000 की तारीख है और कनेक्शन के स्थापन की तारीख 15 नवंबर, 2000 अर्थात् शिकायतकर्ता द्वारा लिखे गए तारीख 7 नवंबर, 2000 के पत्र के पश्चात् की है । यह तथ्य विवादग्रस्त नहीं है कि शिकायतकर्ता के लिए सीसीबी कनेक्शन हेतु यंत्र खरीदना अपेक्षित था ।

अन्वेषक अधिकारी ने इस तथ्य की पूर्णतया अनदेखी की है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए इस अभिकथन में कोई सार है या नहीं है कि अपीलार्थी सीसीबी कनेक्शन निर्मोचित करने के लिए 500/- रुपए की मांग कर रहा था । उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया कि सूचनापत्र के निबंधनों के अनुसार क्या शिकायतकर्ता ने सीसीबी कनेक्शन का यंत्र खरीदा है या नहीं । शिकायतकर्ता द्वारा यंत्र खरीदने की कोई रसीद या इस बाबत दूरभाष विभाग को दी गई सूचना अन्वेषण के दौरान उपाप्त नहीं की गई थी । शिकायतकर्ता ने अभि. सा. 1 के रूप में उपसंजात होते हुए यह कथन किया कि उसने छापा मारे जाने से पूर्व 5,200/- या 5,300/- रुपए में सीसीबी कनेक्शन के लिए यंत्र खरीदा था । उसने अन्वेषक अधिकारी को यंत्र खरीदने का बिल नहीं सौंपा था । उसे उस दुकान की जानकारी नहीं थी जहां से यंत्र खरीदा गया था । उसने यह कथन किया कि जगमेल सिंह, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी को यंत्र खरीदने के बारे में बताया गया था, किंतु उक्त जगमेल सिंह ने प्रति. सा. 1 के रूप में उपसंजात होते हुए शिकायतकर्ता द्वारा यंत्र खरीदे जाने के बारे में उसे बताते हुए तारीख 7 नवंबर, 2000 को लिखे गए पत्र, प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/4 को साबित किया है । उसने कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया है कि शिकायतकर्ता ने सीसीबी यंत्र खरीदने के बारे में उसे छापा मारने से पहले बताया था । अन्वेषक अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक, गुरमुख सिंह इस पहलू पर पूरी तरह से मौन है और कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसने इस तथ्य के बारे में सत्यापन किया था कि शिकायतकर्ता ने छापा मारने से पूर्व सीसीबी कनेक्शन के लिए यंत्र खरीद लिया था और सूचनापत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/2 के अनुसार यह संयंत्र स्थापन के लिए तैयार था । अतः, अभियोजन पक्ष धन की मांग करने के अपीलार्थी के हेतु को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर इस साक्ष्य को विधारित किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा सीसीबी कनेक्शन के स्थापन के लिए यंत्र कब खरीदा गया था । यदि उसके पास इस संबंध में बिल होता, तो अभियोजन पक्ष के पास इसे विधारित करने का कोई कारण नहीं था ।

18. द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर विचार करना आवश्यक है, यह है

कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलार्थी द्वारा की गई 500/- रुपए की मांग को और उसके मांग करने पर 500/- रुपए की रकम संदत्त करने की बात को साबित करने में समर्थ रहा है या नहीं । इस संबंध में शिकायतकर्ता, जगतार सिंह का एकमात्र कथन है, जिसने यह कथन किया है कि छापा मारने से पहले उसने अपीलार्थी जीत सिंह से संपर्क किया था और उसने सीसीबी कनेक्शन स्थापित करने के लिए 500/- रुपए मांगे थे । उसके पश्चात्, उसने इस तथ्य की इत्तिला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी और छापा मारने की व्यवस्था की गई । नछत्तर सिंह छाया साक्षी के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने 500/- रुपए की मांग करने के संबंध में शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के बीच हुई कोई बातचीत नहीं सुनी थी या शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को 500/- रुपए सौंपते हुए नहीं देखा था । इस साक्षी ने अभि. सा. 2 के रूप में उपसंजात होकर जो परिसाक्ष्य दिया था, उसका उल्लेख करना सुसंगत होगा । उसने यह कथन किया है कि वह छापामार दल के साथ दूरभाष केंद्र पहुंचने पर अपीलार्थी के पहुंचने तक दूरभाष केंद्र के बाहर रहा था । दूरभाष केंद्र पहुंचने पर अपीलार्थी और शिकायतकर्ता जगतार सिंह कमरे के अंदर गए जबकि वह दूरभाष केंद्र के दरवाजे पर खड़ा रहा । जगतार सिंह उसके सामने की ओर था और अपीलार्थी की पीठ उसकी ओर थी और दोनों उससे लगभग 20 कदम (100 फुट से अधिक) पर थे । उसने अभियुक्त को धन देते हुए देखने पर छापामार दल को संकेत नहीं किया था, अपितु पहले शिकायतकर्ता से संकेत प्राप्त हुआ था और इसके पश्चात् छापामार दल को संकेत किया था । इससे दर्शित होता है कि उसने शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के बीच कोई भी सांकेतिक सम्पर्क होते नहीं देखा था । यहां तक कि संकेत करने के पश्चात् भी वह दूरभाष केंद्र के दरवाजे पर मौजूद रहा था, जबकि छापामार दल के अन्य सदस्य अंदर चले गए थे । वह बाद में दूरभाष केंद्र के अंदर गया था । इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उसने नछत्तर सिंह को कोई संकेत किया था और उसका संकेत प्राप्त होने पर नछत्तर सिंह ने छापामार दल को संकेत किया था । अभियोजन पक्ष ने सुरक्षा गारद, अभि. सा. 7 जगदेव सिंह की भी परीक्षा की थी, जिसने यह कथन किया है कि तारीख 6 अक्तूबर, 2000 को शिकायतकर्ता दूरभाष केंद्र में आया था और अपीलार्थी के बारे में पूछताछ

की थी, जो किसी खराबी की मरम्मत करने के लिए बाहर गया हुआ था । जब अपीलार्थी दूरभाष केंद्र में आया तो शिकायतकर्ता उसे कार्यालय से बाहर ले गया । कुछ मिनटों के पश्चात् जीत सिंह दौड़ता हुआ कार्यालय में आया और उसके पीछे दो या तीन व्यक्ति सादी वर्दी में थे । उसने उन व्यक्तियों को रोका जो अपीलार्थी के पीछे-पीछे आ रहे थे और इसी बीच पुलिस उप अधीक्षक वहां आए और अपना परिचय दिया । उसने उसे उस स्थान से चले जाने के लिए कहा । पुलिस उप अधीक्षक दल के अन्य सदस्यों ने दो घंटे तक कुछ लिखने का कार्य किया और फिर अपीलार्थी के साथ चले गए । उसने यह भी कथन किया कि जब शिकायतकर्ता दूरभाष केंद्र में आया था तब वह अकेला था और यह बात नछत्तर सिंह की छाया साक्षी के रूप में घटनास्थल पर मौजूदगी को नकारती है ।

19. शिकायतकर्ता तथा छाया साक्षी नछत्तर सिंह के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि न तो शिकायतकर्ता और न ही छाया साक्षी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी को 500/- रुपए की रिश्वत उसके मांग करने पर दी गई थी । शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि जीत सिंह के दूरभाष केंद्र पहुंचने पर वह उसे एक तरफ ले गया और उसे दूषित धन सौंपा । अपीलार्थी ने दूषित धन की गिनती की और उसे अपनी पैंट की पिछली जेब में रख लिया । अभि. सा. 2 नछत्तर सिंह दूरभाष केंद्र के बाहर था और उसने शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के बीच हुई कोई बातचीत नहीं सुनी थी ।

20. अब अभियोजन पक्ष के पास शिकायतकर्ता का केवल यह कथन कि रिश्वत की मांग मामले की इत्तिला करने से पूर्व की गई थी और छापा मारा गया था तथा अपीलार्थी के कार्यालय की मेज की दराज से 500/- रुपए की बरामदगी और अपीलार्थी के हाथ और पैंट की जेब धुलवाने संबंधी साक्ष्य शेष बचता है ।

21. **पंजाब राज्य** बनाम **मदन मोहन लाल वर्मा**[1] वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की है :-

"7. इस विवाद्यक पर यह विधि सुस्थिर है कि अधिनियम,

---

[1] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3368.

1988 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए अवैध परितोषण की मांग करना अनिवार्य है । जब मामले में सारभूत साक्ष्य विश्वसनीय न हो और जब तक रिश्वत के संदाय को साबित करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न हो कि धन स्वेच्छा से रिश्वत के रूप में लिया गया था, दूषित धन की मात्र बरामदगी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है । अवैध परितोषण के रूप में रकम की मांग और स्वीकृति की बाबत किसी साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त द्वारा रकम की मात्र प्राप्ति उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है ।"

22. **कृष्ण चन्द्र** बनाम **दिल्ली राज्य**[1] वाले मामले में अभियुक्त ने दूषित धन को जमीन पर फेंक दिया था, जिसे छाया साक्षी द्वारा उठा लिया गया था । यह तथ्य निर्णय के पैरा 11 में वर्णित है, जो निम्न प्रकार से है :–

"11. अनूप कुमार वर्मा ने छापामार दल को सूचित किया कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता-जयभगवान से 1,000/- रुपए की रिश्वत की मांग की है और उसे स्वीकार किया है । निरीक्षक, सुंदर देव ने अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण शाखा के निरीक्षक के रूप में अपना परिचय दिया और इस पर अपीलार्थी ने तुरंत अपने बाएं हाथ से अपनी कमीज की जेब से दूषित सरकारी करेंसी नोट निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया । इसके पश्चात् पंच साक्षी अनूप कुमार वर्मा द्वारा निरीक्षक सुंदर देव के अनुदेश पर उक्त सरकारी करेंसी नोटों को जमीन से उठाया गया । बरामद सरकारी करेंसी नोटों के क्रम संख्यांकों का उन क्रम संख्यांकों से मिलान किया गया, जो छापा-पूर्व की गई कार्यवाहियों में नोट किए गए थे । अपीलार्थी के दाएं और बाएं हाथ के धोवन तथा उसकी कमीज की बाईं जेब का धोवन सोडियम कार्बोनेट के रंगहीन घोल में मिलाया गया जो गुलाबी हो गया । घोल को शीशे की साफ बोतलों में स्थानांतरित किया गया और उन्हें मुहरबंद किया गया और उन पर लेबल लगाए गए । उसके पश्चात् अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध

[1] (2016) 3 एस. सी. सी. 108 = ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 298.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 2004 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 36 रजिस्ट्रीकृत की गई थी ।"

23. उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिलेख के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् पैरा 33 और 34 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

"33. शिकायतकर्ता-जयभगवान (अभि. सा. 2) के साक्ष्य, अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में किए गए कथनों तथा अनूप कुमार वर्मा (अभि. सा. 2) और निरीक्षक-सुंदर देव (अभि. सा. 12) के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता-जयभगवान से रिश्वत के धन की कोई मांग नहीं की गई थी ।

34. विधि की यह सुस्थिर स्थिति है कि अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने के लिए रिश्वत के धन की मांग करना अनिवार्य है । बी. जयराज (2014 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2080) (उपरोक्त), ए. सुबैर (2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3994) (उपरोक्त) और पी. सत्यनारायण (ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3549) (उपरोक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय द्वारा यही विधिक सिद्धांत अभिनिर्धारित किया गया है, जिनका अपीलार्थी की ओर से ज्येष्ठ विद्वान् काउंसेल द्वारा ठीक ही अवलंब लिया गया है । बी. जयराज (उपरोक्त) वाले मामले का सुसंगत पैरा 7 इस प्रकार है –

"7. जहां तक धारा 7 के अधीन अपराध का संबंध है, विधि में यह स्थिर स्थिति है कि उक्त अपराध का गठन करने के लिए अवैध परितोषण की मांग करना अनिवार्य है और करेंसी नोटों की बरामदगी मात्र से धारा 7 के अधीन अपराध का तब तक गठन नहीं हो सकता है जब तक कि सभी युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित नहीं हो जाता है कि अभियुक्त ने धन स्वेच्छा से यह जानते हुए स्वीकार किया था कि यह रिश्वत

है । उपरोक्त स्थिति इस न्यायालय के कई निर्णयों में संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से अधिकथित की गई है । दृष्टांतस्वरूप, सी. एम. शर्मा **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य और सी. एम. गिरीश बाबू **बनाम** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2022) वाले मामलों में के विनिश्चय के प्रतिनिर्देश किया जा सकता है ।"

पी. सत्यनारायण मूर्ति (ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3549) (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है –

"21. केरल राज्य और एक अन्य **बनाम** सी. पी. राव (2012 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2879) वाले मामले में इस न्यायालय ने इसी प्रकार के अपराधों के संदर्भ में अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि बरामदगी मात्र से ही अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हो जाता है और रिश्वत के संदाय को साबित करने के लिए और यह दर्शित करने के लिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से यह जानते हुए धन स्वीकार किया था कि यह रिश्वत है, किसी साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है ।

22. इस न्यायालय द्वारा बी. जयराज वाले मामले में के एक हाल ही के निर्णय में अधिनियम की धारा 7 और 13 की अनिवार्य पूर्व-अपेक्षाओं का उल्लेख करने के लिए अति स्पष्ट शब्दों में यह रेखांकित किया कि मांग करने के सबूत के बिना करेंसी नोट मात्र अभियुक्त के कब्जे में होने और उनकी बरामदगी से अधिनियम की धारा 7 तथा 13(1)(घ)(i) और (ii) के अधीन अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है । यह प्रतिपादित किया गया है कि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में लोक सेवक के रूप में कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय फायदा अभिप्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का प्रयोग करना साबित हुआ नहीं ठहराया जा सकता है । अतः, अधिनियम की धारा 7 और 13 के अधीन अपराध के लिए मांग के सबूत की

अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है । अधिनियम की धारा 20, जो इसमें यथा अनुध्यात उपधारणा को अनुज्ञात करती है, के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जबकि यह उपधारणा केवल धारा 7 के अधीन अपराध तक विस्तारणीय है न कि अधिनियम की धारा 13(1)(घ)(i) और (ii) के अधीन आने वाले अपराध तक है, इसलिए कोई पदीय कृत्य करने या प्रविरत रहने के लिए अवैध परितोषण की स्वीकृति का सबूत भी प्रासंगिक है । इस बात पर बल दिया गया है कि अवैध परितोषण की स्वीकृति का ऐसा सबूत तभी दिया जा सकता है जब मांग करने का भी सबूत हो । प्रामाणिक रूप से, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मांग करने के सबूत के अभाव में अधिनियम की धारा 20 के अधीन ऐसी विधिक उपधारणा भी उद्भूत नहीं होगी ।

23. अतः, अवैध परितोषण की मांग करने का सबूत अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ)(i) और (ii) के अधीन अपराध का सार है और इसलिए उसके अभाव में आरोप असंदिग्ध रूप से असफल हो जाएगा । किसी रकम की अभिकथित रूप से अवैध परितोषण के माध्यम से मात्र स्वीकृति या उसकी बरामदगी ही मांग के सबूत के बिना स्वयमेव अधिनियम के इन दो उपबंधों के अधीन आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी । परिणामस्वरूप, अवैध परितोषण के लिए मांग को साबित करने में अभियोजन पक्ष की असफलता घातक होगी और अधिनियम की धारा 7 और 13 के अधीन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से रकम की मात्र बरामदगी से इन धाराओं के अधीन उसकी दोषसिद्धि नहीं की जा सकेगी ।"

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

इसके अतिरिक्त, **सतवीर सिंह** बनाम **दिल्ली राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :-

[1] (2014) 4 आर. सी. आर. (क्रि.) 40 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 3798.

"34. के. एस. पांडुरंगा (ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2164) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा अवैध परितोषण की मांग करना और रकम की स्वीकृति अपराध का गठन करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है । उपर्युक्त विनिश्चय से इस बाबत सुसंगत पैरा इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है : (एस. सी. सी. का पृष्ठ 740-741, पैरा 39) ।"

24. दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की गई और उसे दोषमुक्त करने का आदेश दिया गया ।

25. **राकेश कपूर** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया था कि उससे रिश्वत की मांग मोबाइल फोन पर की गई थी । अन्वेषक अधिकारी ने शिकायतकर्ता के कथन और छाया साक्षी, जिसने यह कथन किया था कि उसने शिकायतकर्ता को यह कहते हुए सुना था कि वह धन लेकर आया है, की संपुष्टि के लिए कॉल-डिटेल नहीं निकलवायी थी । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि मांग और स्वीकृति की बात सम्यक् रूप से साबित नहीं की गई है ।

26. इस मामले में अपीलार्थी एक सरकारी कर्मचारी है और उसके विरुद्ध अभिकथन यह है कि उसने शिकायतकर्ता से रिश्वत की ईप्सा की थी । यह उल्लेख करना उचित है कि दांडिक विचारण में अभियोजन पक्ष को अपना पक्षकथन किसी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए । **कुलदीप राय** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार के मामलों पर, जहां तक साक्ष्य के मूल्यांकन का संबंध है, एक भिन्न आधार पर विचार किया जाना चाहिए और यदि इन मामलों में दोषसिद्धि हो जाती है तो अभियुक्त न केवल कारावास में जाता है अपितु वह अपनी आजीविका भी खो देता है और लोकनिंदा भी झेलनी पड़ती है । इसलिए न्यायालय को इन मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखते हुए सदैव सावधान और सर्तक रहना चाहिए कि यदि दो मत संभव हैं, तो वह मत

---

[1] (2012) 13 एस. सी. सी. 552.

[2] (2002) 2 आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 781.

अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो । अतः, यह संदेह रहित बात है कि दांडिक मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और अभिलेख के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए ।

27. उपरोक्त स्थिर विधि को दृष्टिगत करते हुए, विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता के असंपुष्टिकारी कथन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हुए गंभीर गलती की है कि रिश्वत की मांग सम्यक् रूप से साबित होती है । छाया साक्षी नछत्तर सिंह ने इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं कहा है । **पंजाब राज्य** बनाम **मदन मोहन लाल वर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में की गई मताभिव्यक्ति के अनुसार शिकायतकर्ता का एकमात्र परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है ।

28. शिकायतकर्ता और छाया साक्षी के परिसाक्ष्य में एक अन्य विसंगति है । शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि उसने नछत्तर सिंह को अपीलार्थी द्वारा रिश्वत के धन की मांग करने के बारे में छापा मारने की तारीख से 15 दिन पूर्व बताया था । जबकि अभि. सा. 2, नछत्तर सिंह ने यह कथन किया है कि शिकायतकर्ता ने उसे अपीलार्थी द्वारा की गई मांग के बारे में छापा मारने के दिन बताया था । उस दिन शिकायतकर्ता उसे गांव चोटियां से अपने स्कूटर पर लाया था । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में यह कहा है कि उसके पास शिकायतकर्ता से अवैध परितोषण की मांग करने या स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि सीसीबी कनेक्शन प्राइवेट ठेकेदार द्वारा स्थापित किया जाना था और शिकायतकर्ता ने सीसीबी कनेक्शन यंत्र नहीं खरीदा था । तारीख 13 अक्तूबर, 2000 को शिकायतकर्ता को एक पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि उसने अपेक्षित यंत्र नहीं खरीदा है, इसलिए जब तक वह मशीन नहीं खरीदता है, उसका कनेक्शन लंबित रहेगा । तथापि, उसने अपने से धन की बरामदगी की बात से इनकार किया है और यह कथन किया है कि जगतार सिंह ने उसके साथ उसके कार्यालय में हाथ मिलाया था और छापामार दल के पदधारियों ने तुरंत उसे दबोच लिया था और उसे सतर्कता ब्यूरो के कार्यालय ले गए थे ।

29. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के

अनुसार, दूषित धन की बरामदगी को स्पष्ट करने का भार अभियुक्त (अपीलार्थी) पर है, जिसे इस मामले में अपीलार्थी साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा तब लागू होती यदि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के हेतु और अवैध परितोषण की मांग को संदेह के परे साबित कर देता । जैसी कि पहले चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष इन दोनों आधारों पर पूरी तरह से असफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि इस एकमात्र तथ्य के आधार पर अभिलिखित नहीं की जा सकती है कि वह अपने कब्जे से हुई दूषित धन की बरामदगी को स्पष्ट करने में असफल रहा है ।

30. अभियोजन चलाने की मंजूरी प्रदान करते समय विवेक से काम न लेने के संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की दलील में कोई बल नहीं है । अमरजीत सिंह बानगढ़, प्रभागीय इंजीनियर (दूरसंचार), जिसने मंजूरी (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/1) दी थी, ने यह कथन किया है कि उसने सुसंगत अभिलेख का परिशीलन किया था और मंजूरी का आदेश (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/1) विवेक के आधार पर पारित किया था । मंजूरी का आदेश एक विस्तृत आदेश है जिससे दर्शित होता है कि प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान करते समय विवेक का प्रयोग किया गया था, इसलिए अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की यह दलील त्यक्त की जाती है ।

31. मेरी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मेरी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय अपराध का गठन करने वाले संघटकों को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । संदेह का फायदा देते हुए अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का हकदार है । परिणामतः, यह अपील स्वीकार की जाती है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किए जाने का आदेश किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

जगदीश

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 13 फरवरी, 2017

न्यायमूर्ति कंवलजीत सिंह अहलूवालिया और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख, 498क और 201 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख, 3] – दहेज मृत्यु और क्रूरता – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी के नातेदारों को सूचना दिए बिना उसका दाह-संस्कार किया जाना – अप्राकृतिक मृत्यु को साबित करने में चिकित्सीय साक्ष्य का अभाव – यदि अभियोजन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गर्भावस्था के दौरान प्रकट हुई जटिलताओं के कारण मृतका की मृत्यु हुई और अभियोजन साक्षी का परिसाक्ष्य हितबद्ध होने पर अविश्वसनीय है तथा दहेज मृत्यु का कोई साक्ष्य नहीं है तो अभियोजन धारा 113ख के अधीन नहीं चलाया जा सकता अतः, अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 27 जून, 2004 को जबर सिंह की भतीजी छाया का विवाह जगदीश, पुत्र रमेश सिंह, निवासी मदारीपुरा, पुलिस थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर के साथ हुआ था । छाया के पिता अमर सिंह की मृत्यु 20/22 वर्ष पूर्व हुई थी इसलिए, छाया को जबर सिंह शिकायतकर्ता द्वारा लाया गया था । छाया अपने पिता अमर सिंह की संपदा की उत्तराधिकारी थी । अमर सिंह के पास भूमि थी जिसकी देखभाल शिकायतकर्ता जबर सिंह द्वारा की जा रही थी । अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह है कि देवेन्द्र सिंह पुत्र जबर सिंह को छाया के पिता अमर सिंह द्वारा गोद लिया गया था । विवाह के सात वर्ष के भीतर तारीख 6 जुलाई, 2006 को छाया की उसके वैवाहिक गृह में मृत्यु हो गई । जबर सिंह शिकायतकर्ता ने यह शिकायत की कि अभियुक्त-अपीलार्थी जगदीश ने बिना उसे और मृतक के अन्य नातेदारों को सूचना दिए बिना अपनी पत्नी छाया का दाह संस्कार कर दिया गया । अतः जबर सिंह ने उप निरीक्षक मुमताज अहमद के समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जो तब पुलिस थाना कंचनपुर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात था ।

उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जिसकी सं. 118/2006 है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस थाना, कंचनपुर, जिला धौलपुर में दर्ज कराई गई थी । अन्वेषण अभिकरण ने अन्वेषण निष्कर्ष निकालने के पश्चात् वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख, 498क और 201 के अधीन अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अन्वेषण की रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी । अन्वेषण की रिपोर्ट के साथ अपीलार्थी को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था और मामले का विचारण अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) सं. 2 के न्यायालय, धौलपुर में सौंपा गया था । उक्त न्यायालय ने तारीख 22 मई, 2009 को अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी-जगदीश को दंड संहिता की धारा 304ख, 498क और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषी ठहराया । अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय में रामअवतार ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि छाया के दाह-संस्कार में वह तथा मृतका छाया के चाचा सम्मिलित हुए थे । वास्तव में जबर सिंह छाया के चाचा/ताया है । इस प्रकार, रामअवतार के अभिसाक्ष्य के अनुसार जबर सिंह छाया के दाह-संस्कार में सम्मिलित हुए थे । गोपाल सिंह और कल्याण सिंह जो पड़ोसी है, उन्होंने यह भी साक्ष्य दिया है कि छाया के कुटुंब के सदस्य दाह-संस्कार में मौजूद थे, यद्यपि, रामअवतार, गोपाल सिंह और कल्याण सिंह अभियोजन के लिए पक्षद्रोही घोषित किए गए, उनके साक्ष्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस प्रकार, अभियोजन साक्षियों द्वारा वर्णित कहानी, अर्थात् जबर सिंह और देवेन्द्र सिंह जो इस आधार के अंतर्गत हितबद्ध साक्षी हैं । उनका प्राख्यान यह है कि उन्हें छाया की मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया था । इस बात को त्यक्त किया जाना चाहिए । जब एक बार छाया की मृत्यु के बारे में सूचना दी गई थी और जबर सिंह और देवेन्द्र सिंह दाह-संस्कार में सम्मिलित हुए थे तब अभियोजन पक्ष के लिए यह प्रकट करने के अलावा भी कुछ नहीं था कि मृतका छाया की अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी । अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध इस प्रभाव की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती । दंड संहिता की धारा 304ख का अवलंब लेने के लिए अप्राकृतिक मृत्यु आवश्यक संघटक है । चूंकि वर्तमान मामले में अभियोजन

पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि मृतका की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई थी । हम निष्कर्ष निकाल कर उस बात की उपधारणा नहीं कर सकते हैं । इसलिए, दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रख सकते । (पैरा 37)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की डी. बी. दांडिक अपील सं. 632.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री हिम्मत सिंह, मुकेश चौधरी और महेश सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अलादीन खान, लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कंवलजीत सिंह अहलूवालिया ने दिया ।

न्या. अहलूवालिया – अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 27 जून, 2004 को जबर सिंह की भतीजी छाया का विवाह जगदीश, पुत्र रमेश सिंह, निवासी मदारीपुरा, पुलिस थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर के साथ अनुष्ठापित हुआ था । छाया के पिता अमर सिंह की मृत्यु 20/22 वर्ष पूर्व हुई थी इसलिए, छाया को जबर सिंह (अभि. सा. 4) शिकायतकर्ता द्वारा लाया गया था ।

2. छाया अपने पिता अमर सिंह की संपदा की उत्तराधिकारी थी । अमर सिंह के पास भूमि थी जिसकी देखभाल शिकायतकर्ता जबर सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा की जा रही थी । अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह है कि देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) पुत्र जबर सिंह (अभि. सा. 4) को छाया के पिता अमर सिंह द्वारा गोद लिया गया था । विवाह के सात वर्ष के भीतर तारीख 6 जुलाई, 2006 को छाया की उसके वैवाहिक गृह में मृत्यु हो गई ।

3. जबर सिंह (अभि. सा. 4) शिकायतकर्ता ने यह शिकायत की कि अभियुक्त-अपीलार्थी जगदीश ने बिना उसे और मृतक के अन्य नातेदारों को सूचना दिए अपनी पत्नी छाया का दाह-संस्कार कर दिया । अतः जबर सिंह (अभि. सा. 4) ने उप निरीक्षक मुमताज अहमद (अभि. सा. 11) के समक्ष लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18) प्रस्तुत की जो तब पुलिस थाना कंचनपुर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात था ।

4. उक्त लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) के आधार पर औपचारिक प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) जिसकी सं. 118/2006, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस थाना, कंचनपुर, जिला धौलपुर में दर्ज कराई गई थी ।

अन्वेषण अभिकरण ने अन्वेषण निष्कर्ष निकालने के पश्चात् वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख, 498क और 201 के अधीन अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अन्वेषण की रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी । अन्वेषण की रिपोर्ट के साथ अपीलार्थी को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था और मामले का विचारण अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) सं. 2 के न्यायालय, धौलपुर में सौंपा गया था ।

5. उक्त न्यायालय ने तारीख 22 मई, 2009 को अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी-जगदीश को दंड संहिता की धारा 304ख, 498क और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषी ठहराया ।

6. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के सह-अभियुक्तों अर्थात् बलवीर सिंह **उर्फ** बबलू कुमारी, संगीता, श्रीमती बितोली और रमेश सिंह को दोषमुक्त कर दिया था ।

7. विचारण न्यायालय ने उपरोक्त उक्त अपराधों से वर्तमान अपीलार्थी, को दोषसिद्ध करके उसी तारीख को पृथक् आदेश पारित करते हुए निम्न प्रकार दंडादिष्ट कर दिया :–

> "भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध के लिए : अपीलार्थी को तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने, 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास का अतिरिक्त कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया था ।
>
> दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए : अपीलार्थी को आजीवन कारावास भोगने, 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर तीन मास का अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए भी दंडादिष्ट किया गया था ।
>
> दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए : अपीलार्थी को तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने, 500/- रुपए के

जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास का अतिरिक्त कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

विचारण न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि अपीलार्थी के लिए अधिनिर्णीत सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।"

8. वर्तमान अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की है और यह अनुरोध किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि तथा दंडादेश अपास्त किए जाते हैं ।

9. लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8), शिकायतकर्ता - जबर ने यह प्रकथन किया है कि उसका भाई, अमर सिंह की 22 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी, इसलिए, उसने अपनी भतीजी अमर सिंह की पुत्री का विवाह जगदीश के साथ लगभग तीन वर्ष पूर्व कर दिया था । रामअवतार (अभि. सा. 1) और राजेन्द्र सिंह ने मृतका छाया और अभियुक्त-अपीलार्थी जगदीश के बीच विवाह अनुष्ठान में मध्यस्थता की थी । लिखित रिपोर्ट में मृतका के अभियुक्त-पति के जवान भाई, बहिन, माता और पिता के विरुद्ध ये भी अभिकथन किए गए थे । रिपोर्ट में, शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि संगीता (ननद) और बबलू (देवर) दहेज की मांग करके मृतका को परेशान किया करते थे और उन्होंने मृतका पर यह भी दबाव बनाया था कि उसके पिता के नाम पर भूमि को उनके पक्ष में अंतरित की जाए । शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि जब कभी उसकी भतीजी उनके पास आया करती तब वह पति के कुटुंब द्वारा की गई परेशानी की कहानी उन्हें सुनाया करती । शिकायतकर्ता ने यह भी कथन किया है कि तारीख 6 जुलाई, 2006 को उसकी पुत्रवधु सुनीता (अभि. सा. 8) अपने पैतृक गृह में विवाह में सम्मिलित होने के लिए गई थी । सुनीता का गांव छाया के ससुराल वालों के गांव मदारीपुरा के नजदीक था । तारीख 6 जुलाई, 2006 लगभग 1.30 बजे अपराह्न सुनीता ने उसे सूचित किया कि छाया के ससुराल वालों ने 6.00 बजे प्रातः उसकी हत्या करने के पश्चात् उसका दाह-संस्कार कर दिया । इस प्रकार, यह शिकायत की गई थी कि अभियुक्त ने छाया के नातेदारों को कोई सूचना दिए बिना उसका दाह-संस्कार कर दिया ।

10. वर्तमान अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था और उसे विचारण के लिए भेजा गया । अभियुक्त के पिता - रमेश सिंह, माता श्रीमती बितोली

और बहिन संगीता को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था । उसके भाई बलवीर सिंह **उर्फ** बबलू को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था, और, इस प्रकार तत्पश्चात् उनके विरुद्ध पृथक्-पृथक् आरोप पत्र फाइल किए गए थे । इसके पश्चात् सभी आरोप पत्र विभिन्न प्रक्रमों पर फाइल किए गए थे, जिन्हें एक साथ समवेत किया गया था । अतः, उपलब्ध अभिलेख के अनुसार साक्षियों के कथन अलग-अलग तारीखों पर अभिलिखित किए गए थे । उन्हें कागजात पुस्तिका का भाग भी बनाया गया । कथनों के एक समूह को अभिलिखित किया गया था जब केवल अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष मौजूद था और जब अन्य सह-अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था तब कथन अभिलिखित किए गए थे और पृथक्-पृथक् आरोप पत्रों को समवेत करने के पश्चात् नए सिरे से विचारण की कार्यवाही की गई थी ।

11. चूंकि, पूर्व में अभिलिखित कथन पूर्ववर्ती कथन हैं, इसलिए हम विचारण न्यायालय में साक्षियों के उन पश्चात्वर्ती कथनों का अवलंब लेंगे जो विचारण न्यायालय में उस समय अभिलिखित किए गए थे जब सभी अभियुक्त विचारण के दौरान मौजूद थे ।

12. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कुल मिलाकर बारह साक्षियों की परीक्षा की । इसके पश्चात्, अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने विवाह होना स्वीकार किया था, परंतु सभी अन्य अभिकथनों से इनकार किया । अभियुक्त ने यह भी कथन किया है कि छाया के पिता से संबंधित भूमि को जबर सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा जोता जा रहा था । छाया ने भूमि के प्रतिफल की मांग की थी जो उसके पिता के नाम में थी, अभियुक्त ने यह भी कथन किया है कि वह अपनी पत्नी को सहयोग देता था । यह भी कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया हो ताकि वह भूमि में अपनी हिस्सेदारी की मांग न कर सके जो उसकी पत्नी को प्राप्त हुआ था ।

13. अभियुक्त जगदीश स्वयं प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में हाजिर हुआ और यह कथन किया है कि उसकी पत्नी ने तारीख 23 फरवरी, 2006 को बच्चे को जन्म दिया था । प्रसव के पंद्रह या एक मास पश्चात् उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया । उसे "देशी उपचार" दिया गया, यह भी कथन किया

गया है कि मृतका छाया को दिए गए उपचार के अभिलेख सुरक्षित नहीं रखे गए थे ।

14. रामअवतार (अभि. सा. 1) जिसने विवाह के धर्मानुष्ठान में मध्यस्थ की भूमिका निभाई, उसने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके आदेश पर छाया का विवाह वर्तमान अपीलार्थी जगदीश के साथ हुआ था । यह साक्षी मृतका का भाई देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रारंभ में यह साक्ष्य दिया है कि "मेरी बच्ची का नाम सुनीता था । इसकी शादी देवेन्द्र के साथ की थी ।" इस साक्षी ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बच्चे को जन्म देने के पश्चात् छाया के गर्भ में जटिलताएं उत्पन्न हुई । उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई थी । रामअवतार को जगदीश द्वारा बुलाया गया था । शव का उसकी मौजूदगी में दाह-संस्कार किया गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृतका का ताया भी दाह-संस्कार में सम्मिलित था ।

15. हम यहां पर रामअवतार (अभि. सा. 1) की मुख्य परीक्षा से प्रकट निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख करते हैं :–

> "जब उसके मरने की खबर आई थी तो जगदीश हमें बुलाने आया था तब हम वहां गए थे । हम बाड़ी से लाश को घर ले आए थे । दाह-संस्कार में, मैं था, जगदीश था, और लड़की का ताऊ था (बल दिया गया) । दाह-संस्कार में रमेश, बबलू, गजेन्द्र उपस्थित थे । पुलिस वहां दूसरे दिन गई थी । जिस दिन पुलिस गई थी, उस दिन मैं वहां मौजूद नहीं था ।"

16. गोपाल सिंह (अभि. सा. 2), जो अभियुक्त का पड़ोसी रहा, ने गर्भ समस्याओं के कारण छाया की मृत्यु होने का कथन किया गया है और इस अवसर पर छाया के कुटुंब के सदस्य दाह-संस्कार में सम्मिलित थे । इस साक्षी ने यथावत् यह कथन किया है कि – "छाया का जापा बिगड़ने से वह मरी थी । छाया के पीयर वाले भी अंतिम संस्कार में थे" अंततः, अभियोजन पक्ष की ओर से इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

17. कल्याण सिंह (अभि. सा. 3) को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि छाया का 2½ वर्ष पूर्व जगदीश से विवाह हुआ था । छाया ने बच्चे को जन्म दिया था । इसके पश्चात्, उसकी मृत्यु हो गई । इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर, उसने यह स्वीकार किया है कि जब छाया की मृत्यु हुई, उसके दाह-संस्कार में

उसके कुटुंब के सदस्य मौजूद थे । इस साक्षी ने अभियुक्त को पड़ोसी होते हुए प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है जो इस प्रकार है :–

> "यह सही है कि छाया मरी उसके तुरंत बाद दाह-संस्कार से पहले उसके परिवारीजनों को बुलाया था । (बल दिया गया) और उनके सामने ही शांतिपूर्वक दाह-संस्कार हुआ था, मैं उनके पड़ोस में रहता हूं ।"

18. जबर सिंह (अभि. सा. 4) ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त तथा उसके कुटुंब के सदस्य छाया को परेशान किया करते थे । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि छाया के ससुराल वालों ने यह मांग की थी कि जबर सिंह (अभि. सा. 4) अपने छोटे भाई अर्थात् छाया के पिता की भूमि को जगदीश के नाम अंतरित करे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उन्हें पता चला कि छाया को उसके ससुराल वालों ने जलाया था ।

19. श्यामवीर सिंह (अभि. सा. 5) ने छाया के मामा होने पर न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि छाया के विवाह के एक मास पश्चात् 'रक्षा-बंधन' के अवसर पर वह अपनी बहिन से मिलने गया था तब छाया ने रोते हुए यह बताया था कि उसे उसके ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जा रहा है ।

20. देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) जबर सिंह का सगा पुत्र है । यह अभिकथन किया गया है कि उसे जबर सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा गोद लिया गया था । इस साक्षी (अभि. सा. 7) ने न्यायालय में यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वर्तमान अपीलार्थी अपनी पत्नी को भी परेशान किया करता था ।

21. देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) का छोटा भाई वीरेन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती सुनीता (अभि. सा. 8) के कथन का वहीं प्रभाव है ।

22. मामले के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उस पर दशरथ सिंह (अभि. सा. 10) द्वारा अन्वेषण किया गया था जो सर्किल अधिकारी के पद पर बाड़ी में तैनात था ।

23. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री हिम्मत सिंह ने यह दलील दी है कि इस न्यायालय को मृतका छाया के भाई के ससुर रामअवतार (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य की उपेक्षा

नहीं की जानी चाहिए थी । काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि गोपाल सिंह (अभि. सा. 2) और कल्याण सिंह (अभि. सा. 3) ने अभियुक्त के पड़ोसी होते हुए विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि वे छाया के दाह-संस्कार में उपस्थित हुए थे और मृतका के नातेदार भी उक्त दाह-संस्कार में उपस्थित हुए थे ।

24. अनुकल्पतः, अपीलार्थी के काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी जगदीश की गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-17) के माध्यम से तारीख 14 जुलाई, 2006 को गिरफ्तार किया था और तब से वह अभिरक्षा में है । अपीलार्थी-जगदीश के काउंसेल के अनुसार कि अपीलार्थी ने 10 वर्ष और लगभग पांच मास का वास्तविक दंडादेश भोगा है ।

25. हमारे समक्ष यह दलील दी गई है कि यद्यपि हमने दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखते हैं, अधिनिर्णीत आजीवन कारावास का दंड भी अत्यधिक है । अपीलार्थी के काउंसेल ने यह दलील दी है कि हमें इस बात की अपेक्षा नहीं चाहिए कि विधान-मंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता के सात वर्ष का न्यूनतम दंड विहित किया है । अपीलार्थी के काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि कोई समवेत परिस्थितियां विचारण न्यायालय के पास उपलब्ध नहीं हैं जिससे कि अधिकतम दंड का अधिनिर्णय किया जाए ।

26. दी गई दलीलों का विरोध करते हुए विद्वान् लोक अभियोजक श्री अलादीन खान ने यह निवेदन किया है कि मृतका की उसके वैवाहिक गृह में अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी । चूंकि अपीलार्थी ने छाया की मृत्यु के समय मृतका के नातेदारों को सूचना नहीं दी थी और वे उसका दाह-संस्कार करने के लिए अग्रसर हए, हमें अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा का निष्कर्ष निकालना चाहिए ।

27. हमने अपने समक्ष दी गई परस्पर विरोधी दलीलों पर सम्यक् रूप से विचार किया है ।

28. छाया के शव का शवपरीक्षण नहीं किया गया था । हमारे समक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए कोई चिकित्सा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतका की मृत्यु अप्राकृतिक मृत्यु थी । अभियोजन पक्ष ने यह कथन करने के लिए किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की है कि जिसकी मौजूदगी में मृतका छाया को क्षतियां कारित की गई थीं या उसे जहर दिलाया गया था । हमारे समक्ष इस निष्कर्ष में पहुंचने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि छाया की

मृत्यु मानव वध या आत्महत्या की प्रकृति की थी । अभियोजन पक्ष ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए केवल इस परिस्थिति का अवलंब लिया है कि छाया की मृत्यु अप्राकृतिक मृत्यु थी जिस पर जबर सिंह (अभि. सा. 4) देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) और सुनीता (अभि. सा. 8) ने इस आशय का प्राख्यान किया है कि अपीलार्थी के कुटुंब को छाया की मृत्यु के बारे में सूचना नहीं दी गई थी और बिना सूचना दिए उसका दाह-संस्कार कर दिया गया ।

29. मृतका छाया जबर सिंह (अभि. सा. 4) के छोटे भाई अमर सिंह की पुत्री है । साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि अमर सिंह की हिस्सेदारी में भूमि आती थी और वह भूमि का धारक था जिसमें उसके स्वयं के अधिकार थे । छाया अमर सिंह की एकमात्र पुत्री थी । जब छाया बच्ची थी तब अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी, इसलिए छाया उक्त भूमि की एकमात्र नैसर्गिक विधिक वारिस थी और उक्त संपदा अमर सिंह छोड़ गया था । अभियोजन साक्षियों ने यह इंगित करने का प्रयास किया कि जबर सिंह (अभि. सा. 4) का पुत्र देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) को अमर सिंह द्वारा गोद लिया गया था जब वह दो वर्ष एक माह का था । अपीलार्थी के काउंसेल ने यह दलील दी है कि न तो रजिस्ट्रीकृत दत्तक विलेख अभिलेख पर लाया गया और न साबित किया गया और न साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अमर सिंह द्वारा अपने जीवनपर्यन्त कोई ऐसा समारोह मनाया गया था ।

30. साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी ने अपने नाम भूमि का अंतरण कराने के लिए मृतका छाया पर दबाव डाला था जो भूमि जबर सिंह (अभि. सा. 4) और देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) के कब्जे में थी । इस प्रकार, सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि जबर सिंह (अभि. सा. 4) और देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) भूमि के स्वामित्व और कब्जे को बनाए रखने में हितबद्ध साक्षी थे, जो भूमि छाया के पिता अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके पास विहित थी ।

31. हम यहां पर यह उल्लेख कर सकते हैं कि मृत्यु के समय पर मृतका अभियुक्त-अपीलार्थी जगदीश के पास पैदा हुए पुत्र को छोड़ गई ।

32. हमारे समक्ष रामअवतार (अभि. सा. 1) अत्यधिक स्वतंत्र व्यक्ति है । वह अभियुक्त का नातेदार नहीं है । उसने स्वयं देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) का ससुर होने का दावा किया है जिसके बारे में जबर सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा दत्तक लिए जाने का अभिकथन किया गया है । इस साक्षी ने यह

कथन किया है कि उसकी पुत्री सुनीता का देवेन्द्र सिंह से विवाह हुआ था, तथापि, उसकी पुत्री सुनीता (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) के छोटे भाई वीरेन्द्र सिंह से विवाह हुआ था । सुनीता के अनुसार देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) उसका जेठ है ।

33. देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) जबर सिंह का सगा पुत्र है । अमर सिंह द्वारा उसे गोद लेने का अभिवाक् किया गया है । इस प्रकार, छाया से संबंधित संपूर्ण भूमि अभिकथित दत्तक/गोद लेने के कारण देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) और जबर सिंह (अभि. सा. 4) की हिस्सेदारी के अंतर्गत आती है । इस साक्षी ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि "मुझे अमर सिंह ने गोद लिया था । छाया स्वयं इस बात को नहीं चाहती थी ।"

34. चाहे जैसी भी स्थिति हो, रामअवतार (अभि. सा. 1) जबर सिंह (अभि. सा. 4) का निकट का नातेदार है और वह उसका समधी है । इस तथ्य को जबर सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा भी स्वीकार किया गया है ।

35. इस साक्षी (अभि. सा. 7) ने यह भी स्वीकार किया है कि संपूर्ण भूमि छाया के पिता अमर सिंह से संबंधित है जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो भूमि छाया के हिस्सेदारी के अंतर्गत थी ।

36. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल ने ठीक ही बहस की है कि देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) के पक्ष में गोद लेने की कार्यवाही करने पर, जबर सिंह (अभि. सा. 4) और देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) अमर सिंह की भूमि को रखना चाहते थे जिसकी नैसर्गिक उत्तराधिकारी होने के कारण छाया उसकी दायाधिकारी थी ।

37. न्यायालय में रामअवतार (अभि. सा. 1) ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि छाया के दाह-संस्कार में उसके तथा मृतका छाया के चाचा (लड़की का ताऊ) दाह-संस्कार में सम्मिलित हुआ था । वास्तव में जबर सिंह (अभि. सा. 4) छाया के चाचा/ताया है । इस प्रकार, रामअवतार (अभि. सा. 1) के अभिसाक्ष्य के अनुसार जबर सिंह छाया के दाह-संस्कार में सम्मिलित हुए थे । गोपाल सिंह (अभि. सा. 2) और कल्याण सिंह (अभि. सा. 3) जो पड़ोसी हैं, उन्होंने यह भी साक्ष्य दिया है कि छाया के कुटुंब के सदस्य दाह-संस्कार में मौजूद थे, यद्यपि, रामअवतार (अभि. सा. 1), गोपाल सिंह (अभि. सा. 2) और कल्याण सिंह (अभि. सा. 3) अभियोजन के लिए पक्षद्रोही घोषित किए गए, उनके साक्ष्य की उपेक्षा नहीं की जा

सकती । इस प्रकार, अभियोजन साक्षियों द्वारा वर्णित कहानी, अर्थात् जबर सिंह (अभि. सा. 4) और देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) जो इस आधार के अतर्गत हितबद्ध साक्षी हैं । उनका प्राख्यान यह है कि उन्हें छाया के मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया था । इस बात को त्यक्त किया जाना चाहिए । जब एक बार छाया की मृत्यु के बारे में सूचना दी गई थी और जबर सिंह (अभि. सा. 4) और देवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) दाह-संस्कार में सम्मिलित हुए थे तब अभियोजन पक्ष के लिए यह प्रकट करने के अलावा भी कुछ नहीं था कि मृतका छाया की अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी । अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध इस प्रभाव की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती । दंड संहिता की धारा 304ख का अवलंब लेने के लिए अप्राकृतिक मृत्यु आवश्यक संघटक है । चूंकि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि मृतका की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई थी । हम निष्कर्ष निकाल कर उस बात की उपधारणा नहीं कर सकते हैं । इसलिए, दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रख सकते ।

38. परिणामस्वरूप, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के लिए घोषित दोषसिद्धि तथा अधिनिर्णीत दंड को अपास्त करते हैं और उसे आरोपों से दोषमुक्त करते हैं ।

39. तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी-जगदीश को यह निदेश देते हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष तत्काल 20,000/- रुपए (केवल बीस हजार रुपए) की राशि का बंधपत्र तथा उसी राशि का प्रतिभू बंधपत्र दिया जाए । इस तरह, दिए गए बंधपत्र छह मास की अवधि के लिए प्रभावी होंगे । बंधपत्रों में यह वचन लिया जाएगा कि निर्णय के विरुद्ध इजाजत मंजूरी के लिए विशेष इजाजत याचिका फाइल करने की दशा में अपीलार्थी नोटिस की प्राप्ति पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

नरसिंह राम

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 28 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 304, भाग I – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – अचानक प्रकोपन – ससुर के सिर पर लोहे का बाट फेंककर मृत्यु कारित करना – मृतक के शरीर पर बार-बार क्षति पहुंचाने का कोई अभिकथन न होने के कारण मृत्यु कारित करने के हेतुक का अभाव और क्रोध के कारण घटना घटित हुई अतः अभियुक्त-अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का नहीं अपितु धारा 304, भाग I के अधीन अपराध का दोषी ठहराया गया ।

अभियोजन कथन के अनुसार तारीख 9 जुलाई, 2010 को लगभग 5.55 बजे शिकायतकर्ता गोविन्द सिंह द्वारा पूर्वाह्न में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 16) पुलिस थाना सदर, जिला बाड़मेर के थानाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर उसने अंगूठे की छाप लगाई हुई थी जिसमें यह कथन किया गया कि आज वह अन्य यात्रियों के साथ अपनी जीप से बाड़मेर गया था और उन्हें वहां छोड़ने के पश्चात् अपने सगे भाई टीकम सिंह (मृतक) के किराए के मकान पर गया जो टीकम सिंह ने भंवरलाल देशान्तरी से किराए पर लिया हुआ था । शिकायतकर्ता के अनुसार जब वह अपने भाई टीकम सिंह के मकान पर पहुंचा उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिला और किचन के बाहर उसका भाई सोया हुआ था तथा अभियुक्त-अपीलार्थी नरसिंह राम वहां खड़ा हुआ था और उसके हाथ में लोहे का बाट था जो नरसिंह राम ने टीकम सिंह के सिर पर फेंक कर मारा, तथापि, जब शिकायतकर्ता ने बचाने का प्रयास किया तो अभियुक्त-अपीलार्थी उसे देखकर घटनास्थल से भाग गया । शिकायतकर्ता ने यह भी कथन किया है कि सिर में क्षति पहुंचने के कारण टीकम सिंह की नाक, कान और मुंह से रक्त बहने लगा और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । यह भी कथन किया गया है कि टीकम सिंह किराए के मकान में सीता भीलनी के

साथ रहता था जो उस दिन घर पर नहीं थी । मकान में सीता की पुत्री पुरो और पुत्र चूनाराम मौजूद थे और वे चीख-पुकार सुनकर जाग गए और शिकायतकर्ता तुरन्त पड़ोसी विक्रम के घर इस घटना की सूचना देने गया । शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 16) दर्ज कराई गई थी जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा अंगूठे की छाप लगाई गई थी । उपरोक्त लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 16) के आधार पर औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 235/2010 तारीख 9 जुलाई, 2010 को पुलिस थाना कोतवाली, जिला बाड़मेर में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज कराई गई । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूरा होने तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के न्यायालय में अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और इस न्यायालय से मामले को अपर सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर को सुपुर्द कर दिया गया किन्तु तत्पश्चात् मामला विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) बाड़मेर को विचारण के लिए भेज दिया गया । विचारण के दौरान, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया किन्तु अभियुक्त-अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने की प्रार्थना की । विचारण के दौरान, 16 अभियोजन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अभियोजन पक्ष ने 24 दस्तावेज प्रदर्शित किए । अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया और चार प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा कराई गई जिनमें स्वयं अभियुक्त ने भी प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में अपनी परीक्षा कराई । साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात् (दोनों पक्षों की ओर से) की गई बहस की अन्तिम रूप से सुनवाई की गई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने मामले के सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 27 जनवरी, 2015 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने का दोषी अभिनिर्धारित किया और आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया, उक्त निर्णय को इस अपील में चुनौती दी गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने तारीख 13 जुलाई, 2010 की न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 24) का परिशीलन किया है जिसके अनुसार रुई और मृतक की कमीज पर बी-ग्रुप वाला मानव-रक्त पाया गया है । मामले की यह स्वीकृत स्थिति है कि अभिकथित लोहे का बाट जिसका प्रयोग मृतक की हत्या करने के लिए किया गया था, पुलिस द्वारा कब्जे में नहीं लिया गया है किन्तु यह तथ्य सामने आता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार ही अभियुक्त-अपीलार्थी बाट फेंकते हुए घटनास्थल से फरार हो गया था । यद्यपि, कुछ ऐसा सुनने में आया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी की पत्नी पुरो देवी और अपीलार्थी के बीच मृतक के हस्तक्षेप को लेकर विवाद था, किंतु साथ ही न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता कि अपीलार्थी द्वारा संभवतः आवेश में क्षति कारित की गई है क्योंकि मृतक की अपने ससुराल वालों से नातेदारी नहीं थी, तथापि, वह अपने ससुराल वालों के यहां अजनबी के रूप में रहता था, अतः, वहां झगड़ा हुआ जिसमें यह घटना घटित हुई । अतः, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील में अजीब बात दिखाई देती है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करने का निष्कर्ष हेतु के साक्ष्य के बिना निकाला गया है और इस तथ्य पर विचार करने पर भी आश्चर्य होता है कि मृतक को क्षति पहुंचाने का अभिकथन किया गया है, इस प्रकार, यह मामला दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304, भाग I में परिवर्तित किए जाने का एक उचित मामला है । (पैरा 13 और 14)

जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, मृतक के शरीर पर बार-बार क्षति कारित किए जाने का कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है और यह घटना जो कि तथ्य से स्पष्ट है कि हेतु का कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, क्रोध के कारण घटित हुई है, अतः अभियुक्त-अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का नहीं अपितु धारा 304 भाग I के अधीन अपराध का दोषी है । उपरोक्त निर्णयों के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर, न्यायालय का यह मत है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में अभिलिखित निष्कर्ष में परिवर्तन किया जाना चाहिए अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304, भाग I में परिवर्तित करते हुए अभिनिर्धारित की जाती है । (पैरा 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2017]	ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1150 : **अर्जुन और एक अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य ;**	8
[2015]	(2015) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 318 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 1321 (एस. सी.) : **दलीप कुमार मॉन्डल और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य ;**	8, 18
[2012]	(2012) क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 506 = 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 2641 (एस. सी.) : **अर्जुन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	8, 16
[2012]	(2012) क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 1025 : **सुधाकर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	8, 17
[2006]	(2006) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 165 = 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 4907 (एस. सी.) : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **राम पाल ।**	8, 15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 218.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बी. रे. बिशनोई

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जे. पी. एस. चौधरी (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास ने दिया ।

न्या. व्यास – वर्तमान दांडिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी नरसिंह राम की ओर से, सेशन मामला सं. 58/2013(104/2010)(67/2010) में विद्वान् विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विचारणीय मामले,) बाड़मेर (विचारण न्यायालय) द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2015 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और

आजीवन कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया गया साथ ही पांच हजार रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया ।

2. मामले के तथ्यों के अनुसार तारीख 9 जुलाई, 2010 को लगभग 5.55 बजे शिकायतकर्ता गोविन्द सिंह द्वारा पूर्वाह्न में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 16) पुलिस थाना सदर, जिला बाड़मेर के थानाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर उसने अंगूठे की छाप लगाई हुई थी जिसमें यह कथन किया गया कि आज वह अन्य यात्रियों के साथ अपनी जीप से बाड़मेर गया था और उन्हें वहां छोड़ने के पश्चात् अपने सगे भाई टीकम सिंह (मृतक) के किराए के मकान पर गया जो टीकम सिंह ने भंवरलाल देशान्तरी से किराए पर लिया हुआ था । शिकायतकर्ता के अनुसार जब वह अपने भाई टीकम सिंह के मकान पर पहुंचा उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिला और किचन के बाहर उसका भाई सोया हुआ था तथा अभियुक्त-अपीलार्थी नरसिंह राम वहां खड़ा हुआ था और उसके हाथ में लोहे का बाट था जो नरसिंह राम ने टीकम सिंह के सिर पर फेंक कर मारा, तथापि, जब शिकायतकर्ता ने बचाने का प्रयास किया तो अभियुक्त-अपीलार्थी उसे देखकर घटनास्थल से भाग गया । शिकायतकर्ता ने यह भी कथन किया है कि सिर में क्षति पहुंचने के कारण टीकम सिंह की नाक, कान और मुंह से रक्त बहने लगा और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । यह भी कथन किया गया है कि टीकम सिंह किराए के मकान में सीता भीलनी के साथ रहता था जो उस दिन घर पर नहीं थी । मकान में सीता की पुत्री पुरो और पुत्र चूनाराम मौजूद थे और वे चीख-पुकार सुनकर जाग गए और शिकायतकर्ता तुरन्त पड़ोसी विक्रम के घर इस घटना की सूचना देने गया ।

3. शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 16) दर्ज कराई गई थी जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा अंगूठे की छाप लगाई गई थी, उसे निम्न प्रकार उद्धृत किया जा रहा है :–

(प्रादेशिक/स्थानीय भाषा का लोप किया गया है)

4. उपरोक्त लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 16) के आधार पर औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 235/2010 तारीख 9 जुलाई, 2010 को पुलिस थाना कोतवाली, जिला बाड़मेर में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज कराई गई । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूरा होने तथा प्रत्यक्षदर्शी

साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के न्यायालय में अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और इस न्यायालय से मामले को अपर सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर को सुपुर्द कर दिया गया किन्तु तत्पश्चात् मामला विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) बाड़मेर को विचारण के लिए भेज दिया गया ।

5. विचारण के दौरान, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया किन्तु अभियुक्त-अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने की प्रार्थना की ।

6. विचारण के दौरान, 16 अभियोजन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अभियोजन पक्ष ने 24 दस्तावेज प्रदर्शित किए । अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया और चार प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा कराई गई जिनमें स्वयं अभियुक्त ने भी प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में अपनी परीक्षा कराई ।

7. साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात् (दोनों पक्षों की ओर से) की गई बहस की अन्तिम रूप से सुनवाई की गई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने मामले के सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 27 जनवरी, 2015 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने का दोषी अभिनिर्धारित किया और आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया, उक्त निर्णय को इस अपील में चुनौती दी गई है ।

8. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने सबसे पहले यह निवेदन किया है कि यद्यपि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से दो साक्षी अर्थात् पुरो देवी (अभि. सा. 8) और चूनाराम (अभि. सा. 10) ऐसे साक्षी हैं जो घटना के समय घर पर पूरी तरह मौजूद थे और ये साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और इन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता गोविन्द सिंह (मृतक का सगा भाई) के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया है जिसमें उसने लोहे के बाट से क्षति

पहुंचाने का उल्लेख किया है, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को इस आधार पर दोषसिद्ध किया है कि इस साक्षी के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है जिसकी संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी होती है । किन्तु, यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी का ऐसी क्षति कारित करने का कोई हेतु या आशय था, अतः यदि अभियोजन पक्ष के सम्पूर्ण पक्षकथन को स्वीकार कर लिया जाए, तब भी दंड संहिता की धारा 304, भाग-I के अधीन अपराध से बड़ा अपराध घटित नहीं हो सकता । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया है, अतः, कृपया करके आक्षेपित निर्णय उपान्तरित किया जाए क्योंकि ऐसा कोई अभिकथन बार-बार वार करने या असम्यक् फायदा उठाने के संबंध में नहीं किया गया है और अभिलेख पर हेतु के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि यह निर्णय अभिखंडित किया जाए या दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304, भाग-I में परिवर्तित किया जाए । उपरोक्त प्रार्थना के संबंध में, विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान निम्न निर्णयों की ओर दिलाया है –

1. **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **रामपाल**[1]
2. **अर्जुन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2]
3. **सुधाकर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3]
4. **दिलीप कुमार मॉन्डल और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[4]
5. **अर्जुन और एक अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[5]

9. इसके प्रतिकूल विद्वान् लोक अभियोजक ने अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है और यह निवेदन किया है

---

[1] (2006) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 165 = 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 4907 (एस. सी.).

[2] (2012) क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 506 = 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 2641 (एस. सी.).

[3] (2012) क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 1025.

[4] (2015) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 318 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 1321 (एस. सी.).

[5] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1150.

कि यह ऐसा मामला है जिसमें 50 किलो का लोहे का बाट मृतक के सिर पर फेंका गया है और इस क्षति के कारण उसकी मृत्यु हुई है, अतः, यह नहीं कहा जा सकता है यह ऐसा मामला है जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित की गई है ।

10. विद्वान् लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि इस तथ्य से आशय निकाला जा सकता है कि क्षति शरीर के नाजुक अंग पर अत्यधिक भार वाले बाट से कारित की गई है, अतः विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए उन निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिनके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है ।

11. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हमने सभी 16 अभियोजन साक्षियों के कथनों का परिशीलन किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् मृतक के बड़े भाई गोविन्द सिंह (अभि. सा. 14) जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है, अभियुक्त-अपीलार्थी नरसिंह राम की पत्नी पुरो देवी (अभि. सा. 8) और अभियुक्त-अपीलार्थी का साला चूनाराम (अभि. सा. 10) के परिसाक्ष्यों पर आधारित है । स्वीकृततः, जिस मकान में मृतक रहता था, उसी मकान में अपीलार्थी की सास उसकी पत्नी पुरो देवी और चूनाराम भी रहते थे और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी की पत्नी पुरो देवी और अभियुक्त-अपीलार्थी का साला मौजूद थे किन्तु ये साक्षी पक्षद्रोही हो गए और इन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया ।

12. मकान मालकिन जेठी देवी (अभि. सा. 7) भी पक्षद्रोही हो गई । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार लोहे का बाट जो अभिकथित रूप से मृतक के सिर पर फैंका गया था, अन्वेषण अधिकारी द्वारा कब्जे में नहीं लिया गया है किन्तु उक्त लोहे के बाट पर जो रक्त लगा हुआ पाया गया था उसे रुई से पोंछकर लिया गया और न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार बाट पर रक्त लगा हुआ पाया गया था और उसे जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजना संभव नहीं था ।

13. हमने तारीख 13 जुलाई, 2010 की न्यायालयिक प्रयोगशाला की

रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 24) का परिशीलन किया है जिसके अनुसार रुई और मृतक की कमीज पर बी-ग्रुप वाला मानव-रक्त पाया गया है । मामले की यह स्वीकृत स्थिति है कि अभिकथित लोहे का बाट जिसका प्रयोग मृतक की हत्या करने के लिए किया गया था, पुलिस द्वारा कब्जे में नहीं लिया गया है किन्तु यह तथ्य सामने आता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार ही अभियुक्त-अपीलार्थी बाट फेंकते हुए घटनास्थल से फरार हो गया था । यद्यपि, कुछ ऐसा सुनने में आया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी की पत्नी पुरो देवी और अपीलार्थी के बीच मृतक के हस्तक्षेप को लेकर विवाद था, किंतु साथ ही न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता कि अपीलार्थी द्वारा संभवतः आवेश में क्षति कारित की गई है क्योंकि मृतक की अपने ससुराल वालों से नातेदारी नहीं थी, तथापि, वह अपने ससुराल वालों के यहां अजनबी के रूप में रहता था, अतः, वहां झगड़ा हुआ जिसमें यह घटना घटित हुई ।

14. अतः, हमें अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील में अजीब बात दिखाई देती है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित करने का निष्कर्ष हेतु के साक्ष्य के बिना निकाला गया है और इस तथ्य पर विचार करने पर भी आश्चर्य होता है कि मृतक को क्षति पहुंचाने का अभिकथन किया गया है, इस प्रकार, यह मामला दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304, भाग I में परिवर्तित किए जाने का एक उचित मामला है ।

15. **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **राम पाल**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304, भाग I में परिवर्तित करने के लिए उपरोक्त मामले के पैरा 5 से 8 में निम्न मत व्यक्त किया है :-

> "5. अपराध की प्रकृति के निष्कर्ष पर पहुंचने के सीमित प्रयोजन हेतु अभिलेख का परिशीलन करने पर हमारा यह मत है कि स्वयं अभि. सा. 3 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया है कि उसने और जयवंत ने इस मामले में के प्रत्यर्थी के टी-स्टॉल पर जाने के पूर्व मद्यपान किया था और उस पर शोध्य धन की मांग की थी और जब वे वहां पहुंचे तब मृतक टी-स्टॉल के अन्दर गया और वह अभियुक्तों से झगड़ा करने लगा । इस झगड़े के दौरान यह कथन किया गया है

[1] (2006) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 165 = 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 4907.

कि मृतक ने अभियुक्तों को धोखेबाज और बेईमान कहकर पुकारा था और झगड़ा किया तथा इसके पश्चात् उसे स्टॉल के बाहर फेंक दिया जिस पर चौधरी राम से अभि. सा. 3 ने एक छड़ी छीन ली और इसी दौरान चौधरी राम आहत होकर नीचे गिर गया । यहां हम प्रतिरक्षा पक्षकथन पर विचार करना चाहिए कि अभि. सा. 3 ने चौधरी राम पर हमला किया था जिसके कारण उसके चेहरे पर क्षति पहुंची और यह देखकर कि उसके पिता पर हमला किया जा रहा है, प्रत्यर्थियों ने हस्तक्षेप किया तथा पहले अभि. सा. 3 पर चाकू से हमला किया और उसके पश्चात् मृतक की कमर पर दो बार हमला किया ।

6. मामले के तथ्यों के आधार पर हम किसी भी वृत्तांत पर विचार करें, यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक और अभि. सा. 3 ही मद्यपान करने के पश्चात् मृतक के टी-स्टॉल पर गए थे । जब मृतक अन्दर गया था और उसने अभियुक्त को गाली दी थी, तब कहा-सुनी ही हुई थी किन्तु उसके पश्चात् वे स्टॉल से बाहर आ गए और चौधरी राम या तो साशय या अन्यथा अभि. सा. 3 द्वारा क्षतिग्रस्त हो गया । उसी समय प्रत्यर्थी ने अभि. सा. 3 और मृतक को चाकू घोंपा । उपरोक्त तथ्यों से यह साबित हो जाता है – (क) मृतक अभि. सा. 3 के साथ अभियुक्त की चाय की दुकान पर गया था; (ख) कहा-सुनी हुई जिसके दौरान मृतक ने अभियुक्त को गाली दी; (ग) चौधरी राम को पहले क्षति पहुंचाई गई और उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने अभि. सा. 3 और मृतक को चाकू घोंपा; (घ) मृतक की पीठ पर क्षति पहुंचाई गई है ।

7. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय ने दंडादेश को दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304, भाग I में परिवर्तित करके न्यायोचित किया है । हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से भी सहमत हैं कि प्रत्यर्थी को चार वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिए जाने से न्याय होगा ।

8. ऊपर कथित कारणों के आधार पर यह अपील असफल होती है और खारिज की जाती है ।"

16. **अर्जुन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है :–

[1] (2012) क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 506 = 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 2641 (एस. सी.).

"17. पृष्ठभूमिक तथ्यों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी पूर्व चिन्तन नहीं किया गया था और कृत्य आवेश की तीव्रता में किया गया है और अपीलार्थी ने कोई भी असम्यक् लाभ नहीं उठाया है और न ही उसने क्रूरतापूर्ण रीति में कृत्य किया है और यह कि पक्षकारों के बीच झगड़ा हुआ था, हमारा यह मत है कि यह मामला दंड संहिता की धारा 300 के चौथे अपवाद के अधीन आता है और दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304 भाग I में परिवर्तित करना न्यायोचित होगा और हम ऐसा ही कर रहे हैं ।

18. हमें यह बताया गया है कि अपीलार्थी तारीख 30 जुलाई, 2003 से अभिरक्षा में है । हमारे मतानुसार, अभियुक्त को दस वर्ष का अभिरक्षीय दंडादेश दिया जाना उचित है । तद्नुसार, अधिनिर्णीत दंडादेश में परिवर्तन करते हुए अपील का निपटारा किया जाता है ।"

17. **सुधाकर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :—

"8. न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा पश्चात्वर्ती वृत्तांत जो कुछ दिया गया है, उससे साक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय केवल तीन व्यक्ति अर्थात् अपीलार्थी, अभि. सा. 1 और मृतक मौजूद थे । अभि. सा. 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मृतक को मद्यपान की आदत थी और जब कभी वह शराब के नशे में होता था वह घर में उत्पात किया करता था, इस साक्षी का यह कथन एक ऐसा कारक है जिसे अभिकथित अपराध पर विचार करते और अभियुक्त के विरुद्ध साबित करते समय ध्यान में रखना चाहिए । यद्यपि, अभि. सा. 1 के वृत्तांत में विभिन्नता है अर्थात् उसकी लिखित शिकायत और न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन में फर्क है, इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष अकाट्य है कि अपीलार्थी मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है । अपीलार्थी का अपने हाथ में हथियार लिए हुए मौजूद होने के अतिरिक्त, जैसा कि अभि. सा. 2 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है, दो अन्य व्यक्ति भी वहां मौजूद थे जिनमें मृतक और अभि. सा. 1 है । विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा

[1] (2012) क्रिमिनल ला रिपोर्ट (एस. सी.) 1025.

निकाले गए उक्त निष्कर्ष पर संदेह नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट प्रदर्श 35 और प्रदर्श 36 से भी यह पता चलता है कि अपीलार्थी के रक्त-रंजित कपड़ों पर लगे रक्त का ग्रुप मृतक के रक्त-ग्रुप से मेल खाता है जो स्वयं मृतक के कपड़ों पर लगा हुआ था । अतः, यह अभिनिर्धारित करने के लिए निश्चायक सबूत है कि अपीलार्थी ने ही मृतक पर प्रदर्श 47 के अनुसार अभिगृहीत किए गए चाकू से एक वार करके क्षति कारित करने का जिम्मेदार है । उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् मात्र प्रश्न यह शेष रह जाता है कि क्या ऐसी कोई उपशमनकारी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि यह अपराध दंड संहिता की धारा 300 के किसी भी अपवाद के अधीन आता है और यह कहा जा सकता है कि यह मामला हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अन्तर्गत आता है ।"

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दिलीप कुमार मॉन्डल और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"24. दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का अवलंब लेने के लिए यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अपराधी ने असम्यक् लाभ नहीं लिया है और न ही उसने क्रूरतापूर्वक या असामान्य रीति में कार्य किया है । यह कहा गया है कि अपीलार्थियों ने हंसो और दाउ से क्षतियां कारित की हैं । शवपरीक्षण प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. 6) का परिशीलन करने पर यह दिखाई देता है कि मृतक को पीठ पर एक छिन्न क्षति कारित हुई थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मेरुरज्जू और स्कांधास्थि में क्षति पहुंची और एक अन्य छिन्न घाव उसकी पीठ पर दाईं स्कांधास्थि के नीचे कारित हुआ जो बाएं फेफड़े और फुप्फुसावरण तक पहुंची है जहां तक रंजीत देबनाथ और संतोष देबनाथ को पहुंची क्षतियों का संबंध है, इन अभिकथित क्षतियों को साबित करने के लिए कोई भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं । जहां तक निखिल देबनाथ (अभि. सा. 10) का संबंध है, उसकी प्राथमिक

[1] (2015) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 318 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 1321 (एस.सी.).

उपचार के पश्चात् अस्पताल से इस आधार पर छुट्टी कर दी गई थी कि कारित की गई क्षति गंभीर नहीं है । हमारे मतानुसार, क्षतियों पर विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तों ने परिस्थिति का असम्यक् लाभ लिया है । यह घटना पूर्व-चिन्तन के पश्चात् घटित नहीं हुई है और पक्षकारों के बीच जो हाथा-पाई हुई उसी के परिणामस्वरूप मृतक निरपेन देबनाथ को क्षतियां पहुंची और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, हमारे मतानुसार यह अपराध दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन आता है और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304, भाग I में उपान्तरित और परिवर्तित किया जाता है ।"

अर्जुन और एक अन्य बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"22. अभि. सा. 6 और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तों के हाथों में हथियार थे, किन्तु साक्षियों द्वारा दिए गए घटनाक्रम से मात्र यह दर्शित होता है कि हथियारों का प्रयोग अचानक हुए झगड़े के दौरान किया गया था और कोई भी पूर्व चिन्तन नहीं किया गया था । शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार दर्शायी गई क्षतियों से यह पता चलता है कि अपीलार्थियों ने असम्यक् लाभ नहीं लिया है और न ही उन्होंने क्रूरतापूर्ण रीति में कृत्य किया है । अतः, तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 लागू होगा । यह घटना अचानक झगड़ा होने से घटित हुई है, इसलिए अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन लाभ पाने के हकदार हैं ।

23. जब कभी अपराध का आशय और जानकारी हो, तब वह अपराध दंड संहिता की धारा 304, भाग I के अन्तर्गत आएगा और यदि केवल अपराध की जानकारी ही है और हत्या या शारीरिक क्षति कारित करने का आशय नहीं है तब वह दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन आएगा । क्षतियां/छिन्न घाव सिर पर अर्थात् दाएं पार्श्विक और कपालिय भाग में तथा अनुकपालिय भाग में कारित हुए

---

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1150.

हैं, इन क्षतियों से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी का आशय क्षतियां कारित करने का था और उसे जानकारी भी थी और इस प्रकार यह मामला दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन आएगा । अपीलार्थियों की दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन की गई दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 भाग I में उपान्तरित किया जाता है । अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए जेल अभिरक्षा प्रमाणपत्र के अनुसार अपीलार्थियों ने तारीख 2 मार्च, 2016 तक 9 वर्ष 3 मास और 13 दिन का कारावास भोगा है जिसका अर्थ यह हुआ कि आज की तारीख तक अपीलार्थियों ने 9 वर्ष 11 मास का कारावास भोग लिया है । उन तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए जिनमें अपराध कारित किया गया है, यह अपराध दंड संहिता की धारा 304 भाग I में दोषसिद्ध किए जाने के लिए उपान्तरित किया जाता है और दंडादेश की अवधि भी पहले से भोगे गए कारावास जितनी उपान्तरित की जाती है ।

24. परिणामतः, दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि धारा 304 भाग I के अधीन उपान्तरित की जाती है और दंडादेश की अवधि कम करके पहले से भोगे गए कारावास जितनी तय की जाती है और तद्नुसार, ये अपीलें भागतः मंजूर की जाती हैं ।

यह आदेश किया जाता है कि अपीलार्थियों को, यदि वे अन्य किसी मामले में वांछित नहीं हैं, तत्काल छोड़ा जाए ।

25. विद्वान् न्यायमित्र की फीस नियमानुसार नियत की जाती है ।"

19. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, मृतक के शरीर पर बार-बार क्षति कारित किए जाने का कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है और यह घटना जो कि तथ्य से स्पष्ट है कि हेतु का कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, क्रोध के कारण घटित हुई है, अतः अभियुक्त-अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का नहीं अपितु धारा 304 भाग I के अधीन अपराध का दोषी है ।

20. उपरोक्त निर्णयों के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर, हमारा यह मत है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में अभिलिखित निष्कर्ष में परिवर्तन किया जाना चाहिए अर्थात् अभियुक्त-

अपीलार्थी की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304 भाग I में परिवर्तित करते हुए अभिनिर्धारित की जाती है ।

21. परिणामतः, यह दांडिक अपील एतद्द्वारा भागतः मंजूर की जाती है । सेशन मामला सं. 58/2013 (104/2010)(67/2010) में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए विद्वान् विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विचारणीय मामले,) बाड़मेर द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन उपान्तरित किया जाता है और दंडादेश की अवधि घटाकर 7 वर्ष का कठोर कारावास की जाती है । जुर्माने के संबंध में किया गया आदेश एतद्द्वारा कायम रखा जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

(2018) 1 दा. नि. प. 439 **हिमाचल प्रदेश**

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

सुरजीत सिंह और अन्य

तारीख 13 सितंबर, 2017

न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 323, 506 और धारा 34 – साधारण उपहति – सामान्य आशय – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़िता को साधारण उपहति पहुंचाई और यह कार्य सामान्य आशय में किया गया, वहां अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

अभियोजन कथन के अनुसार इस अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि 22 जनवरी, 2005 को दोपहर लगभग 12.30 बजे जब परिवादी अपने मकान की नाली में काम कर रही थी, तब अभियुक्त/सुरजीत वहां

आया और परिवादी को डंडे से पीटने लगा और परिवादी का स्तन भी पकड़ लिया । जब उसने शोर मचाया तो अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया फिर भी कुछ समय पश्चात् वह अन्य अभियुक्तों अर्थात् निरुपमा, कौशल्या, जगत राम, रणवीर, बसंत, बिमला और रमेश, के साथ घटनास्थल पर पुनः आया और कौशल्या ने परिवादी के बाल खींचे जबकि अभियुक्त सुरजीत ने परिवादी का गला पकड़ लिया । इस प्रकार परिवादी को क्षतियां पहुंची और उसकी बाली, सोने का हार आदि भी गायब हो गया । उक्त घटना के पश्चात् पुलिस को मामले की सूचना दी गई और मामला अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया और अन्वेषण के पश्चात् न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया । अभियोजन ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल सात साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त व्यक्तियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का खंडन किया और निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त व्यक्तियों ने कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 29 अगस्त, 2005 के आक्षेपित निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 323 और 506 के अधीन दंडनीय अपराधों के किए जाने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया । तत्पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों ने विद्वान् निचले अपील न्यायालय के समक्ष अपील की, जो मंजूर की गई और अभियुक्त व्यक्तियों को उन अपराधों को करने के लिए जिनके लिए उन्हें आरोपित किया गया था, दोषमुक्त किया गया, अतः यह अपील की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – परिवादी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसे प्रताप सिंह और मनीन्दर सिंह द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों से बचाया गया और उसके पश्चात् उसने मामले की सूचना पुलिस को दी । तथापि, अपने कथन में उसने यह नहीं बताया कि जब अभियुक्त सुरजीत ने डंडे से उसे पहले पीटा था और स्तन से उसे पकड़ा था, प्रताप सिंह घटनास्थल पर मौजूद था और यदि प्रताप सिंह उस समय मौजूद था तो इसके पश्चात् उसने क्या किया, परिवादी के कथन से स्पष्ट नहीं है । साक्षी गवाक्ष में उपस्थित होकर अभि. सा. 4 ने यह कहा कि उसकी उपस्थिति में सर्वप्रथम अभियुक्त सुरजीत ने परिवादी से झगड़ा करना आरंभ किया और इसके पश्चात् डंडे से उसे मारने लगा और उसके स्तन भी पकड़े और जब वह चिल्लाई तो वह घटनास्थल से भाग गया, इसके पश्चात् वह पुनः

घटनास्थल पर आया, निश्चित रूप से अभियोजन कथन में सुधार लगता है । अभि. सा. 4 ने भी यह स्वीकार किया कि वह और मनीन्दर सिंह दोनों इन परिस्थितियों में परिवादी के संबंधी हैं । अभि. सा. 4 का कथन बहुत संदेहास्पद है । इसी प्रकार अभि. सा. 5 के कथन से अभिलेख पर ऐसी कोई बात नहीं आती जो यह उपदर्शित करती हो कि अभियुक्त सुरजीत ने परिवादी को उसके स्तन से पकड़ा था, इस प्रकार इन दो साक्षियों के कथन जिन पर विद्वान् विचारण न्यायालय की दोषसिद्धि आधारित है, विश्वसनीय नहीं है । आगे परिवादी के शरीर पर क्षतियां जो चिकित्सक के अनुसार साधारण प्रकृति के हैं, अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं की गई थीं । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त सुरजीत के पास पहली नजर में डंडा था जबकि अभि. सा. 5 ने यह कहा कि उसके पास डंडा उस समय था जब वह 15-30 मिनट पश्चात् दूसरी बार आया, यह ऐसी बात है, जो इन साक्षियों के कथन को झूठा साबित करती है । इन परिस्थितियों में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के आभास से परे अभियुक्त व्यक्तियों का दोष साबित करने में असफल रहा है और विद्वान् निचले अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी खामी से ग्रस्त नहीं है । (पैरा 13)

निर्दिष्ट निर्णय

[2008] (2008) 1 एस. सी. सी. 258 :
के. प्रकाशन बनाम **पी. के. सुरेन्दरन** ; 14

[2006] (2006) 1 एस. सी. सी. 401 :
टी. सुब्रमनियन बनाम **तमिलनाडु राज्य** । 15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 261.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — श्री विरेन्दर के. वर्मा, अपर महाधिवक्ता, श्री रजत चौधरी विधि अधिकारी

प्रत्यर्थी की ओर से — श्री श्याम चौधरी, अधिवक्ता, उप-काउंसेल

न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया — हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन 2005 की दांडिक अपील सं. 27-एस./10 वाले मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506 के साथ पठित धारा 34 के अधीन विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित तारीख 9 अप्रैल, 2007 के दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध यह दांडिक अपील की गई है जिसके द्वारा 2005 की दांडिक अपील सं. 23-I और 2005/32-II वाले मामले में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चोपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित तारीख 29 अगस्त, 2005 के दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त किया गया ।

2. अभियोजन कथन के अनुसार इस अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि 22 जनवरी, 2005 को दोपहर लगभग 12.30 बजे जब परिवादी अपने मकान की नाली में काम कर रही थी, तब अभियुक्त/सुरजीत वहां आया और परिवादी को डंडे से पीटने लगा और परिवादी का स्तन भी पकड़ लिया । जब उसने शोर मचाया तो अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया फिर भी कुछ समय पश्चात् वह अन्य अभियुक्तों अर्थात् निरुपमा, कौशल्या, जगत राम, रणवीर, बसंत, बिमला और रमेश, के साथ घटनास्थल पर पुनः आया और कौशल्या ने परिवादी के बाल खींचे जबकि अभियुक्त सुरजीत ने परिवादी का गला पकड़ लिया । इस प्रकार परिवादी को क्षतियां पहुंचीं और उसकी बाली, सोने का हार आदि भी गायब हो गया । उक्त घटना के पश्चात् पुलिस को मामले की सूचना दी गई और मामला अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया और अन्वेषण के पश्चात् न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया ।

3. अभियोजन ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल सात साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त व्यक्तियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का खंडन किया और निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त व्यक्तियों ने कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 29 अगस्त, 2005 के आक्षेपित निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 323 और 506 के अधीन दंडनीय अपराधों के किए जाने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया । तत्पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों ने विद्वान् निचले अपील न्यायालय के समक्ष अपील की, जो मंजूर की गई और अभियुक्त व्यक्तियों को उन अपराधों को करने के लिए जिनके लिए उन्हें आरोपित किया गया था, दोषमुक्त किया गया, अतः यह अपील की गई ।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

5. श्री रजत चौहान, विद्वान् विधि अधिकारी ने यह तर्क किया कि विद्वान् निचले न्यायालय ने इस तथ्य का मूल्यांकन किए बिना कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह की गुंजाइश से परे अभियुक्त के दोष को साबित किया है, अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया । अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने परिवादी के कथन को निर्दिष्ट किया । दूसरी ओर श्री श्याम चौहान विद्वान् उप-काउंसेल ने यह तर्क किया कि अभियोजन अभियुक्त व्यक्तियों का दोष साबित करने में असफल रहा है और अभिलेख पर अभिकथित अपराध से अभियुक्त व्यक्तियों को संबद्ध करने वाली कोई सामग्री नहीं है । उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि विद्वान् निचले अपील न्यायालय ने यह सही निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के आभास से परे अभियुक्त व्यक्तियों के दोष को साबित करने में असफल रहा है । इस प्रकार विद्वान् निचले अपील न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने की अपेक्षा नहीं है । खंडन करते हुए श्री रजत चौहान, विद्वान् विधि अधिकारी ने यह तर्क किया कि विद्वान् निचले अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध है और तथ्यों का पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात् जो इसके सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर लाया गया है, यह अपास्त किए जाने योग्य है ।

6. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए इस न्यायालय ने विस्तार से अभिलेख का परिशीलन किया और सूक्ष्म रीति से साक्षियों के कथनों की संवीक्षा की ।

7. उप निरीक्षक नरेन्द्र (अभि. सा. 1) औपचारिक साक्षी है जिसने तारीख 22 फरवरी, 2005 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

8. अभि. सा. 2, हेड कांस्टेबल सतप्रकाश सं. 12 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 22 जनवरी, 2005 को परिवादी ने पुलिस को मामले की सूचना दी जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क दर्ज की गई और स्थलनक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क तैयार किया गया । उन्होंने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि साक्षी अर्थात् प्रताप सिंह और कंवर सिंह के कथन स्थल पर अभिलिखित किए गए और 'डंडा' प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1 मेमो, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क द्वारा कब्जे में लिया गया, क्षतिग्रस्त

व्यक्तियों की चिकित्सीय परीक्षा कराई गई और उनके चिकित्सा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए गए । अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह अगले दिन अर्थात् 23 जनवरी, 2005 को स्थल पर गया था । उन्होंने यह स्वीकार किया कि परिवादी के मकान के नजदीक दो-तीन दुकानें हैं, उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि स्थल पर 30-35 मकान हैं किंतु वे परिवादी के मकान से थोड़े दूर हैं । उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने नजदीक मकान और दुकानों से साक्षियों के कथन अभिलिखित नहीं किए । उन्होंने खंडन किया कि परिवादी की सहायता से वह मिथ्या रूप से अभियुक्त व्यक्तियों को फंसा रहा है ।

9. अभि. सा. 3 परिवादी ने साक्षी गवाक्ष में उपस्थित होकर यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 22 जनवरी, 2005 को प्रातः लगभग 8.00 बजे जब वह अपने मकान की नाली की सफाई कर रही थी, अभियुक्त सुरजीत सिंह घटनास्थल पर आया और उसे डंडे से मारने लगा और उसका स्तन भी पकड़ लिया । जब वह चिल्लाई तो अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया फिर भी 5-10 मिनट पश्चात् नीरु, कौशल्या, बसंत, रणसिंह, जगत सिंह और रमेश ताराचंद के साथ सुरजीत पुनः घटनास्थल पर आया और उसके बाल पकड़ लिए तथा रक्त उसकी नाक से निकलने लगा । उसने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि प्रताप सिंह और मनीन्दर सिंह ने उसे बचाया इसके पश्चात् उसने मामले की सूचना पुलिस को दी जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क दर्ज किया गया और उसकी चिकित्सीय जांच की गई । पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ख द्वारा डंडा प्रदर्श पी. 1 कब्जे में लिया गया जिस पर उसके और साक्षी प्रताप सिंह और कंवर सिंह के भी हस्ताक्षर हैं । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि साक्षी प्रताप सिंह और मनीन्दर सिंह उसके पति के भतीजे हैं जो उसके मकान से 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं । उसने यह खंडन किया कि न तो अभियुक्त-व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित थे न ही उन लोगों ने उसे मारा । उसने आगे यह खंडन किया कि वह अभियुक्त व्यक्तियों को झूठे फंसा रही है ।

10. प्रताप सिंह (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 22 जनवरी, 2005 को दोपहर लगभग 12.30 बजे जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो परिवादी अपने मकान की नाली साफ कर रही थी, इसी बीच अभियुक्त सुरजीत ने परिवादी से झगड़ा करना आरंभ कर दिया और डंडे से भी उसे मारा । उन्होंने आगे यह परिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त सुरजीत ने

परिवादी को उसके स्तन से पकड़ा और जब वह चिल्लाई तो वह घटनास्थल से भाग गया । तथापि, 15-20 मिनट पश्चात् अभियुक्त पुनः निरुपमा, कौशल्या, बसंत और जगत राम आदि के साथ घटनास्थल पर आया जिनमें से निरुपमा और कौशल्या ने परिवादी के बाल पकड़े और उसे मारने लगे । उन्होंने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने और मनीन्दर ने अभियुक्त व्यक्तियों की पकड़ से परिवादी को छुड़ाया । उन्होंने ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ख के चक्र "बी" में उसके हस्ताक्षर की भी पहचान की जिसके द्वारा डंडा प्रदर्श पी. 1 पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने यह स्वीकार किया कि वह और मनीन्दर परिवादी के नातेदार हैं ।

11. मनीन्दर सिंह (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 22 जनवरी, 2005 को जब वह कवंर सिंह की दुकान की ओर जा रहा था तो उसने सुरजीत, निरुपमा, रंजीत, कौशल्या, बिमला और रमेश को परिवादी के मकान के बाहर देखा, जहां निरुपमा और कौशल्या ने परिवादी के बाल पकड़े और उसे नीचे गिराया । उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त सुरजीत ने भी परिवादी के बाल पकड़े और उसका गला दबाया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने यह खंडन किया कि न तो वह, न ही अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे । उन्होंने आगे यह खंडन किया कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध झूठा मामला गढ़ा गया है ।

12. कांस्टेबल बिनोद कुमार (अभि. सा. 6) ने तारीख 22 जनवरी, 2005 प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क की रपट संख्या 8 के बारे में अभिसाक्ष्य दिया जबकि डा. जे. एस. चहल (अभि. सा. 7) ने परिवादी की चिकित्सीय जांच की और चिकित्सीय जांच प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क जारी किया जिसमें उन्होंने यह राय व्यक्त की कि क्षति सं. 5 कारित हो सकती है जब कोई किसी व्यक्ति के बाल खींचता है और क्षति सं. 3 मुक्के के प्रहार द्वारा कारित हो सकती है जबकि शेष क्षतियां तब कारित हो सकती हैं यदि कोई डंडे और मुक्के से मारा गया हो । तारीख 23 जनवरी, 2005 को उन्होंने अभियुक्त सुरजीत और निरुपमा की प्रतिपरीक्षा की और उनकी चिकित्सीय जांच प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ग जारी कियां । अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि क्षति सं. 2, 3 और 4 तब भी कारित हो सकती है यदि व्यक्ति खुरदरे और कठोर सतह पर गिरता है और क्षति सं. 5 तब कारित हो सकती है यदि व्यक्ति के बाल किसी वस्तु से उलझ गए हों और कोई व्यक्ति उससे निकलने का प्रयास

करे ।

13. परिवादी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसे प्रताप सिंह और मनीन्दर सिंह द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों से बचाया गया और उसके पश्चात् उसने मामले की सूचना पुलिस को दी । तथापि, अपने कथन में उसने यह नहीं बताया कि जब अभियुक्त सुरजीत ने डंडे से उसे पहले पीटा था और स्तन से उसे पकड़ा था, प्रताप सिंह (अभि. सा. 4) घटनास्थल पर मौजूद था और यदि प्रताप सिंह उस समय मौजूद था तो इसके पश्चात् उसने क्या किया, परिवादी के कथन से स्पष्ट नहीं है । साक्षी गवाक्ष में उपस्थित होकर अभि. सा. 4 ने यह कहा कि उसकी उपस्थिति में सर्वप्रथम अभियुक्त सुरजीत ने परिवादी से झगड़ा करना आरंभ किया और इसके पश्चात् डंडे से उसे मारने लगा और उसके स्तन भी पकड़े और जब वह चिल्लाई तो वह घटनास्थल से भाग गया, इसके पश्चात् वह पुनः घटनास्थल पर आया, निश्चित रूप से अभियोजन कथन में सुधार लगता है । अभि. सा. 4 ने भी यह स्वीकार किया कि वह और मनीन्दर सिंह दोनों इन परिस्थितियों में परिवादी के संबंधी हैं । अभि. सा. 4 का कथन बहुत संदेहास्पद है । इसी प्रकार अभि. सा. 5 के कथन से अभिलेख पर ऐसी कोई बात नहीं आती जो यह उपदर्शित करती हो कि अभियुक्त सुरजीत ने परिवादी को उसके स्तन से पकड़ा था, इस प्रकार इन दो साक्षियों के कथन जिन पर विद्वान् विचारण न्यायालय की दोषसिद्धि आधारित है, विश्वसनीय नहीं है । आगे परिवादी के शरीर पर क्षतियां जो चिकित्सक के अनुसार साधारण प्रकृति के हैं, अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं की गई थीं । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि शुरू में अभियुक्त सुरजीत के पास डंडा था जबकि अभि. सा. 5 ने यह कहा कि उसके पास डंडा उस समय था जब वह 15-20 मिनट पश्चात् दूसरी बार आया था, यह ऐसी बात है, जिससे इन साक्षियों का कथन झूठा साबित हो जाता है । इन परिस्थितियों में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त व्यक्तियों का दोष साबित करने में असफल रहा है और विद्वान् निचले अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी खामी से ग्रसित नहीं है ।

14. **के. प्रकाशन** बनाम **पी. के. सुरेन्दरन**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब दो मत संभव हों तो अपील न्यायालय को

---

[1] (2008) 1 एस. सी. सी. 258.

दोषमुक्ति के निर्णय को मात्र इस कारण नहीं उलटना चाहिए, क्योंकि दूसरा मत भी संभव है । जब विचारण न्यायालय का निर्णय न तो विप्रतीत है और न ही किसी विधिक खामी या अभिलेख पर साक्ष्य के गैर विचार/गलत मूल्यांकन से ग्रस्त हैं, तो उच्च न्यायालय द्वारा उसका उलटा जाना न्यायोचित नहीं है ।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टी. सुब्रमनियन** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां एक ही साक्ष्य से युक्तियुक्ततः दो मत निकाला जाना संभव हो वहां अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे अपना पक्षकथन साबित किया गया, नहीं कहा जा सकता ।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चय और इसमें उपरोक्त की गई चर्चा के आलोक में, मैं इस अपील में कोई सार नहीं पाता और यह खारिज किए जाने योग्य है तथा तद्नुसार खारिज की जाती है । लंबित आवेदन यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पा.

---

[1] (2006) 1 एस. सी. सी. 401.

गतांक से आगे......

द्वितीय अनुसूची

(धारा 476 देखिए)

प्ररूप सं. 1

अभियुक्त व्यक्ति को समन

(धारा 61 देखिए)

प्रेषिती –

....(अभियुक्त का नाम और पता) ....(आरोपित अपराध संक्षेप में लिखिए) के आरोप का उत्तर देने के लिए आपका हाजिर होना आवश्यक है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (या, यथास्थिति, प्लीडर द्वारा) .... के .... (मजिस्ट्रेट) के समक्ष तारीख .... को हाजिर हों । इसमें चूक नहीं होनी चाहिए ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 2

गिरफ्तारी का वारण्ट

(धारा 70 देखिए)

प्रेषिती –

..........(उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है) ....(पता) के ....(अभियुक्त का नाम) पर ....(अपराध लिखिए) के अपराध का आरोप है; इसलिए आपको इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि आप उक्त ....को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश करें । इसमें चूक नहीं होनी चाहिए ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

(धारा 71 देखिए)

यह वारण्ट निम्नलिखित रूप से पृष्ठांकित किया जा सकेगा :–

यदि उक्त ....तारीख.. को मेरे समक्ष हाजिर होने के लिए और जब तक मेरे द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए ऐसे हाजिर होते रहने के लिए स्वयं ....रुपए की राशि की जमानत........................रुपए की राशि के एक प्रतिभू सहित (या दो प्रतिभुओं सहित, जिनमें से प्रत्येक ....रुपए की राशि का होगा) दे दे तो उसे छोड़ा जा सकता है ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 3

वारण्ट के अधीन गिरफ्तारी के पश्चात् बंधपत्र और जमानतपत्र

(धारा 81 देखिए)

मैं ....(**नाम**) जो कि ....(**पता**) का हूं .... के आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर होने के लिए मुझे विवश करने के लिए जारी किए गए वारण्ट के अधीन ....के जिला मजिस्ट्रेट (**या यथास्थिति**) के समक्ष लाए जाने पर इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए मैं अगली तारीख........................को........................के न्यायालय में हाजिर होऊंगा, और जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए तब तक ऐसे हाजिर होता रहूंगा; तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी ....रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

....(**पता**) के उक्त ....(**नाम**) के लिए मैं अपने को इसके द्वारा इस बात के

लिए प्रतिभू घोषित करता हूं कि वह उस आरोप का उत्तर देने के लिए, जिसके लिए कि वह गिरफ्तार किया गया है, अगली तारीख ....को ....के न्यायालय में ....के समक्ष हाजिर होगा, और जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, ऐसे हाजिर होता रहेगा, और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें उसने कोई चूक की तो मेरी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 4

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ....**(नाम, वर्णन और पता)** मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा .... के अधीन दंडनीय, ...का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त .... **(नाम)** मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त ....**(नाम)** फरार हो गया है **(या** उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) ;

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि .... के उक्त .... से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष **(या** मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए .... **(स्थान)** में तारीख .... को हाजिर हो ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 5

साक्षी की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82, 87 और 90 देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ....(**नाम, वर्णन और पता**) ने ....(अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) का अपराध किया है (या सन्देह है कि उसने किया है) और उक्त परिवाद के विषय के बारे में परीक्षा की जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए ....(**साक्षी का नाम, वर्णन और पता**) को विवश करने के लिए वारण्ट जारी किया जा चुका है, तथा उक्त वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त ....(**साक्षी का नाम**) पर उसकी तामील नहीं की जा सकती, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) ;

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त ....(**नाम**) से अपेक्षा की जाती है कि वह ....के उस अपराध के बारे में जिसका परिवाद किया गया है परीक्षा की जाने के लिए तारीख ....को ....बजे ....(**स्थान**) में .... के न्यायालय के समक्ष हाजिर हो ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 6

साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश

(धारा 83 देखिए)

प्रेषिती –

.... के पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन परिवाद के बारे में अभिसाक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए ....(**नाम, वर्णन और पता**) को विवश करने के लिए वारण्ट सम्यक् रूप से निकाला जा चुका है और उक्त वारण्ट यह लिखकर लौटा

दिया गया है कि उसकी तामील नहीं की जा सकती, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (**या** वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है), और उस पर उक्त .... (**नाम**) से यह अपेक्षा करने वाली उद्‌घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह उसमें उल्लिखित समय और स्थान पर हाजिर हो और साक्ष्य दें ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि .... जिले के अंदर उक्त .... की .... रुपए तक की कीमत की जो जंगम संपत्ति आपको मिले उसे आप अभिग्रहण द्वारा कुर्क कर लें और उक्त संपत्ति को इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक कुर्क रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 7

अभियुक्त व्यक्ति को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश

(धारा 83 देखिए)

प्रेषिती –

....
.... **(उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)**

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ....(**नाम, वर्णन और पता**) ने भारतीय दंड संहिता की धारा............................के अधीन दंडनीय ....का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त ....(**नाम**) मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त ....(**नाम**) फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) और उस पर उक्त ....से यह अपेक्षा करने वाली उद्‌घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह ....दिन के अंदर

उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर हो; तथा ....जिले में ....ग्राम (या नगर) में सरकार को राजस्वदायी भूमि से भिन्न निम्नलिखित संपत्ति अर्थात्..............उक्त ....के कब्जे में है और उसकी कुर्की के लिए आदेश किया जा चुका है ;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त संपत्ति को धारा 83 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ग) या दोनों* में विनिर्दिष्ट रीति से कुर्क कर लें और उसे इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक कुर्क रखें और इस वारंट के निष्पादन की रीति में पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करके इसे लौटा दें ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

* कुर्क की जाने वाली संपत्ति के स्वरूप के आधार पर किसी एक को, जो लागू न हो, काट दिया जाए ।

प्ररूप सं. 8

जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर के द्वारा कुर्की किया जाना प्राधिकृत करने के लिए आदेश

(धारा 83 देखिए)

प्रेषिती –

....जिले का जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि........................**(नाम, वर्णन और पता)** ने भारतीय दंड संहिता की धारा........................... के अधीन दंडनीय ....का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त ....**(नाम)** मिल नहीं रहा है ; तथा मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त ....**(नाम)** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) और उस पर उक्त............ **(नाम)** से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह.........दिन के अंदर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर हो ; तथा ....जिले में .... **(ग्राम या नगर)** में सरकार को राजस्वदायी कुछ भूमि उक्त.............के कब्जे में है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त भूमि को धारा 83 की उपधारा (4) के खंड (क) या खंड (ग) या दोनों*

में विनिर्दिष्ट रीति से कुर्क करा लें और इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक उसे कुर्क रखें और इस आदेश के अनुसरण में जो कुछ आपने किया हो उसे अविलंब प्रमाणित करें ।

ता........................ (हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

---

[1]जो वांछित न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप सं. 9

साक्षी को लाने के लिए प्रथम बार वारण्ट

(धारा 87 देखिए)

प्रेषिती –

.... **(उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)**

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि............................**(पता)** के ....**(अभियुक्त का नाम)** ने ....**(अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए)** का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और यह संभाव्य प्रतीत होता है कि ....**(साक्षी का नाम और वर्णन)** उक्त परिवाद के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं, तथा मेरे पास यह विश्वास करने का अच्छा और पर्याप्त कारण है कि जब तक ऐसा करने के लिए विवश न किए जाएं वह उक्त परिवाद की सुनवाई में साक्षी के रूप में हाजिर नहीं होंगे ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ....**(साक्षी का नाम)** को गिरफ्तार करें और उस अपराध के बारे में जिसका परिवाद किया गया है परीक्षा की जाने के लिए उसे तारीख ....को इस न्यायालय के समक्ष लाएं ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 10

विशिष्ट अपराध की इत्तिला के पश्चात् तलाशी के लिए वारण्ट

(धारा 93 देखिए)

प्रेषिती –

....

.... (उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)

....(अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) के अपराध के किए जाने (या किए जाने के संदेह) की मेरे समक्ष इत्तिला दी गई है (या परिवाद किया गया है), और मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि उक्त अपराध (या संदिग्ध अपराध) की जांच के लिए, जो अब की जा रही है (या की जाने वाली है) ....(चीज को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट कीजिए) का पेश किया जाना आवश्यक है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... (उस गृह या स्थान का या उसके उस भाग का वर्णन कीजिए, जिस तक तलाशी सीमित रहेगी) में उक्त .... (विनिर्दिष्ट चीज) के लिए तलाशी लें और यदि यह पाई जाए तो उसे तुरंत इस न्यायालय के समक्ष पेश करें, और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया है उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए, इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, अविलम्ब लौटा दें ।

ता. .... (हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 11

संदिग्ध निक्षेप-स्थान की तलाशी के लिए वारण्ट

(धारा 94 देखिए)

प्रेषिती –

....

.... (कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम)

मेरे समक्ष यह इत्तिला दी गई है और उस पर की गई सम्यक् जांच के पश्चात् मुझे यह विश्वास हो गया है कि ....(गृह या अन्य स्थान का वर्णन कीजिए) का चुराई हुई सम्पत्ति के निक्षेप (या विक्रय) (या यदि धारा में अभिव्यक्त किए

गए अन्य प्रयोजनों में से किसी के लिए उपयोग में लाया जाता है तो धारा के शब्दों में उस प्रयोजन को लिखिए) के लिए स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त गृह (या अन्य स्थान) में ऐसी सहायता के साथ प्रवेश करें, जैसी अपेक्षित हो, और यदि आवश्यक है तो उस प्रयोजन के लिए उचित बल का प्रयोग करें और उक्त गृह (या अन्य स्थान) के प्रत्येक भाग (या यदि तलाशी किसी भाग तक ही सीमित रहती है तो उस भाग को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट कीजिए) की तलाशी लें और किसी संपत्ति (या यथास्थिति दस्तावेजों या स्टाम्पों या मुद्राओं या सिक्कों या अश्लील वस्तुओं) को (जब मामले में ऐसा अपेक्षित हो तो जोड़िए) और किन्हीं उपकरणों और सामग्रियों को भी जिनके बारे में आपको उचित रूप से विश्वास हो सके कि वे (यथास्थिति) कूटरचित दस्तावेजों या कूटकृत स्टाम्पों, मिथ्या मुद्राओं या कूटकृत सिक्कों या कूटकृत करेंसी नोटों के विनिर्माण के लिए रखी गई है, अभिगृहीत करें और अपने कब्जे में लें और उक्त चीजों में से अपने कब्जे में ली गई चीजों को तत्काल इस न्यायालय के समक्ष लाएं और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादित हो जाने पर, अविलम्ब लौटा दें ।

ता. .... (हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 12

परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र

(धारा 106 और 107 देखिए)

मैं ....(नाम) .... (स्थान) का निवासी हूं ; मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं .... की अवधि के लिए या जब तक..के न्यायालय में .... के मामले में इस समय लंबित जांच समाप्त न हो जाए परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र लिखूं ;

इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि उक्त अवधि के दौरान, या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए, परिशांति भंग नहीं करूंगा अथवा कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य हो, और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी ....रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता. .... (हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 13

सदाचार के लिए बंधपत्र

(धारा 108, 109 और 110 देखिए)

मैं ....(नाम) ....(स्थान) का निवासी हूं ; मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं .... **(अवधि लिखिए)** की अवधि के लिए या जब तक .... के न्यायालय में .... के मामले में इस समय लंबित जांच समाप्त न हो जाए, सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतने के लिए, बंधपत्र लिखूं ;

इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि उक्त अवधि के दौरान, या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतूंगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी ....रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

(जहां प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित किया जाना है वहां यह जोड़िए)

हम उक्त..के लिए अपने को इसके द्वारा इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह उक्त अवधि के दौरान या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतेगा, और हम अपने को संयुक्ततः और पृथक्तः आबद्ध करते हैं कि यदि इसमें उसने कोई चूक की तो हमारी.. रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 14

परिशांति भंग की संभावना की इत्तिला पर समन

(धारा 113 देखिए)

प्रेषिती –

(नाम) ....**(पता)** ....

इस विश्वसनीय इत्तिला द्वारा कि......................................(इत्तिला का सार लिखिए) मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि यह संभाव्य है कि आप परिशांति भंग करेंगे

(या ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि संभवतः परिशांति भंग होगी) ; इसलिए इसके द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (**अथवा** अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा) **तारीख** ....को ....के मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दिन में दस बजे इस बात का कारण दर्शित करने के लिए हाजिर हों कि आपसे यह अपेक्षा क्यों न की जाए कि इस बात के लिए कि आप................अवधि के लिए परिशांति कायम रखेंगे आप.................रुपए के लिए एक बंधपत्र लिखें [**जब प्रतिभू अपेक्षित हों तब यह जोड़िए,** और एक **प्रतिभू** (या, **यथास्थिति,** दो प्रतिभुओं) के (**यदि एक से अधिक प्रतिभू हों तो**) उनमें से प्रत्येक के............................रुपए की राशि के लिए बंधपत्र द्वारा भी प्रतिभूति दें] ।

ता. .... (हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 15

परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर सुपुर्दगी का वारण्ट

(धारा 122 देखिए)

प्रेषिती –

.... (**स्थान**) की जेल का भारसाधक अधिकारी .... (**नाम और पता**), उस समन के अनुपालन में, जिससे कि उनसे अपेक्षा की गई थी कि वह इस बात का कारण दर्शित करें कि क्यों न वह एक प्रतिभुओं सहित (**या** दो प्रतिभुओं सहित, जिनमें से प्रत्येक ....रुपए के लिए प्रतिभू हो) ....रुपए के लिए इस बाबत बंधपत्र लिखें कि वह अर्थात् उक्त ....(**नाम**) .... मास की अवधि के लिए परिशांति कायम रखेंगे, मेरे समक्ष तारीख ....को स्वयं (या अपने प्राधिकृत, अभिकर्ता द्वारा) हाजिर हुए थे ; तथा तब उक्त ....(**नाम**) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश किया गया था कि वह ऐसी प्रतिभूति (**जब आदिष्ट प्रतिभूति समन में उल्लिखित प्रतिभूति से भिन्न, तब आदिष्ट प्रतिभूति लिखिए**) दें और जुटाएं और वह उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहे हैं ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त................................ (**नाम**) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उक्त जेल में ....(**कारावास की अवधि**) की उक्त

अवधि के लिए, जब तक इस बीच उनके छोड़े जाने के लिए विधिपूर्वक आदेश न दे दिया जाए, सुरक्षित रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 16

सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर सुपुर्दगी का वारण्ट

(धारा 122 देखिए)

प्रेषिती –

....(**स्थान**) की जेल का भारसाधक अधिकारी

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि ....(**नाम और वर्णन**) ....जिले के भीतर अपनी उपस्थिति छिपा रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने के लिए ऐसा कर रहा है ;

अथवा

............................(**नाम और वर्णन**) के साधारण चरित्र के बारे में मेरे समक्ष साक्ष्य दिया गया है और अभिलिखित किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह आभ्यासिक लुटेरा (**या, यथास्थिति,** गृहभेदक आदि) है ;

तथा ऐसा कथन करने वाला और उक्त ....(**नाम**) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश अभिलिखित किया गया है कि एक प्रतिभू सहित (या, यथास्थिति, दो या अधिक प्रतिभुओं के सहित) वह स्वयं ....रुपए के लिए और उक्त प्रतिभू (या उक्त प्रतिभुओं में से प्रत्येक) ....रुपए के लिए बंधपत्र लिखकर............................(**अवधि लिखिए**) अवधि के लिए अपने सदाचार के लिए प्रतिभूति दे, और उक्त ....(**नाम**) उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है और ऐसी चूक के लिए उसकी बाबत ....(**अवधि लिखिए**) के लिए, जब तक उससे पूर्व ही उक्त प्रतिभूति न दे दी जाए, कारावास का न्यायनिर्णयन किया गया है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ....(**नाम**) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उक्त जेल में .... (**कारावास की अवधि**) की उक्त अवधि के लिए, सुरक्षित रखें या यदि वे पहले ही कारागार में हैं तो उसमें निरुद्ध रखें जब तक इस बीच उसके छोड़े जाने के लिए विधिपूर्वक आदेश न दे दिया जाए,

और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 17

प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति को उन्मोचित करने के लिए वारण्ट

(धारा 122 और 123 देखिए)

प्रेषिती –

....**(स्थान)** की जेल का भारसाधक अधिकारी **(या अन्य अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में वह व्यक्ति है)** ।

............................**(बंदी का नाम और वर्णन)** को ता. ....के न्यायालय के वारण्ट के अधीन आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा .... के अधीन प्रतिभूति सम्यक् रूप से दे दी है ;

अथवा

19................के..................मास के.................. दिन के न्यायालय के वारण्ट के अधीन....................................... **(बंदी का नाम और वर्णन)** को आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और मुझे इस राय के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसे समाज को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ....**(नाम)** को अपनी अभिरक्षा से, जब तक उसे किसी अन्य कारण से निरुद्ध करना आवश्यक न हो, तत्काल उन्मोचित कर दें ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 18

भरणपोषण देने में असफल रहने पर कारावास का वारण्ट

(धारा 125 देखिए)

प्रेषिती –

....**(स्थान)** की जेल का भारसाधक अधिकारी .... **(नाम, वर्णन और पता)** के बारे में मेरे समक्ष यह साबित कर दिया

गया है कि वह अपनी पत्नी.................................... (नाम) [या अपने बालक............................(**नाम**) या अपने पिता या माता .... (**नाम**)] का, जो ....(**कारण लिखिए**) के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, भरणपोषण करने के पर्याप्त साधन रखता है और उसने उनका भरणपोषण करने में उपेक्षा की है (**या** ऐसा करने से इनकार किया है) और उक्त .... (नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक् रूप से किया जा चुका है कि वह अपनी उक्त पत्नी (**या** बालक **या** पिता **या** माता) को भरणपोषण के लिए ....रुपए की मासिक राशि दे, तथा यह भी साबित कर दिया गया है कि उक्त .... (नाम) उक्त आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके .... रुपए, जो .... मास (**या मासों**) के लिए भत्ते की रकम है, देने में असफल रहा है ;

और तब यह न्यायनिर्णीत करने वाला आदेश किया गया कि वह उक्त जेल में .... अवधि के लिए कारावास भोगे ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (**नाम**) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और वहां उक्त आदेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 19

कुर्की और विक्रय द्वारा भरणपोषण का संदाय कराने के लिए वारण्ट

(धारा 125 देखिए)

प्रेषिती –

.... (**उस पुलिस अधिकारी का या अन्य व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसे वारंट का निष्पादन करना है)**

....(**नाम**) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक् रूप से किया जा चुका है कि वह अपनी उक्त पत्नी (**या** अपने बालक **या** पिता **या** माता) को भरणपोषण के लिए .... रुपए की मासिक राशि दे, तथा उक्त .... (नाम) उक्त आदेश की

जानबूझकर अवहेलना करके .... रुपए जो .... के मास **(या मासों)** के लिए भत्ते की रकम है, देने में असफल रहा है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... जिले के अंदर उक्त .... **(नाम)** की जो कोई जंगम संपत्ति मिले उसे कुर्क कर लें और यदि ऐसी कुर्की के पश्चात् .... **(अनुज्ञात दिनों या घंटों की संख्या लिखिए)** के अंदर उक्त राशि नहीं दी जाती है तो **(या तत्काल)** कुर्क की गई जंगम संपत्ति का या उसके इतने भाग का, जितना उक्त राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारंट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, तुरंत लौटा दें ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 20

न्यूसेंसों को हटाने के लिए आदेश

(धारा 133 देखिए)

प्रेषिती –

.... **(नाम, वर्णन और पता)** मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आपने .... **(यह लिखिए कि वह** क्या है **जिससे बाधा या न्यूसेंस कारित होता है)** इत्यादि, इत्यादि द्वारा सार्वजनिक सड़क मार्ग **(या** अन्य लोक स्थान)..................................**(सड़क या लोक स्थान का वर्णन कीजिए)** इत्यादि, इत्यादि को उपयोग में लाने वाले व्यक्तियों को बाधा **(या** न्यूसेंस) की है और वह बाधा **(या** न्यूसेंस) अब भी वर्तमान है ;

अथवा

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप स्वामी की या प्रबंधक की हैसियत से .... **(विशिष्ट व्यापार या उपजीविका लिखिए)** का व्यापार या उपजीविका .... में **(वह स्थान जहां वह व्यापार या उपजीविका चलाई जा रही है लिखिए)** चला रहे हैं और वह .... के **(जिस रीति से हानिकारक प्रभाव पैदा हुए हैं वहां संक्षेपतः लिखिए)** कारण लोक-स्वास्थ्य **(या** सुख) के लिए हानिकारक है और उसे बंद कर दिया जाना चाहिए या दूसरे स्थान को हटा दिया जाना चाहिए ;

अथवा

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप लोक मार्ग .... **(आम रास्ते का वर्णन कीजिए)** के पार्श्वस्थ किसी तालाब **(या** कुंए **या** उत्खात) के स्वामी हैं (या उस पर आपका कब्जा है **या** नियंत्रण है) और उक्त तालाब (या कुंए **या** उत्खात) पर बाड़ न होने (या असुरक्षित रूप से बाड़ होने) के कारण सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होता है ;

अथवा

.... इत्यादि, इत्यादि **(यथास्थिति)** ;

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप .... **(अनुज्ञात समय लिखिए)** के अंदर .... **(न्यूसेंस के उपशमन के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है वह लिखिए)** या तारीख.................. को .... के न्यायालय में हाजिर हों और इस बात का कारण दर्शित करें कि इस आदेश को क्यों प्रवर्तित न कराया जाए ;

अथवा

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप .... **(अनुज्ञात समय लिखिए)** के अंदर उक्त व्यापार या उपजीविका को उक्त स्थान में चलाना बंद कर दें और उसे फिर न चलाएं या उक्त व्यापार को उस स्थान से जहां वह अब चलाया जा रहा है हटा दें, या तारीख .... को हाजिर हों, इत्यादि, इत्यादि ;

अथवा

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप .... **(अनुज्ञात समय लिखिए)** के अंदर ....**(बाड़ की किस्म और जिस भाग में बाड़ लगाई जानी है वह लिखिए)** पर्याप्त बाड़ लगाएं या तारीख .... को हाजिर हों, इत्यादि ;

अथवा

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि....................... इत्यादि, इत्यादि **(यथास्थिति)** ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 21

मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना और अनिवार्य आदेश

(धारा 141 देखिए)

प्रेषिती –

.... **(नाम, वर्णन और पता)**

मैं आपको सूचना देता हूं कि यह पाया गया है कि तारीख .... को जारी किया गया और आपसे .... **(आदेश में की गई अपेक्षा का सार लिखिए)** अपेक्षा करने वाला आदेश युक्तियुक्त और उचित है । वह आदेश अब अंतिम कर दिया गया है तथा मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि.......................... **(अनुज्ञात समय लिखिए)** के अंदर उक्त आदेश का अनुपालन करें, नहीं तो उसकी अवज्ञा के लिए भारतीय दंड संहिता द्वारा उपबंधित शास्ति आपको भोगनी पड़ेगी ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 22

जांच होने तक आसन्न खतरे के विरुद्ध उपबंध करने के लिए व्यादेश

(धारा 142 देखिए)

प्रेषिती –

....**(नाम, वर्णन और पता)**

तारीख.......................... को मेरे द्वारा जारी किए गए सशर्त आदेश की जांच अभी तक लंबित है और मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि उक्त आदेश में वर्णित न्यूसेंस से जनता को ऐसा खतरा या गंभीर किस्म की हानि आसन्न है कि उस खतरे या हानि का निवारण करने के लिए अविलंब उपाय करना आवश्यक हो गया है ; इसलिए मैं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 142 के उपबंधों के अधीन आपको निदेश और व्यादेश देता हूं कि आप जांच का परिणाम निकलने तक के लिए तत्काल .... **(अस्थायी सुरक्षा के रूप में क्या किया जाना अपेक्षित है यह स्पष्टतया लिखिए)** करें ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 23

न्यूसेंस की पुनरावृत्ति आदि का प्रतिषेध करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश

(धारा 143 देखिए)

प्रेषिती –

.... **(नाम, वर्णन और पता)**

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप..............................इत्यादि, इत्यादि **(यथास्थिति, प्ररूप 20 या प्ररूप 24 के अनुसार यहां उचित वर्णन कीजिए)** ;

इसलिए मैं आपको सख्त आदेश और व्यादेश देता हूं कि आप .... उक्त न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करें या उसे चालू न रखें ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 24

बाधा, बल्वा आदि का निवारण करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश

(धारा 144 देखिए)

प्रेषिति –

....**(नाम, वर्णन और पता)**

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप...................................... **(संपत्ति का स्पष्ट वर्णन कीजिए)** का कब्जा रखते हैं (या प्रबंध करते हैं) और उक्त भूमि में नाली खोदने में आप खोदी हुई मिट्टी और पत्थरों के कुछ भाग को पार्श्ववर्ती सार्वजनिक सड़क पर फेंकने या रख देने वाले हैं, जिससे सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को बाधा की जोखिम पैदा होगी ;

अथवा

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप और कई अन्य व्यक्ति .... **(व्यक्तियों के वर्ग का वर्णन कीजिए)** समवेत होने वाले हैं और सार्वजनिक सड़क पर होकर जुलूस निकालने वाले हैं, इत्यादि **(यथास्थिति)** और ऐसे जुलूस से बल्वा या दंगा हो जाना संभाव्य है ;

अथवा

.... इत्यादि, इत्यादि **(यथास्थिति)** ;

इसलिए मैं इसके द्वारा आपको आदेश देता हूं कि आप भूमि में से खोदी हुई किसी भी मिट्टी या पत्थर को उक्त सड़क के किसी भी भाग पर न रखें और न रखने की अनुज्ञा दें ;

अथवा

इसलिए मैं इसके द्वारा उक्त सड़क पर होकर जुलूस के जाने का प्रतिषेध करता हूं और आपको सख्त चेतावनी और आदेश देता हूं कि आप ऐसे जुलूस में कोई भाग न लें **(या जैसा वर्णित मामले में अपेक्षित हो)** ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 25

विवादग्रस्त भूमि आदि का कब्जा रखने के हकदार पक्षकार की घोषणा करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश

(धारा 145 देखिए)

सम्यक् रूप से अभिलिखित आधारों पर मुझे यह प्रतीत होने पर कि मेरी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित ....(**विवाद-वस्तु थोड़े में लिखिए**) से संबद्ध विवाद जिससे परिशांति भंग हो जाना संभाव्य है .... (**पक्षकारों के नाम और निवास अथवा यदि विवाद ग्रामीणों के समूहों के बीच है तो केवल निवास का वर्णन कीजिए**) के बीच है, सब उक्त पक्षकारों से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त .... (**विवाद-वस्तु**) पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावों का लिखित कथन दें और तब उक्त पक्षकारों में से किसी के कब्जे के वैध अधिकार के दावे के गुणागुण के प्रति कोई निर्देश किए बिना सम्यक् जांच करने पर मेरा समाधान हो जाने पर कि उक्त....................................... (**नाम या वर्णन**) का उस पर वास्तविक कब्जे का दावा सही है ; मैं यह विनिश्चय करता हूं और घोषित करता हूं कि उक्त.........................(**विवाद-वस्तु**) पर उसका (**या** उनका) कब्जा है और, जब तक कि विधि के सम्यक् अनुक्रम में वह (**या** वे) निकाल न दिया जाए (**या** दिए जाएं) तब तक वह (**या** वे) ऐसा कब्जा रखने का हकदार है (**या** के हकदार हैं) और इस बीच में उसके (**या** उनके) कब्जे में किसी प्रकार का विघ्न डालने का मैं सख्त निषेध करता हूं ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 26

भूमि आदि के कब्जे के बारे में विवाद के मामले में कुर्की का वारण्ट

(धारा 146 देखिए)

प्रेषिती –

....(**स्थान**) के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी [या..(**स्थान**) का कलक्टर] ।

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि मेरी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर स्थित .... **(विवाद-वस्तु थोड़े में लिखिए)** संबद्ध विवाद, जिससे परिशांति भंग हो जाना संभाव्य है, ... **(संबद्ध पक्षकारों के नाम और निवास, अथवा यदि विवाद ग्रामीणों के समूहों के बीच है तो केवल निवास का वर्णन कीजिए)** के बीच है और तब उक्त पक्षकारों से सम्यक् रूप से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त .... **(विवाद-वस्तु)** पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावे का लिखित कथन दें, और उक्त दावों की सम्यक् जांच करने पर मैंने यह विनिश्चय किया है कि उक्त................................. **(विवाद-वस्तु)** पर कब्जा उक्त पक्षकारों में से किसी का भी नहीं है **(या** यथापूर्वोक्त रूप में कब्जा किस पक्षकार का है इस बारे में अपना समाधान करने में मैं असमर्थ हूं) ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त... **(विवाद-वस्तु)** को उसका कब्जा लेकर और रखकर कुर्क करें और जब तक पक्षकारों के अधिकारों का या कब्जे के दावे का अवधारण करने वाली सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश प्राप्त न कर ली जाए या न कर लिया जाए तब तक उसे कुर्क रखे रहें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 27

भूमि या जल पर किसी बात के किए जाने का प्रतिषेध करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश

(धारा 147 देखिए)

मेरी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित.. **(विवाद-वस्तु को थोड़े में लिखिए)** के उपयोग के अधिकार से संबद्ध, जिस भूमि **(या** जल) पर या अनन्य कब्जे का दावा .... **(व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्णन कीजिए)** द्वारा किया गया है, विवाद उठने पर और उसकी सम्यक् जांच से मुझे यह प्रतीत होने पर कि उक्त भूमि **(या** जल) का जनता **(या यदि व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है तो उसका या उनका वर्णन कीजिए)** के लिए ऐसे उपयोग का उपभोग करना खुला रहा है और **(यदि सारे वर्ष के उपयोग का उपभोग किया जाता है तो)** उक्त जांच के संस्थित किए जाने के तीन मास के अंदर **(या यदि उपयोग का विशिष्ट मौसमों में ही उपभोग किया जा सकता है तो कहिए)** "उन मौसमों में से, जिनमें कि उसका उपभोग किया जा सकता है, अंतिम मौसम के दौरान" उक्त उपयोग का उपभोग किया गया है ;

मैं यह आदेश देता हूं कि उक्त.. **(कब्जे का या के दावेदार)** या उसके (या उनके) हित में कोई व्यक्ति उक्त भूमि (या जल) का कब्जा, यथापूर्वोक्त उपयोग के अधिकार के उपभोग का अपवर्जन करके, न लेगा (**या** प्रतिधारित न करेगा) जब तक वह (**या** वे) सक्षम न्यायालय की उसे (**या उन्हें**) अनन्य कब्जे का (**या** के) हकदार न्यायनिर्णीत करने वाली डिक्री या आदेश प्राप्त न कर ले (**या** लें) ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 28

पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रारंभिक जांच पर बंधपत्र और जमानत पत्र

(धारा 169 देखिए)

मैं...**(नाम)** जो .... हूं... के अपराध से आरोपित होने पर और जांच के पश्चात्............. मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए अपेक्षित किए जाने पर ;

अथवा

और जांच के पश्चात् अपना मुचलका इसलिए देने की अपेक्षा की जाने पर कि जब भी मुझसे अपेक्षा की जाएगी, मैं हाजिर होऊंगा ; इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि मैं .... **(स्थान)** में .... के न्यायालय में तारीख .... को (**या** ऐसे दिन जब हाजिर होने की मुझसे इसके पश्चात् अपेक्षा की जाए) उक्त आरोप का अतिरिक्त उत्तर देने के लिए हाजिर होऊंगा और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें से कोई चूक करूं तो मेरी............................... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

मैं इसके द्वारा अपने को (**या** हम संयुक्ततः और पृथक्तः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) उपर्युक्त .... **(नाम)** के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूं (**या** करते हैं) कि वह..................................... **(स्थान)** में .... के न्यायालय में तारीख .... को (**या** ऐसे दिन जब हाजिर होने की उससे इसके

पश्चात् अपेक्षा की जाए) अपने विरुद्ध लंबित आरोप का अतिरिक्त उत्तर देने के लिए हाजिर होगा, और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं (या हम इसके द्वारा अपने को आबद्ध करते हैं) कि यदि इसमें वह चूक करे तो मेरी (या हमारी).................... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 29

अभियोजन चलाने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र

(धारा 170 देखिए)

मैं.. **(नाम)**, जो .... **(स्थान)** का हूं, अपने को आबद्ध करता हूं कि मैं तारीख .... को............... बजे............................. के न्यायालय में हाजिर होऊंगा और वहीं और उसी समय क, ख, के विरुद्ध .... आरोप के मामले में अभियोजन चलाऊंगा (**या** अभियोजन चलाऊंगा और साक्ष्य दूंगा) (**या** साक्ष्य दूंगा), और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक करूं तो मेरी... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 30

छोटे अपराध के अभियुक्त को विशेष समन

(धारा 206 देखिए)

प्रेषिती –

.... **(अभियुक्त का नाम)** .... **(पता)** .... के छोटे अपराध **(आरोपित अपराध का संक्षिप्त विवरण)** के आरोप का उत्तर देने के लिए आपकी हाजिरी आवश्यक है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (**या** प्लीडर द्वारा) .... (मजिस्ट्रेट) के समक्ष 19......................... के .... मास के.................................. दिन हाजिर हों या यदि आप

मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहें तो आप दोषी होने का लिखित रूप में अभिवचन और जुर्माने के रूप में .... रुपए की राशि उपरोक्त तारीख के पूर्व भेज दें, या यदि आप प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहें और दोषी होने का अभिवचन ऐसे प्लीडर की मार्फत करना चाहें तो अपनी ओर से इस प्रकार दोषी होने का अभिवचन करने के लिए आप ऐसे प्लीडर को लिखित रूप में प्राधिकृत करें और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करें । इसमें चूक नहीं होनी चाहिए ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

(**टिप्पण** – इस समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम एक सौ रुपए से अधिक न होगी)

प्ररूप सं. 31

मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक को सुपुर्दगी की सूचना

(धारा 209 देखिए)

.... का मजिस्ट्रेट सूचना देता है कि उसने .... की अगले सेशन में विचारण के लिए सुपुर्द किया है ; और मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को उक्त मामले में अभियोजन का संचालन करने का अनुदेश देता है ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि .... इत्यादि **(आरोप में दिया गया अपराध लिखिए)**

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 32

आरोप

(धारा 211, 212 और 213 देखिए)

I. एक शीर्ष आरोप

(1) (क) मैं.. **(मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि)** आप .... **(अभियुक्त व्यक्ति का नाम)** पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं :–

(ख) धारा 121 पर – आपने तारीख.. को, या उसके लगभग............. में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अधीन दंडनीय अपराध है, और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(ग) और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूं कि आपका इस न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पर विचारण किया जाए ।

(मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा)

[(ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए] :–

(2) धारा 124 पर – आपने तारीख..................... को या उसके लगभग .... भारत के राष्ट्रपति **[या यथास्थिति (राज्य का नाम)** के राज्यपाल] को ऐसे राष्ट्रपति **(या यथास्थिति,** राज्यपाल) के रूप में अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति **(या यथास्थिति,** राज्यपाल) पर हमला किया, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत हैं ।

(3) धारा 161 पर – आपने .... विभाग में लोक सेवक होते हुए .... **(नाम लिखिए)** से अन्य पक्षकार .... **(नाम लिखिए)** के लिए पदीय कार्य से प्रविरत रहने के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्रत्यक्षतः स्वीकार किया, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(4) धारा 166 पर – आपने तारीख .... को या उसके लगभग..................... में ऐसा आचरण किया **(या यथास्थिति,** करने का लोप किया) जो................ अधिनियम की धारा .... के उपबंधों के प्रतिकूल है और जिसके बारे में आपको ज्ञात था कि वह....................... पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(5) धारा 193 पर – आपने तारीख .... को या उसके लगभग... में.. के समक्ष............................ के विचारण के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि ".." जिस कथन के मिथ्या होने का आपको ज्ञान था या विश्वास था या, जिसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं था ; और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया था भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(6) **धारा 304 पर** – आपने तारीख.............................. को या उसके लगभग.................. में हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध किया जिससे .... की मृत्यु कारित हुई और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(7) **धारा 306 पर** – आपने तारीख .... को या उसके लगभग .... में क, ख, द्वारा जो कि मृत अवस्था में था, आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(8) **धारा 325 पर** – आपने तारीख .... को या उसके लगभग .... में............... को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(9) **धारा 392 पर** – आपने तारीख... को या उसके लगभग.................में............................ **(नाम लिखिए)** को लूटा और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(10) **धारा 395 पर** – आपने तारीख.................................... को या उसके लगभग......................... में डकैती डाली जो अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

II. दो या अधिक शीर्ष वाले आरोप

(1)(क) मैं.. **(मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि)** आप.. **(अभियुक्त व्यक्ति का नाम)** पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं :–

(ख) **धारा 241 पर – पहला** – आपने तारीख........................... को या उसके लगभग.................... में एक सिक्का यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, **क, ख** नाम के एक अन्य व्यक्ति को असली के रूप में परिदत्त किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 241 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

दूसरा – आपने तारीख..................... को या उसके लगभग.................... में एक सिक्का यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, **क, ख** नाम के एक अन्य व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 241 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(ग) और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूं कि आपका उक्त न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पर विचारण किया जाए ।

(मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा)

[(ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए] :–

(2) धारा 302 और 304 पर – पहला – आपने तारीख .... को या उसके लगभग............. में .... की मृत्यु कारित करके हत्या की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

दूसरा – आपने तारीख .... को या उसके लगभग .... में .... की मृत्यु कारित करके हत्या की कोटि में न आने वाला मानववध किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(3) धारा 379 और 382 पर – पहला – आपने तारीख.......................... को या उसके लगभग .... में चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

दूसरा – आपने तारीख... को या उसके लगभग.......................... में चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की तैयारी करके, चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 382 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

तीसरा – आपने तारीख....................................... को या उसके लगभग .... में, चोरी करने के पश्चात् निकल भागने के लिए किसी व्यक्ति का अवरोध कारित करने की तैयारी करके, चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 382 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

चौथा – आपने तारीख.. को या उसके लगभग.......................... में चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को प्रतिधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को उपहति का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 382 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(4) धारा 193 पर अनुकल्पी आरोप – आपने तारीख...................... को या उसके लगभग............................में ....के समक्ष .... की जांच के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया " ...." और आपने तारीख .... को या उसके लगभग .... में .... के

समक्ष... के विचारण के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि " ...." जिन दो कथनों में से एक के मिथ्या होने का आपको ज्ञान या विश्वास था या उसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं था और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है ।

(मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारित किए जाने वाले मामलों में "सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है" **के स्थान पर** "मेरे संज्ञान के अंतर्गत है" **लिखिए)** ।

III. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् चोरी के आरोप

मैं.. **(मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि)** आप................................ **(अभियुक्त व्यक्ति का नाम)** पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं :–

यह कि आपने तारीख.................................... को या उसके लगभग .... में चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय **(या, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट)** के संज्ञान के अंतर्गत है । और आप, उक्त .... **(अभियुक्त का नाम)** पर यह भी आरोप है कि आप उक्त अपराध करने के पूर्व अर्थात् तारीख .... को .... के..................................... **(वह न्यायालय लिखिए जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी)** द्वारा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, अर्थात् रात्रौ गृह-भेदन के अपराध .... **(उस धारा के शब्दों में अपराध का वर्णन कीजिए जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया था)** के लिए दोषसिद्ध किए गए थे जो दोषसिद्धि अब तक पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील है और आप भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अधीन परिवर्धित दंड से दंडनीय हैं ।

और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूं कि आपका विचारण किया जाए, इत्यादि ।

प्ररूप सं. 33

साक्षी को समन

(धारा 61 और 244 देखिए)

प्रेषिती –

............................**(स्थान)** का.. नाम मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि.................................... **(पता)** के .... **(अभियुक्त का नाम)** ने .... **(समय और स्थान सहित अपराध थोड़े में लिखिए)** का अपराध किया है (या संदेह है

कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि संभाव्य है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य दें या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करें ;

इसलिए आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त परिवाद के विषय से संबद्ध आप जो कुछ जानते हों उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष तारीख .... को दिन में दस बजे हाजिर हों और न्यायालय की इजाजत के बिना वहां से न जाएं और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि न्यायसंगत कारण के बिना आपने उस तारीख पर हाजिर होने में उपेक्षा की या उससे इनकार किया तो आपको हाजिर होने को विवश करने के लिए वारण्ट जारी किया जाएगा ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 34

यदि कारावास या जुर्माने का दंडादेश [1][न्यायालय] द्वारा दिया गया है तो उस पर सुपुर्दगी का वारण्ट

[1][(धारा 235, 248 और 255 देखिए)]

प्रेषिती –

....**(स्थान)** की जेल का भारसाधक अधिकारी सन् .... के कलेण्डर के मामले संख्यांक........................... में बंदी **(या यथास्थिति पहले, दूसरे, तीसरे** बंदी) .... **(बंदी का नाम)** ....**को मेरे द्वारा** .... **(नाम और शासकीय पदाभिधान)** भारतीय दंड संहिता की **(या** .... अधिनियम की) धारा (या धाराओं).................................. के अधीन.............................. **(अपराधों का थोड़े में वर्णन कीजिए)** के अपराध के लिए **दोषसिद्ध** किया गया और ....**(दंड पूर्णतया और स्पष्टतया लिखिए)** के लिए तारीख .... को दंडादिष्ट किया गया ।

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... **(बंदी का नाम)** को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लेकर पूर्वोक्त दंड को विधि के अनुसार निष्पादित करें ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 5 की धारा 35 द्वारा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्ररूप सं. 35

प्रतिकर का संदाय करने में असफल रहने पर कारावास का वारण्ट

(धारा 250 देखिए)

प्रेषिती –

......................................(**स्थान**) की जेल का भारसाधक अधिकारी .... (**नाम और वर्णन**) ने .... (**अभियुक्त का नाम और वर्णन**) के विरुद्ध यह परिवाद किया है कि .... (इसे थोड़े में वर्णन कीजिए) और वह इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उक्त (**नाम**) .... के विरुद्ध अभियोग लगाने के लिए उचित आधार नहीं है और खारिज करने का आदेश यह अधिनिर्णीत करता है कि उक्त ....(**परिवादी का नाम**) द्वारा प्रतिकर के रूप में ....रुपए की राशि का संदाय किया जाए ; और उक्त राशि अभी तक दी नहीं गई है और यह आदेश कर दिया गया है कि उसे .... दिन की अवधि के लिए, यदि पूर्वोक्त राशि उससे पूर्व नहीं दे दी जाती है तो जेल में सादा कारावास में रखा जाए ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त..................... (**नाम**) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उससे उक्त जेल में उक्त अवधि .... (**कारावास की अवधि**) के लिए, यदि उक्त राशि उससे पूर्व नहीं दे दी जाती है तो सुरक्षित रखें और उक्त राशि के प्राप्त होने पर उसे तत्काल स्वतंत्र कर दें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 36

कारागार में बंद व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए न्यायालय में पेश करने की अपेक्षा करने वाला आदेश

(धारा 267 देखिए)

प्रेषिती –

....(**स्थान**) की जेल का भारसाधक अधिकारी

उक्त कारागार में इस समय परिरुद्ध/निरुद्ध .... (**बंदी का नाम**) की इस न्यायालय में हाजिरी .... (**आरोपित अपराध संक्षेप में लिखिए**) के आरोप का उत्तर देने के लिए या .... (**कार्यवाही की संक्षिप्त विशिष्टियां दीजिए**) कार्यवाही

के प्रयोजनार्थ अपेक्षित है ;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त.................................. को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लाकर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए या उक्त कार्यवाही के प्रयोजनार्थ तारीख.......................... को दिन में .... बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश करें और इस न्यायालय द्वारा उसे आगे हाजिर करने से छूट दिए जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं ।

और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त............................ को इस आदेश की अंतर्वस्तु की इत्तिला दें और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदत्त करें ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्रतिहस्ताक्षरित

(मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 37

कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में पेश करने की अपेक्षा करने वाला आदेश

(धारा 267 देखिए)

प्रेषिती –

....**(स्थान)** की जेल का भारसाधक अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष परिवाद किया गया है कि............................... **(स्थान)** के .... **(अभियुक्त का नाम)** ने .... **(समय और स्थान सहित अपराध थोड़े में लिखिए)** का अपराध किया है और यह प्रतीत होता है कि उक्त कारागार में इस समय परिरुद्ध/निरुद्ध .... **(बंदी का नाम)** अभियोजन/प्रतिरक्षा के लिए तात्विक साक्ष्य दे सकता है ;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त.............................. को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लाकर इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में साक्ष्य देने के लिए तारीख.. को दिन में.................... बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश करें और इस न्यायालय द्वारा उसे आगे हाजिर करने से छूट दिए जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं ;

और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... को इस आदेश की अंतर्वस्तु की इत्तिला दें और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदत्त करें ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्रतिहस्ताक्षरित

(मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 38

अवमान के ऐसे मामलों में सुपुर्दगी का वारण्ट जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया है

(धारा 345 देखिए)

प्रेषिती –

....**(स्थान)** की जेल का भारसाधक अधिकारी

आज मेरे समक्ष हुए न्यायालय में.. **(अपराधी का नाम और वर्णन)** ने न्यायालय की उपस्थिति में (**या** दृष्टिगोचरता में) जानबूझकर अवमान किया है ;

और ऐसे अवमान के लिए उक्त .... **(अपराधी का नाम)** को .... रुपए का जुर्माना देने के लिए या उसमें चूक करने पर .... **(मास या दिनों की संख्या लिखिए)** अवधि के लिए सादा कारावास भुगतने के लिए न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत किया गया है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... **(अपराधी का नाम)** को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और, उक्त जेल में .... **(कारावास की अवधि)** की उक्त अवधि के लिए, जब तक उक्त जुर्माना उससे पूर्व न दे दिया जाए, सुरक्षित रखें और उक्त जुर्माने के प्राप्त होने पर उसे तत्काल स्वतंत्र कर दें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 39

उत्तर देने से या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले साक्षी की सुपुर्दगी के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का वारण्ट

(धारा 349 देखिए)

प्रेषिती –

....(न्यायालय के अधिकारी का नाम और पदाभिधान) .... (नाम और वर्णन) ने साक्षी के रूप में समन किए जाने पर (या इस न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) और अभिकथित अपराध की जांच में साक्ष्य देने की आज अपेक्षा की जाने पर उक्त अभिकथित अपराध के बारे में उससे पूछे गए और सम्यक् रूप से अभिलिखित प्रश्न (या प्रश्नों) का उत्तर देने से या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इनकार किया है और इनकार करने के लिए किसी न्यायसंगत प्रतिहेतु का अभिकथन नहीं किया है और इस इनकार के लिए उसको .... (न्यायनिर्णीत निरोध की अवधि) के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के लिए आदिष्ट किया गया है ।

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... (नाम) को अपनी अभिरक्षा में लें और उसे अपनी अभिरक्षा में .... दिनों की अवधि के लिए, जब तक कि इस बीच में ही वह अपनी ऐसी परीक्षा किए जाने और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या उससे अपेक्षित दस्तावेज को पेश करने के लिए सहमत न हो जाए, सुरक्षित रखें और उसे इन दिनों में से अंतिम दिन, या ऐसी सहमति के ज्ञात होने पर तत्काल, विधि के अनुसार कार्रवाई की जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष लाएं और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 40

मृत्यु दंडादेश के अधीन सुपुर्दगी का वारण्ट

(धारा 366 देखिए)

प्रेषिती –

.... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी तारीख .... को मेरे समक्ष हुए सेशन में ....

(बंदी का नाम), जो कि उक्त सेशन में 19 .... के कलेण्डर के मामला संख्यांक .... में बंदी (**या यथास्थिति**, पहला दूसरा, तीसरा बंदी) है, भारतीय दंड संहिता की धारा .... के अधीन हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के अपराध के लिए सम्यक् रूप से दोषसिद्ध किया गया था और, ... के .... न्यायालय द्वारा उक्त दंडादेश की पुष्टि किए जाने के अध्यधीन रहते हुए, मृत्यु के लिए दंडादिष्ट हुआ था ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... **(बंदी का नाम)** को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे तब तक सुरक्षित रखें जब तक कि उक्त .... न्यायालय के आदेश को प्रभावशील करने के लिए इस न्यायालय का आगे वारण्ट या आदेश आपको न मिले ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 41

दंडादेश के लघुकरण के पश्चात् वारण्ट

[1][(धारा 386, 413 और 416 देखिए)]

प्रेषिती –

.... **(स्थान)** की जेल का भारसाधक अधिकारी तारीख .... को हुए सेशन में .... **(बंदी का नाम)**, जो उक्त सेशन में 19 .... के कलेण्डर के मामला संख्यांक .... में बंदी (**या, यथास्थिति**, पहला, दूसरा, तीसरा बंदी) है, भारतीय दंड संहिता की धारा .... के अधीन दंडनीय .... के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और .... के लिए दंडादिष्ट किया गया था और तब आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था तथा ....के.............. न्यायालय के आदेश द्वारा (जिसकी दूसरी प्रति इसके साथ संलग्न है) उक्त दंडादेश द्वारा न्यायनिर्णीत दंड का आजीवन कारावास .... के दंड के रूप में लघुकरण किया गया है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 35 द्वारा "(धारा 386 देखिए)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

आप उक्त .... **(बंदी का नाम)** को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में, विधि द्वारा अपेक्षित रूप में, तब तक सुरक्षित रखें जब तक वह उक्त आदेश के अधीन आजीवन कारावास का दंड भुगतने के प्रयोजन के लिए आपके द्वारा समुचित प्राधिकारी को और अभिरक्षा में परिदत्त न कर दिया जाए,

अथवा

यदि कम किया गया दंडादेश कारावास का है तो "उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में" **शब्दों के पश्चात् लिखिए** "सुरक्षित रखें और वहां उक्त आदेश के अधीन कारावास के दंड को विधि के अनुसार निष्पादित करें" ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 42

मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का वारण्ट

[1][(धारा 413 और 414 देखिए)]

प्रेषिती –

.... **(स्थान)** की जेल का भारसाधक अधिकारी तारीख .... को मेरे समक्ष हुए सेशन में 19............................ के कलेण्डर के मामला संख्यांक .... में बंदी ....**(या, यथास्थिति,** पहला, दूसरा, तीसरा बंदी) .... **(बंदी का नाम)** इस न्यायालय के तारीख .... के वारण्ट द्वारा मृत्यु का दंडादेश देकर आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था ; तथा उक्त दंडादेश को पुष्ट करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश इस न्यायालय को प्राप्त हो गया है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .... को .... **(निष्पादन का समय और स्थान)** में जब तक वह मर न जाए तब तक गर्दन से लटकवाकर उक्त दंडादेश का निष्पादन करें और यह वारण्ट इस न्यायालय को पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करते हुए लौटा दें कि दंडादेश का निषादन कर दिया गया है ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 35 द्वारा "(धारा 414 देखिए)" के स्थान पर प्रतिस्थाति ।

प्ररूप सं. 43

कुर्की और विक्रय द्वारा जुर्माने का उद्ग्रहण करने के लिए वारण्ट

(धारा 421 देखिए)

प्रेषिती –

.... **(उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदाभिधान जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)** ।

....**(अपराधी का नाम और वर्णन)** तारीख .... को .... **(अपराध का थोड़े में वर्णन कीजिए)** के अपराध के लिए मेरे समक्ष दोषसिद्ध किया गया था और .... रुपए का जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया था तथा उक्त .... **(नाम)** ने उक्त जुर्माना देने की अपेक्षा की जाने पर भी वह जुर्माना या उसका कोई भाग नहीं दिया है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... जिले के अंदर पाई जाने वाली उक्त .... **(नाम)** की किसी भी जंगम संपत्ति को कुर्क करें ; और यदि ऐसी कुर्की के ठीक पश्चात् .... **(अनुज्ञात दिनों या घंटों की संख्या)** के अंदर **(या** तत्काल) उक्त राशि न दी जाए तो कुर्क की गई जंगम संपत्ति का या उसके इतने भाग का जितना उक्त जुर्माने की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, पृष्ठांकन करके तुरंत लौटा दें ।

ता. ....   **(हस्ताक्षर)**

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 44

जुर्माने की वसूली के लिए वारण्ट

(धारा 421 देखिए)

प्रेषिती –

....

जिले का कलेक्टर ।

.... **(अपराधी का नाम, पता और वर्णन)** को 19................................ के....................................... मास के .... दिन... **(अपराध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए)** के अपराध के लिए मेरे समक्ष सिद्धदोष किया गया था और .... रुपए का जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया था ; और

उक्त .... **(नाम)** से यद्यपि उक्त जुर्माना देने की अपेक्षा की गई थी किंतु उसने वह जुर्माना या उसका कोई भाग नहीं दिया है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त .... **(नाम)** की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों से उक्त जुर्माने की रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कीजिए और अविलंब यह प्रमाणित कीजिए कि आपने इस आदेश के अनुसरण में क्या किया है ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

(न्यायालय की मुद्रा)

---

[1][प्ररूप सं. 44क

जुर्माने के वसूल होने तक छोड़े गए अपराधी के हाजिर होने के लिए बंधपत्र

[धारा 424(1)(ख) देखिए]

मैं.................... **(नाम)**.............**(स्थान)** का निवासी हूं । मुझे.................. .... रुपए का जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया था और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर .... (अवधि) के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है । न्यायालय ने इस शर्त पर मेरे छोड़े जाने का आदेश किया है कि मैं निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) को हाजिर होने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करूं, अर्थात् :–

मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि मैं .... न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) को, अर्थात् .... को.................. बजे हाजिर होऊंगा और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि मैं इसमें व्यतिक्रम करूं तो मेरी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 35 द्वारा अंतःस्थापित ।

जहां बंधपत्र प्रतिभुओं के साथ निष्पादित किया जाना है वहां यह जोड़ें

हम इसके द्वारा अपने को उपर्युक्त .... (नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह .... न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) अर्थात्................................ .... को हाजिर होगा और हम इसके द्वारा अपने को संयुक्ततः और पृथक्‌तः आबद्ध करते हैं कि इसमें उसके द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर हमारी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 45

थाने या न्यायालय के भारसाधक अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए बंधपत्र और जमानत-पत्र

[धारा 436, [1][(436क)], 437, [2][(437क)], 438(3) और 441 देखिए]

मैं .... (नाम) .... (स्थान) का निवासी हूं ; .... थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तार या निरुद्ध कर लिए जाने पर (**या** .... न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) अपराध से आरोपित किया गया हूं तथा मुझसे ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिरी के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है ; मैं अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता हूं कि मैं ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, हाजिर होऊंगा, जिसको ऐसे आरोप की बाबत कोई अन्वेषण या विचारण किया जाए, तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक करूं तो मेरी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

मैं इसके द्वारा अपने को (**या** हम संयुक्ततः और पृथक्‌तः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) उपरोक्त (**नाम**) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूं (**या** करते हैं) कि वह .... थाने के भारसाधक अधिकारी या .... न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, जिसको आरोप का अन्वेषण किया जाएगा या ऐसे आरोप का विचारण किया जाएगा, हाजिर होगा, कि वह ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष (**यथास्थिति**) ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए या उसके विरुद्ध आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित होगा और मैं इसके द्वारा अपने

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 43 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 32 द्वारा अंतःस्थापित ।

को आबद्ध करता हूं (**या** हम अपने को आबद्ध करते हैं) कि इसमें उसके द्वारा चूक किए जाने की दशा में मेरी/हमारी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 46

प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति के उन्मोचन के लिए वारण्ट

(धारा 442 देखिए)

प्रेषिती –

.... **(स्थान)** के जेल का भारसाधक अधिकारी **(या वह अन्य अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में उक्त व्यक्ति है)**

(बन्दी का नाम और वर्णन) तारीख .... के इस न्यायालय के वारण्ट के अधीन आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात् अपने प्रतिभू (या प्रतिभुओं) के सहित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441 के अधीन बन्धपत्र सम्यक् रूप से निष्पादित कर दिया है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त **(नाम)** को अपनी अभिरक्षा से, जब तक कि किसी दूसरी बात के लिए उसका निरुद्ध किया जाना आवश्यक न हो, तत्काल उन्मोचित कर दें ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

---

[1][प्ररूप सं. 47

बन्धपत्र प्रवर्तित कराने के लिए कुर्की का वारण्ट

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

.... **(स्थान)** के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी ।

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 35 द्वारा अन्तःस्थापित ।

...................................(व्यक्ति का नाम, **वर्णन और पता**) अपने मुचलके के अनुसरण में.................... (अवसर का उल्लेख करें) पर हाजिर होने में असफल रहा है और इस व्यतिक्रम के कारण उसकी.................... (**बंधपत्र में वर्णित शास्ति**) रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है और उक्त (व्यक्ति का नाम), को सम्यक् सूचना दिए जाने पर, उक्त राशि देने में या इस बात का कि उक्त राशि की वसूली उससे क्यों न की जाए पर्याप्त कारण बताने में असफल रहा है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (नाम)...................... की .... जिले के भीतर पाई जाने वाली जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण और निरोध करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि .... दिन के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति को या उसके उतने भाग को, जो उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और इस वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 48

बंधपत्र का भंग होने पर प्रतिभू को सूचना

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

....(**नाम और पता**)

आप तारीख .... को ....(**नाम**) .... (**स्थान**) के इसलिए प्रतिभू बने थे कि वह इस न्यायालय के समक्ष .... (**तारीख**) को हाजिर होगा और आपने अपने को आबद्ध किया था कि यदि इसमें व्यतिक्रम होता है तो आपकी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ; और उक्त (**नाम**) इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने में असफल रहा है और इस व्यतिक्रम के कारण आपकी .... रुपए की उपर्युक्त राशि समपहृत हो गई है ;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप आज की तारीख से .... दिन के भीतर उक्त शास्ति का संदाय कर दें या यह कारण बताएं कि आपसे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए ।

ता. .... **(हस्ताक्षर)**

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 49

सदाचार के लिए बंधपत्र के समपहरण की प्रतिभू को सूचना

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

....(नाम और पता)

आप तारीख .... को .... (नाम) .... (स्थान) के लिए इस बंधपत्र द्वारा प्रतिभू बने थे कि वह .... अवधि के लिए सदाचारी रहेगा और आपने अपने को आबद्ध किया था कि इसमें व्यतिक्रम होने पर आपकी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ; और आपके ऐसे प्रतिभू बनने के बाद से उक्त .... (नाम) को .... (**यहां पर संक्षेप में अपराध का उल्लेख करें**) के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, इस कारण आपका प्रतिभूति बंधपत्र समपहृत हो गया है ;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... दिन के भीतर उक्त .... रुपए की शास्ति दे दें या यह कारण बताएं कि उसका संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 50

प्रतिभू के विरुद्ध कुर्की का वारण्ट

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

....(नाम और पता)

....(**नाम, वर्णन और पता**) ने अपने को .... की हाजिरी के लिए प्रतिभू के रूप में आबद्ध किया है कि (बंधपत्र की शर्त का उल्लेख कीजिए) और उक्त (**नाम**) ने व्यतिक्रम किया है और इस कारण उसकी .... (**बंधपत्र में वर्णित शास्ति**) रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि

आप उक्त (**नाम**) की .... जिले के भीतर पाई जाने वाली जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण और निरोध करके कुर्क कर लें ; और यदि उक्त राशि .... दिन के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति को या उसके उतने भाग को जो उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और इस वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के, अधीन क्या किया है ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 51

जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त व्यक्ति के प्रतिभू की सुपुर्दगी का वारण्ट

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

.... (**स्थान**) की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक) ।

.... (**प्रतिभू का नाम और वर्णन**) ने अपने को .... की हाजिरी के लिए प्रतिभू के रूप में आबद्ध किया है कि (बंधपत्र की शर्त का उल्लेख कीजिए) और उक्त (**नाम**) की इसमें व्यतिक्रम किया है इसलिए उक्त बंधपत्र में वर्णित शास्ति सरकार को समपहृत हो गई है ; और उक्त (**प्रतिभू का नाम**), को सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त राशि का संदाय करने में या ऐसा पर्याप्त कारण बताने में असफल रहा है कि उससे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए तथा वह राशि उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की और उसे बेचकर वसूल नहीं की जा सकती है, और सिविल जेल में .... (**अवधि का उल्लेख कीजिए**) के लिए उसके कारावास का आदेश किया गया है ;

इसलिए आप (अर्थात् उक्त अधीक्षक या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ....(**नाम**) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त जेल में उक्त (कारावास की अवधि) के लिए सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 52

परिशान्ति कायम रखने के लिए बंधपत्र के समपहरण की कर्ता को सूचना

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

....(नाम, वर्णन और पता)

आपने तारीख .... को यह बंधपत्र निष्पादित किया था कि आप .... (**जैसा बंधपत्र में हो**) नहीं करेंगे और उस बंधपत्र के समपहरण का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है ;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप .... दिन के भीतर .... रुपए की उक्त शास्ति का संदाय कर दें या यह कारण बताएं कि आपसे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 53

परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र का भंग होने पर कर्ता की सम्पत्ति की कुर्की का वारण्ट

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

.... (**स्थान**) के पुलिस थाने का .... (**पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम**) ।

....(**नाम और वर्णन**) ने तारीख .... को .... रुपए की राशि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित किया था जिसमें उसने अपने को आबद्ध किया था कि वह परिशांति का भंग आदि (**जैसा बंधपत्र में हो**) नहीं करेगा और उक्त बंधपत्र के समपहरण का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और यह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है ; और उक्त (**नाम**) .... को सूचना देकर उससे अपेक्षा की गई है कि वह कारण बताए कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा वह ऐसा करने में या उक्त राशि का संदाय करने में असफल रहा है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (**नाम**) की .... जिले में पाई जाने वाली .... रुपए के मूल्य की जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि .... के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके उतने भाग को जो उस राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो,

बेच दें और वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 54

परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र का भंग होने पर कारावास का वारण्ट

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

..................................(**स्थान**) की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक) ।

मेरे समक्ष इस बात का सबूत दिया गया है कि वह सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है कि .... (**नाम और वर्णन**) ने उस बंधपत्र का भंग किया है जो उसने परिशांति कायम रखने के लिए निष्पादित किया था और इसलिए उसकी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है, और उक्त (**नाम**) ऊपर बताई गई राशि का संदाय करने में या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की सम्यक् रूप से अपेक्षा की गई थी तथा उक्त राशि की वसूली उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की करके नहीं की जा सकती है और (**कारावास की अवधि**) की अवधि के लिए सिविल जेल में उक्त (**नाम**) के कारावास के लिए आदेश किया गया है ;

इसलिए आपको अर्थात् उक्त सिविल जेल के अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप (**नाम**) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त अवधि (**कारावास की अवधि**) के लिए उक्त जेल में सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

प्ररूप सं. 55

सदाचार के बंधपत्र के समपहरण पर कुर्की और विक्रय का वारण्ट

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

.... (स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी ।

....(**नाम, वर्णन और पता**) ने तारीख .... को .... (**कर्ता का नाम आदि**) के सदाचार के लिए .... रुपए की राशि के बंधपत्र द्वारा प्रतिभूति दी थी और मेरे समक्ष यह सबूत दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है कि उक्त (**नाम**) ने .... का अपराध किया है और इसलिए उक्त बंधपत्र समपहृत हो गया है, और उक्त (नाम) को यह अपेक्षा करते हुए सूचना दी गई थी कि वह कारण बताए कि उक्त रकम का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा वह ऐसा करने में या उक्त राशि का संदाय करने में असफल रहा है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (**नाम**) ,की .... जिले में पाई जाने वाली .... रुपए के मूल्य की जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि .... के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके उतने भाग को जो उस राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो बेच दें और इस वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है ।

ता. ....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

प्ररूप सं. 56

सदाचार के लिए बंधपत्र के समपहरण पर कारावास का वारण्ट

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती –

.... (**स्थान**) की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक) ।

....(**नाम, वर्णन और पता**) ने तारीख .... को .... (**कर्ता का नाम**

आदि) के सदाचार के लिए ....रुपए की राशि के बंधपत्र द्वारा प्रतिभूति दी थी और उक्त बंधपत्र के भंग किए जाने का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है और इसलिए उक्त (**नाम**) को.................................. की रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है ; और वह उक्त राशि का संदाय करने में या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की अपेक्षा सम्यक् रूप से की गई थी और उक्त राशि की वसूली उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की द्वारा नहीं की जा सकती है, और सिविल जेल में.. (**कारावास की अवधि**) अवधि के लिए उक्त (**नाम**) के कारावास के लिए आदेश कर दिया गया है ;

इसलिए आप अर्थात् अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (**नाम**) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त जेल में उक्त अवधि (**कारावास की अवधि**) के लिए सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।

ता. ....

(न्यायालय की मुद्रा) **(हस्ताक्षर)**

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	—	—	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. परांजपे - 1990	40	—	—	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	—	—	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	—	—	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	—	—	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	—	—	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	—	—	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	—	—	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	—	—	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	—	—	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	—	—	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	—	—	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	—	—	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	—	—	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	—	—	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	—	290	—
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	—	60	—

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover iv

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 195/- उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105